राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] दसवीं विधान सभा के दसवें सत्र का नवां दिवस [संख्या : 5

मंगलवार,

17 मार्च, 1998

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या--71

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री कमल जी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री जुबेर खान जी।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्मिकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा

72. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में कार्यरत अधिकांश कर्मचारी विगत 25-26 वर्षों से लगातार कार्यरत हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मचारी राज्य कर्मचारियों के समान ही कार्य ड्यूटी देते हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मचारियों को अभी तक भी राज्य कर्मचारियों का दर्जा नहीं दिया गया है?

(4) क्या यह भी सही है कि इनकी सेवाएं निवृत्ति वाली भी नहीं हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(5) क्या सरकार इन कर्मचारियों की लम्बी सेवा अवधि को देखते हुए इन्हें राज्य कर्मचारियों का दर्जा एवं सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन देने का कोई विचार रखती है? यदि हां, तो कब से?

राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन (श्री अनंग कुमार जैन) : (1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) जी, हां।

२

(श्री अनंग कुमार जैन)

(4) जी, हां। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ऐसी एक पंजीकृत संस्था है जिसका प्रशासन एवं वित्त प्रबन्ध संस्था के नियमों/उपनियमों के अनुसार होता है। वर्तमान में इन संस्थाओं के नियमों में पेंशन का प्रावधान नहीं है।

(5) पेंशन सम्बन्धी प्रकरण राज्य स्तर पर विचाराधीन है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन देने सम्बन्धी नियम तैयार कर वित्त विभाग को प्रस्तुत किये जा चुके हैं। ये नियम वित्त विभाग के विचाराधीन हैं।

श्री अध्यक्ष : विचाराधीन है और कोई बात कहनी है ?

श्री कुबेर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, आज अगर आप ग्रामीण इलाकों में देखें, अगर डी. आर. डी. ए. के दफ्तर बन्द हो जाएं तो कोई काम वहां हो नहीं पाएगा। जो लोग वहां लगे हुए हैं उनको कितना समय हो गया, पर विचाराधीन है। माननीय मंत्री महोदय, यह बता दीजिये कि आप इनका फैसला कब तक कर देंगे ? ओवर टाइम तक इनको मिलता नहीं है, कोई पेंशन की सुविधा नहीं है, राज्य सरकार के कर्मचारियों का दर्जा आप उनको दे नहीं रहे हैं और काम सबसे ज्यादा डी. आर. डी. ए. से ही हो रहा है। इसलिए इनका जो मामला है, डी. आर. डी. ए. के जो कर्मचारी हैं इनको राज्य कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए, इनको पेंशन की सुविधा उपलब्ध करायी जाए, इसके ऊपर आप कब तक निर्णय ले लेंगे वह समय सीमा बताइये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट सत्र में मंत्री महोदय ने कहा था कि यह पेंशन के नियम वित्त विभाग में विचाराधीन हैं। तो अब साल भर हो गया और कितने दिन इसको विचाराधीन रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष : विराजें। अब इसमें और क्या कहना है ? कोई खास बात तो है नहीं।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, यह एजेंसी के नौकर बने रहेंगे या सरकार अपनी ओर से नियुक्ति देगी ? इसको भी स्पष्ट कर दें।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रथम तो मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कि डी.आर.डी.ए के जो कर्मचारी हैं उनकी ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति नहीं होती हैं, वे सब शहरों में कार्यरत हैं। राज्य सरकार स्वयं इनके प्रति काफी संवेदनशील है। और राज्य सरकार चाहती है कि चूंकि ये लम्बे समय से कार्य कर रहे हैं तो इनको पेंशन दी जाए और पेंशन का फायदा इनको दिया जाए। इनके संघों से भी राज्य सरकार की बातचीत हुई है और सब से बातचीत करने के बाद इनके लिये नये नियम पेंशन देने के बनाये गये हैं उन नियमों को स्वीकृति के लिये वित्त विभाग के पास भेजा गया है। अब कुछ पैसा डी.आर.डी.ए कुछ फाइनेंस वहां ट्रांसफर करेगी उस बारे में थोड़ा-सा

(श्री अनंग कुमार जैन)

गतिरोध है लेकिन मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य सरकार की पूरी मन्शा है कि इनको पेंशन दी जाए और इनके मामले का शीघ्रता से शीघ्र निपटारा किया जाए।

श्री जुबेर खान : राज्य सरकार का दर्जा देने का विचार रखते हैं या नहीं? इनको राज्य सरकार के कर्मचारियों का दर्जा देने का विचार सरकार का है या नहीं?

श्री अनंग कुमार जैन : डी. आर. डी. ए. एक पंजीकृत संस्था है, सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है और यह उसके ही कर्मचारी हैं इसलिए उनको उन नियमों के अन्तर्गत ही समझा जाएगा और उनको उन नियमों के अन्तर्गत ही पेंशन दी जाएगी।

श्री मदन मोहन (खैरथल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह कर्मचारी 25 वर्षों तक लगातार राज्य सरकार की सेवा करते रहे, 25 वर्षों से आज तक इनका कोई फिक्सेशन नहीं हुआ, पूर्ण राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया, न इनकी कोई पेंशन की व्यवस्था की गयी। तो 25 साल से हैं, आप इनकी पेंशन की तो व्यवस्था करेंगे और राज्य कर्मचारी का दर्जा भी देंगे लेकिन 25 साल जो आपने सेवाएं ली हैं इसके लिए भी क्या आप बोनस देने का विचार रखते हैं? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं। 25 वर्षों तक जो राज्य सरकार की इन्होंने सेवा की उसका क्या आप कोई बोनस या प्रतिफल इनको देना चाहेंगे? जब 25 साल से लगातार इनका फिक्सेशन नहीं हो पाया और अब आप यह कहें कि राज्य सरकार की करने की मन्शा है तो राज्य सरकार की मन्शा से काम नहीं चलेगा काम तो करने से चलेगा। इसलिए आप उसकी समय सीमा निर्धारित करके यह बतायें कि साल भर, 6 महीने, 3 महीने में कर देंगे। कब तक कर देंगे?

श्री अध्यक्ष : अब इसमें और क्या है?

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक क्वेश्चन मैं भी पूछना चाहता हूं। कृपया यह बतायें कि ये कर्मचारी टेम्परेरी हैं और आज भी टेम्परेरी ही काम कर रहे हैं? जोधपुर जिले के अन्दर अभी कलक्टर ने करीब 7 कर्मचारियों को सेवा निवृत्त कर दिया और हमने पूछा कि इनकी इतनी सर्विस है; आज यह 13-13, 14-14 साल से काम कर रहे हैं तो आपने इनको कैसे सेवा निवृत्त कर दिया, तो उन्होंने कहा कि ये टेम्परेरी हैं और टेम्परेरी ही चल रहे हैं। 25 साल की नौकरी होने के बाद भी वे टेम्परेरी हैं और जब तक यह पेंशन का मामला नहीं जमेगा तब तक टेम्परेरी ही रहेंगे। फिर पेंशन की तो आप बता रहे हैं कि लास्ट ईयर के केसेज फाइनेंस में गये

(श्री खेतसिंह राठौड़)

हुए हैं, आज तक वहां से पास होकर नहीं आये, फाइनेंस ने एग्री नहीं किया है। तो क्या फिर यह सारा मामला यों ही टेम्परेरी ही चलता रहेगा ?

श्री हरजीराम बुरड़क : खुद भी तो टेम्परेरी ही हैं।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला सामान्य मामला नहीं है, बहुत गम्भीर और महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि डी. आर. डी. ए. के ऊपर सारा ग्रामीण क्षेत्र के डवलपमेंट का काम निर्भर है। वहां पर पहले तो स्टाफ की नियुक्तियां ही बहुत कम हैं और जितना वर्कलोड है उसके मुकाबले में आधा भी स्टाफ जहां नहीं है, वहां हमेशा परेशानी होती रहती है। जितने लोग लगे हुए हैं उनको भी सरकार के कर्मचारियों के समान तमाम सुविधाएं और वेतनमान मिलने चाहिए क्योंकि वह लोग भी उसी तरह काम करते आ रहे हैं जिस तरह से सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं। उनको नहीं देते हैं तो उनकी कुशलता में, कार्य क्षमता में कमी आ रही है जिससे सारे ग्रामीण क्षेत्र को, हम लोगों को दिक्कत होती है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। श्री हरिसिंह जी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने सही फरमाया है कि यह सोसाइटी एक्ट के तहत एक रजिस्टर्ड संस्था है। इस संस्था की गवर्निंग बॉडी का विधान सभा का हर माननीय सदस्य मैम्बर है और गवर्निंग बॉडी का मैम्बर होने के बावजूद हमको खुद को भी यह पता नहीं है कि आखिर इन कर्मचारियों का फेट क्या है। राज्य सरकार कब तक इनकी टेम्परेरी सेवाओं को रेगुलर करेगी या नहीं करेगी ? निर्णय तो राज्य सरकार को लेना है। पिछली बार भी विधान सभा में यह प्रश्न उठा, उसके पहले भी प्रश्न उठा और हर बार एक ही जवाब आता है कि सरकार संवेदनशील है, सरकार विचार कर रही है। मंत्रीजी को आप भी कहें, आप भी गवर्निंग बॉडी के मैम्बर हैं और एम. पी. बन जाने के बाद भी मैम्बर रहेंगे तो आपका और हमारा भी कुछ फर्ज बन जाता है कि जिस गवर्निंग बॉडी के हम मैम्बर हैं उसमें सेवारत कर्मचारियों के हित के लिये हम क्या कर सकते हैं। इसलिए सरकार के ऊपर आप भी दबाव बनायें कि सरकार इसके बाबत एक स्पष्ट निर्णय ले। आपकी संवेदनशीलता का तात्पर्य और समझा दें ?

श्री अध्यक्ष : विराजें। माननीय मंत्रीजी।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं...

श्री कुबेर खान : रजिस्टर्ड जो सोसाइटीज हैं, को-ऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, और भी बहुत सी हैं जिनमें आपने दे रखा है तो फिर यहां करने की क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष : आप क्या पूछ रहे हैं जोगेश्वर जी ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इन कर्मचारियों पर राज्य सेवा नियम, आर. एस. आर. लागू होते हैं क्या ? यदि होते हैं, तो फिर पेंशन क्यों नहीं मिल रही है ? यदि नहीं होते हैं तो क्या इनके लिए कोई अलग सेवा नियम बने हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी । मंत्रीजी को बोलने दें एक बार । बहुत सारे प्रश्न एक साथ हो गये ।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसी विषय से सम्बन्धित प्रश्न था । मैं यह निवेदन करता हूं कि एक तरफ तो राज्य सरकार किसी भी फैक्टरी एक्ट के अन्तर्गत इण्डस्ट्रियल रूल्स के माध्यम से या अन्य माध्यम से किन्हीं लोगों की सेवाओं को 240 दिन या 180 दिन के बाद ही नियमित करने की बात करती है और दूसरी तरफ यहां लागू नहीं कर रही है । जब आप दूसरों के ऊपर किसी नियम को लागू करवाने की बात करते हैं तो क्या हमारा नैतिक दायित्व इतना नहीं बनता कि कम से कम हम अपने कर्मचारियों के प्रति, जिन्होंने अपने जीवन के 20-20, 25-25 वर्ष हमारी सेवा में दे दिये और आज केवल मात्र डी.आर.डी.ए. के माध्यम से जो कुछ पैसा मिलता है उसी से आप उनका वेतन चुकाते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछें ।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं एक निवेदन और कर दूं कि आज जितने भी केस हाई कोर्ट में देखें, तीन केस तो कोटा के मेरे को याद हैं, आज यह लोग जाते हैं, वापस जीतकर आ जाते हैं । आप सेवा से समाप्त करते हैं, वापस जाते हैं, वहां जाकर दरवाजे खटखटाते हैं । तो किसी आदमी का, सरकार का बेकार में पैसा खर्च हो यह कौनसी न्यायसंगत बात है ? उसके ऊपर विचार होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : विराजें । श्री शैलेन्द्र जोशी ।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, डी.आर डी.ए. के कर्मचारी जो कि विकास की धुरी हैं, उनका अगर समानीकरण नहीं किया गया तो उनकी कार्य-कुशलता, दक्षता घटेगी जिससे ग्रामीण विकास प्रभावित होगा इसलिए जरूरी है कि मंत्री महोदय आज आप समयबद्ध घोषणा करें कि कितने महीने, कितने दिनों में आप इन कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी के समान दर्जा दे देंगे । कृपया समय की अवधि बता दें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी । कृपया विराजें ।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कहना चाहता हूं । एक मिनट । अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में दो बार इसी तरह के प्रश्न पूछे थे....

(6)

श्री अध्यक्ष : इसलिए कह रहा हूं कि आपको बाद में बुलवा दूंगा।

श्री महावीर भगोरा : और उनका सरकार से जवाब आया कि हमने सेवा नियम बना लिये हैं और उनको सरकारी कर्मचारियों की तरह हर तरह की सुविधा दी जाएगी तो मंत्री महोदय बतायें कि वास्तविकता क्या है ?

श्री अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यों का यही कहना है। मंत्रीजी वही सब बात कह रहे हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, 20-25 वर्षों से जो कर्मचारी कार्यरत हैं वे टेम्परेरी नहीं हैं लेकिन भारत सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं कुछ समय के लिए आती हैं, वे योजनाएं 2-3 वर्षों के लिए होती हैं। उन योजनाओं को चलाने के लिए कुछ लोगों को कांट्रेक्ट बेसिस पर एंगेज किया जाता है। उनमें से अधिकांश लोग हाई कोर्ट में गये, होई कोर्ट ने भी राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय दिया है और राज्य सरकार की कभी यह मन्शा नहीं है कि जो व्यक्ति राज्य सरकार या डी.आर.डी.ए. के अन्दर लम्बे समय से कार्यरत हैं और यदि राज्य सरकार के पास स्थान हो तो उनको उसमें समायोजित कर लिया जाए। राज्य सरकार स्वयं यह विचार कर रही है और मैंने पिछली बार भी आपके माध्यम से सदन में निवेदन किया था कि यही प्रश्न राज्य सरकार के समक्ष आया। इनके जो विभिन्न संघ हैं उनसे बातचीत हुई। उनसे बातचीत के दौरान राज्य सरकार और उनके बीच में एक सहमति हुई। उस सहमति के आधार पर नियम बनाये गये। नियम बनाने के बाद उनको लॉ डिपार्टमेंट से वेट करवाया गया, फिर डी.ओ.पी. को भेजा गया और उन सब प्रकिया से गुजरते हुए अब वित्त विभाग के अन्दर भेजा गया है। वित्त विभाग ने कुछ छोटी-मोटी एक–दो आपत्तियां की हैं। उनका जवाब भी विभाग के द्वारा भिजवा दिया गया है और मैं आपके माध्यम से पुनः सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों की जो चिन्ता है, बहुत अधिक चिन्तित हो रहे हैं माननीय सदस्य कि इनको सरकारी कर्मचारी मान लिया जाए, इनको पेंशन दे दी जाए लेकिन राज्य सरकार, चूंकि सोसायटी एक्ट के अन्दर रजिस्टर्ड संस्था के अन्तर्गत कार्य कर रही है इसलिए राज्य सरकार का पूर्ण मानस है कि इनको पेंशन दे दी जाए, निश्चित रूप से इनको पेंशन दी जाएगी और वित्त विभाग ने जो भी आब्जेक्शन्स किये हैं, उनको शीघ्रातिशीघ्र रिमूव करवाकर इनकी पेंशन की योजना को लागू किया जाएगा, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह आश्वस्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री भीमराज जी भाटी। (व्यवधान) नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। हो गया ना। -- (व्यवधान) इसमें बहुत हो गया ना। विराजिये ना अब आप। नहीं तो एक नाम आपका भी आ जाएगा कि आपने भी डी.आर.डी.ए. के कर्मचारियों के लिए कहा था, क्या हुआ ? अब आप भाटी साहब का प्रश्न आने दें।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कई बार यह देखा गया है कि डी.आर.डी.ए. की गवर्निंग बॉडी के बिना ही डी.आर.डी.ए. के चेयरमैन कामों की स्वीकृति अपने चैम्बर में दे देते हैं। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : प्रश्न संख्या 74

श्री अध्यक्ष : एक मिनट। श्री फतेह सिंह जी।

कब्जेशुदा भूमिहीन किसानों की भूमि का नियमन प्रकरण

73. **श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बांसवाड़ा जिले में राजस्व विभाग में काबिल काश्त कितनी भूमि हैं? पटवार हल्का एवं गांववार संख्या सूची (हैक्टेयरों में) सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि काबिल काश्त भूमि पर भूमिहीन कृषकों ने कुएं, मकान व मेड़बंदी कर नाजायत कब्जे कर रखे हैं? यदि हां, तो ऐसे कितने लोग हैं? पटवार हल्कावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार कब्जेशुदा भूमिहीन किसानों की भूमि को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) :

(1) बांसवाड़ा जिले में राजस्व विभाग में रिकार्ड के अनुसार 25603.904 हैक्टेयर काबिल काश्त भूमि है। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जिला बांसवाड़ा की तहसील कुशलगढ़ में काबिल काश्त सरकारी भूमि पर चार कृषकों द्वारा अतिक्रमण कर मकानात बनाकर कब्जा करने के कारण कार्यवाही की गयी है; जिसकी सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। शेष तहसील बांसवाड़ा, घाटोल, बागीदौरा व गढ़ी में सरकारी काबिल काश्त भूमि पर अतिक्रमण कर कुएं व मकान बनाने का पिछले तीन वर्षों में कोई मामला दर्ज होना अथवा सामने आना नहीं पाया गया। जिले में काबिल काश्त भूमि पर कुल 11302 व्यक्तियों ने 6393.736 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण कर काश्त की थी। जिनकी पटवार हल्कावार सूची परिशिष्ट "स" संलग्न है। इन समस्त मामलों का निस्तारण किया जाकर मौके पर सभी अतिक्रमियों को बेदखल कर दिया गया है।

(8)

(श्री गंगाराम चौधरी)

(3) जिला बांसवाड़ा में नियमन का कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री फतेह सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पूरे जिले के आंकड़े दिये कि इतनी हैक्टेयर जमीन पर काश्तकारों के नाजायज कब्जे थे, उसमें से इतने काश्तकारों के अतिक्रमण सामने आये और उन्हें बेदखल कर दिया गया। यह सारा एक पुलिंदा आपने दिया है। मेरी मंशा इसमें यह थी कि पूरे जिले में जहां बिखरी हुई आबादी है, टुकड़ों-टुकड़ों में जमीन रेवेन्यू की, किसी भूमिहीन व्यक्ति की उसके खेत की सेडे की जमीन है, उन सभी जमीन के ऊपर लोगों ने कब्जा कर रखा है। कहीं मेड़बंदी भी बना रखी है तो कहीं मकान भी बना लिये हैं। उन लोगों को अपना हक नहीं देकर के हर साल पेनल्टी लगायी जाती है और उनको बेदखल किया जाता है, तो क्या सरकार की मंशा यह है कि हर साल पटवारी मुकदमा बनाएगा, पेनल्टी के लिए फिर उन काश्तकारों को परेशान किया जाए? क्या पांच डेसीमल, 10 डेसीमल या एक बिस्वा जमीन कहीं है, तो ऐसे लोगों को जमीन देने की सरकार की क्या कोई मंशा है? मेरा तो यही पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का निपटारा कब तक आप करेंगे और जो रिपोर्ट रेवेन्यू विभाग ने दी है वह सरासर झूठ है, गलत है, मौके पर उन्होंने कभी जाकर देखा भी नहीं है। रिकार्ड में होते हुए भी उन्होंने यही लिखा है कि नाजायज कब्जे नहीं हैं जबकि एक तरफ आप बताते हैं कि इतनी जमीन काबिल काश्त है। पटवार हल्का-वाईज या तहसील वाइज उसका आप बताते हैं कि चार व्यक्तियों के नाम से नाजायज कब्जा था उनको बेदखल कर दिया। जब वे भूमिहीन हैं और उनको जमीन नहीं देकर बेदखल करने की क्या मंशा सरकार की थी, यह थोड़ा बताइये आप। क्या इन लोगों को आप जमीन देंगे या नहीं देंगे?

श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले का प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि बांसवाड़ा जिला कमाँड घोषित कर दिया गया और वहां जमीन जितनी पड़त थी, चरागाह थी, सभी काश्तकारों ने खेड़ कर रखी है और बार-बार आप उनको बेदखल करते जा रहे हैं। उनसे पेनल्टी वसूलते हैं और उनको फसल भी नीलाम कर देते हैं। ऐसी स्थिति में वहां जमीन बहुत कम है काश्तकारों के पास और बिखरी आबादी है तो सरकार की मंशा क्या इनको अलाट करने की नहीं है? चरागाह और रेवेन्यू; दोनों में सरकार क्या मंशा रखती है?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी। (व्यवधान) नहीं; आप नहीं। यह बांसवाड़ा का है। आप बैठिये। अभी यह बांसवाड़ा की बात है। सांगानेर वगैरह नहीं है। बांसवाड़ा है। विराजिये आप। (व्यवधान)

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे उत्तर में यह निवेदन किया था कि कुल अतिक्रमण के प्रकरण तो

(श्री गंगाराम चौधरी)

11203 हैं जिले के अन्दर और ये जो चार व्यक्तियों के हैं, वे कुएं या दीवार बनाने के हैं, वह अलग से मैंने कहा है। माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि जिन्होंने नाजायज कब्जे किये हैं उनका नियमन हो जाय या उनका आवंटन हो जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि राज्य सरकार ने दिनांक 1 अप्रेल, 1991 को एक सर्कुलर जारी किया था जिसके तहत यह तय किया गया था कि जो व्यक्ति भूमिहीन है या भूमिहीन की परिभाषा के अनुसार भूमिहीन है या कम जमीन है, उसने अतिक्रमण 15-7-1984 के पहले कर रखा है और जमीन सिवाय चक है, सार्वजनिक आदि नहीं है, अलाटमेंट के काबिल है तो उसके नाजायज कब्जे का नियमन किया जा सकता है, ये नियम हैं हमारे। इन नियमों के अन्तर्गत जिन लोगों ने तहसीलदार के पास प्रार्थना पत्र दिये, उन्हें तहसीलदार आगे भेजता है एस.डी.ओ. को फिर एडवाइजरी कमेटी के समक्ष वह प्रकरण आते हैं और तब नियमन पर विचार होकर फैसला होता है जैसाकि आवंटन के समय होता है। इस प्रकार के प्रकरण इस जिले में होना हमारा जिला प्रशासन नहीं बता रहा है। वह यह कह रहा है कि नियमन का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है यानी किसी व्यक्ति ने उन सर्कुलर के तहत कोई दरख्वास्त नहीं दी, इससे ऐसा लगता है।

राज्य सरकार का यह भी इरादा है कि छोटी पट्टी के रूप में जो नजदीक की जमीन है वह अलाट की जा सकती है तो आपने कुछ प्रकरण ऐसे भी बताये हैं जिनमें अपने नजदीक की जमीन पर कुछ कब्जा कर लेता है खेती की जमीन पर, उसके भी नियम बने हुए हैं, 'उसमें दरख्वास्त दे, वह भी कमेटी में जाता है, विचार होकर उस पर फैसला होता है, तो यह सारी प्रक्रिया नियमों के अनुसार की जाती है, अध्यक्ष महोदय। उस हिसाब से दरख्वास्त आये तो उस पर विचार कर लेंगे। माननीय सदस्य ने कहा कि कमांड भूमि, यह जो प्रश्न है यह कमांड भूमि के सम्बन्ध में नहीं है, राजस्व जमीन के सम्बन्ध में है। कमांड भूमि के अलाटमेंट के अलग नियम हैं, उस सम्बन्ध में अगर जानकारी आप चाहेंगे तो मैं अलग से कोई प्रश्न होगा तो उस सम्बन्ध में जानकारी दे दूंगा। इस वक्त तो मैं इतना ही निवेदन करूंगा।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि मंत्री महोदय ने अलाटमेंट कमेटी का और रूल्स का पूरा वर्णन किया है....(व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : अध्यक्ष महोदय, केवल बांसवाड़ा की बात नहीं....

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न बांसवाड़ा से रिलेटेड है तो ?....

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : इसमे रिलेटेड है। अगर आज इजाजत दें तो, मेरा प्रश्न 83 नम्बर पर है और वह इसमें आएगा नहीं और इससे रिलेटेड है।

श्री अध्यक्ष : बांसवाड़ा से रिलेटेड है।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : ऐसा ही ऐसा प्रश्न है, 83 नम्बर पर है ।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी कोई एनसाइक्लोपीडिया थोड़े ही हैं जो सबके उत्तर दे देंगे । (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने एक पूरा लम्बा प्रोसीजर दे दिया अलाटमेंट कमेटी का और वह मैं निवेदन यह करना चाहूंगा... (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : .... निशन के पहले अगर काश्तकार खेड़ रहे हैं और आपने एक सैकण्ड में जवाब दे दिया कि कोई खेत काबिल काश्त है ही नहीं और कोई खेती निकाल ही नहीं रहा है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड-एक सैकण्ड, हां । एक मिनट में आप कहना ।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं एक निवेदन यह करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में इस सदन के मार्फत आपके माध्यम से बहुत दफा यह प्रश्न लाया गया है कि एस.डी.ओ. जो अलाटमेंट कमेटी का चेयरमैन होता है और पूरे राजस्थान में कहीं भी अलाटमेंट कमेटी की मीटिंग नहीं होती है और जब तक अलाटमेंट कमेटी की मीटिंग्स नहीं होगी तब तक यह रेगुलराइजेशन का, किसी के दरख्वास्त देने का कोई परपज नहीं होता है । इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आगे आने वाली जो बरसात का समय है, उससे पहले-पहले सभी एस.डी.ओज. अपने-अपने क्षेत्र की जो अलाटमेंट के काबिल जमीन हैं, जो रेगुलराइज होने के काबिल जमीन है उनका फैसला कमेटी की मीटिंग बुलाकर करेंगे, क्या माननीय मंत्री महोदय सदन को यह आश्वासन दे सकते हैं ?

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह का प्रश्न मेरा भी आगे 83 नम्बर है ।

श्री अध्यक्ष : यह बांसवाड़ा की बात हो रही है ।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : एक ही क्वेश्चन आज ही है ।

श्री अध्यक्ष : हां ; बोलें आप ।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : माननीय मंत्री जी ने उसमें यह फरमाया कि....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : बांसवाड़ा के अलावा भी आप बुलावा रहे हैं तो मुझे ही क्यों मना किया गया ?

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : एक-एक और दो-दो....

श्री अध्यक्ष : बांसवाड़ा की ही तो बात हो रही है ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : वह ही बात मैं करना चाह रही थी ; आपको क्या मालूम मैं नहीं कर रही बांसवाड़ा की बात ?

श्री अध्यक्ष : आप समझना ही नहीं चाह रहीं किसी बात को....

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : किसानों के खेतों के पास-पास में....

श्री अध्यक्ष : हर मामले में.... आप खड़े हो रहे हो।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि किसानों के जो अपने खेत हैं उनके पास-पास में दो-दो; तीन-तीन बिस्वा के जो छोटे-छोटे टुकड़े हैं....

श्री अध्यक्ष : वह कह दिया उन्होंने इस चीज के बारे में। विराजिये आप। आपने सुना ही नहीं; उन्होंने कहा कि स्ट्रिप होगी तो हम दे देंगे। विराजिये आप।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : इसके साथ, कई वर्षों से चलते आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : । NO ; I have not allowed it . बैठिये आप।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : इसके साथ ही गांवों में भी पंचायतों ने कई बार एस.डी.ओ. को लिखा है कि यह हमें दिया जाए। काणू के प्रकरण चल रहे हैं, वर्षों से चल रहे हैं; आज दिन तक उनका नियमन नहीं हो पाया और कई पेशियां चल रही हैं, तो यह पेशियां खतम की जाए।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर): अध्यक्ष महोदय, एक नीति से सम्बन्धित प्रश्न पूछना चाहता हूं....

श्रीमती कमला (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, 1990 से लेकर 1998 तक का आज सात-आठ वर्ष का समय हो गया जब की प्रति वर्ष एस.डी.ओज. को इस तरह की कार्यवाही करनी चाहिए। इन आठ वर्षों में एक बार भी किसी भी क्षेत्र में उन्होंने मीटिंग नहीं की है और न अलाटमेंट और नियमितिकरण की कार्यवाही की है।

श्री अध्यक्ष : यह माननीय शिवनाथ सिंहजी ने उठाया है। आपको और कोई कमलाजी....

श्रीमती कमला : काश्तकारों के ऊपर; गांववासियों के ऊपर पैनल्टीज लग रही हैं....

श्री अध्यक्ष : आप कोई नई बात करें तो वह बताओ।

श्रीमती कमला : अनावश्यक रूप से उनसे पैसा ऐंठा जा रहा है इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी....

श्री अध्यक्ष : यह तो शिवनाथ सिंह जी ने कह दी बात।

श्रीमती कमला : कि वह पाबंद करें राजस्व अधिकारियों को कि वे साल में एक निश्चित अवधि के अन्दर नियमित रूप से....

(१२)

श्री अध्यक्ष : यह माननीय शिवनाथ सिंहजी बोल चुके हैं। आपको नई बात कहनी हो तो बतायें आप।

श्रीमती कमला : इस तरह के आयोजन करें और लोगों को जो तकलीफ हो रही है उसका निराकरण करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। मंत्रीजी, जवाब दें। विराजें आप। पहले कोई बात .... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा का सवाल है।

श्रीमती कमला : बहुत परेशानी हो रही है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महो- मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने पैरा तीन में यह बताया है कि जिला बांसवाड़ा में कब्जेशुदा भूमि को नियमित नहीं किया जाऐगा, तो बाकी जिलों में क्या कब्जाशुदा भूमि को नियमित किया जाऐगा।

श्री रामनारायण चौधरी : यह बांसवाड़ा का पर्टीकुलर प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : हां, इसलिए कह रहा हूं मैं।

श्री रामनारायण चौधरी : वहां बांसवाड़ा जिले में राजस्व विभाग की काबिलकाश्त कितनी भूमि है पटवार हल्कावाइज उन्होंने ब्यौरा मांगा है और काश्तकारों ने कब्जा ...

श्री अध्यक्ष : इसीलिए मैं कह रहा हूं कि..

श्री रामनारायण चौधरी : हां, तो मैं मंत्री महोदय से आपकी मार्फत यह जानना चाहता हूं कि रेवेन्यू मिनिस्टर की हैसियत से आपके पास अधिकार हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर के हिसाब से गवर्नमेंट के रेजिड्युल पावर्स हैं, आप इस अलाटमेंट की व्यवस्था क्या नहीं करवा सकते जिन लोगों के पास जमीन है? आप तो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, आपको अधिकार हैं। यह जितनी कमेटीज हैं वह आपको असिस्ट करने के लिये हैं; आप पर कोई पाबंदी नहीं है, आप सीधे भी कर सकते हैं। लेकिन आपने अलाटमेंट कमेटियाँ बना रखी हैं। आप अपने एस.डी.ओ. बांसवाड़ा को क्या आदेश नहीं दे सकते, क्या कलक्टर, बांसवाड़ा को आदेश नहीं दे सकते कि जितनी जमीन काबिल काश्त है और काश्तकारों के कब्जे में है, आदिवासियों के कब्जे में हैं, क्योंकि वहां सब आदिवासी हैं 90 प्रतिशत, उनके कब्जे में है, उनको मिल सकती है तो उनको रेगुलराइज कर दें, नहीं मिल सकती है तो वैसी बात बतायें? यह तो सीधा सा सवाल है; मान्यवर, आप इसको इतना लम्बा क्यों खींच रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : पहले मंत्रीजी की बात सुन लें।

श्री रामनारायण चौधरी : सीधा सा सवाल है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है और

(श्री रामनारायण चौधरी)

जो आपके 20 सूत्री कार्यक्रम हैं वही है....

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि 1984 के....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले विराजें आप, बैठें एक मिनट।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह ने जो बीस सूत्र बना रखे हैं उनमें यह भी है।

श्री अध्यक्ष : अब यह अभी डिफिटिंग नहीं हो रही है, इसमें खाली कोई प्रश्न हो तो बात करें। माननीय मंत्रीजी। पहले मंत्री जी का जवाब सुन लें, उसके बाद बात करें, और कोई बात आ जाएगी तो मैं....

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : म्हारे प्रश्न को भी जवाब देवें। अध्यक्ष महोदय, म्हारे प्रश्नरो भी जवाब देवे।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट उनकी बात सुन लें आप। बाद में।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले समय में सारे जिला कलक्टर्स की बैठक जब जयपुर में थी उस वक्त राज्य सरकार की ओर से यह सभी जिला कलक्टरों को निर्देश दिये गये थे कि जो सर्कुलर राज्य सरकार ने अप्रेल, 1991 में जारी किया उसके प्रावधानों के और नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत जो व्यक्ति नियमन के अधिकारी हैं उनका सब का नियमन कर दिया जाए और जिला कलक्टरों को यह भी कहा था कि आप अभियान चला कर के....

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : एक को भी नहीं किया।

अनेक माननीय सदस्य : एक को भी नहीं किया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड बात सुनें, बात सुनें। परसादीलालजी, बात सुनें पहले।

श्री परसादीलाल मीणा : या तो आप घोषणा मत करिये या घोषणा करें तो उसको लागू करिये....(व्यवधान) कलक्टर आपकी बात नहीं मानते....

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड, बात पूरी सुनें।

श्री परसादीलाल मीणा : एक बार भी अलाटमेंट नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलालजी। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपके सर्कुलर को कोई मान्यता नहीं दे रहा है,

श्री परसादीलाल मीणा : जब से बी. जे.पी. का राज राजस्थान में आया है, गरीब लोगों को एक बार भी अलाटमेंट नहीं हुआ है।

(15)

श्री अध्यक्ष : परसादीलालजी, बात सुनें पूरी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपको तसल्ली है क्या ?

श्री अध्यक्ष : राधेश्यामजी, यह बांसवाड़ा की बात हो रही है, बात तो पूरी सुनने दो। मंत्रीजी को बुलवाना भी चाहते हो....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : प्रश्न इसमें सारे राजस्थान का है, अलाटमेंट सारे राजस्थान का है;....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह गलत बात है। कोई अंकित नहीं होगा। किसी का अंकित नहीं करें आप।

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री हीरालाल इन्दोरा : ×××

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, आप सब विराजें, विराजें। बैठें आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा) : ×××

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बैठिये तो सही आप। मैं खड़ा हूं, एक मिनट विराजिये आप। एक सैकण्ड सुनें आप। कृपया विराजें। एक मिनट सुनें आप।

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्रीमती कमला : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। कोई अंकित मत करें। अंकित नहीं करें।

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय, विराजें आप दो मिनट। पहले पूरी बात भी नहीं आती है और उसमें आप खड़े हो रहे हैं। बाद में, मैंने आपको कहा है कि आपको कोई एम्बिग्युटी होगी, महत्वपूर्ण बात हो तो मैं जरूर बात करूंगा। पहले उनकी बात तो पूरी सुन लें। पूरी बात ही नहीं होती और बीच में खड़े हो गये आप। आप नहीं सुनना चाहते हैं ?

श्रीमती कमला : ×××

श्री अध्यक्ष : कमलाजी, विराजिये आप। कोई बात ही नहीं सुन रहे हैं आप, आप विराजिये न एक मिनट, उनकी बात तो सुनिये आप।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्रीमती कमला : ×××

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। माननीय कमलाजी, विराजिये आप। आप विराजें।

श्रीमती कमला : ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री अध्यक्ष : विराजें। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित ही नहीं हो रहा।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : कोई बात अंकित नहीं हो रही है। पहले मंत्रीजी का जवाब सुन लें आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : बैठिये न अब तो, हो गयी न बात। पहले मंत्रीजी का जवाब सुन लें। आप राजस्थान की समस्या को घटाना चाहते हैं, काश्तकारों की समस्या घटाना चाहते हैं कि बढ़ाना चाह रहे हो? .. (व्यवधान).... आप बढ़ाना चाह रहे हो। विराजें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : ×××

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

एक माननीय सदस्य : ×××

श्री अध्यक्ष। पहले मंत्रीजी की बात सुन लें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : पहले मंत्रीजी की बात तो पूरी सुनें, उसके बाद आप बात करना। विराजें आप। मंत्रीजी।

श्री गंगाराम चौधरी : जिलों में कमेटी कब हुई, कब नहीं हुई; इसकी जानकारी तो इस वक्त नहीं है, मैं इतना ही कह सकता हूं कि ....

श्री शैलेन्द्र जोशी। ×××

श्री अध्यक्ष : कृपया अब बात करने दें।

श्री गंगाराम चौधरी : आपकी भावना मैं समझ रहा हूं, नाजायज कब्जों के नियमन नहीं हुए, अलाटमेंट नहीं हुआ, आपकी

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गंगाराम चौधरी)

भावना मैं समझ रहा हूं। इसलिए यह विश्वास दिलाना चाहता हूं सदन को कि राज्य सरकार की ओर से फिर से आदेश जारी कर इन गर्मियों के अन्दर अभियान चलाया जाकर नियमन के मामले निपटा दिये जाएंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, आपके क्षेत्र का मामला है, मेरा और आपका क्षेत्र एक ही है....

श्री अध्यक्ष : क्षेत्र की बात नहीं हो रही है....

श्री चुन्नीलाल गरासिया : मैं इस विषय को बड़ी.... (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : क्या राजस्व मंत्री यह विचार रखते हैं कि.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : ×××

श्री भंवरसिंह डांगावास : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ने कहा है। सुनिये आप, बैठिये आप पहले। आप बैठें पहले।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये तो सही।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : ×××

श्री अध्यक्ष : पूरी बात सुन लें आप।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : ×××

श्री दयाराम परमार : ×××

श्री चुन्नीलाल गरासिया : ×××

श्री अध्यक्ष : विराजें, विराजें आप। विराजें एक मिनट। विराजिये। एक मिनट बैठें आप। विराजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं हो रहा है। विराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्रीमती कमला : ×××

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मई और जून में अभियान चला दिया जाएगा।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री फतेह सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : विराजिये । अब कोई बात नहीं रह गयी है । अब क्या बात रह गयी ?

श्री फतेह सिंह : इन्होंने यह बताया है कि आवेदन पत्र आएंगे उसके बाद घोषित करेंगे लेकिन आवेदन पत्र नहीं देना पड़ेगा....

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन आपके माध्यम से यह था कि बांसवाड़ा में....

श्री अध्यक्ष : भवानी जी बैठिये आप ।

श्री भवानी जोशी : ... माही और कड़ाना के जो विस्थापित लोग हैं....

श्री फतेह सिंह : .... जो मुकदमे बने हुए हैं उन्हीं मुकदमों के आधार पर उनका आकलन कर उनको अलॉटमेंट किया जाए लेकिन आवेदन पत्र उनमें नहीं मांगे जाने चाहिए । आवेदन-पत्र किस बात के मांगे जाएं जब कि उनके मुकदमे बने हुए हैं, उन्होंने पैनल्टी जमा करायी है उसी आधार पर ये रेगुलराइज किये जाने चाहिए । आवेदन पत्र की बात मंत्री महोदय ने कही है तो आवेदन पत्र लिये नहीं जाएं इसका खुलासा करें मंत्री जी ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठें अब ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आवेदन तो कर रखे है, वे भूमिहीन है या नहीं है, कब से कब्जा है, यह सरकार बताये ?

श्री भवानी जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा में जिन काश्तकारों ने कब्जे कर रखें हैं, वे माही से विस्थापित लोग हैं और अधिकांश वन भूमि पर उन्होंने कब्जे कर रखे हैं, तो वन भूमि पर उनको कैसे नियमित किया जाएगा, यह एक ज्वलन्त प्रश्न है । इसका तत्काल समाधान होना चाहिए क्योंकि राजस्व की भूमि नहीं है वन भूमि है ।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप । माननीय मंत्री जी, आप कुछ कह रहे थे ?

श्री अर्जुनदास मदान : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी विषय से सम्बन्धित मेरा एक बहुत छोटा सा प्रश्न था ।

श्री अध्यक्ष : पहले एक मिनट बात तो पूरी सुन लीजिये आप । समय खराब न करें यों ।

श्री किशनाराम नाई : अध्यक्ष महोदय, वन भूमि पर नाजायज कब्जों के बारे में ....(व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : अब क्या कहना है आप पूरी बात तो सुनते ही नहीं हो ।

श्री भंवरसिंह डांगावास : सुनिये क्या कह रहे हैं बतायेंगे आप सुनें तो सही ।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, वन भूमि पर भूमिहीन व्यक्तियों के अतिक्रमणों के बारे में सन् 1991 और 1992

(श्री गंगाराम चौधरी)

में बैठक हुई थी। वन विभाग और राजस्व विभाग की मिली-जुली बैठक हुई थी उसमें यह तय किया गया था कि वन की भूमि पर अगर भूमिहीनों के नाजायज कब्जे हैं, खास तौर से यह मामला आदिवासियों के लिये तय किया गया था, औरों के लिए नहीं। अगर नाजायज कब्जे हैं तो उनका नियमन कर लिया जाए। उसका तरीका यह अपनाया गया था कि फॉरेस्ट विभाग अपनी तरफ से और राजस्व विभाग अपनी तरफ से दोनों मिल-जुलकर सर्वे करके पहले यह आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा व्यक्ति किस जमीन पर बैठा है। फॉरेस्ट विभाग अपना प्रस्ताव भेजेगा गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को और 1980 वाला जो कानून आड़े आ रहा है भारत सरकार उसमें उस जमीन को छोड़ेगी और राजस्व विभाग को दूसरी जमीन वन विभाग को देनी पड़ेगी। यह सारा मामला अभी तक फॉरेस्ट विभाग अपनी तरफ से भेज नहीं पाया इसलिए अटका हुआ पड़ा है ... (व्यवधान)...

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे अतिक्रमणों के कई केसेज आपके कार्यालय में मौजूद हैं और आप कह रहे हैं कि भेज नहीं पाये हैं। अब वन मन्त्री जी यह स्पष्ट करें कि वहीं पड़े हैं या इनके पास भेज दिये गये।

श्री अध्यक्ष : फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब खड़े हुए हैं पहले बात तो सुनें उनकी भी।

श्री किशनाराम नाई :....(व्यवधान).. फॉरेस्ट की अलग बात की है साहब, जो अन्याय हो रहा है उसका वे (व्यवधान).... जवाब दे रहे हैं अलोटमेंट कमेटी बनी हुई थी ....(व्यवधान).... उसमें सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट हैं, मैम्बर बने हुए हैं। आज तक किसी मैम्बर को पता नहीं है कि वह सदस्य है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप।

श्री किशनाराम नाई : ....(व्यवधान) मैम्बर हैं अभी तक भेजा ही नहीं है .... (व्यवधान).... तहसीलदार इसके सदस्य हैं ....(व्यवधान).... दूसरे काश्तकारों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। 1991 के यह नोटिस....(व्यवधान)....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं भी बोल सकती हूं क्या सबको बोलने दे रहे हैं अब तो आप?

श्री अध्यक्ष : विराजिये। मंत्री जी।

श्री अर्जुनलाल मदान : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक बहुत छोटा सा प्रश्न है.... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये न मदान साहब।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक मिनट बोलने का मौका दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये पहले एक मिनट। इनकी बात तो सुन लीजिये। आप विराज जाएं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक बात, अब जब सब लोग बोल रहे हैं, तो मुझे भी बोलने दीजिये। अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत अहम प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। मंत्री जी कोई बात कह रहे हैं उसे सुनें पहले। यह सांगानेर का नहीं है ये जनरल बात कह रहे हैं, वह बात कह रहे हैं, फॉरेस्ट की बात। माननीय मंत्री जी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : वह मैं समझ गयी। सांगानेर की बात नहीं हो रही है सारे राजस्थान की बात हो रही है। मेरा एक बहुत अहम् प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : पहले आप दो मिनट बैठें। मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। बाद में आपकी बात सुनूंगा। पहले मंत्रीजी को बोलने दें। आप तो जब देखो तब खड़ी हो जाती हैं। बैठिये आप। क्या हो गया आपको? बोलिये आप।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (वन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन आदिवासियों का 1980 से पूर्व का कब्जा है, एक कमेटी ने जिनको अप्रूव कर दिया है-जिसमें माननीय विधायक भी एक सदस्य हैं, तहसीलदार भी सदस्य है। फॉरेस्ट के हमारे रेंजर भी सदस्य हैं। ऐसे साढ़े तीन हजार केसेज ढाई साल पहले, तीन साल पहले सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भेजे हुए हैं पर वहां से स्वीकृति नहीं आयी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री भीमराज भाटी। यह प्रश्न समाप्त हुआ, बैठिये आप।

श्री भीमराज भाटी : प्रश्न संख्या 74.

एक माननीय सदस्य :....(व्यवधान).... किसी तरह की कोई मीटिंग नहीं करता है। ये गलत फैक्ट्स बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। बैठिये आप। नहीं आया केन्द्र सरकार से, ठीक है।

श्री किशनाराम नाई : ×××

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। मैं इस तरह से कोई डिबेट अलाउ नहीं कर सकता। आप प्लीज सिट-डाउन। बैठिये आप। भाटी साहब। मंत्रीजी।

श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : ×××

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 74, अध्यक्ष महोदय, आवाज नहीं आ रही है। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। मंत्री महोदय थोड़ा जोर से.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। एक प्रश्न में ही इतना समय लग गया। बात हो गयी है। बैठिये आप। भाटी साहब का प्रश्न है। कृपा करके बैठिये अब क्या हो गया आपको?

श्री भवानी जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : वह मैंने सुन लिया है।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

मंत्री जी ने भी, दोनों मंत्रीयों ने सुन लिया विराजिये। देखिये इस पर और कोई चर्चा करनी हो, तो दोनों मंत्रियों से बात करें आप। इस तरह से समय जाया न करें। बैठिये आप।

श्री हलीचंद (खानपुर) : ×××

श्री किशनाराम नाई : ×××

श्री अध्यक्ष : क्या हो रहा है यह? कृपया विराजिये अब। विराजें आप। अब दूसरा प्रश्न बोल लिया है। मैंने.... (व्यवधान)

श्री अर्जुनदास मदान : अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड आपका लूंगा। देखिये, खाद्य अलॉटमेंट कमेटी में पहले जो नियम थे उसमें यह था कि एस.डी.एम. अलॉटमेंट कमेटी का चेयरमैन होता था और विधायक उसका सदस्य बना होता था। अब मेरे पास कलक्टर का लिखा हुआ एक लेटर है कि विधायक के स्थान पर किसी भी जन-प्रतिनिधि को, मतलब प्रधान को भी बैठा सकते हैं। मेरा यह स्पष्ट निवेदन है कि रूपरेखा बिलकुल स्पष्ट होनी चाहिए कि जो अलॉटमेंट कमेटी है, जो अधिकार आपने पहले विधायक को दे रखा था वह विधायक का ही रहना चाहिए। आप चाहें तो वह पत्र आपके सामने ला सकता हूं जिसमें यह कलक्टर ने लिखा है कि कोई भी जनप्रतिनिधि अलॉटमेंट कमेटी में बैठ सकता है, इसका मतलब प्रधान बैठा लेंगे वे तो हमारी जगह।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री किशनाराम नाई : अध्यक्ष महोदय, विधायक भी इसका सदस्य हो। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई चिट्ठी आयी है, तो यह सारे माननीय सदस्यों के लिए बहुत आपत्तिजनक बात है कि विधायक की बजाय और किसी को भी बुला लें। यह जो सर्कुलर जारी किया है, माननीय मंत्री महोदय, उसको विदड्रा करवाइये, पहले की तरह से रखिये और गवर्नमेंट ने यह जो पाबंदी कर रखी है कि एम.एल.ए. की उपस्थिति के बिना इस तरह की कार्यवाही नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री अर्जुनदास मदान : मेरे पास लिखित में है, साहब। आप चाहें तो मैं कल आपको लाकर दे सकता हूं। इसको विदड्रा कीजिये (व्यवधान) यह भी नहीं है कि यह छोटी सी बात है। एम. एल. ए. के स्थान पर कल प्रधान बैठ जाएगा।

एक माननीय सदस्य : विधायक को उसका मैम्बर बनाया जाना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें (व्यवधान)।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्रीमती कमला : और ये अपने आप एस.डी.ओज मीटिंग कर लेते हैं, यह बहुत आपत्तिजनक बात है।

श्री अध्यक्ष : विराजें। (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मंत्री जवाब दें इसका।

श्री अध्यक्ष : बाद में बात कर लें आप। मैंने दूसरा प्रश्न बोल दिया है। (व्यवधान) मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश शर्मा : जो विधान सभा के सदस्य हैं वह पिछड़ सकते हैं (व्यवधान) उनको क्यों हटाया गया ?

श्री अध्यक्ष : आप जाकर बाद में मंत्रीजी से समझ लीजिएगा। (व्यवधान)

श्री सोमराज माटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरा प्रश्न पुकार लिया है (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मंत्री जी से जवाब दिलवायें। जवाब देने में क्या तकलीफ हो रही है, अध्यक्ष महोदय ? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप मंत्रीजी के चेम्बर में बात कर लेना। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये न आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह तो प्रतिपक्ष वालों को यहां टाइम मिलता है। (व्यवधान) आप मंत्रीजी से चेम्बर में बात कर लेना।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : मैं यह जानना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, विधायक उसमें मैम्बर हुआ करते थे वह सर्कुलर किसने निकाला था, अब यह नया सर्कुलर किसने निकाला है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपकी पीड़ा सही है। इस पर हम भी....(व्यवधान)

श्री गोपीराम जाट : जवाब दिलवाओ साहब, इस बात का। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोलते ही रहोगे या सुनोगे भी ? (व्यवधान) विराजिये; बैठिये आप। (व्यवधान) एक सैकण्ड ठहरिये आप। माननीय मंत्री जी यह कह रहे हैं कि कोई जनप्रतिनिधि आ रहा है; विधायक उसमें होगा कि नहीं होगा यह तो स्पष्ट कर दीजिये आप। (व्यवधान) ठहरिये आप। एक मिनट। ठहर जाइये आप।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय; विधायक उसमें सदस्य है और विधायक भी आते हैं, कोरम पूरा होता है तो बैठक जरूर हो जाती है। विधायक न भी आये तो भी हो जाती है, यह बात तो सही है। (व्यवधान) इसमें हमने यह कह रखा है ....(व्यवधान)

श्री गोपीराम जाट : एम.एल.ए. होना चाहिए, एम.एल.ए. नहीं होते हैं। एक जो विधायक बोल नहीं पाता तो....(व्यवधान)

श्री कालीचरण : विधायक को अध्यक्ष बनाना चाहिए । (व्यवधान) उस कमेटी में विधायक को अध्यक्ष बनाना था । (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, कोरम तो आपके अधिकारियों का है । वह जब चाहे मीटिंग कर लेते हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको मंत्रीजी की बात सुननी ही नहीं । भाटी साहब । (व्यवधान) आप बैठिये । भीमराज जी भाटी । किसी को कोई सुनना तो है नहीं, (व्यवधान) कोई किसी की बात सुन ही नहीं रहा है । प्लीज, सिट डाउन । (व्यवधान) अमराराम जी, बैठिये आप । बाद में बात कर लेना । कोई किसी को सुनना ही नहीं चाहता । मंत्रीजी खड़े होते हैं तो 5 जने एक साथ खड़े हो जाते हैं, बैठिये आप । (व्यवधान) खड़े किया था बाद में वही कर देना । कानून के तहत कार्यवाही करना । बैठिये आप । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : यह तो किसी भी सरपंच को बुला लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय कमला जी बैठिये ।

श्रीमती कमला : पंचायत समिति के सदस्य को बुला लेंगे और एम.एल.ए. को हमेशा नेग्लैक्ट करेंगे । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कमला जी विराजिये ।

श्रीमती कमला : आप यह आश्वासन दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, विराजिये आप ।

श्रीमती कमला : आश्वासन दिलवाइये । आश्वासन दिलवाओ कि विधायक वहां पर निश्चित मैम्बर रहेगा । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये ।

श्रीमती कमला : मैं तो बैठ जाऊंगी । आप आश्वासन दिलवायें ।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप, यह कौन सा तरीका है आपका ? (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप जो करने का काम है वह भी कराइये ।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप ।

श्रीमती कमला : बैठ गयी मैं तो ।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न ले लिया हमने । कोई सुनना ही नहीं चाहता है । भाटी साहब । मैं नहीं सुनूंगा । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : और आप उसका जवाब नहीं दिलवायेंगे मंत्री जी से यह क्या बात है ? आप हमारे अधिकारों की रक्षा करिये ।

श्री अध्यक्ष : आप किसी बात को सुनना ही नहीं चाहते । वे बोलें उसके

(श्री अध्यक्ष)

पहले तो सात जने खड़े हो जाते हैं। यह कोई डोमोंसि भी नहीं है।

श्रीमती कमला : मंत्री महोदय, आप बताइये कि विधायक उसमें सदस्य रहेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्रीमती कमला : आप जवाब दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। आप बाद में बात करना, यहां कोई सुनने वाला नहीं है+++(व्यवधान) कह दिया उन्होंने। (व्यवधान) आप बैठिये। आप इस तरह से खड़े होंगे तो कोई जवाब नहीं आएगा। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, यह विधायकों की गरिमा का सवाल है। अलाटमेंट कमेटी और नियमितीकरण की कमेटी माननीय विधायकों की अध्यक्षता में होनी चाहिए। सदन के माननीय विधायकों की प्राथमिकता अलाटमेंट कमेटी में रहनी चाहिए, नियमितीकरण की कमेटी में राजस्थान विधान सभा के सदस्य की महिमा रहनी चाहिए और अध्यक्षता रहनी चाहिए। सुप्रीमेसी रहनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेम्बली के मैम्बर की। यह हमारी मांग है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाये, बड़े महत्व का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से जवाब दिलवायें। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : एस.डी.ओ. की बजाय एम.एल.ए. अध्यक्ष हो अलाटमेंट कमेटी का, नियमितीकरण कमेटी का, यह हमारी मांग है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : सब डिवीजनल आफिसर की जगह एम.एल.ए. अध्यक्ष होगा कमेटी का। यह मांग है विधायकों की। आज विधायकों की गरिमा को यह सदन कम नहीं कर सकता है। (व्यवधान) सदन की महिमा, गरिमा और सबरेन्टि का सवाल है। एम.एल.ए की सबरेन्टि रहनी चाहिए, अलाटमेंट कमेटी में उनको प्रिसाइड किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अलाटमेंट कमेटी में विधायक होना चाहिए।(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): अलाटमेंट कमेटी में मैम्बर्स की प्राथमिकताएं तय करें।

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(२५)

(श्री ग्रमराराम)

(व्यवधान) कौन-कौन मैम्बर होगा। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अलाटमेंट कमेटी में विधायक होना चाहिए, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : कमेटी की अध्यक्षता विधायक करेगा न कि एस.डी.ग्रो. करेगा। एस.डी.ग्रो. एक प्रशासनिक अधिकारी है, विधायक जनता का चुना हुआ आदमी है। जनता के चुने हुए आदमी की प्राथमिकता रहनी चाहिए, सवरेन्टि रहनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। (व्यवधान) कृपया सब शांति बनाये रखें।

श्री रामस्वरूप मीणा : विधायक जरूर होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया सब शांति बनाये रखें। पहले मंत्री बात पूरी कह दें। उनको सुनते ही नहीं हो और पहले ही बोलने लग जाते हो। पूरी बात सुनें आप। (व्यवधान) आप विराजें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मंत्री जी क्या जवाब देंगे ?

श्री अध्यक्ष : सचमुच लग गयी क्या आपको ? बैठिये आप। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मंत्री महोदय मेरा सवाल भी इसके साथ ही है कि जब नियमन की आप कमेटी बना रहे हैं उसमें जो गांवों में चरागाह भूमि पर अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग ढाणियों में रह रहे हैं उनका नियमन भी करेंगे, क्योंकि कि सैटलमेंट के भी 20-20, 30-30 साल से रह रहे हैं लेकिन उनको भी अभी तक नियमन के कारण रोज हटा दिया जाता है, यह बहुत गम्भीर मामला हैं। नियमन की कमेटी है उसमें यह मामले जरूर आने चाहिए कि अनुसूचित जाति, जनजाति के जो लोग चरागाह भूमि में 30-30 साल से रह रहे है, उनको आज तक भी वैसा का वैसा चरागाह पर दिखाया जा रहा है जब कि सैटलमेंट भी हो गया है। इसलिए उस कमेटी को इनको भी नियमित करने का यह अधिकार भी देंगे या नहीं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। मंत्री महोदय की बात पूरी सुनें। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : बात ऐसी नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप ही हैं क्या इस सदन में, जो मैं आपको ही कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं सब जने पूरी बात सुनें। (व्यवधान)

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः निवेदन करूं कि अलाटमेंट कमेटी में जो सदस्य हैं, सदन को जानकारी है। उसमें जनप्रतिनिधि तीन तो होते ही हैं-सरपंच, प्रधान और एम. एल. ए., वे सब उसमें मेम्बर होते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है, तो सरकार नोमीनेट करके एक अनुसूचित जाति का सदस्य और जोड़ती है।

(श्री गंगाराम चौधरी)

सरकारी अफसरों-तहसीलदार, बी.डी.ओ. और एस.डी.ओ. होता ही है। एस.डी.ओ. अध्यक्ष होता है। इसमें अब तक हमने ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया कि एम.एल.ए. नहीं आए तो प्रधान एम.एल.ए. के बदले आ जाए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। इसमें से कोरम पूरा होता है तीन का तब जाकर बैठक हो पाती है। यह नियमों में प्रावधान है और माननीय सदस्य क्या चाहते हैं मुझे ....(व्यवधान)

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़) : विधायकों की उपस्थिति के बिना निर्णय नहीं हो। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : नियमन का अधिकार उस कमेटी को है या नहीं है ?

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक को अध्यक्ष बनाया जाए। हमको इसका अध्यक्ष बनाया जाए। जब तक अध्यक्ष विधायक नहीं होगा यह नहीं हो सकता। (व्यवधान) एम.एल.ए. अध्यक्ष होना चाहिए उसका। जब तक एम.एल.ए. अध्यक्ष नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता है। (व्यवधान) विधायक अध्यक्ष होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय; हम यह चाहते हैं कि उनका.... (व्यवधान) नियमन को रेगुलर माना जाए। (व्यवधान)

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : पहले ऐसा होता था विधायक के नहीं जाने पर मीटिंग स्थगित होती थी। अब भी वही होना चाहिए। विधायकों की उपस्थिति को अनिवार्य किया जाए; माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : उनकी उपस्थिति अनिवार्य है, विधायक यह चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : नम्बर वन अलाटमेंट कमेटी का चेयरमैन एम.एल.ए. हो। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : विधायक की अध्यक्षता में कमेटी कांस्टीट्यूट हो यह बहुत जरूरी है। (व्यवधान)

श्री महावीर भगोरा : यह कोई जरूरी नहीं है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : कोरम तो केवल कर्मचारियों के द्वारा भी हो जाता है लेकिन जनप्रतिनिधि जब तक उपस्थिति नहीं हो तब तक कोरम पूरा नहीं माना जाए। (व्यवधान) एस.डी.ओ. की जगह विधायक की अध्यक्षता हो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : कमेटी का चेयरमैन विधायक को बनाया जाय। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : एस.डी.ओ. साहब की जगह विधायक को अध्यक्ष बनाया जाय

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

इस कमेटी का, अलाटमेंट कमेटी का नियमितीकरण कमेटी का माननीय विधायक को अध्यक्ष बनाया जाय न कि एस.डी.ओ. को। यह हमारी मांग है क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधियों की सर्वोच्चता और सवरेन्टि कायम होनी चाहिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : हमारी यह मांग है कि विधायक को अध्यक्ष बनाया जाये। वह जनप्रतिनिधि होता है, उसे पता रहता है कि किसका कब्जा सही है इसलिए जब तक विधायकों को अध्यक्ष नहीं बनाएंगे न्याय नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : कर्मचारियों की भरमार कर रखी है। कर्मचारियों की भरमार अभी भी है। (व्यवधान)

श्री महावीर भगोरा : तहसीलदार, बी.डी.ओ. और एस.डी.ओ. तीनों राजस्व विभाग के हैं इसलिए एम.एल.ए. को ही चेयरमैन बनाया जाये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : हमारा आपके माध्यम से निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय से (व्यवधान) विधायक अध्यक्ष होना चाहिये।

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : विधायक को अध्यक्ष बनाया जाय। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिये इस कमेटी में विधायक को अध्यक्ष बनाया जाकर कमेटी बनायी जाय। जब तक विधायक अध्यक्ष नहीं होगा तब तक न्याय नहीं मिल सकता। एक जन-प्रतिनिधि जो डेढ़ लाख जनता का प्रतिनिधि होता है और आप उसको अध्यक्ष नहीं बनाओ, इससे बड़ी बात और क्या होगी....(व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है। मैंने मेरी प्रश्न संख्या पुकार ली और अगर आप व्यवस्था नहीं देंगे, तो यह समय इसी तरह चला जाएगा। मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एम.एल.ए की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाए।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप विधायक को अध्यक्ष बनायें। अगर विधायक को अध्यक्ष नहीं बनाया (व्यवधान) माननीय मंत्री जी घोषणा करें... (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : मेरे प्रश्न का जवाब आने दें। इसकी व्यवस्था चाहता हूं मैं आपसे....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आपके अलाटमेंट में भ्रष्टाचार फैल रहा है। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूं। आपने तीन-चार बार मेरा नाम पुकारा है और मंत्री महोदया खड़ी हुई हैं जवाब देने के लिये। मेरे प्रश्न का जवाब आने दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठेंगे तो उनकी सुनूंगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : जब तक विधायक को अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा तब तक भ्रष्टाचार नहीं रुक सकता। भ्रष्टाचार को विधायक ही रोक सकता है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : There should be sovereignty of the member of the Legislature over the S.D.O.

एक माननीय सदस्य : प्रश्न संख्या 74 का जवाब चाहिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : विधायकों को अध्यक्ष बनायें। विधायक अध्यक्ष बने। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। श्री भाटी साहब।

श्री भीमराज भाटी : प्रश्न संख्या 74. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक घंटा हो गया इस प्रश्न को। दूसरों का प्रश्न भी आने दें। कृपया बैठें आप। श्री भाटी साहब।

श्री भीमराज भाटी : प्रश्न संख्या 74.

श्री अध्यक्ष : बैठिए तो सही आप।

श्री हरिशंकर भामड़ा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने बताया एम.एल.ए.कमेटी के मैम्बर हैं और रहेंगे। इसमें एक बात हो सकती है कि एस.डी.ओज. को यह इंस्ट्रक्शंस हम जारी कर देंगे कि मीटिंग एम.एल.एज. की सुविधा पर रखी जाये ताकि वो वहां पर आ जाएं।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, आप बार-बार मेरा नाम पुकार रहे हैं। मेरा प्रश्न आ रहा है(व्यवधान) नहीं कर पा रहे हैं फिर क्या किया जाए, फिर क्या करूं मैं?

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। (व्यवधान) भाटी साहब का प्रश्न है।

श्री रामस्वरूप मीणा : विधायक को अध्यक्ष बनायें। भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा जब तक विधायक अध्यक्ष नहीं होगा। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था, व्यवस्था कायम करवायी थी कि विधायक की उपस्थिति के बिना बैठक नहीं होगी। बैठक सहमति से रखी जाएगी।

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूप जी बैठ जाइये। महेन्द्र जी, बैठिए, बैठिए आप। भाटी साहब।

श्रीमती कमला : इसी सदन में तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय ने यह व्यवस्था कायम करवायी थी।

श्री अध्यक्ष : भाटी साहब के प्रश्न का जवाब आप दें। आप कृपया विराज जाएं। बहुत हो गया इसमें। दूसरों का प्रश्न भी

(28)

(श्री अध्यक्ष)

आने दें। कितनी बार एम्बिग्यूटी रखना चाहते हैं आप। मैं आपको कह रहा हूं बैठ जाइये आप। बैठिये आप। मुझे मजबूर होकर फिर आपका नाम पुकारना पड़ेगा। विराजिये आप। भाटी साहब।

"पैलेस आन व्हील्स" की सामग्री खरीद हेतु गठित समिति

74. श्री सोमराज भाटी (पाली) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि "पैलेस आन व्हील्स" की समस्त प्रकार की खरीददारी बाबत किसी समिति का गठन किया गया था? यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नाम व पतों सहित ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग एक में उल्लेखित समिति के गठन के पश्चात् व इस समिति की स्वीकृति के पश्चात् ही समस्त खरीद की गयी है? यदि हां, तो किन कारणों से बिना समिति की स्वकृति के खरीद की गयी? खरीदी गयी सामग्री का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त समिति में परिवर्तन किया गया है? यदि हां, तो किन-किन सदस्यों को समिति में मनोनीत किया गया है व किन-किन कारणों से सदस्यों को बदला गया है?

(4) क्या यह भी सही है कि "पैलेस आन व्हील्स" की समस्त खरीददारी का भुगतान राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के जयपुर मुख्यालय द्वारा किया गया है? यदि नहीं, तो किन कारणों से किस-किस वस्तु का भुगतान दिल्ली कार्यालय से किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्रीमती नरेन्द्र कंवर) : (1) जी, हां। समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट "क-1 व 2" संलग्न है।

(2) जी, हां। कुल रुपये 7.41 लाख की खरीद की गयी। जिसका विवरण परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(3) जी, हां। समिति को उच्च स्तरीय बनाने के लिये निम्न परिवर्तन किये गये हैं :-

1. उप महाप्रबन्धक वित्त के स्थान पर महाप्रबन्धक, वित्त।
2. तीन अतिरिक्त सदस्य—सहायक लेखाधिकारी (शाही रेलगाड़ी), कार्यकारी अधिकारी वास्ते निगम अध्यक्ष एवं उपवास्तुविद्।

(4) जी, नहीं। मुख्यालय से सक्षम स्वीकृति लेने के उपरान्त निगम के दिल्ली कार्यालय से उपरोक्त भुगतान किया गया। दिल्ली से भुगतान करना सुविधाजनक था

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजिये आप। मैं आपको कह रहा हूं समय खराब न करें। प्रश्न आने दो।

(29)

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे प्रश्न के भाग संख्या 4 में यह पूछा था कि किन-किन वस्तुओं का भुगतान दिल्ली कार्यालय से किया गया, उस किसी भी चीज का जवाब नहीं दिया गया। दूसरा, मंत्री महोदय ने प्रश्न में यह जवाब दिया है कि कुल 7.41 लाख की खरीद की गयी। क्या पैलेस आन व्हील्स जैसी शाही रेलगाड़ी के लिये 7.41 लाख की खरीददारी करने के लिये इतनी उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी थी और उच्च स्तरीय को भी बाद में बदल कर उसमें डिप्टी जनरल मैनेजर से भी ऊपर के रैंक के जनरल मैनेजर को इन्वाल्व किया गया था? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि जब से यह समिति गठित की गयी है, 20-4-97 से उसके बाद से कुल कितने यात्रियों ने इस शाही रेलगाड़ी में सफर किया और उन यात्रियों के सफर करने से कुल कितना रेवेन्यू प्राप्त हुआ के सम्बन्ध में जो मुझे जवाब दिया गया है उससे यह साफ जाहिर है कि इस जवाब में सच्चाई नहीं है इसमें यह जवाब है कि हाउस कीपिंग कंजूमेबल आइटम पर 5.89 लाख रुपये और फूड आइटम्स पर सिर्फ 12 हजार रुपये, पर कितने यात्रियों ने तो उसमें सफर किया, कितना इस पैलेस आन व्हील्स में सफर करने वाले यात्रियों से आर.टी.डी.सी. को रेवेन्यू प्राप्त हुआ और क्या इस तरह की खरीद करके, 7.41 लाख का तो फिगर अब चूंकि विधान सभा में प्रश्न पूछ लिया है इसलिए मंत्री महोदया ने जवाब दे दिया। क्या पैलेस आन व्हील्स के रिनोवेशन के लिये जो वाश बेसिन है या सिल्क के कर्टेन हैं या जो अन्य कीमती वस्तुएं है उनकी खरीददारी इस उच्च स्तरीय समिति को बाई पास करके नहीं की गयी? इस तरह का जवाब देकर क्या ये सदन को गुमराह नहीं कर रही हैं यहां पर? खाली 7.41 लाख रुपये पैलेस आन व्हील्स जैसी रेलगाड़ी पर महज खरीददारी की गयी, तो उसके लिये इतनी हाई पावर कमेटी की क्या जरूरत थी और उस हाई पावर कमेटी को भी और हाई पावर बनाया और उसमें जो खरीद की गयी....

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : अध्यक्ष महोदय, सदस्य ने प्रश्न एक में पूछा है कि क्या यह सही है कि पैलेस आन व्हील्स की समस्त प्रकार की खरीददारी बाबत किसी समिति का गठन किया गया था? मैंने अपने जवाब में कहा है कि समिति के गठन के माध्यम से खाली 7.41 लाख की खरीददारी की है जो डे.टू डे एक्सपेंस और डे.टू.डे.यूज के लिये है और जो आप फरमा रहे हैं कि इसका रिनोवेशन के लिये है वह तो टेंडरिंग होता है। आप वो प्रश्न करते, मैं उसका जवाब दे देती आपको।

श्री भीमराज भाटी : नहीं, मैंने यह प्रश्न किया है कि समस्त प्रकार की खरीददारी बाबत किसी समिति का गठन किया गया था? और आपने यह जवाब दिया है कि जी, हां। समस्त प्रकार की खरीददारी के लिये उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। आप प्रश्न पढ़ लीजिए और आपने जो जवाब दिया है वह आप पढ़ लीजिए, मैंने प्रश्न किया है कि क्या यह सही है कि पैलेस आन व्हील्स की समस्त प्रकार की खरीददारी

(श्री भीमराज भाटी)

बाबत किसी समिति का गठन किया गया था ? यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नाम व शर्तों सहित ब्यौरा सदन की मेज पर रखें। आपने जवाब दिया है जी, हां सूची भी आपने दी है। समस्त प्रकार की खरीददारी के बाबत इस समिति का आपने गठन किया है। आपने इस बाबत नहीं किया कि हम डे-टू-डे यूज की चीजों की खरीद करेंगे और डे-टू-डे की खरीद भी आप कर रहे हैं तो क्या डे-टू-डे में आपके 12 हजार में फूड आइटम्स खतम हो गये। कितने यात्रियों ने उसमें सफर किया, कितना आर.टी.डी.सी. को रेवेन्यू मिला ? इतनी हाई पावर कमेटी की, इतने हाई पावर आफिसर की आपको कमेटी गठन करनी पड़ी और अगर आप जैसा कह रही हैं सदन में कि छोटे-छोटे आइटमों के लिये डे-टू-डे यूज के आइटमों के लिये यह कमेटी गठित की गयी थी तो क्या आप यह उचित समझती है कि इतनी हाई पावर कमेटी की दरकार थी ? डे-टू-डे यूज की खरीददारी करने के लिये इतनी हाई पावर कमेटी की आपको जरूरत थी ? क्या जरूरत थी उसकी ? क्यों इतने बड़े आफिसर्स का टाइम वेस्ट किया आपने ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : देखिए, इतनी हाई पावर कमेटी की आप बात कर रहे हैं, पैलेस आन व्हील्स इंटरनेशनल मार्केट में नम्बर वन है। उसके लिये हमें हाई पावर कमेटी की क्वालिटी कंट्रोल के लिये इतनी हाई पावर कमेटी की जरूरत है और इस कमेटी के माध्यम से जो सामान खरीदा जाता है वह डे-टू-डे टॉयलेट का सामान होता है, टॉयलेट पेपर होते हैं, नेपकिस होते हैं, टमाटर सोस होते हैं, ज्यूसेज होते हैं, मिनरल वाटर होता है, इसमें फलास्क, ग्लासेज, गेस्ट के रूम में पीने के पानी की सुविधा के लिये ट्रे में लगाने के लिये नेपकिस होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। समिति इन्हीं को खरीदती है और बाकी जो (व्यवधान) आप मुझे बोलने तो दीजिए। पूरी तो सुन लीजिए उसके बाद प्रश्न करना....

श्री हरिसिंह (महुआ) : मंत्री महोदय, उसमें झाडू भी होती है या नहीं ?

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : और जो आप बोल रहे हैं कि रिनोवेशन के लिये चूंकि रेलवेज और हम पार्टनरशिप में हैं, उसका टेंडिंग होता है और टेंडिंग के आधार पर रिनोवेशन का काम होता है। हम अकेले इसके मालिक नहीं हैं 55 पर्सेंट रेलवेज भी है।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्रीमती शशीदत्ता (टोंक) : हमारा एक प्रश्न है। (व्यवधान) क्या आप हमको इसमें करवाएंगे (व्यवधान) "पैलेस ऑन व्हील्स" में....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : विराजिए, अब करीब-करीब हो गया। प्रश्नकाल समाप्त।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आया ही नहीं। (व्यवधान) मैंने पूछा था समस्त प्रकार की खरीददारी का और ये डे-टू-डे में ले गयीं उसको (व्यवधान) समस्त प्रकार की खरीददारी का था.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। जितना समय है उतना ही तो लूंगा मैं।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : एक घण्टे से ज्यादा हो गया, एक घण्टे का समय हो गया....

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पैलेस ऑन व्हील्स की खरीददारी में बहुत भारी गबन किया गया है और यह सदन से छिपाया जा रहा है। (व्यवधान) यह हम सदन में उजागर करना चाहते हैं। (व्यवधान) और इसे सदन से छिपाया जा रहा है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : छह महीने पहले टेण्डर होते होंगे...(व्यवधान)....

श्री किशन मोटवानी : अध्यक्ष महोदय, कल आपने व्यवस्था दी थी कि अजमेर के सम्बन्ध में गृह मंत्री बयान देंगे, परन्तु आज की कार्य सूची में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इस सम्बन्ध में व्यवस्था क्या दे रहे हैं? (व्यवधान) बैठिये आप....

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बड़ा भारी गबन छिपाया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : क्या मुझे व्यवस्था देंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब स्पष्ट नहीं आया तो आप दूसरे माध्यम से आ जाएं। विराजिए आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर : बहुत बड़ा गबन हुआ है इसमें। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : फिर किस माध्यम से आएं, अध्यक्ष महोदय, हमको सप्लीमेंट्री से रोक रहे हैं। (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : नहीं, तो आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से व्यवधान डालूं ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : राधेश्यामजी, यह पैलेस ऑन व्हील्स का मामला है। मकराना की या वहां की गाड़ी नहीं है, बैठिये आप।

श्री भीमराज भाटी : मेरी जो सप्लीमेंट्री थी, उसका कोई जवाब नहीं दिया है इन्होंने।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये क्या आरोप हैं? (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरी जो सप्लीमेंट्री थी उसका भी जवाब नहीं दिया इन्होंने कि कितने यात्रियों ने सफर किया, आर. टी. डी. सी. को कितना

(श्री भीमराज भाटी)

रेवेन्यू मिला है ? इसका भी जवाब नहीं दिया है ।

श्री अध्यक्ष : यह आपने नहीं मांगा । (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : मैंने पूछा है महोदय । (व्यवधान) मैंने अभी पूछा है, सदन में पूछा है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने पूछा होगा.... (व्यवधान) मैंने इस प्रश्न को पूरा देखा है । (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : मैंने सप्लीमेंट्री पूछी उसका भी जवाब नहीं आया । दो सप्लीमेंट्री अलाउड है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कितनी सवारियां बिठायी गयीं, यह प्रश्न का भाग नहीं है । (व्यवधान) यह प्रश्न का भाग नहीं है, विराजिए आप । आप मर्जी आएगी जो पूछ लें, पर प्रश्न के इतर कैसे पूछेंगे आप ? (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : मेरी सप्लीमेंट्री का जवाब ही नहीं आया, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : मैंने इसको पूरा पढ़ा है, जैसा आपने कहा है, विराजिए । अध्यक्षीय व्यवस्था ।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : दो मिनट, विराजिए आप । (व्यवधान) जी, हां । विराजिए ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसका मतलब हम अपनी बात कह नहीं सकते । आपको आपका काम निपटाने से ही फुर्सत नहीं और हम हमारी बात ही नहीं कह सकते ।

श्री अध्यक्ष : विराजिए, विराजिए । दो मिनट की ही तो बात है । (व्यवधान) जीरो आवर करा रहा हूं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : शांतिलालजी, बैठ जाओ ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कब कर-वाएंगे आप ?

श्री अध्यक्ष : दो मिनट बैठें तो सही आप । विराजिए, आप । माननीय भीमसेन जी चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से....

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल आपने जो व्यवस्था दी है, जीरो आवर तक पहुंच रहे हैं आप अभी, तो कल जो स्टेटमेंट देना था, विधान सभा के माननीय सदस्यों के संबंध में, जो उनको अपमानित किया गया है, उनको जान का खतरा है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाये जा रहे हैं, उसका स्टेटमेंट आज गृह मंत्रीजी दे रहे हैं या नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)

दे रहे हैं ? कल इन्होंने कहा था कि मैं दूंगा ।

श्री किशनाराम नाई : पहले व्यवस्था, पहले व्यवस्था लीजिए, बाद में कुछ और लीजिये । (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : व्यवस्था, माननीय सदस्य, आप उतावले न हों, रोष में भी न आएं । मैं जानता हूं कि व्यवस्था का मतलब क्या है ?

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल इस प्रांगण में यह आश्वस्त किया था कि आपके स्थगन प्रस्ताव में जितने बिंदु थे, कल जितने आये उतने आये और बाकी पर मैं आज इस व्यवस्था के बाद स्टेटमेंट दे दूंगा ।

श्री परसराम मदेरणा : ऐसा है, उस सम्बन्ध में यहां पर जो उल्लेख है, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य और उन लोगों ने अजमेर की दरगाह के सम्बन्ध में भी एक स्थगन प्रस्ताव रखा था ।

श्री कैलाश मेघवाल : उस पर भी मैं स्टेटमेंट दे दूंगा ।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, ऐसा है कि वह और शास्त्री नगर का जो अतिक्रमण का मामला है....

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, शास्त्री नगर के बारे में, जैसा प्रतिपक्ष के नेता महोदय को मालूम है कि जुडिशियल इन्क्वायरी के आदेश दिये जा चुके हैं और जुडिशियल इन्क्वायरी प्रारम्भ हो चुकी है । ऐसी स्थिति में आप, अध्यक्ष महोदय और सदन के नेता मिलकर उस पर राय बनायें कि क्या उस विषय पर यहां चर्चा हो सकती है और किन बिंदुओं पर होगी । क्योंकि जो विषय जुडिशियल इन्क्वायरी का विषय हो जाता है....

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं, फैक्ट्स आप का....(व्यवधान) आगे भी कमीशन बैठे हैं, कमीशन को हम इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते लेकिन कुछ फैक्ट्स सदन में रखते हैं । फोगिंग के ऊपर भी आपने बेरी साहब का जो कमीशन बैठाया था, उस वक्त भी यहां पर चर्चा हुई थी यह होते हुए भी इसलिए यह निवेदन कर रहा हूं कि दोनों ही मामलों के अन्दर कल आप स्टेटमेंट दे दीजिए । आज दूसरे एडजोर्नमेंट मोशन ले लीजिए ।

श्री कैलाश मेघवाल : कल जैसा मैंने यहां सदन में कहा था, अजमेर (पश्चिम) से आने वाले माननीय विधायक ने आज अपना स्टेटमेंट मांगा है तो मैं उस पर आज दे दूंगा और यह जो विषय है शास्त्री नगर वाला....

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं । (व्यवधान) देखिये, वह दोनों ही मैटर हैं.... (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : इस विषय पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप और सदन

(३५)

(श्री कैलाश मेघवाल)

के नेता महोदय मिलकर एक बार चर्चा कर लें कि उन तथ्यों को लाना यहां आवश्यक है कि नहीं, क्योंकि सारे तथ्य सबको मालूम हैं, टर्म्स आफ रेफरेंस भी सबको मालूम है और उस पर यहां चर्चा करने से क्या सार्थक निर्णय आएगा या क्या हल निकलेगा, इस विषय पर आप चर्चा कर लीजिए तो कल मैं दे दूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है ।

श्री परसराम मदेरणा : निश्चित तौर से जो यहां फैक्ट्स आएंगे उससे कमीशन पर भी इन्फ्लुएंस होता नहीं है....

श्री कैलाश मेघवाल : मुझे एतरात नहीं है, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मुझे तो जो थोड़ा सा निवेदन करना है आपसे वह किया है । अध्यक्ष महोदय, आप और सदन के नेता महोदय उस पर चर्चा कर लें और चर्चा करने के बाद अगर आप चाहेंगे तो जो तथ्य हैं उसके, वह रखने में मुझे कोई एतराज कहां है ।

श्री परसराम मदेरणा : कर्फ्यू के और इसके आइडेंटीकल दोनों मामले हैं इसलिए दोनों के ऊपर स्टेटमेंट कल आप दे दीजिए ।

श्री कैलाश मेघवाल : महोदय, अजमेर के बारे में तो आज दूंगा, आज का कमिटमेंट है मेरा ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (फलौदी) : कृपया, आप व्यवस्था दिलायें । यह थोड़ा बाद में ही कर लेना (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : एक मिनट, एक सैकण्ड....(व्यवधान)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : महत्वपूर्ण मामले किसी के आये नहीं हैं....(व्यवधान) आप विराज जाएं; दे देना अभी इसको । (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : कल ही यह बात तय हो चुकी थी । अजमेर (पश्चिम) के माननीय विधायक ने कल इस बात पर बहुत जोर दिया था कि अजमेर की घटना पर स्टेटमेंट दिया जाए और उस समय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, अगर आपको याद होगा तो तो आपने कहा था कि आज वह स्टेटमेंट दे दूं । तो आज जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, एक तो अजमेर के बारे में दे रहा हूं, एक मैं, ताजा घटना है, डिग्गी कल्याण जी की, अपनी तरफ से उसके बारे में दे रहा हूं । एक माननीय मोहनजी मोदी, एक माननीय भाटी साहब, एक रामेश्वरजी चौधरी, इन तीनों के बारे में दे रहा हूं और एक सूचना मैं राजेन्द्रजी का जो केस है, उसके बारे में दे रहा हूं । यह सारे आज मैं दे दूंगा । अब रहा सवाल श्मशान वाला, कब्रिस्तान वाला, उस विषय पर आप चैम्बर में चर्चा कर लें ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : गंगानगर के बारे में क्या हुआ ?....(व्यवधान) गृह मंत्री जी, गंगानगर वाली जांच का क्या कर रहे हैं ?

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो....(व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष जी, आप की तरफ से व्यवस्था देकर के नियंत्रित कीजिए आप। (व्यवधान) आज 5 दिन हो गये हैं। हमारे लिये शर्म की बात है, जो भी कार्य हैं हमारी सूची में उस सम्बन्ध में सिर्फ 10 मिनट का टाइम दिया और कल दो भाषण केवल हो सके, व्यर्थ की बातों में, शर्म की बात है, मुझे तो शर्म आती है और मैं भूख हड़ताल या दाह संस्कार करूंगा।

इस तरह का सदन के अन्दर, जिस सदन से कंपायमान होने चाहिए सरकारी अधिकारी और सब लोग, हम जन-प्रतिनिधि हैं मुझे बहुत जिम्मेदार लोग विधान सभा दिखाना चाहते थे, मैं बचना चाह रहा हूं। मैंने कहा यह विधान सभा का हाल है, यह शर्म की बात है कि हम इस तरह का व्यवहार करते हैं। अध्यक्षजी, आप व्यवस्था चालू रखिये और नियम के विरुद्ध जो काम करे, उनको बहिर्गमन का आदेश दीजिये।

श्री अमराराम (धोद) : एक सैकण्ड (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जब सब.... (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : 5-6 जने हैं जो इस हाउस को चलाने नहीं देते। कोई मुद्दे की बात हम जब-जब बोलते हैं तो वह तो बोलने नहीं देंगे। एक सांड होते हैं, 4-5 जो गांव को खराब करके इधर से उधर....। क्या हो-हल्ला मचा रखा है यहां पर, आप नियंत्रित कीजिये।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट—2 देखें।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

हिण्डौन क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों का पदस्थापन

71. श्री कमल (हिण्डौन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या आवश्यकता के अनुसार है? यदि नहीं, तो अब उक्त विद्यालयों में कब तक अध्यापक लगा दिये जायेंगे?

उत्तर

जी, हां। विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के सीनियर माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पद आवश्यकता निर्धारित मानदण्डानुसार ही पद स्वीकृत हैं। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 76 तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद आवश्यकता से कम स्वीकृत हैं। आवश्यकतानुसार पदों का आवंटन समानीकरण प्रक्रिया के तहत किया जायेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला अलवर में नवीन मुंसिफ कोर्ट की स्थापना

110. श्री जुबेर खां (रामगढ़) : क्या मुख्य (विधि एवं न्याय) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला अलवर के रामगढ़ एवं गोविन्दगढ़ में मुकदमों की संख्या को मद्देनजर रखते हुए उक्त दोनों स्थानों पर सरकार के समक्ष मुंसिफ कोर्ट खोलने के प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो मुंसिफ कोर्ट कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, नहीं। अलवर जिले के रामगढ़ एवं गोविन्दगढ़ में मुंसिफ न्यायालय सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ-खण्ड) न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में मा. उच्च न्यायालय से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं इस कारण उक्त स्थानों पर न्यायालय स्थापित करना संभव नहीं है। फिलहाल उक्त दोनों स्थानों पर न्यायालय स्थापित करने का मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

गांधीनगर (जयपुर) के राजकीय आवासों का नवीनीकरण

111. श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार गांधीनगर स्थित कुछ एफ टाइप के राजकीय आवासों का नवीनीकरण कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिन नवीनीकरण होने वाले राजकीय आवासों में राज्य कर्मचारी/अधिकारी निवास कर रहे हैं, उनकी अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था हेतु अन्य राजकीय आवासों में शिफ्ट करने पर पानी, बिजली, वाहन मजदूरी, टूट-फूट आदि पर होने वाले आकस्मिक व्यय को सरकार वहन करेगी ? यदि हां, तो कब तक इस राशि का भुगतान कर दिया जायेगा और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजकीय आवासों की कमी के कारण, गांधीनगर, जयपुर स्थित राजकीय कालोनी में वर्तमान में उपलब्ध आवासों के स्थान पर चरणबद्ध रूप से बहुमंजिले आवास बनवाये जाने की योजना बनायी गयी है।

(2) बहुमंजिले आवास बनवाये जाने के प्रथम चरण में आने वाले राजकीय आवासों के वर्तमान आबंटियों को उनकी आवास आबंटन पात्रता के आधार पर वैकल्पिक रूप से रंग, सफेदी एवं मरम्मत करवाकर स्वतंत्र आवास आबंटित किये जा चुके हैं। वैकल्पिक आवास में शिफ्ट होने

(मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री)

के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग से 2 मजदूर तथा राजस्थान मोटर गैरेज से निर्धारित शुल्क पर ट्रक उपलब्ध करवाया जा रहा है।

पानी, बिजली की सिक्यूरिटी राशि का आवंटियों को आवास रिक्त करने पर पुनर्भरण हो जाता है, अतः इसे आवंटियों द्वारा ही वहन किया जाएगा।

रेडियो बांध (राजगढ़) के विस्थापितों को मुआवजे का भुगतान

112. श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी): क्या मुख्य (सिंचाई) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रेडियो बांध तहसील राजगढ़ से सम्बन्धित विस्थापितों को जमीन का मुआवजा दिया गया है?

(2) क्या यह सही है कि घाटला गांव के किन्ही लोगों ने साजिश रचकर इस मुआवजे का 10 प्रतिशत बैंक में भुगतान करते समय कटवा कर प्राप्त कर लिया है?

(3) क्या यह भी सही है कि इस धोखाधड़ी के मामले की शिकायत प्रशासन के पास प्राप्त होने के बाद भी अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है?

(4) क्या सरकार इस मामले में कारगर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और क्या?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) अतिरिक्त जिला कलक्टर (विकास) अलवर की सूचना के आधार पर मुआवजे का 10 प्रतिशत बैंक से भुगतान करते समय काटने की शिकायत की जांच कार्यवाही उनके यहां विचाराधीन है।

(3) जी, नहीं। अतिरिक्त कलक्टर (विकास) अलवर के यहां जांच कार्यवाही चल रही है जिसमें कुछ काश्तकारों से दस्तावेज, साक्ष्य, पास बुक आदि चाही गयी जो उनसे अपेक्षित है एवं सम्बन्धित बैंक मैनेजर के बयान लिया जाना व रिकार्ड का अवलोकन करना शेष है तथा इस सम्बन्ध में महन्त जयराम पाल बनाम धन्ना लाल के मध्य वाद सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, राजगढ़ (अलवर) में भी विचाराधीन है।

(4) सिंचाई विभाग से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। जिला कलक्टर (विकास) अलवर से जांच रिपर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

सिंचाई खण्ड बूंदी में अधिक भुगतान का प्रकरण

113. श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी): क्या मुख्य (सिंचाई) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि सिचाई खण्ड बूंदी में किसी की शिकायत पर और सिचाई खण्ड बूंदी के खण्डीय लेखाकार की शिकायत पर अधिक भुगतान की दो जांचें करवायी गयी थीं ? यदि हां, तो क्या जांच पूर्ण हो गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) इन जांचों में दोषी अधिकारी/कर्मचारी कौन-कौन हैं ? क्या इनके विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । खण्डीय लेखाकार की शिकायत पर मुख्य लेखाधिकारी, सिंचाई द्वारा जांच कर दिनांक 18-7.85 को जांच रिपोर्ट दी गयी थी ।

(2) जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन अधिशासी अभियंता, बूंदी श्री आर. डी. विजय को दोषी माना गया और उनके विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही की गयी । श्री विजय को दिनांक 31-10-94 को "परिनिन्दा" का दण्ड दिया गया, किन्तु महामहिम राज्यपाल महोदय के यहां रिव्यू पिटीशन प्रस्तुत किये जाने पर उन्हें दिनांक 27 अप्रेल, 95 को दोषमुक्त कर दिया गया है ।

बासोल बांध (जमवारामगढ़) की मरम्मत

114. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या मुख्य (सिंचाई) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बांध बासोल पंचायत पापड़, पंचायत समिति जमवारामगढ़ वर्ष 1981 में आई बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया था ?

(2) क्या सरकार उक्त बांध की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) इस बांध की मरम्मत के लिए रुपये 18-83 लाख का तखमीना विकास अधिकारी जमवारामगढ़ द्वारा जिला विकास अभिकरण, जयपुर को भिजवाया है । वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के बाद अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा ।

इंदिरा गांधी नहर की अनूपगढ़ शाखा की वितरिकाओं में पानी की कमी

115. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या मुख्य (सिंचाई) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि इंदिरा गांधी नहर, अनूपगढ़ शाखा पतरोड़ा हैड से निकलने वाली एच. वितरिका से पानी टेल पर नहीं पहुंचने के कारण किसानों में भारी रोष व्याप्त है ?

(2) क्या यह भी सही है कि एच. नहर

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

टेल के काश्तकारों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के कहने पर एवं स्वयं के खर्चे पर बैंड तुड़वाने, वर्म कटाई व नहर की सिल्ट निकला कर सफाई कार्य करवा दिया है ? यदि हां, तो अधिकारियों ने उक्त कार्य काश्तकारों से किन आदेशों के तहत करवाया ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है इं.गा.न.प अनूपगढ़ शाखा के पतरोडा हैड से निकलने वाली वितरिका में सिल्ट के कारण टेल पर पूरा पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है।

(2) जी, हां। किन्तु यह कार्य विभाग के अधिकारियों द्वारा काश्तकरों से नहीं करवाया गया है, अपितु काश्तकारों द्वारा स्वेच्छा से, विभाग से सहमति लेने के पश्चात किया गया है।

रातई नहर (शाहाबाद) में पानी की कमी से फसल को क्षति

116. श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज-मण्डी) : क्या मुख्य (सिंचाई) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या तहसील शाहबाद जिला बारां स्थित रातई तालाब से टेल पर पानी पहुंचता है ?

(2) क्या यह सही है कि नाटाइ ग्राम के बंगाली काश्तकारों की फसलों में पानी नहीं पहुंचने से उनकी धान की फसलें सूख गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार बंगाली काश्तकारों को मुआवजा देने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है।

(4) क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को रातई नहर से अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। खण्ड स्तर से प्राप्त जानकारी के अनुसार रातई तालाब से नहर के अन्तिम छोर तक पानी पहुंचता है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं। नाटाई ग्राम के बंगाली काश्तकारों की फसलें नहीं सूखी हैं। अतः किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) उपरोक्तानुसार।

बनाड़ी बांध परियोजना (कोटपूतली) के प्रभावितों को मुआवजा

117. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या मुख्य (सिंचाई) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(५०)

(श्री रामचन्द्र रावत)

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा तहसील कोटपूतली के बनाड़ी बांध परियोजना से प्रभावित सभी किसानों को मुआवजे का भुगतान करना शेष है ? यदि हां, तो भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, नहीं। बनाड़ी बांध पर सैडल डैम, मुख्य नहर एवं माइनरों के 295 प्रभावित किसानों में से 272 को मुआवजा भुगतान राशि रुपये 36.50 लाख के एवज में रुपये 35.24 लाख का भुगतान किया जा चुका है। मुआवजा भुगतान आपसी सहमति एवं जारी अवार्ड के अनुसार किया गया है तथा शेष भुगतान आपसी सहमति न होने के कारण अवार्ड जारी होने पर किया जाएगा।

बनाड़ी बांध का डूब क्षेत्र के सभी 140 प्रभावित किसानों को मुआवजा भुगतान करना शेष है। धारा-6 की विज्ञप्ति प्रकाशित होने के बाद अवार्ड की कार्यवाही भूमि अवाप्ति अधिकारी (एस-डी.ओ) कोटपूतली के यहां चल रही है। अवार्ड के बाद मुआवजा भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

टोडाभीम व नादौती में तहसील भवनों का निर्माण

118. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार टोडाभीम एवं नादौती (करौली) के तहसील भवन जो पुराने एवं जर्जर हैं, के स्थान पर नये भवनों का निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जिला करौली की तहसील टोडाभीम एवं नदौती में तहसील भवन का निर्माण फिलहाल वित्तीय अभाव के कारण कराया जाना सम्भव नही है पुराने भवनों की जगह नया भवन बनवाना वित्तीय अभाव के कारण फिलहाल सम्भव नहीं है।

तहसील पूगल (बीकानेर) के प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम

119. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाक विस्थापितों की निम्न चक आबादियों को राजस्व गांव घोषित नहीं किया है ?

1. चक 4 आर.ऐम. रावतमाइनर; रावतढ़ाणी, ग्राम पं. शिवनगर;
2. चक कटक माइनर आबादी ग्राम पंचायत शिवनगर;
3. चक 8 बी. डी. ग्राम पंचायत शिवनगर; एवं
4. चक 8 सी. डी. वाई. ग्राम पंचायत शिवनगर तहसील पूगल;

(श्री भीमसेन चौधरी)

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम जनसंख्या के मापदण्ड के अनुसार राजस्व गांव घोषित करने योग्य हैं ? यदि हां, तो इन्हें कब तक राजस्व ग्राम घोषित कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी, हां । इन चक आबादियों को राजस्व गांव घोषित नहीं किया गया है । राजस्व ग्राम घोषित करने के लिये 250 या इससे अधिक जनसंख्या का होना आवश्यक है । चक कटक माइनर तथा चक 8 सी. डी. वाई. की जनसंख्या निर्धारित मापदण्ड 250 से कम है । इस कारण इन्हें राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया जा सकता । चक 4 आर. एम. एवं चक 3 बी. डी. की जनसंख्या निर्धारित मापदण्ड 250 से अधिक है । इन चकों को राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु प्रस्ताव राजस्व मण्डल, अजमेर एवं जिला कलक्टर, बीकानेर से चाहे जा रहे हैं ।

(2) उक्त आबादियों में से चक कटक माइनर एवं 8 सी. डी. वाई. की आबादी निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं है । चक 4 आर. एम. तथा चक 3 बी. डी. की जनसंख्या निर्धारित मापदण्ड के अनुसार होने के कारण प्रस्ताव राजस्व मण्डल, अजमेर के मार्फत जिला कलक्टर, बीकानेर से मंगवाये जा रहे हैं ।

दादू ग्रामशाला टहला (अलवर) का बेचान

120. श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि ग्राम टहला तहसील राजगढ़ के समीप जंगल में दादू पंथ समुदाय की ग्राम शाला को महंत ने एक विदेशी नागरिक को बेच दिया है ? क्या यह सही है कि देश की किसी भी स्थायी सम्पति को विदेशी नागरिक को नहीं बेचा जा सकता है ? यदि हां, तो इस सम्पत्ति के बेचान को तहसीलदार राजगढ़ ने पंजीकरण किस आधार पर किया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उस सम्बन्ध में शिकायत करने पर भी अभी तक इस मामले में कार्यवाही नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों एवं अब सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) ग्राम कोटडी रामपुरा तहसील राजगढ़ (अलवर) के ख0नं0 254 गै0मु0 आबादी जो टहला के समीप जंगलों में स्थित है, को दिनांक 21.12.96 को महंत जयरामदास-रामदास उर्फ बाबू पुत्रान आशारामदास ने सलीम लतीफ पुत्र जे0 लतीफ निवासी निजामुद्दीन नई दिल्ली को विक्रय किया है । रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूर्व अनुमति से स्थायी सम्पत्ति का

(राजस्व मंत्री)

क्रय, विदेशी नागरिक द्वारा किया जा सकता है। वक्त विक्रय, क्रेता सलीम लतीफ के विदेशी होने की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पायी थी। पंजीयन दस्तावेजों में क्रेता ने अपने निवास स्थान का पता नई दिल्ली होना जाहिर किया था।

(2) शिकायत प्राप्त होने पर इस प्रकरण की जांच जिला स्तर पर उप--खण्ड अधिकारी राजगढ़ एवं पुलिस अधीक्षक, अलवर से करवायी गयी। प्रकरण में क्रेता एवं विक्रेताओं को जिला कलक्टर, अलवर के न्यायालय से क्रमांक 5820,5821,5822 दिनांक 21.11.97 से नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया है। आगामी सुनवाई की तारीख 18.3.98 नियत है।

ग्राम साईवाड़ (जमवारामगढ़) में मंदिर की भूमि का बेचान

121. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ठाकुर श्री लक्ष्मीनारायण जी मंदिर ग्राम-साईवाड़ तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर की ग्राम साईवाड़ व हीराला स्थित ज्यादातर कृषि भूमि को तथाकथित पुजारियों द्वारा बेचान/रहन रखकर खुर्द-बुर्द कर दी थी, का नामान्तरण ग्रामवासियों द्वारा कई प्रार्थना पत्र देने के उपरान्त भी अभी तक मंदिर वर्तमान पुजारियों के नाम नहीं खोला गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उक्त मंदिर के स्वामित्व में पूर्व में ग्राम साईवाड़ व हीराला में कुल कितनी भूमि थी, उसमें से अभी भी कितनी-कितनी भूमि किन-किन अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं ? विवरण खसरा नम्बर एवं रकबा सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त भूमि को राज्यादेशानुसार अभी तक मंदिर के नाम न करने के लिये कौन उत्तरदायी है ?

(4) क्या सरकार उक्त भूमि पुनः मंदिर के नाम दर्ज करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम साईवाड़ में ठाकुर श्री लक्ष्मीनारायण जी मन्दिर के नाम तथा पुजारियों के नाम 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि दर्ज थी। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 12 (4) राज./4/10/37 दिनांक 3-12-91 के तहत पुजारियों का नाम हटाया जाकर वर्णित भूमि माफी मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दी गयी। संवत् 2053 से 2056 तक जमाबन्दी में उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद भी कर दिया गया है। ग्राम हीराला में लक्ष्मीनारायण जी के मन्दिर के नाम कोई भूमि नहीं है। मन्दिर की उक्त भूमि को पुजारियों द्वारा बेचान/रहन कर खुर्द-बुर्द करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(राजस्व मंत्री)

(2) उक्त मन्दिर के स्वामित्व में पूर्व में ग्राम साईवाड़ में 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी व वर्तमान में दर्ज है। ग्राम हीराला में मन्दिर के नाम कोई भूमि पूर्व में नहीं थी व वर्तमान में भी नहीं है।

(3) उक्त भूमि को मन्दिर के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जा चुका है। अतः उत्तरदायित्व निर्धारित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(4) उक्त भूमि मन्दिर के नाम दर्ज कर दी गयी है।

पावटा (कोटपूतली) को उप-तहसील का दर्जा

122. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार राज्य में नई उप तहसीलें बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) उप-तहसील खोलने के आधार क्या है ? क्या सरकार उप-जिला मुख्यालय कोटपूतली के पावटा शहर को उप–तहसील घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य में नई उप-तहसीलें स्थापित करने का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। नई उप–तहसीलें कहां-कहां और कब तक स्थापित की जाएंगी अभी यह बताना सम्भव नहीं है।

(2) एक सामान्य उप-तहसील स्थापित करने हेतु पटवार मण्डलों की संख्या एवं भौगोलिक स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए नई उप–तहसील स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। जहां तक कस्बा पावटा में उप-तहसील स्थापित करने का प्रश्न है, यह अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

शारीरिक शिक्षक के नये पदों का सृजन

123. श्री मदन मोहन (खैरथल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक के पद सृजन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रस्ताव पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

(2) उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं तथा सरकार इन्हें कब तक भरने का विचार रखती है ?

(४४)

उत्तर

(1) जी, नहीं। प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के पद सृजन के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विहित मापदण्डों के तहत शारीरिक शिक्षकों के पदों के आवंटन का प्रावधान है।

(2) संकलित सूचना के अनुसार राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 306 शारीरिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। राज्य सरकार द्वारा नवनियुक्तियों पर प्रतिबन्ध हटा लिया है अतः रिक्त पद जल्दी ही भर दिये जायेंगे।

शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालयों में आरक्षण नियमों की पालना

124. श्री रमाकांत शर्मा(थानागाजी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राज्य के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में जो स्थान अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित थे, उसमें करीब 40 स्थान नहीं भरे गये हैं? क्या यह सही है कि पिछले वर्ष 1996-97 की पुनरावृत्ति की गयी है?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रवेश की पिछले दो वर्ष में दोषपूर्ण नीति के कारण अनुसूचित जाति के छात्रों का भारी अहित हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी, हां। अनु. जाति के महिला/पुरुष आवेदकों के उपलब्ध न होने एवं कतिपय आवेदकों के जिला योग्यता क्रम व पी. टी. ई. टी. में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं होने के कारण वर्ष 1997-98 की परीक्षा के लिए स्थान नहीं भरे जा सके जो अपरिहार्य है। यह सही नहीं है कि पिछले वर्ष 1996-97 की पुनरावृत्ति की गयी है।

(2) यह सही नहीं है कि दोषपूर्ण नीति के कारण अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित स्थान रिक्त रहे। वस्तुतः अनुसूचित जाति के महिला/पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या कम होने एवं प्रवेश योग्यता के लिये निर्धारित न्यूनतम अंक टैस्ट में नहीं आना है। किसी भी अधिकारी के कारण स्थान रिक्त नहीं रहे हैं अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

जिला राजसमन्द में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम का संचालन

125. श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजसमन्द जिले में उत्तर साक्षरता/सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम कब से प्रारम्भ किया गया और इसे कब तक चलाया जायेगा? इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रम की सफलता का आकलन किया गया है ? यदि हां, तो कब-कब व किस प्रकार ? आकलन रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यक्रम पर उक्त जिले में किस-किस मद पर कितनी-कितनी राशि किस-किस वर्ष में खर्च की गयी ?

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान परियोजना की स्वीकृति राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा दिनांक 12-5-94 को जारी की गयी। वातावरण निर्माण के पश्चात् जिले में पठन-पाठन का कार्य दिनांक 26-1-96 से प्रारम्भ हुआ। यह कार्यक्रम वर्तमान में जारी है। जहां तक उत्तर साक्षरता कार्यक्रम का प्रश्न है, इसकी परियोजना राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है एवं स्वीकृति प्राप्त होने पर इसे जिले में प्रारम्भ किया जाएगा। सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम की बचत से उत्तर साक्षरता कार्यक्रम की प्रारम्भिक तैयारी वर्तमान में की जा रही है। भारत सरकार से प्राप्त सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम की स्वीकृति की प्रति सदन की पटल पर रख दी गयी है, जो परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) इस कार्यक्रम का सहवर्ती मूल्यांकन राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा मनोनीत संस्था–सोसायटी फोर डवलपमेंट रिसर्च एण्ड एक्शन, उदयपुर (एस.डी.आर.ए.) के द्वारा अक्टूबर 97 में करवाया गया। इस कार्यक्रम के बाह्य मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा संस्थाओं की नियुक्ति कर दी गयी है जिनके द्वारा माह अप्रेल, 1998 में बाह्य मूल्यांकन किया जाएगा। सहवर्ती एवं बाह्य मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है। मूल्यांकन रिपोर्ट सदन की पटल पर रख दी गई है जो परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(3) सूची सदन की पटल पर रख दी गयी है जो परिशिष्ट "ग" पर उपलब्ध है।

(प्रति/सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति सरदारशहर के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

126. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति सरदारशहर में क्रमोन्नत हुये उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद कब से तथा किन-किन विषयों के रिक्त हैं ? विद्यालयवार एवं रिक्त पदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(2) अब इन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) सरदारशहर पंचायत समिति में क्रमोन्नत विद्यालयों में विषयवार रिक्त पदों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) व्याख्याता के रिक्त पद विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही रिक्त पद भरे जाना सम्भव हो सकेगा। द्वितीय एवं तृतीय वेतन शृंखला के पद पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। माध्यमिक में तृतीय वेतन शृंखला के रिक्त पद भरने बाबत राज्य सरकार से प्रतिबन्ध है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट—3 देखें)

मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत राशि की स्वीकृति

127. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि मदरसा अवासिया सैकण्डरी स्कूल; मदीना मस्जिद; मोहल्ला भिश्तियान; बीकानेर को मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत निदेशक, शिक्षा विभाग बीकानेर ने वित्तीय स्वीकृति हेतु सरकार के पास अपनी अनुशंसा भेजी है ? यदि हां, तो इस पर क्या सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

जी, हां। प्रकरण विचाराधीन है।

जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर द्वारा की गई नियम विरुद्ध कार्यवाही

128. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर द्वारा सी.सी.ए. नियम 17 के अन्तर्गत नियम विरुद्ध की गयी कार्यवाही के विरुद्ध शिक्षकों की अपीलें शिक्षा सचिव के समक्ष विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनका निर्णय करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) शिक्षा सचिव द्वारा गत एक वर्ष में अलवर जिले की उक्त विचाराधीन अपीलों में से कितनी अपीलों पर निर्णय किया गया ? किये गये निर्णयों एवं विचाराधीन अपीलों की सूची सदन की मेज पर रखें। अब बकाया अपीलों पर कब तक निर्णय कर दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। जिला शिक्षा अधिकारी अलवर के दण्डादेश के विरुद्ध अलवर जिले के किसी भी शिक्षक ने शिक्षा सचिव महोदय को अपील प्रस्तुत नहीं की है।

(2) उपरोक्तानुसार।

बेगूं में उप जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय की स्थापना

129. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील मुख्यालय बेगूं पर उप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय नहीं है?

(2) क्या यह भी सही है कि बेगूं तहसील का दूरस्थ स्कूल खाती खेड़ा चित्तौड़गढ़ मुख्यालय से 170 किलोमीटर की दूरी पर है? यदि हां, तो क्या सरकार बेगूं में उक्त कार्यालय खोलने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। क्षेत्र में विद्यालयों की संख्या अध्यापकों की संख्या, तथा विद्यालयों की दूरी तथा राज्य सरकार की वित्तीय उपलब्धता के गुणावगुण के आधार पर व. उ. जि. शि. अधिकारी कार्यालय खोले जाने पर विचार किया जाता है।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय बमाली (भीलवाड़ा) का क्रमोन्नयन

130. श्री कालूलाल गूजर (मांडल): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष भीलवाड़ा जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय बेमाली में कक्षा 10 में छात्रों की संख्या 40 से अधिक है? यदि नहीं, तो कितनी है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय वरिष्ठ उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नति के मानदण्ड पूरे करता है? यदि हां, तो इस विद्यालय को क्रमोन्नत करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? अब इस विद्यालय को कब तक क्रमोन्नत कर दिया जाएगा?

उत्तर

(1) जी, हां। 44 छात्र एवं 2 छात्राएं हैं।

(2) जी, नहीं। सीमित वित्तीय साधनों के साथ-साथ स्थानीय मांग, जनसंख्या, छात्रों की संख्या एवं फिडर विद्यालयों की दूरी एवं गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते हैं।

(48)

तहसील मांडल के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

131. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा के ग्राम मैजा और बावलास के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव सरकार को जनता/जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से प्राप्त हुए हैं ?

(2) अब तक उक्त विद्यालयों के क्रमोन्नति हेतु क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार आगामी वर्ष 1998-99 में इन्हें क्रमोन्नत करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) वर्ष 1998-99 में बजट प्रावधान उपलब्ध होने एवं निर्धारित मानदण्डों की पूर्ती करने पर ग्राम मैजा और बावलास के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

शिक्षा विभाग (कोटा) में अनियमितताओं की जांच

132. श्री रामकिशन वर्मा (रामगंजमण्डी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या शिक्षा विभाग कोटा के कार्यालयों में गबन, चोरी के मामले लम्बित हैं ? यदि हां, तो कितने-कितने तथा किस-किस वर्ष के ?

(2) उक्त मामलों में सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

(3) क्या यह सही है कि कार्यवाही के अभाव में कई दोषी अधिकारी/कर्मचारी सेवा निवृत हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या सेवानिवृत कर्मचारी/अधिकारियों को विभाग द्वारा "लम्बित जांच नहीं" प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है ? यदि हां, तो यह प्रमाण-पत्र किन-किन अधिकारियों द्वारा जारी किया गया है ?

(4) सरकार ऐसे गबन/चोरी के मामलों को अब कब तक निपटाने का विचार रखती है ?

(5) उक्त मामलों में कितनी-कितनी राशि की अनियमितताएं हुई हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां। कोटा जिले के शिक्षा विभाग में चोरी गबन के कुल प्रकरण 81 लम्बित हैं। जिसका वर्षवार विवरण सदन के पटल पर परिशिष्ट "क" में रख दिया गया है।

(2) माध्यमिक शिक्षा के अधीन चोरी के 11 मामलों में पुलिस में एफ.आर. लगा दी गयी है। गबन प्रकरण में 13 दोषियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही पश्चात

(शिक्षा मंत्री)

चेतावनी दी गयी एवं दो के खिलाफ संचयी वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। शेष प्रकरणों में आरोपित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है।

(3) जी, नहीं।

(4) सरकार द्वारा इन मामलों में पुलिस जांच या विभागीय जांच जो भी, नियमानुसार आवश्यक है शीघ्र पूर्ण कराकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(5) उक्त मामलों में निम्नानुसार राशि ही अनियमितताएं बताई गयी है :—

चोरी	गबन
मा.शि. 29227/-	103989/-
प्रा.शि. 16311/-	8322/-
वसूल की 2020/- गई राशि	19696/-

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

जिला अजमेर में छात्र-अध्यापक अनुपात

133. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दिनांक 1 जनवरी, 1998 को अजमेर जिले में कितने उच्च प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं और उनमें किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या, अर्द्धवार्षिक परीक्षा 1994 में बैठे छात्रों की संख्या से कितनी अधिक हैं ?

(2) शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 को कब से रिक्त हैं रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे। ग्रामीण अंचल में रिक्त पदों की श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 को ग्रामीण अंचल के पदों पर पदस्थापित कितने अध्यापक शहरों में या कार्यालयों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे थे ? सूची श्रेणीवार मय कारणों के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर जिले में 1 जनवरी, 1998 को 60 राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, 115 राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 380 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में वर्तमान में 2,29,695 छात्र/छात्रा अध्ययनरत हैं तथा वर्ष 1994 की अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में 2,02,018 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। इस प्रकार वर्ष 1994 की अर्द्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हुये छात्रों की तुलना में वर्तमान में 27,677 छात्र/छात्राए अधिक अध्ययनरत हैं। इन विद्यालयों में

(शिक्षा मंत्री)

स्वीकृत एवं कार्यरत अध्यापकों की श्रेणीवार निम्नानुसार है :—

पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत
व्याख्याता	746	742
द्वितीय वेतन श्रृंखला	1879	1879
तृतीय वेतन श्रृंखला	4574	4557

(2) जी, हां। शहरी क्षेत्र में अध्यापकों के पदों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में अधिक रिक्त हैं। विद्यालयवार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। व्याख्याताओं के रिक्त पद विभागीय चयन समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरा जाना संभव हो सकेगा। द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 को ग्रामीण अंचल के पदों पर पदस्थापित केवल एक अध्यापक संभागीय आयुक्त अजमेर के निर्देशों की पालना में पटेल स्टेडियम अजमेर में कुश्ती का प्रशिक्षण देने हेतु प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सहकारी उपभोक्ता भण्डार द्वारा संचालित दवाई की दुकानों की जांच

134. श्री रामेश्वरलाल भाटी (सुजानगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहकारी उपभोक्ता भण्डार द्वारा संचालित दुकानों में शिकायत / सुझाव पुस्तिकाएं प्रत्येक दुकान पर रखने के निर्देश उपभोक्ता भण्डार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाते हैं, परन्तु उनकी अनुपालना नहीं की जाती और विक्रेता शिकायत पुस्तिका देने के लिए मना कर देते हैं तथा जो शिकायतें दर्ज की जाती हैं, उनके निराकरण के लिए तुरन्त कोई सक्रिय कार्यवाही नहीं की जाती एवं शिकायतकर्ता को उसका पता उपलब्ध होने पर भी सूचित नहीं किया जाता ?

(2) क्या सरकार उपभोक्ता भण्डार की दुकानों पर आई शिकायतों के निराकरण के लिए कोई ऐसी व्यवस्था करना चाहती है, जिससे शिकायतों में कमी आये ?

(3) क्या यह सही है कि न्यासी बोर्ड की दिनांक 20 जनवरी, 1996 की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि चिकित्सा योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिये रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, सभी दुकानों की एक साथ अचानक जांच करायेगा ? यदि हां, तो जांच कब-कब की गई तथा दुरुपयोग के कितने मामले पाये गये व उन

(श्री रामेश्वरलाल भाटी)

पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि जांच नहीं की गयी, तो क्यों और इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? विभाग के ध्यान में इस जांच के अलावा और कौन-कौन से दुरुपयोग के मामले आये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

(4) महिला उपभोक्ता भण्डार द्वारा जयपुर में दवाओं की दुकानें कहां-कहां संचालित हैं, तथा उन दुकानों से पेन्शनरों को निःशुल्क दवा देने के लिए सहकारिता विभाग द्वारा निर्देश जारी नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(5) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित एस. एम. एस. में उपभोक्ता संघ की दुकानों पर दवा लेने के लिए पेन्शनरों को लम्बे समय तक इन्तजार करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या उनके बैठने के लिए माकूल व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनके बैठने आदि की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(6) क्या सरकार स्वतन्त्रता की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर पेंशनरों को सभी दवायें तुरन्त उपलब्ध कराने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उस योजना को कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा ?

(7) क्या यह सही है कि राजकीय आदेश दिनांक 29 नवम्बर, 1996 के द्वारा जो पेंशनर्स 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के हो गये हैं उनके लिये वित्तीय सीमा हटा दी गयी है ? यदि हां, तो ऐसे 80 वर्ष से अधिक के कितने पेंशनर्स इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं ? मय आदेश की प्रति विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) सहकारी उपभोक्ता दुकानों पर शिकायत/सुझाव पुस्तिका रखने सम्बन्धी समय-समय पर जारी निर्देशों की अनुपालना की जाती है और विक्रेताओं द्वारा शिकायत पुस्तिका देने के लिये मना नहीं किया जाता है । जो शिकायतें/सुझाव पुस्तिकाओं में दर्ज की जाती हैं उनके निराकरण की यथासंभव कार्यवाही भी की जाती है ।

(2) जी, हां । सहकारी भंडारों की दुकानों पर आई शिकायतों के निराकरण के लिए दुकानों के सघन पर्यवेक्षण की व्यवस्था की हुई है इसके अतिरिक्त विक्रेताओं का उपभोक्ता के प्रति व्यवहार सुधारने हेतु प्रशिक्षण भी दिलवाया गया है जिसके उपरान्त शिकायतों में कमी आने की आशा है ।

(3) जी, हां । न्यासी बोर्ड की बैठक दिनांक 20-1-96 के निर्णय की अनुपालना में सहकारी विभाग एवं उपभोक्ता संघ की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 15-4-96 को कई दुकानों का एक साथ निरीक्षण किया गया । निरीक्षणों/जांच के दौरान पेंशनर्स डायरी के दुरुपयोग सम्बन्धी कोई मामला प्रकाश में नहीं आया । परन्तु गांधी नगर, प्रथम स्थित दुकान पर अन्य प्रकृति की

(सहकारिता मंत्री)

गम्भीर अनियमितता प्रकाश में आने पर सम्बन्धित विक्रेता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है तथा उसका स्थानान्तरण किया जा चुका है। इन जांचों के अलावा दुरुपयोग के प्रकाश में अन्य मामलों की सूची एवं उनके सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-"1" पर संलग्न है।

(4) महिला उपभोक्ता भण्डार द्वारा जयपुर में एक दुकान जयपुरिया अस्पताल, चार दुकानें महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर में तथा एक दुकान मालवीय नगर में संचालित की जा रही हैं। भंडार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण इन दुकानों में पेंशनरों को निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है।

(5) जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल में उपभोक्ता संघ की दुकानों पर सामान्यतया अधिक पेंशनरों के दवा क्रय करने के लिये आने के कारण विलम्ब होता है एवं पेंशनरों को इंतजार भी करना पड़ता है। पेंशनरों के बैठने आदि के लिये सामान्य व्यवस्था उपलब्ध है।

(6) पेंशनरों को बिना विलम्ब दवाइयां उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार तथा उपभोक्ता संघ के स्तरों पर विचार किया जाना विचाराधीन है।

(7) जी, हां। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 29-11-96 (परिशिष्ट-"2") के द्वारा 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स के लिये वित्तीय सीमा हटा दी गयी है। प्राप्त जानकारी के आधार पर अब तक कुल 66 पेंशनर्स के द्वारा उक्त सुविधा का लाभ लिया जा चुका है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

अलवर में प्रस्तावित सहकारी उपभोक्ता भण्डार द्वारा संचालित आयुर्वेदिक औषधि भण्डार

135. श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरकार को अलवर में जन सुविधा हेतु सहकारिता विभाग द्वारा संचालित आयुर्वेदिक औषधियों की दुकान के संचालन हेतु दिनांक 30 नवम्बर, 1997 को कोई पत्र प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस पत्र के सन्दर्भ में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, नहीं।

पंचायत समिति सरदारशहर के अविद्युतीकृत ग्राम

136. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(1) पंचायत समिति सरदार शहर के कितने ग्रामों का विद्युतीकरण होना शेष है और उनको कब तक विद्युतीकृत कर दिया जाएगा ?

(2) जिन ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है, उनमें एल.टी. लाइन नहीं जोड़ने के क्या कारण हैं और कितने ग्राम ऐसे हैं जिनमें बिना विद्युत लाइन डाले ही, स्कीम में जो पोल निर्धारित है, उन पर तार नहीं खींचे गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार एल.टी. लाइन जोड़ने व अपूर्ण कार्यों को कब तक पूरा कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, सरदार शहर में मार्च, 1997 तक 24 गांव अविद्युतीकृत थे। वर्ष 1997-98 में तीन गांवों का विद्युतीकरण का प्रावधान है। शेष बचे 21 गांवों का विद्युतीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार किया जाना संभव होगा।

(2) पंचायत समिति, सरदार शहर में विद्युतीकृत गांवों में से केवल सात गांवों में ही एल टी.लाइन का कार्य पूर्ण नहीं है। इन गांवों में कनेक्शन हेतु आवेदन-पत्र भी लम्बित नहीं हैं। आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर इन गांवों को एल.टी. लाइन से जोड़ने की कार्यवाही की जा सकेगी। इन गांवों के अतिरिक्त उक्त पंचायत समिति में ऐसा कोई गांव नहीं है, जिसमें बिना विद्युत लाइन डाले तथा स्कीम में जो पोल निर्धारित है, उन पर तार नहीं खींचे गये हों।

(3) विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर संसाधनों के उपलब्धि के अनुसार एल.टी. लाइन का कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता कार्यालय लालसोट में लम्बित कृषि कनेक्शन

137. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहायक अभियन्ता कार्यालय लालसोट के अधीन कितने कृषि कनेक्शन देना अभी तक विचाराधीन हैं ? बकाया कृषि कनेक्शनों की सूची मय दिनांक, मांग-पत्र राशि जमा कराने की तिथि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिनके मांग-पत्र जमा हो गये हैं उन सभी को कृषि कनेक्शन जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सहायक अभियन्ता, कार्यालय लालसोट के अधीन 268 कृषि आवेदकों के मांग पत्र की राशि जमा है, जिन्हें कनेक्शन

(54)

(ऊर्जा मंत्री)

दिये जाना विचाराधीन हैं। मांग-पत्र जमा आवेदकों की तिथि सहित विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) जिन आवेदकों के मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, चोरी करते हुये पकड़े गये हैं, संशोधित मांग-पत्र की राशि जमा नहीं कराई है एवं जिन आवेदनकर्ताओं द्वारा वांच्छित औपचारिकताएं पूरी नहीं की गयी हैं इत्यादि को छोड़कर सभी आवेदकों को सामान की उपलब्धि के अनुसार इसी वर्ष में कनेक्शन दिये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कनिष्ठ अभियन्ता के नवीन पदों का सृजन

138. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार जयपुर जिले में नये कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के पद सृजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में किसानों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये ग्राम द्वारिकापुरी एवं बनेठी में कनिष्ठ अभियन्ता के नवीन पद सृजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में नये कनिष्ठ अभियन्ता का पद सृजित करने हेतु कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(2) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्राम बनेठी एवं द्वारिकापुरी 33/11 के.वी. जी.एस.एस. नारेडा के कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय के अधीनस्थ हैं। नारेडा में एक कनिष्ठ अभियन्ता कार्यरत है। इन ग्रामों की दूरी नारेडा से 5-7 कि.मी. है। विद्युत मण्डल के निर्धारित मापदण्डों एवं उपभोक्ताओं की संख्या के अनुसार ग्राम बनेठी एवं द्वारिकापुरी में कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय खोलना नियमों की परिधि में नहीं आते हैं। अतः वर्तमान में इन ग्रामों में कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उदयपुर सम्भाग का घोषित वन क्षेत्र

139. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर सम्भाग में कुल कितना वन क्षेत्र है ? विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त वन क्षेत्र पूर्ण रूप से

(श्री महावीर भगोरा)

विभाग के अधीन अधिगृहीत, दर्ज रेकार्ड अनुसार मौके पर उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो कितने क्षेत्र में अतिक्रमण है ? विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(3) उदयपुर सम्भाग में कितने क्षेत्रों को वन्यजीव अभयारण्य में कब से लिया गया है? विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार ने इन अभयारण्यों के क्षेत्र की घोषणा की सूचना आम लोगों को देने एवं उनके हक-हकूकों के निर्धारण हेतु क्या प्रक्रिया अपनायी है ?

(5) क्या मात्र गजट नोटिफिकेशन को ही सरकार पर्याप्त सूचना का आधार मानती है ?

(6) क्या सरकार इस प्रक्रिया को और अधिक सामान्य जन तक उपलब्ध कराने के अन्य तरीके अपनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उदयपुर सम्भाग में 9554.45 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। जिलावार विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है (सूची "क")

(2) उक्त समस्त वनक्षेत्र विभाग के अधीन है। इसमें से 7930.48 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का अमल-दरामद राजस्व रिकार्ड में हो चुका है। संभाग के कुल वनक्षेत्र में से 126.41 वर्ग किलोमीटर वनक्षेत्र पर अतिक्रमण है। जिलेवार विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है (सूची "ख")

(3) उदयपुर संभाग के 1735.01 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है। जिलेवार विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है (सूची "ख")

(4) अभयारण्यों को घोषित करने एवं हक-हकूकों का निर्धारण करने की कार्यवाही वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है।

(5) जी, हां।

(6) घोषित अभयारण्यों में शामिल पूर्व में राजस्थान वन अधिनियम के अन्तर्गत "आरक्षित वन" घोषित क्षेत्रों जिनमें लोगों के हक-हकूकों पूर्व में ही निर्धारित हो चुके है, के अतिरिक्त सम्मिलित क्षेत्रों के सम्बन्ध में वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की धारा 19 से 25 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रभावित आम लोगों से उजरदारियां आमंत्रित करने के लिये जिला कलक्टर द्वारा जो धारा 21 में उद्घोषणा जारी की जाती है। उसकी आम लोगों को पर्याप्त सूचना देने के लिये मुनादी कराना, स्थानीय भाषा में पर्चे छपवाकर बटवाये जाने की प्रक्रिया बन्दोबस्त कार्य के अनुरूप किये जाने की व्यवस्था है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

भीलवाड़ा में प्रोसेस हाउसों द्वारा प्रदूषण

140. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में फैक्ट्रियों विशेष कर प्रोसेस हाउसों से निकलने वाले गन्दे पानी से प्रदूषण फैल रहा है ? यदि हां, तो सरकार इसकी रोकथाम हेतु क्या-क्या उपाय कर रही है ।

उत्तर

भीलवाड़ा स्थित प्रोसेस हाउसों/डाई हाउसों से जल प्रदूषण की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है । वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में 16 फैब्रिक प्रोसेस हाउस व 07 फाईबर डाई हाउस कार्यरत हैं । मंडल के अथक प्रयासों के फलस्वरूप इन सभी उद्योगों ने जल उच्छिष्ठ उपचार हेतु उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र लगा रखे हैं । प्रदूषण की रोकथाम को सुनिश्चित करने हेतु समय समय पर इन उद्योगों का निरीक्षण किया जाता है एवं जल के नमूने एकत्रित किये जाते हैं । जो उद्योग निरीक्षण के समय प्रदूषण नियंत्रण के नियमों की अवहेलना करते हुए पाये जाते हैं, उनके खिलाफ जल अधिनियम, 1974 के तहत कार्यवाही की जाती है, जिसमें उद्योग को चलाने हेतु सम्मति निरस्त करना शामिल है ।

बांसवाड़ा जिले में वृक्षारोपण

141. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बांसवाड़ा जिले में वर्ष 1995 से 1997 तक कितने जंगलों में वृक्षारोपण का कार्य किया गया तथा कितने पेड़ लगाये गये, सेक्टरवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन नये जगलों में से कितने क्षेत्र में कितने पेड़ किस–किस किस्म के पनपे तथा कितने नष्ट हो गये ? सेक्टरवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) किस-किस प्लांटेशन में उक्त अवधि में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई प्लांटेशन वार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ क्षेत्र में मजदूरों का भुगतान बाकी है ? यदि हां, तो कहां-कहां व कितना ? अब भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में वर्ष 1995 से 1997 तक कुल 12,419 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया तथा कुल 78.68 लाख पौधे लगाये गये हैं । कार्यस्थल वार सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(2) इन वृक्षारोपण क्षेत्रों में वर्ष

(वन मंत्री)

1995 के वृक्षारोपणों में औसतन 70 प्रतिशत से अधिक, 1996 के वृक्षारोपणों में औसतन 80 प्रतिशत से अधिक, वर्ष 1997 के वृक्षारोपणों में औसतन 85 प्रतिशत से अधिक पौधे पनपे हैं। पनपाये गये पौधे मुख्यतया खैर, कैगर, खैर, देशी बबूल, नीम, चुरैल, आवंला, सिरस, बांस इत्यादि प्रजातियों के हैं।

(3) इन वृक्षारोपण क्षेत्रों के लिये उक्त अवधि में स्वीकृत राशि का वृक्षारोपणवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) कुशलगढ़ क्षेत्र में सभी कार्यस्थलों पर 15 फरवरी, 98 तक का श्रमिकों को भुगतान किया जा चुका है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कृषि उपज मण्डी समिति, बेगूं द्वारा सड़क निर्माण

142. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में कृषि उपज मंडी समिति द्वारा किन-किन सम्पर्क सड़कों के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं? सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों में से किन-किन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई? सड़कों की लम्बाई, स्वीकृत धनराशि का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि किसी सड़क की स्वीकृति नहीं दी गयी है? यदि हां, तो क्यों?

(3) सरकार द्वारा जिन सम्पर्क सड़कों की स्वीकृति नहीं दी गयी उनकी स्वीकृति कब तक देने का विचार है?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति बेगूं के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्पर्क सड़कों के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु निदेशालय को प्राप्त हुए हैं:—

(राशि लाख रु. में)

प्रस्ताव सं./ दिनांक	नाम सम्पर्क सड़क	लम्बाई कि.मी.	अनुमानित लागत
27/	1. स.स. मोतीपुरा	4.0	33.39
18-6-97	2. ;; माधोपुर	2.0	16.69
	3. ;; गोपालपुरा	2.0	16.69
	4. ;; रेनखेड़ा	2.0	16.69

(58)

(राज्य मंत्री, कृषि)

उपरोक्त सम्पर्क सड़कों में से अभी तक कोई सम्पर्क सड़क स्वीकृत नहीं हो पायी है।

(2) जी, हां। मण्डी समिति के पास वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण इन सड़कों की स्वीकृति नहीं दी जा सकी है।

(3) उक्त प्रस्तावित सड़कों की स्वीकृति कब तक दी जा सकेगी, इसका समय निर्धारित नहीं किया जा सकता। मण्डी समिति के पास धनराशि उपलब्ध होने पर ही स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विचार किया जाना सम्भव होगा।

पंचायत समिति जमवारामगढ़ के ग्रामों तक सम्पर्क सड़क का निर्माण

143. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार पंचायत मुख्यालयों को कृषि उपज मण्डी के तहत सड़क से जोड़े जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) सरकार ग्राम पंचायत बासना पंचायत समिति जमवारामगढ़ (जयपुर) को सड़क मार्ग से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार मानपुर कलां से बासना टोडा मीणा जा रही सड़क का कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। मण्डी समिति की उपलब्ध वित्तीय स्थिति के अनुरूप राज्य सरकार की नीति दिनांक 11-3-96 के अनुसार, ग्राम पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) जी, हां। इस सड़क पर 250 मीटर की लम्बाई में भूमि विवाद के कारण सड़क नहीं बनाई जा रही है, इसके अतिरिक्त पूर्ण लम्बाई में मानपुर से बासना तक मार्ग को जोड़ा जा चुका है।

(3) जी, हां। भूमि विवाद का निपटारा होने के तुरन्त बाद सम्पर्क सड़क का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।

ग्राम श्रीपुरा (बेगूं) में तालाब का निर्माण

144. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र बेगूं की पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ की ग्राम पंचायत श्रीपुरा के अन्तर्गत मूंजर का तालाब की अनुमानित लागत कितनी है ? क्या अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत इस तालाब के निर्माण की स्वीकृति विचाराधीन है ?

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

यदि हां, तो इसके निर्माण की स्वीकृति कब तक दे दी जाएगी ?

उत्तर

बेगूं विधान सभा की भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति की श्रीपुरा ग्राम पंचायत के अन्तर्गत भूंजर तालाब की अनुमानित लागत रुपये 19.95 लाख है। जी, हां। माडा योजनान्तर्गत इस तालाब के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गयी है।

क्षेत्रीय कार्यालयों में श्रम निरीक्षक के स्वीकृत पद

145. श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में विभाग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में कुल कितने-कितने श्रम निरीक्षकों के पदों की स्वीकृति है और कितने-कितने श्रम निरीक्षक कार्यरत हैं ?

(2) प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में कितने-कितने निरीक्षण क्षेत्र हैं ? क्षेत्रीय कार्यालयवार ऐसे कितने व कौन-कौन से श्रम निरीक्षक कितने-कितने समय से कार्यरत हैं तथा उन्हें एकाधिक निरीक्षण क्षेत्रों का भार सौंपने के क्या कारण हैं ?

(3) विभाग में विभिन्न श्रम निरीक्षकों का निरीक्षण क्षेत्र अधिकतम कितने समय में बदला जाना आवश्यक है ?

(4) क्या प्रश्न के बिन्दु संख्या 3 के सम्बन्ध में कोई नियम बने हुये हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वीकृत पद 75 व कार्यरत निरीक्षक 72 की सूची संलग्न (परिशिष्ट-क) है।

(2) प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित श्रम निरीक्षकों की संख्या के अनुरूप निरीक्षण क्षेत्रों को बांटा गया है। क्षेत्रीय कार्यालयवार श्रम निरीक्षकों की संख्या मय नाम एवं अवधि का उल्लेख संलग्न सूची "परिशिष्ट-ख" में कर दिया गया है तथा श्रम निरीक्षकों को एकाधिक निरीक्षण क्षेत्रों का भार पद के रिक्त होने या अन्य निरीक्षक के अवकाश प्रस्थान की स्थिति में सौंपा जाता है।

(3) ऐसा कोई निर्धारित मापदण्ड नहीं है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण

146. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र श्री गंगानगर में वर्ष 1992 से 1998 तक कितने सामुदायिक केन्द्र कहां-कहां के लिए किस-किस योजना के तहत स्वीकृत हुए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने सामुदायिक भवन पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने अपूर्ण हैं ?

(3) सरकार अपूर्ण सामुदायिक भवनों के कार्य को कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगानगर में वर्ष 1992-93 से 1997-98 तक कुल 5 सामुदायिक केन्द्र स्वीकृत किये गये, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

सामुदायिक केन्द्र का नाम	योजना का नाम
1. ग्राम नेतेवाला	सांसद योजना
2. ग्राम नेतेवाला	सांसद योजना
3. गंगानगर	32 जिले 32 काम योजना
4. गंगानगर	32 जिले 32 काम योजना
	निर्बन्ध राशि योजना

(2) उपरोक्त 5 में से 3 सामुदायिक केन्द्र पूर्ण हो चुके हैं तथा अन्य 2 सामुदायिक केन्द्र अपूर्ण है।

(3) अपूर्ण सामुदायिक केन्द्रों को मार्च, 98 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बांसवाड़ा द्वारा पंचायतों को आबंटित राशि

147. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) वर्ष 1996-97 में बांसवाड़ा जिले में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में पृथक्-पृथक् योजनाओं हेतु सरकार द्वारा कितनी राशि आबंटित की गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) बांसवाड़ जिले की पंचायत समितियों में अलग-अलग योजनाओं के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी ? पंचायत समिति वार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि निर्बन्ध योजना की राशी को पंचायत समितियों में आबंटन के सम्बन्ध में भेदभावपूर्ण स्वीकृतियां जारी की गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 में बांसवाड़ा जिले में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को विभिन्न योजनाओं में आंबटित राशि का विवरण परिशिष्ट-1 के अनुसार है । विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(2) वर्ष 1996-97 में योजनावार एवं पंचायत समितिवार स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट-2 के अनुसार है सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(3) जी, नहीं ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नसीराबाद में नवीन सिंचाई स्रोतों का विकास

148. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में सतही जल को एकत्र कर सिंचाई हेतु उपलब्ध कराने के लिये यथा तालाब, एनीकट, नाली निर्माण आदि पर कितने प्रस्ताव कलक्टर (विकास) को प्राप्त हुये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इनमें से कितने प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई तथा शेष स्वीकृति कब तक जारी कर दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) गत 5 वर्षों में नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र में सतही जल को एकत्रित कर सिचाई हेतु उपलब्ध कराने के लिए 137 प्रस्ताव अभिकरण कार्यालय को विभिन्न कार्यकारी विभागों से प्राप्त हुए जिनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है ।

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

(2) इनमें से 74 कार्यों की स्वीकृतियां जारी की गयीं जिनकी सूची परिशिष्ट 'अ' के कॉलम नं. 5 पर अंकन किया गया है। शेष कार्यों की स्वीकृति सम्बन्धी निर्णय बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

आयुर्वेदिक नर्स/कम्पाउण्डर के पदों पर नियुक्ति

149. श्री किशनाराम नाई (श्री डूंगरगढ़) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में आयुर्वेदिक नर्स/कम्पाउण्डर के रिक्त पदों को विज्ञापित करने और भरने की क्या प्रक्रिया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में किस वर्ष तक के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है ?

(3) राज्य में वर्तमान में आयुर्वेदिक नर्स/कम्पाउण्डर के कितने पद रिक्त हैं और इन पदों को कब तक भर दिया जाएगा ?

(4) आयुर्वेदिक नर्स/कम्पाउण्डर के पदों को भरते समय वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है ?

(5) वर्तमान में किन-किन वर्षों के कितने-कितने अभ्यर्थी नियुक्ति की प्रतीक्षा में हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में आयुर्वद विभागान्तर्गत नर्स/कम्पाउण्डर के रिक्त पदों को विज्ञापित करने एवं भरने की प्रक्रिया राज्यादेश क्रमांक प. 11 (77) आयुर्वेद/83 पार्ट II दिनांक 16.11.89 द्वारा निर्धारित की हुई है, जिसकी प्रतिलिपि परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 1993 से पूर्व प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से, आवेदन करने वाले सभी आशार्थियों को एवं वर्ष 1993 व 1994 के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से आंशिक आशार्थियों को वर्ष 1996-97 में नियुक्ति दी गयी है।

(3) वर्तमान में आयुर्वेद विभागान्तर्गत नर्स/कम्पाउण्डर के 217 पद रिक्त हैं। वित्त विभाग की सहमति/स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् पदों को भरना संभव हो सकेगा।

(4) राज्यादेश दिनांक 16-11-89 में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार वरियता सूची का निर्माण किया जाता है।

(5) वर्ष 1997 में प्रकाशित विज्ञप्ति के विरुद्ध प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार नियुक्ति की प्रतीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की संख्या बैचवार निम्न प्रकार है :—

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

बैच वर्ष	संख्या
1993	237
1994	288
1995	330
1996	26
1997	295

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

नवीन पशु चिकित्सालयों की स्थापना

150. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नये पशु चिकित्सालय खोलने के मानदण्ड क्या हैं ? क्या सरकार राज्य में नये पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत चिमनपुरा, तहसील कोटपूतली में पशु चिकित्सालय की मांग सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नई पशु चिकित्सा संस्था स्थापित करते समय मुख्यतः निम्नांकित बातों को ध्यान में रखा जाता है :—

1. जिले एवं तहसीलों में उपलब्ध पशु संख्या (गोवंश इकाई)

3. पशु चिकित्सालय/औषधालय की आपस में कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी ।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थान चयन हेतु भवन, डाक, आवागमन के साधन आदि न्यूनतम सुविधाओं एवं जनसंख्या को ध्यान में रखा जाता है।

4. बड़े शहरों में प्रत्येक 60 हजार की आबादी पर एक पशु चिकित्सा संस्था उपलब्ध कराने का लक्ष्य ध्यान में रखा जाता है ।

वर्तमान में राज्य में नये पशु चिकित्सालय खोलने हेतु वित्तीय प्रावधान नहीं होने के कारण नई चिकित्सा संस्था खोलना संभव नहीं है।

(2) जी, हां । इस कार्य हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। गत दो वर्षों से कोई भी नई चिकित्सा संस्था वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थापित नहीं की गयी है । वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर विचार सम्भव होगा ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : विराजिए, आप। स्थगन प्रस्तावों की सूचना।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री डूंगरगढ़ तहसील को जिला बीकानेर में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामस्वरूप मीणा एवं तीन अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सवाईमाधोपुर के थाना खण्डार में दर्ज प्राथमिकी सूचना संख्या 215/97 की निष्पक्ष जांच करवाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री जुबेर खान एवं 25 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर स्थित शास्त्री नगर कब्रिस्तान में हुए अतिक्रमण एवं नाजायज कब्जों से गत दिनों बिगड़ी कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सेठ मोतीलाल महाविद्यालय, झुन्झुनूं में विज्ञान संकाय खोलने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा। (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि वे अब पढ़ेंगे, करेंगे, उससे पहले मेरा निवेदन है कि नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड के साथ राज्य सरकार एक समझौता करना चाहती है, 73 प्रतिशत जनता कृषि और पशुपालन के ऊपर निर्भर है। इस नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड जैसी साम्राज्यवादी ताकतें अपने को उनकी उपनिवेश समझती थीं। इस तरह का व्यवहार करके लूटना चाहती हैं। वह सबसे पहले दिन मैंने दिया है और उस पर आपने कोई व्यवस्था नहीं फरमाई है। (व्यवधान) हां, तो स्थगन वाले सब खतम कर रहे हैं न।

श्री अध्यक्ष : दे दिया।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कहां दे दिया? (व्यवधान) कोई नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : यह मैं, माननीय सदस्य को सूचना देना चाहता हूं कि मैंने 10 तारीख को इसकी सूचना यहां दी थी और उसके पश्चात् सरकार से जानकारी के लिये भेज दिया, 10 तारीख को।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नहीं, लेकिन ऐसी अव्यवस्था में आपकी व्यवस्था कोई हम सुन तो सकते नहीं। बोले–बोले बैठे रहो। अच्छा, दूसरा अर्ज यह है, एक और निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अमराराम (धोद) : आप तो जब मर्जी आएगी तब बोलेंगे....(व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप हमेशा बोलते हैं, बैठिये। (व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा (राज्य मंत्री, पशुपालन) : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह हाई कोर्ट में केस किया हुआ है.... (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कृपया बैठ जाइये। (व्यवधान) विराजिए, एक को कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं है ....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नहीं, + + + ... (व्यवधान)....

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, आपसे कोई नहीं पूछ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैंने विधान सभा खतम होने के बाद, दो दिन बाद में, विधान सभा खतम होने के बाद, पिछले सत्र के बाद, चौमूं में गोली काण्ड हुआ .... (व्यवधान).... बच्चे मारे गये.... (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात मैं कह रहा हूं। इनको रोकिये.... (व्यवधान) इनको रोकियेगा।

श्री अध्यक्ष : मैं सबकी सुनने के लिये बैठा हूं। (व्यवधान) अमरारामजी, बैठिये, बैठिये....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : एक बस में चलते हुए राहगीर को गोली से मारा गया। मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं दी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उनको रोकिये अध्यक्ष महोदय, नहीं तो बहिर्गमन का आदेश दीजिए।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें, आप।

श्री अमराराम (धोद) : जिसमें 120 लोगों को, विद्यार्थियों को ....

श्री अध्यक्ष : दो मिनट, आप रुकिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नहीं, यह बीच में कैसे बोल रहे हैं ? बीच में कैसे बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : वह तो बोलेंगे और नहीं हम बोल सकते, यह क्या बात हुई। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नहीं बोल सकते। इनको बैठाओ, यह क्या समझते हैं। इनको बैठाओ। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, हम रेस्पेक्ट करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा प्रश्न... (व्यवधान) बैठो न।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : विराजिये-विराजिये ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं दूसरी बात यह अर्ज कर रहा हूं, सदन की अवमानना का प्रश्न । छह--आठ महीने पहले पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी, आप जानते हैं कि तीन कमेटीज सबसे महत्वपूर्ण हैं, अकाउण्ट्स कमेटी, पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी । किसी अधिकारी ने अपमान किया सब कमेटी का । कमेटी ने प्रस्ताव रखा आपके सामने, सब सदस्यों से हस्ताक्षरित । अभी तक वह पेंडिंग पड़ा है । यह क्या बात है ? अगर इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का व्यवहार हम करते रहे और हमारी पिटाई हो और सरकारी अधिकारी अण्डरटेकिंग कमेटी का डिफेंस करें, यह क्या व्यवस्था है ? फिर हमारे को तो पब्लिक धक्का-मुक्की करने लगेगी रात-दिन, हमारी प्रतिष्ठा गिर जाएगी । इसमें क्यों नहीं एक्शन लिया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा (राज्य मंत्री, पशुपालन) : डेयरी वाला ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हां, डेयरी वाला है । यह बहुत महत्वपूर्ण है । 73 प्रतिशत आबादी को आप यह, दो पकोड़े देकर के जनता को मालामाल करना चाहते हो, इस पर मैं विस्तार में बाद में आऊंगा । डेयरी वाले में आप स्टेटमेंट दें ।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मैंने भी एक प्रस्ताव दे रखा है ।

श्रीमती कमला : डेयरी वाले मामले में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पिछले सत्र के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अध्यक्ष महोदय, हमको भी कभी बोलने दिया करो । (व्यवधान) विराजिये, कमलाजी । हम भी कुछ कहना चाह रहे हैं । (व्यवधान) हमें भी कुछ कह लेने दो ।

श्रीमती कमला : यहां पर आश्वासन दिया था, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, को—

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दे रखा है । आप उसके ऊपर कुछ कार्यवाही कीजिये । आज तक उसके ऊपर कोई रूलिंग आपने नहीं दी । (व्यवधान)

श्रीमती कमला :... कि मैं आपसे बात करे बिना इस मामले में कोई निर्णय नहीं लूंगा ।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : हमें भी कुछ कह लेने दो । हम भी कुछ कहना चाह रहे हैं । हमें भी तो बोलने दो । कभी-कभी तो बोलते हैं हम ।

श्री भीमराज भाटी : इसके पूर्व में विधान सभा सदस्यों ने फर्जी दस्तखत करके राज्य सभा के चुनावों में हुआ था,

(श्री भीमराज भाटी)

वह मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया था.... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि हम आपसे बात किये बिना कोई कार्यवाही नहीं करेंगे लेकिन विभाग वह सारा एग्रीमेंट लिखने जा रहा है। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : उसके बारे में आपने कुछ नहीं किया। पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया था। उसके बारे में भी कुछ नहीं किया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भाटी साहब, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : इसलिए आज नहीं तो कल जरूरी तौर पर डेयरी को टेकअप किया जाए।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। दो मिनट। पूरी किसी की बात तो सुनें, यह क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुन लें। हम तो कभी-कभी ही बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष : हां, इसीलिए कह रहा हूं।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मैंने नौ तारीख को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था और उसके अन्दर यह बताया था कि गंगापुर सिटी के अन्दर एक दैनिक अखबार निकलता है उस दैनिक अखबार के सम्पादक के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नगरपालिका अध्यक्ष ने कातिलाना हमला किया ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। क्या कर रहे हैं आप ? क्या हो गया ऐसा ? आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : कातिलाना हमला किया। कातिलाना हमला किया उसकी एफ.आई.आर. थाना गंगापुर में दर्ज है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी ध्यानाकर्षण का विषय नहीं है। आप विराजिये। विराजिये आप।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मैं विराजूं अध्यक्ष महोदय ? पत्रकार के ऊपर हमला, एम.एल.ए. पिटता है, पत्रकार पिटते हैं तो फिर किस पर बोलें ?

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : इसके ऊपर व्यवस्था तो है।

श्री अध्यक्ष : मेरी नोलेज में यह बात नहीं है। मैं बात सुन रहा हूं। एक घंटे बाद मेरे से बात करना। बैठिये आप।

(68)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : ऐसा है, आप तो एक घंटे बाद दिल्ली चले जाओगे। कम से कम आप उसके ऊपर.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अभी बैठें तो मैं बात करूं। आप खड़े रहो तो मैं भी खड़ा ही रहता हूं, और तो क्या करूं ?

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : कम से कम व्यवस्था तो दे दें। मैं बैठ रहा हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : जाते-जाते व्यवस्था दे जाए।

श्री अध्यक्ष : थोड़ी-बहुत सहनशीलता तो रखा करो।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं कभी बोलता नहीं हूं। लेकिन यह सहन नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : आप नहीं बोलते इसीलिए तो इज्जत कर रहा हूं आपकी। (व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : यह 25 तारीख की घटना है और आज तक उसका कुछ नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : मैं अभी आपको बताता हूं, क्या है।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : आप व्यवस्था तो दीजिये।

श्री अध्यक्ष : बैठें आप। यह ध्यानाकर्षण दिया होगा। मैं अभी देखकर के बता दूंगा आपको। यह स्थगन विषय की बात हो रही है। आप क्या कर रहे हैं ? मिक्स कर रहे हैं सबको।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक मिनट बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट, फिर मैं आप सबको सुन लूंगा।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर शहर में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती तारा भण्डारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिरोही जिले की शिवगंज तहसील को जवाई बांध का पानी दिलवाये जाने के सम्बन्ध में। (व्यवधान) क्यों बोल रहे हैं आप, बीच-बीच में ? आप थोड़ा चुप रहिये। ज्यादा डिस्टर्बेंस तो अपनी तरफ से हो रहा है।

(3) श्री रमाकान्त, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील थानागाजी के ग्राम नारायणपुर की 12 वर्ष पूर्व निर्मित गौण मण्डी को चालू करवाये जाने के संबंध में।

(4) श्री राजेन्द्र गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जोधपुर नगर की सड़कों की

(श्री ग्रध्यक्ष)

मरम्मत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध मे ।

(5) श्रीमती मीना अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से ग्रलवर में मीट प्लांट नहीं खोलने के सम्बन्ध में ।

(6) श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से जिला झुन्झुनूं की काटली नदी क्षेत्र से बजरी उठाने हेतु ठेकेदारों द्वारा नियमित रायल्टी के ग्रतिरिक्त नाजायज रूप से ग्रतिरिक्त राशि वसूल करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(7) श्री रामेश्वर भारद्वाज, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से जयपुर शहर स्थित जयन्ती बाजार, हमीद नगर, न्यू कॉलोनी एवं पुरोहितजी के बाग इलाके में ग्रा रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में ।

(8) श्रीमती उजला ग्ररोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से जयपुर नगर में निर्माणाधीन रेलवे ग्रोवर ब्रिजों का कार्य बन्द कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की ग्रनुमति होगी ।

हां, ग्राप फरमाग्रो । ग्राप फरमाएं । (व्यवधान) एक सैकण्ड, यह बोल दें । (व्यवधान) ग्रब आप अपनी मर्जी ग्राये, कोई किसी के कब्जे में तो हो नहीं ग्राप । न तो कमलाजी है, न शांतिलाल चपलोत है, न दूसरे हैं । "कोइ न काहू कि का बो करे, सगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है ।" ग्राप बोलें ।

स्थगन प्रस्ताव ग्रादि पर चर्चा

श्री ग्रमरराराम (धोद) : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राप इजाजत दें तो मैं एक इन्फार्मेशन के रूप में निवेदन करना चाहता हूं । (व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : हां, ग्राप फरमाये ।

श्री ग्रमरराराम (धोद) : ग्रध्यक्ष महोदय, 10 तारीख को मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था कि चौमूं में दो बच्चों की एक्सीडेंट में मौत के कारण लोग इस बात के लिये मांग कर रहे थे कि वहां स्पीड ब्रेकर बनाये जाएं ग्रौर उस स्कूल के सामने, जो बच्चे स्कूल के गेट के सामने खड़े थे, दुबारा कोई बच्चा दुर्घटनाग्रस्त न हो, किसी मां की गोद खाली नहीं हो । पुलिस ने नाजायज रूप से गोली चलायी ग्रौर बस में यात्रा करते हुए एक यात्री को बेमौत पुलिस ने गोली चलाकर मार दिया ग्रौर उन बच्चों के दाह-संस्कार तक नहीं करने दिये । उस सम्बन्ध में ग्रापकी व्यवस्था नहीं ग्रायी है । (व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : दस तारीख को मैंने व्यवस्था सुना दी थी ग्रौर सरकार से उसका जवाब मंगाया है ।

श्री ग्रमराराम (धोद) : मैं यह चाहता हूं कि जो स्टेटमेंट दें, उसमें चौमूं गोली काण्ड का भी दे दें। (व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : सरकार से जवाब मंगाया है। सरकार से कार्यवाही करने के लिये कहा है। दस तारीख को मैंने सारे जो स्थगन प्रस्ताव ग्राये हुए थे उन सबके बारे में यहां व्यवस्था दी थी। ग्रापका भी यह था। उसमें दिया है मैंने। (व्यवधान)

श्री ग्रमराराम (धोद) : एक सैकण्ड, मैं तो यह चाहता हूं कि गृह मंत्रीजी जो स्टेटमेंट दें ग्रगर सम्भव हो सकें तो उसके बारे में भी तथ्यों की जानकारी दे दें तो बहुत बेहतर होगा। दुबारा नहीं कहना पड़ेगा।

श्री ग्रध्यक्ष : विराजें।

श्री ग्रमराराम (धोद) : स्टेटमेंट दें, अब वह भी दे दें।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।.... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : ग्राप व्यवस्था तो दीजिये। उन स्थगन प्रस्तावों को ग्रापने सरकार में भेज दिया।

श्री ग्रध्यक्ष : मैं खड़ा हूं कमलाजी। बीस-बीस बार चुनकर के ग्रा गये, ग्रापको यह भी पता नहीं कि क्या डीसेंसी होती है।

श्री ग्रर्जुनसिंह देवड़ा : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, जैसा कि फलौदी से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने डेयरी के बारे में प्रश्न उठाया। मैं कहना चाहूंगा कि 1992 में ग्रार. सी. डी. एफ. का जिस प्रकार से संचालन हो रहा था। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ग्राप स्टेटमेंट दे रहे हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री ग्रर्जुनसिंह देवड़ा : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं कोई चीज कहना चाह रहा हूं, ग्राप सुन लें। ग्रापसे ग्रौर सदन से छिपाकर कोई बात नहीं है। उस समय काफी घाटा था ग्रौर उसके बाद में ही आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने एन. डी. डी. बी. को उसका काम सौंपा था। ग्रध्यक्ष महोदय, उस समय करीब साठ करोड का घाटा था ग्रौर उसके बाद में भी घाटा बढ़ा लेकिन ग्रब कुछ सालों में काफी सुधार ग्राया है। हालांकि मैं स्टेटमेंट दे सकता था लेकिन दोनों ही प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं। फलौदी से ग्राने वाले माननीय सदस्य विधान सभा सत्र के पूर्व में मुझसे मिले थे। मैंने खुद ने यह ग्रभिशंसा की थी कि माननीय विपक्ष के नेता ग्रौर जो भी माननीय सदस्य इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, क्योंकि कई बार इसके बारे में जानकारियां दी हैं, पहले वाकई में इसकी स्थिति सही नहीं थी लेकिन विधान सभा सत्र के बाद में, सभी के साथ बैठकर ताकि सही स्थिति को बता पाऊं। अब, ग्रध्यक्ष महोदय, पहले वाली स्थिति नहीं है, काफी सुधार है ग्रौर यह दोनों ही प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं इसलिए सदन में मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। धन्यवाद।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : 32 करोड़ का ।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : दोनों ही बता दें ।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : एक मिनट । एक सैकण्ड । 32 करोड़ का घाटा था जब 1992 में इनको सौंपा गया, अब घाटा है 100 करोड़ का । अब बता रहे हैं कि हमने दूध बढ़ाया है, यह किया है, यह सब जंजाल है । दूध तो बरसात होती है, जब गायें गर्भवती रह जाती हैं, ब्याह जाती हैं, दूध रह जाता है । 1985 के अन्दर जब हमारी सात लाख लीटर की कैपेसिटी थी उस वक्त दो होली डे रखनी पड़ती थी । दो दिन दूध नहीं खरीदते थे । पिछले साल और दो साल बरसात हुई है, फसलें तो खराब हो गयीं, बरसात हुई, क्योंकि दूध ज्यादा आ रहा है, उसकी वह एन डी.डी बी. की पीट रहे हैं कि दूध अब नौ लाख की कैपेसिटी है, अब हमारे यह ग्यारह लाख, यह तो ग्यारह क्यों, दो बरसातें हुई हैं तो 16 लाख हो जाएगा, उससे क्या है ? लेकिन यह किसान का गला काट कर उसको तो मोल देवें नहीं, डेयरी के चुनाव करने देवें नहीं और जनप्रतिनिधि नहीं गये, विस्तार में तो मैं बाद में जाऊंगा, यह सरासर उनका शोषण है । अपने अधिकारियों के खिलाफ चार्ज यह था कि उन्होंने अपने आदमी भर दिये । वो आदमी तो उन्होंने निकाले नहीं अपने 40 हाथी लाकर और ऊपर बैठा दिये जिनका हाई-एस्ट अपने आई.ए एस. आफिसर था, इनके डांगर डाक्टर हैं जो काम कर रहे हैं । यह सही नहीं है तो बता दो ।

श्री मदन मोहन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं....(व्यवधान)....

श्रीमती कमला : मैंने इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव में दस्तखत किये हैं ।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप । (व्यवधान)

श्री मदन मोहन : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । डेयरी फैडरेशन का जो मामला है....

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप । दो मिनट विराजिये । मैं सब की सुनता हूं ।

श्री मदन मोहन : तो मेरा जवाब भी साथ दिया जाएगा, मैं तो इस वजह से कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : क्या कह रहे हैं, आप ? आप सुनना ही नहीं चाहते । बैठिये न आप ।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हम उसको लाभ में ला रहे हैं, वह तो पूनमचन्दजी ने बताया ।

श्री अध्यक्ष : यह स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं कोई जानकारी दे रहे हैं । स्टेटमेंट कहां है ?

श्रीमती कमला : लेकिन मुद्दे की बात यह है कि किसी भी कोआपरेटिव इंस्टीट्यूशन को एक नोन-कोआपरेटिव सैण्ट्रल

(श्रीमती कमला)

बाडी को सौंपने का कहीं भी कानून में कोई अधिकार नहीं है और सरकार अपनी सम्पत्ति, अपना सारा असेट्स सब कुछ उस एन. डी. डी. बी. को सौंपने जा रही है, यह राज्य के हितों के खिलाफ है, कोआपरेटिव सैक्टर के एक्ट और नियमों के खिलाफ है। आप इस तरह से किसी भी संस्था को नोन-कोआपरेटिव इंस्टीट्यूशन को नहीं सौंप सकते।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, यह कोनसे प्रस्ताव पर बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इस पर बाद में बात कर लेंगे, आप तो सीधा सा उत्तर दे दो।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सुनो न आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, आखिर इस सदन में आपकी पीड़ा है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप बात कहने दें न। मैंने सीधा सा एक लाइन का प्रश्न पूछा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह तो आप पूछ लें। इस सदन को कैसे चलाना चाहते हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जब आपने लिया तब 32 करोड़ का घाटा था और आज 100 करोड़ का घाटा है। बस इसका हां या ना में उत्तर दे दो आप। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय मुख्य मंत्री जी के आश्वासन का क्या हुआ ? मुख्य मंत्रीजी का सदन में आश्वासन था, अध्यक्ष, महोदय, उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। कमला जी, इस तरीके से तो यह नहीं चलेगा।

श्रीमती कमला : इस सदन में, मुख्य मंत्रीजी ने तमाम सदन के सामने कहा है और आज वो उससे वापस हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं जानता हूं कि आप राजनीति की धुरंधर हैं....(व्यवधान)....

श्रीमती कमला : और बाला-बाला यह कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : आप राजनीति की धुरंधर हैं और सब विषयों में आप बहुत पारंगत हैं। दूसरों की बात तो सुन लें आप।

श्री मदन मोहन : अध्यक्ष महोदय, मैं एक पाइंटेड प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मिनिस्टर साहब कोई बात कहना चाहते हैं, दो मिनट उनकी बात तो सुन लीजिये।

श्री मदन मोहन : वो अपनी बात भी कह दें। अध्यक्ष महोदय, मेरी बात इसमें शामिल कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : करो आप सब, मेरे को क्या है।

श्री नाथूसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, यह हाउस है, हम पांच दिन से देख रहे हैं कि जिस माननीय सदस्य की जब मर्जी होती है खड़े होकर किसी भी विषय पर बोलना शुरू कर देते हैं।

श्रीमती कमला : एडजोर्नमेंट मोशन है।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : एडजोर्नमेंट मोशन नहीं है, सुनिये आप। यहां नियमों में जो माननीय सदस्य पहले नोटिस दें ... (व्यवधान)....

श्रीमती कमला : दे रखा है, दिया हुआ है।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : आप एक मिनट मेरी सुन लिजिये । आपकी मैं हमेशा सुनता हूं, सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इस पर कोई व्यवस्था हुई है क्या ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : आपकी व्यवस्था हुई क्या ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपकी पर्रमिशन लेकर ही बोल सकते हैं, यह हाउस का नियम है। बिना परमिशन के ही चाहे जो सदस्य खड़ा हो जाता है। सदन का समय खराब कर रहे हैं। वाट इज दिस। हाउस को इन आर्डर करिये।

श्री रामनारायण चौधरी : यह जीरो आवर है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है, यह बताइये।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : मैं यही बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह बताओ क्या व्यवस्था चाह रहे हो ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : बिना नियमों के अन्तर्गत, बिना स्पीकर की परमिशन की हाउस में कोई भी नहीं बोल सकता। आप यहां पर निर्देश दीजिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अव्यवस्था कर रहे हैं। बैठिये।

श्री रामनारायण चौधरी : There is no point of order in zero hour. There is no business before the House. जीरो आवर में कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं होता।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : आप तो बहुत पुराने सदस्य हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, इसीलिए कह रहा हूं मैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या नहीं होता है ? कहां लिखा है यह ?

श्री रामनारायण चौधरी : There is no business before the House.

श्री नाथूसिंह गुर्जर : बिजनेस है तभी तो बोल रहा हूं न मैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, यह कहां लिखा है कि जीरो आवर में पाइंट आफ आर्डर नहीं होता? बताओ जरा। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है 32 करोड़ का घाटा था वह 100 करोड़ का हो गया है, यह सही है या गलत है? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : विधान सभा को बिलकुल मजाक ही कर दिया है।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं होता जीरो आवर में। परम्परा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बिना प्रस्ताव के कोई नहीं बोल सकता। (व्यवधान) एक तरफ पूनमचन्द जी कह रहे हैं कि मुझे रोना आ रहा है और एक तरफ अव्यवस्था कर रहे हैं। (व्यवधान) जो आये जो ही खड़ा हो गया।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : मैं स्पीकर की परमिशन लेकर बोल रहा हूं और आप खड़े हो गये।

श्रीमती कमला : एक भी मुद्दा बिना नोटिस का नहीं है, यह कैसे कह रहे हैं?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख होता है।

श्रीमती कमला : दुःख ही करो और क्या है।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : तीन दिन तक इस हाउस की कार्यवाही रोकी रखी गयी और जिन मामलों में हाउस की कार्यवाही रोकी उस सम्बन्ध में इस हाउस में कोई प्रस्ताव नहीं था।

श्रीमती कमला : कैसे नहीं है?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : नहीं, कोई प्रस्ताव नहीं था, आप चैक करवाइये। अध्यक्ष महोदय, बिना प्रस्ताव कैसे, नियमों में आप अलाउ करिये और अलाउ कर के डिस्कशन करवाइये।

श्री रामनारायण चौधरी : प्रस्ताव तो पैंडिग पड़े हैं।

एक माननीय सदस्य : कौनसे प्रस्ताव पैंडिग पड़े हैं?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : एक नोटिस देते हैं और बोलने के लिये खड़े हो जाते हैं। यह हम पहली बार देख रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, इसलिए हाउस को कंट्रोल करिये, इन आर्डर लाइये।

श्री अध्यक्ष : बैठें आप। घनश्यामजी, आप क्या कह रहे थे? (व्यवधान) दो मिनट, आप विराजिये।

(75)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय की आइज मैंने ली है।

श्री परसराम मदेरणा : एक मिनट।

श्री महावीर प्रसाद जैन : घनश्यामजी को इजाजत दी है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह जो डेयरी फैडरेशन का प्रश्न है इसकी एक भूमिका है और परिप्रेक्ष्य में बात करनी चाहिये। यह आज नहीं की जा रही है, पिछले सत्र में भी यहां पर एडजोर्नमेंट मोशन दिया था और मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं ने इस सदन के प्रांगण में आश्वासन दिया था कि मुझ से, विश्नोईजी से और कमलाजी से बात करेंगे। लेकिन उसके बाद मैंने उनसे निवेदन किया था कि आपने बात नहीं की है और मैं यह समझता हूं कि आपके आश्वासन के बाद इस फैडरेशन को इन संघों को सौंपने की कार्यवाही और जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें संशोधन किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आज ही आदेश देता हूं, इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। उसके बाद आपने रूल्स में संशोधन किये हैं। इन दुग्ध उत्पादक संघों के इलैक्शन की भी डेट रख दी आपने। इस पर यह लोग हाई कोर्ट में गये हुए हैं। फैडरेशन का मैटर है, जब मुख्य मंत्रीजी यहां आश्वासन दें, पहले यहां पर एडजोर्नमेंट मोशन आया था उसमें यहां चर्चा हुई थी तो आज यह कोई नया मामला नहीं उठा रहे हैं। जिसमें आप पाइंट ऑफ आर्डर रेज कर के कह रहे हैं। पूर्व में इस सदन के अन्दर मुख्य मंत्रीजी का आश्वासन है उस आश्वासन के सम्बन्ध में मैं ऐसा समझता हूं कि अब डेयरी मंत्रीजी को यहां पर एक स्टेटमेंट देना चाहिये इस मामले को लेकर। विश्नोईजी के प्रश्न एक पर आपने जो अभी वर्बली बात कही, उस सम्बन्ध में उन्होंने कह दिया कि घाटा आज 32 करोड़ का नहीं है लेकिन 100 करोड़ के आसपास है। तो आपको स्टेटमेंट देने में क्या बुराई है ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय विश्नोईजी ने अत्यंत खेद के साथ कुछ भावनाएं व्यक्त की और मैं समझता हूं कि जिस तरह से सदन चल रहा है, किसी भी संजीदा आदमी को यह पंसद नहीं होगा।

माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय मुख्य मंत्रीजी के आश्वासन की बात कह रहे हैं। आश्वासन यह दिया था कि वो बाहर इनसे बात करेंगे। अब यह बात हुई या नहीं यह वो जानें और मुख्य मंत्रीजी जानें लेकिन एक बात सदन के सामने स्पष्ट आ गयी, अभी कमलाजी ने प्रश्न उठाया कि किसी भी कोआपरेटिव को नोन-कोआपरेटिव को सौंपना गैरकानूनी है। तो मंत्री महोदय ने आपको स्पष्ट कर दिया है कि इस सम्बन्ध में दो मामले हाई कोर्ट में चल रहे हैं और निश्चित रूप से इसी पर निर्णय होगा कि यह कानूनी है या नहीं है।

जहां तक सवाल है कि इसमें कितना फायदा हुआ है कितना नुकसान हुआ है, मंत्रीजी ने स्पष्ट किया है कि जो पहले नुकसान होता जा रहा था उसमें धीरे-धीरे

(श्री हरिशंकर मामड़ा)

कमी आ रही है और कानूनी प्रश्न हाई कोर्ट तय कर देगा। हाई कोर्ट जो भी फाइनल डिसीजन देगा उसी के हिसाब से आगे की कार्यवाही हो जाएगी। यदि आपकी कोई बातचीत नहीं हुई है तो मैं आज ही मुख्य मंत्रीजी को निवेदन कर देता हूं कि फिर से आपके साथ बैठ कर, विस्तार से इस सम्बन्ध में आप बात करेंगे तो उसका कोई नतीजा निकलेगा। अब सदन में हठात कोई चीज उठा देना, भले ही उस पर पिछले सत्र में आश्वासन दिया गया होगा, उसकी भी कुछ प्रक्रिया है। मैं समझता हूं कि हर चीज की प्रक्रिया निर्धारित है अब आप उसका पालन नहीं करेंगे तो सिवाय अपनी-अपनी बात कहने के उसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। यदि हम यह चाहते हैं कि किसी चीज का परिणाम निकले तो निश्चित रूप से उस पर विधिवत बहस हो, विधिवत उस पर निर्णय हो। चाहे आश्वासन मिले, चाहे सरकार अपनी ओर से कुछ आगे कदम उठाने की बात कहे लेकिन विधिवत हो तो समझ में आता है। अब हठात हरेक प्रश्न उठा दिये जाते हैं, अब हरेक प्रश्न का जवाब तैयार तो मिलता नहीं है। इसलिए एक विधि बनी हुई है उससे आप उठायें तो आपको सरकार की ओर से भी पूरी तैयारी के साथ जवाब मिलेगा। अब अचानक आपने यह सवाल उठा दिया, कोई भी सवाल उठा दिया....

श्रीमती कमला : अचानक कहां, पहले दिन दिया है।

श्री हरिशंकर मामड़ा : इसीलिए मैं कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं आप इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय से मिल कर .... (व्यवधान)....

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, विधिवत उठाया है हमने सारा का सारा। स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है ... (व्यवधान)... सरकार को जवाब देना है।

श्री हरिशंकर मामड़ा : अब मैं बोल रहा हूं, यह क्यों खड़े हुए हैं? अध्यक्ष महोदय, यह कौनसी व्यवस्था है? मैंने कल भी कहा था कि धीरे-धीरे इस सदन में जो बहुत ही सीनियर मैम्बर्स हैं उनकी भी मर्यादाओं को नष्ट किया जा रहा है। यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कहीं तो आप टिकिये, किसी न किसी बात पर तो टिकिये ताकि कुछ सार्थक निर्णय हो, आपकी बात का जवाब भी दिया जाए। तैयारी के लिए समय भी दीजिये, हम आपको तैयार होकर हर चीज का जवाब देंगे। विधिवत आयेंगे तो निश्चित रूप से हर चीज का जवाब मिलेगा लेकिन हठात खड़े होकर के ...(व्यवधान)... हैं?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सरकार तो भागने की तैयारी में है। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर मामड़ा : यही सवाल मैं कर रहा हूं कि चलाना कौन नहीं चाहता? (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो यही निवेदन करना है.... (व्यवधान) सबजुडिस मामला है ।

श्री अध्यक्ष : घनश्याम जी, आप क्या कह रहे हैं ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : औपचारिकता पूरी करना चाहते हो । (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : जूनियर तो और भी मर्यादित होकर बैठे रहते हैं। सीनियर लोग पहले माहौल खराब करते हैं। सीनियर ही परम्परा तोड़ते हैं फिर जूनियर पर आरोप क्यों लगाया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : रघुवीर जी, विराजिये आप । बैठें आप ।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : जूनियर तो बैठे रहते हैं मर्यादित होकर और जूनियर आपसे यहां सीखना चाहते हैं, आप क्या सिखा रहे हो ? सीनियर ही सबसे पहले खड़े होकर बिना मर्यादित ढंग से बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आज डेयरी फैडरेशन और एन.डी.डी.बी. का नोन को-आपरेशन सबसे बड़ी समस्या है...(व्यवधान) सबजुडिस मामले पर कुछ नहीं कहना है। आज राजस्थान डेयरी फैडरेशन और एन.डी.डी.बी. के अंदर अधिकारियों में जो नोन को-आपरेशन है वही सबसे बड़ी समस्या है ।

श्री अध्यक्ष : विराजिये । घनश्याम जी, क्या कह रहे हैं ? एक मिनट, विराजें आप । (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमू) : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो कल भी कोशिश की थी कि ध्यान आकर्षित करूं । अभी माननीय सदस्य, श्री धर्माराम जी ने एक विषय पर गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है । मैं स्थगन प्रस्ताव दे नहीं सकता था, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि वह जो कांड हुआ उसमें तीन बातें थीं । सरकार की तरफ से आश्वासन भी दिया गया था । एक तो दो स्कूल के बच्चे चौमू में दुर्घटना के अतर्गत बस के नीचे आकर मर गये । बच्चों के मरने के बाद में वहां पर कुछ लोग और चार-पांच बच्चे इकट्ठे हो गये और इकट्ठे होने के बाद में वहां पुलिस चली गयी । एक यात्री जो सीकर जिले का था, उस बस में यात्रा कर रहा था, बीमारी का इलाज कराने के लिये आया था, पुलिस की गोली चली, उस बस में बैठे हुए यात्री के गोली लगी और वह यात्री मर गया । उसके बाद में वहां जो लड़के खड़े थे, 120 से अधिक लोगों पर 307 का मुकदमा लगाकर उनको बंद कर दिया । उसके बाद में मुकदमा हटाने की हमने मांग की तो पुलिस ने 307 का मुकदमा तो हटा दिया और अधिकांश लोगों की जमानत हो गयी और वह बाहर चले गये । लेकिन अभी वह निरपराध बच्चे जो इस मुकदमे में हैं वे दो बच्चे जो एक्सीडेंट में मर गये और एक व्यक्ति जो निरपराध रूप से बस में बैठे हुए पुलिस की गोली से मर गया, उन व्यक्तियों को, न तो अभी तक गोली से

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मरने वाले को मुआवजा दिया गया और न जो लड़के दुर्घटना में मारे गये थे उनको कोई आर्थिक सहायता दी गयी। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि माननीय गृह मंत्रीजी जब और बातों की चर्चा करें तो इस पर भी जवाब दे दें। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि दोनों मृतक बच्चे बहुत गरीब घर के हैं, उनको आर्थिक सहायता दी जाए और जो गोली से मरा है, वह यात्री भी बहुत गरीब है, वह बीमार था, उसके पांच-छह बच्चे हैं, वह इलाज के लिये एस.एम.एस. आ रहा था, वह पुलिस की गोली से मरा है इसलिए उसको आर्थिक सहायता दी जाए और यह मुकदमा वापस लिया जाए। यही मुझे आपसे निवेदन करना है।

श्री गोपीराम जाट : अध्यक्ष महोदय, यह जिस घटना के संदर्भ में माननीय सदस्य ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, इस घटना की बात नहीं हो रही है। यह तो इन्होंने किसी रेफरेंस में कहा था। (व्यवधान)

श्री गोपीराम जाट : नहीं, अध्यक्ष महोदय, इसमें निर्दोष लोगों के ऊपर जो मुकदमे चलाये जा रहे हैं उन लोगों के खिलाफ मुकदमे वापस लिये जाए, इसके बारे में क्या जवाब था ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम जी, (व्यवधान) बैठें आप। जिनकी स्लिपें आयी हैं, उनको बुलवा रहा हूं। बैठिये आप। जिन-जिनकी स्लिपें हैं, कृपया उनको बात तो कहने दीजिये आप। (व्यवधान) क्या हुआ ? हां, बोलें आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है पृथ्वीराज नगर योजना का। वह दस हजार वर्ग एकड़ जमीन में बनाने की योजना थी। पिछले दिनों आन्दोलन भी चले और बहुत धरने भी हुए। लेकिन...(व्यवधान) अब आप मुझे बोलने दें तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : कृपया बोलें आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जब यहां पर चुनाव आये तो मुख्य मंत्रीजी ने भी बीच में हस्तक्षेप किया, लोगों को भी बुलाया और बातचीत की। दस हजार एकड़ भूमि में पांच हजार एकड़ भूमि तो आती थी भारतीय जनता पार्टी के दो एम. एल. ए. साहब हैं, उनके इलाके में और इनके नाम हैं गोपीराम जी जाट और दूसरे हैं राजपालसिंह जी शेखावत। इन दोनों एम. एल. ए. के क्षेत्र में जो भूमि आती है उनको तो यह आश्वासन दिया कि हम उसे इस योजना में शामिल नहीं करेगें और आधी योजना बनाएंगे जो इन्दिरा मायाराम, कांग्रेस की एम. एल ए. के क्षेत्र में आती है, वहां के सात गांवों के किसानों को नोटिस जारी किये जा रहे हैं जे. डी. ए. से। (व्यवधान)

ग्रनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री ग्रध्यक्ष : बात पूरी सुन लें। बिना ही काम के + + + (व्यवधान) कोई मतलब नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : पूरी बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : बैठो, बैठो ग्राप।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : ग्रापके समझ में नहीं ग्रायी, ग्राप दिल्ली जाने के चक्कर में हो इसलिए। इतनी ग्रक्ल है हमारे में।

श्री ग्रध्यक्ष : बैठो ग्राप। ग्रापके लिये नहीं कह रहा हूं। बैठो ग्राप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं ग्रध्यक्ष जी, ग्रापकी ग्राभारी हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जब यह योजना ग्राधी खतम की जा रही है तो पूरी क्यों नहीं कर दी जाती है? वहां के गरीब किसान सात गांवों के हैं, उनको नोटिस क्यों दिये जा रहे हैं? उनके साथ यह ज्यादती क्यों की जा रही है? इस योजना को या तो पूरी लागू की जाए या फिर खतम की जाए। यही मेरा ग्रापसे कहना है। इस तरह का अत्याचार कांग्रेस की विधायक होने के नाते उसके किसानों के साथ नहीं किया जाए, इसका मंत्री महोदय ग्राश्वासन दें।

श्री ग्रध्यक्ष : विराजिये। रामस्वरूप जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा........ (व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : नहीं, इसका जवाब नहीं ग्राता, विराजें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राश्वासन तो दें कि ऐसा नहीं होगा।

श्री ग्रध्यक्ष : विराजें-विराजें। हर चीज का आश्वासन नहीं दिया जा सकता। ग्राप बात कर लेना। आपने कह दी ग्रपनी बात। हां, रामस्वरूप जी, बोलें ग्राप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : इसलिए ग्राप ग्राश्वासन दें नहीं तो मेरे किसानों के साथ मुझे बैठना पड़ेगा।

श्री ग्रध्यक्ष : रामस्वरूप जी की बारी है। हां, बोलें ग्राप।

+ + + ग्रभिव्यक्ति ग्रध्यक्षपीठ के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में टोडाभीम के अन्दर चार हजार की आबादी वाला एक काजीपाड़ा कस्बा है जो मुसलमानों का एरिया है। उस काजीपाड़ा के अन्दर एक दुकानदार था। वह विकलांग था। वह एक हाथ और एक पैर से लंगड़ा था। वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था कि बाहर से कुछ ऐसे गुंडा तत्व आये और आकर के सीधे उसके छुरा भोंका। वह पुकारता रहा इस बात के लिये कि भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? बस्ती के बीच उसकी दुकान थी। उस पर आकर उसके छुरा भोंका और यहां तक कि उसकी मृत्यु हो गयी। इतना बड़ा कांड उन्होंने किया और आज वे गुंडा तत्व उसके दूसरे घर-वाले और उसके बाल–बच्चे वगैरह हैं, भाई–बहन हैं उन सबको धमकी दे रहे हैं। लेकिन, माननीय गृह मंत्रीजी, टोडा-भीम के कस्बे में इतना आतंक फैल चुका है, वहां लोग आतंकित हैं दुकाने बंद रहीं, बाजार बंद रहे लेकिन काजीपाड़े के वे हत्यारे जिन्होंने एक दुकानदार की हत्या की थी, आज तक पकड़े नहीं गये। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। यह व्यापा-रियों की बात करते हैं, दुकानदार, व्यापारी चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवे-दन करना चाहता हूं कि उस विकलांग के साथ अन्याय हुआ है, उसको सरेआम मार दिया गया। उसका कोई भी रखवाला नहीं है और मुल्जिम घूम रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय, विराजें बात पूरी हो गयी आपकी।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसकी पूरी जांच कर मुल्जिमों को पकड़ाये। वह हत्यारे सरेआम घूम रहे हैं। दूसरी वारदात फिर करेंगे वह। इसका कोई उपाय करें आप। गृह मंत्रीजी चुपचाप बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठे हैं। आपने बात कह दी। अब आप विराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : उस व्यापारी को मार दिया और गृह मंत्रीजी कुछ भी नहीं कहें, शर्म आने की बात है। एक दुकानदार को मार दिया, मुसलमान को मार दिया, दुकान पर बैठे हुए निर्दोष को मार दिया और गृह मंत्रीजी चुपचाप बैठे हैं, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठें, आप बैठें।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसके बारे में कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : बैठें, माननीय बैठें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मैं भूख हड़ताल पर बैठूं, क्या करूं कि मुझे आश्वासन दें मेरी योजना के बारे में।

श्री अध्यक्ष : बैठें आप। श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : हत्यारे सरेआम घूम रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उनको पकड़वायें।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्षजी, दिनांक 10 मार्च, 1998 को झुन्झुनूं जिला मुख्यालय पर जिला प्रशासन द्वारा एक इस प्रकार का तांडव नृत्य किया गया जो किसी सभ्य समाज में कानून से चलने वाली किसी भी सरकार के कर्मचारी के लिये शर्म की बात है।

माननीय अध्यक्षजी, एक कर्मचारी संघ है राठौड़ ग्रुप, राज्य सरकार के मंत्रियों के बहुत नजदीक है। उनको नाजायज फायदा पहुंचाने के लिये राज्य सरकार के बड़े मंत्रियों के इशारे पर एक व्यक्ति सुरेन्द्र बेनीवाल और दूसरे अन्य लोगों के मकान बने हुए थे, बराबर इस बात की चेष्टा की गयी कि सुरेन्द्र बेनीवाल और दूसरे साथियों को उस जमीन से हटाकर राठौड़ ग्रुप का कब्जा करवाया जाए। अध्यक्षजी, शर्म की बात है एस. डी. ओ., झुन्झुनूं और तहसीलदार झुन्झुनूं ने 50-60 पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को ले जाकर वहां सुरेन्द्र बेनीवाल के मकान को खड़े रहकर तुड़वा दिया और राठौड़ संघ का नाजायज कब्जा करवा दिया।

होली का अवसर था। ऐसा अवसर देखा था कि कोई एग्रीव्ड़ परसन अदालत में नहीं जा सके। चार रोज की छुट्टियां थीं। इस प्रकार का यह जो कृत्य है वह किसी भी सभ्य सरकार के लिये शर्म की बात है। माननीय अध्यक्षजी, यहां गृह मंत्रीजी मौजूद हैं, उप मुख्य मंत्रीजी मौजूद हैं और राजस्व मंत्रीजी मौजूद हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस काण्ड की जांच करवायी जाए। कोई भी कानूनी प्रक्रिया काम में नहीं ली गयी और वैसे ही राठौड़ी कार्यवाही करके, मौके पर जाकर और खड़े होकर उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा आपको जहां 107 की कार्यवाही की जाए और उसमें लोगों को जेल भेजा जाए, जमानत नहीं ली जाए। उस एस. डी. ओ. ने पुलिस को आदेश दिया कि इन लोगों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार कर लिया। कोई लिखित आदेश नहीं था और आदेश के बाद में उन लोगों को जुडिशियल कर दिया गया 107 के केस में। अपने जीवनकाल में मैंने कभी ऐसा अत्याचार नहीं देखा जो एस.डी.ओ. के कहने से उनको चार-पांच रोज तक जुडिशियल कस्टडी में रखा। माननीय अध्यक्षजी, बहुत सीरियस मामला है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले की जांच करायें। क्या प्रक्रिया इन्होंने अपनायी है? इस प्रकार से एक राठौड़ ग्रुप, राठौड़ नाम से हम किसी का समर्थन कर रहे हैं। यह सरकार का रवैया बहुत ही निन्दनीय है और इस मामले की जांच होनी चाहिए। ये वही एस.डी.ओ. हैं जिनके खिलाफ वकीलों ने डेढ़ महीने तक आन्दोलन किया था। इस प्रकार की नादिरशाही कार्यवाही के खिलाफ यहां के कमिश्नर गये, कमिश्नर के हस्तक्षेप के बाद वहां झुन्झुनूं जिला अभिभाषक

(82)

(श्री शिवनाथ सिंह)

संघ ने उस हड़ताल को खतम किया । इस प्रकार के एस डी.ग्रो. की जांच होनी चाहिए । इस प्रकार से यदि अधिकारियों को संरक्षण मिलेगा तो मेरे ख्याल से कोई प्रशासन नहीं चल पाएगा । इसलिए मेरा राज्य सरकार से पुनः निवेदन है कि इस मामले की जांच करवायें ।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री मदन मोहनजी ।

श्री मदन मोहन (खैरथल) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि खैरथल विधान सभा क्षेत्र में खैरथल कस्बे में सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय तीन-चार बार जाकर ग्राये हैं ग्रौर इसी के साथ किशनगढ़ से कोटकासिम रोड को भी ये दो बार खुद जाकर देखकर ग्राये हैं, ये ग्रधिकारियों को निर्देश देकर ग्राये हैं । मुख्य मंत्री महोदय भी तीन बार होकर ग्राये हैं लेकिन जो सड़कें बाढ़ के दौरान टूटी थीं, उनके ऊपर से माननीय मंत्रीजी कई बार गुजर गये लेकिन ग्राज तक उनके बारे में कहीं भी राज्य सरकार के दिमाग में कोई भी इस प्रकार का प्रश्न नहीं है कि उन सड़कों को बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए । उन सड़कों पर रात्रि के समय जब छोटे व्हीकल्स निकलते हैं तो वहां पर लगातार दुर्घटनाएं होती रहती हैं ।

ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा ग्रापके माध्यम से निवेदन है कि खैरथल नगरपालिका के पूरे क्षेत्र में सड़कें नहीं हैं वहां पर सड़क के नाम पर पत्थर ही पड़े हुए हैं । आप बतायें कि उन सड़कों को आप कब तक बनवा देंगे ? वहां जिस तरह खड्डे हो रहे हैं ग्रब डेढ फिट के हैं, क्या ग्राप उनको तीन-चार फिट के देखना चाहते हैं ?

किशनगढ़ से कोटकासिम रोड के बारे में कई बार प्रस्ताव ग्रा लिया, विश्व बैंक से प्रस्ताव ग्रा लिया लेकिन ग्राज तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई । ग्रध्यक्ष महोदय, इतनी सड़कें जो मंजूर हुई हैं, बीस-बीस साल से मंजूर पड़ी हुई हैं लेकिन इन सड़कों का निर्माण कार्य ग्राज तक चालू नहीं हुग्रा है । क्या मंत्री यह बताएंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है जिसके ग्राधार पर निर्माण कार्य चालू नहीं करवाया जा रहा है ? ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा ग्रापके माध्यम से निवेदन है कि सड़कों का निर्माण कब तक चालू करवा दिया जाएगा ?

श्री ग्रध्यक्ष : श्री हीरालाल इन्दोरा ।

श्री हीरालाल इन्दोरा (केसरीसिंहपुर) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न मैं ग्रापके सामने रख रहा हू । 11 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम दौलतपुरा, ग्राम पंचायत संगतपुरा, ग्राम पंचायत तिराकू ग्रौर उसके आसपास के सीमावर्ती गांवों में बहुत ग्रोले पड़े । दूसरी तरफ मेरे क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोठा, हिंदवलकोट, पक्की ग्रौर उसके आसपास के गांवों में करीब छह इंच तक के ग्रोले पड़े और ग्रोलों का वेट 200 ग्राम से 500

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

ग्राम तक था इससे करोड़ों रुपयों की फसलें बरबाद हो गयी। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तुरन्त प्रभाव से इस इलाके के किसानों की जो करोड़ों रुपये की फसल नष्ट हो गयी है, उनको मुआवजा देने या राहत देने की घोषणा करे।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि ग्राम पंचायतों में जो अंशदान की राशि मिलती है, प्रत्येक व्यक्ति, 1995-96 में 11 रुपये के हिसाब से अंशदान राशि आवंटित कर दी गयी है लेकिन 1996-97 और 1997-98 की अंशदान राशि आज तक भी 18 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों को नहीं दी है और ढाई रुपया प्रति व्यक्ति पत्राचार के ग्राम पंचायतों को जो मिलते थे, वह भी आज तक नहीं दिये। ग्राम पंचायतें किस प्रकार से अपना काम करें, किस प्रकार से समाज की और देश की सेवा करें ? इस प्रकार से दो-दो साल की अंशदान की राशि सरकार रोके रखे और पत्राचार का पैसा रोके रखे तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिये कि ग्राम पंचायतों को कार्य करने में कितनी दिक्कतें आ रही हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री अमरारामजी।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो पंचयतों के अंशदान के बारे में कहा है, आप लोग तो 25 पैसे देते थे, हमने उसको ढाई रुपया किया, फिर चार रुपया किया, फिर पांच रुपये किया, उसके बाद 11 रुपया किया और वह जा रहा है, कोई नहीं रोका जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : यह डिबेट का विषय नहीं है, आप हां या ना में जवाब दें।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : आपको नालेज ही नहीं है, कौनसा रोक दिया।

श्री हीरालाल इन्दौरा : आपने दो साल में पैसा दिया क्या, आप बता दीजिए ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : हां, बिलकुल दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैं कहता हूं नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजें। यदि पैसा नहीं गया है तो आप भिजवा दें।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्षजी, मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा ...

श्री परसराम मदेरणा : मंत्री जी, आप स्टेटमेंट दे रहे हैं क्या ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : नहीं, स्टेटमेंट नहीं है। वह तो इन्होंने उठाया है मामला। जब वह आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि पैसा नहीं दे रही है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, आपके 295 की या चिट की जो व्यवस्था रखी है उस व्यवस्था के अन्दर माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दे रहे है । आप स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो आप पूरा स्टेटमेंट दीजिये । आपको भारत सरकार से जो अनुदान मिलता है डी.आर.डी.ए. का, डी.आर.डी.ए. को इमीजियेट ट्रांसफर करने की बात कही गयी है और उस कांस्टीट्यूशन की सूची मे सैकण्डरी स्कूल तक जो ट्रांसफर करने के विवाद है जिला परिषदों के और इसके साथ ही जिला परिषदों में जो आपकी योजना समिति है उस योजना समिति की कोई भी रिकमण्डेशन आज तक नहीं हुई है । अगर आप स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो आप काम्प्रीहेंसिव स्टेटमेंट दीजिये और नहीं तो, ये ग्यारह रुपये, दस रुपये, दो रुपये, चार रुपये की बात करके आप सदन को गुमराह मत कीजिए ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पूरे देश में राजस्थान ही ऐसा पहला स्टेट है जिसने प्लानिंग कमेटीज का गठन किया । किसी भी राज्य ने नहीं किया है, आपको मालूम होना चाहिए । (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आपने पंचायती राज का भट्टा बैठाया है; भट्टा, भट्टा । पंचायती राज का आपने कोई भी काम नहीं किया है ।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : प्लानिंग कमेटी की आज तक मीटिंग नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष : विराजें, विराजें । यह जीरो आवर है, मैंने तो ऐसे ही अलाउ कर दिया । श्री अमरारामजी ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : जिला परिषद के मैम्बरों को और पंचायत समितियों के मैम्बर्स को आपने क्या अधिकार दिये हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये ।

श्री अमराराम चौधरी : माननीय अध्यक्षजी, पिछले 15 दिनों के अन्दर हमारे बालोतरा के पास में एक दुर्घटना बस और जीप से हुई जिसमें करीब चौदह बच्चों की जानें गयीं । होली की रात्रि को करीब दो बच्चों की जान गयी और 11 आदमी घायल हो गये । मेरा निवेदन सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से है कि सिवाणा काटा से आसोतरा ब्रह्माजी के मंदिर तक जो सड़क बनी हुई है उसकी चौड़ाई बहुत ही कम है । वहां पर ट्रैफिक इतना बढ़ गया है, सिवाणा तक और खास तौर से ब्रह्माजी के मंदिर तक जिससे आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने नाकोड़ाजी की सड़क को चौड़ा किया है और अब आप विष्णु भगवान के मंदिर तक की सड़क को चौड़ी कर रहे हैं । कार्य प्रगति पर है लेकिन ब्रह्माजी के मंदिर तक जहां रोड बहुत ही सकड़ी है और वहां की सड़क को डामर टूट गयी है, उसको आप शीघ्र चौड़ा करवायें क्योंकि यह फलौदी से सिरोही तक स्टेट हाईवे है इसलिए इस पर कार्य शीघ्र करवाने के लिए निवेदन कर रहा हूं ताकि वहां दुर्घटनाएं नहीं हो सकें ।

श्री अध्यक्ष : रामप्रतापजी कासनियां।

(अनुपस्थित)

श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पशुपालन मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेरे दौसा जिले में गये दो दिन से पशु चिकित्सालय पूर्णतः बन्द हैं। उनमें कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं है, न चपरासी हैं, न कम्पाउण्डर हैं और न ही डाक्टर्स हैं। पूरे जिले में महुआ, लालसोट, सिकराय, दौसा और बांदीकुई–पांचों पंचायतों की यही स्थिति है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति आज पूरे राजस्थान भर में है। एक भी पशु चिकित्सालय कहीं भी नहीं खुला है। 232 पंचायत समितियों के पशु चिकित्सालय बन्द हैं। डाक्टर और कर्मचारी सभी नहीं आ रहे हैं। बेजुबान पशु बोल नहीं सकते ऐसी स्थिति में उनके लिये इस सरकार को चाहिये कि पशुपालन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जिनको आपने असमान वेतनमान देकर एक तरह से उद्वेलित कर दिया है, आज वह हजारों की सख्या में स्टेच्यू सर्कल पर आये हैं, धरना दे रहे हैं और तीन दिन से पशु चिकित्सालय बन्द हैं, उनके वेतनमान और भत्तों के लिये समानता की दृष्टि अपनानी चाहिये। उसके लिये आज आप यहां घोषणा करें ताकि बेजुबान पशुओं को चिकित्सा मिल सके। यह मानव धर्म के प्रति न्याय होगा इसलिये, पशुपालन मंत्री जी, इसी समय आप यह घोषणा करें कि उनको समान वेतन दिया जाएगा। यदि यह विसंगति कायम रही हो पशु चिकित्सकों ने घोषणा की है कि वह आमरण अनशन करेंगे और स्टेच्यू सर्कल से नहीं हटेंगे। पूरे राजस्थान का व्यापक महत्व है।

श्री अध्यक्ष : बैठें, बैठें। माननीय अर्जुनलाल जी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बेजुबान पशुओं के लिये उप मुख्य मंत्री महोदय बतायें कि आपने किस वजह से वेटेनरी डाक्टरों को, उनके कर्मचारियों को बाकी के डाक्टरों से और कर्मचारियों से अलग किया है? क्या पशुओं की चिकित्सा अलग है?

श्री अध्यक्ष : विराजिये। बैठें आप। माननीय अर्जुनजी।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्रीजी और पर्यावरण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं....

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह कोई व्यवस्था कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : पूरे जिले के पशु चिकित्सालय बन्द हैं, ताले बंद हैं। ताले लग रहे हैं, ताले लग रहे हैं। दौसा जिला कम्पलीट बद है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये तो सही। ध्यान में लाये हैं न आप। आपकी बात अर्जेंट नेचर की थी इसलिए तो ध्यान में लाएं हैं आप। बात कर लेना आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : साढ़े चार लाख पशुधन का सवाल है, पूरे अस्पताल बंद हैं।

श्री अध्यक्ष : बहुत खेद है मुझे। मुझे बहुत खेद है कि सारे उपदेशों के बाद भी कोई असर नहीं है आप पर। बहुत खेद है। इतना लिबरल रहते हैं। इतना बोलते हैं तब भी बार–बार खड़े हो जाते हैं।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्रीजी और पर्यावरण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, चंदराई के द्वारा जहरीली गैस छोड़ना; उसका प्रदूषित पानी बेड़च नदी में छोड़ना। जहां प्लान्ट स्थित है उसके आसपास के 15 गांवों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उन गांवों में हैं बीलिया, शिवपुरा, कोदावड़ी, खूंट्या, ओलेड़ा, नगरी, पीपल्या, सारण, ग्वालया, नीमड़ी–खेड़ा, नगरी, ओजल्याखेड़ी, पुठोली, देग और मेड़ीखेड़ा आदि ऐसे 15 गांव हैं जहां लगभग 25,000 की आबादी है और 10,000 पशु हैं। उनके जीवन मृत्यु का प्रश्न खड़ा हो गया है। हिन्दुस्तान जिंक के द्वारा पर्यावरण, प्रदूषण काफी बढ़ गया है। इसके सम्बन्ध में मैंने विधान सभा के माध्यम से नियम 131 में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है लेकिन फिर भी कोई कारगर कदम आज दिन तक नहीं उठाया गया है जिससे वहां पर भूमि बंजर हो गयी है, खेतों में अनाज पैदा नहीं होता है और घास भी जो पैदा होती है उनमें भी कुछ जहरीले अंश हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : पानी इतना दूषित हो गया है कि जिसे पीते ही पशु मर जाता है या उसको कई प्रकार की बीमारी हो जाती है आदि समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं। यह पूरा मसला है।

श्री अध्यक्ष : पूरा मसला इस माध्यम से थोड़ी उठाया जा सकता है। आपने कह दी बात पूरी।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : एक मिनट में कह रहा हूं। पशुओं के अन्दर वरटाइक हो जाने, चक्कर आ जाने का रोग होता है और एक, दो घटे में ही पशु मर जाता है। इस प्रकार से आये दिन भैंसें और गायें मरती हैं। अखबार में भी आये दिन यह छपता है कि जहरीली गैस प्रदूषित पानी मुश्किल है जिंदगी। इस प्रकार से रोज हैडिंग मेन पृष्ठ पर आते हैं फिर भी कोई कारगर कदम नहीं है। पशुओं के अन्दर प्रजनन नहीं होता है और इत्तफाक से प्रजनन होता है ... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : अब इतनी लम्बी बात कहने का यह फोरम नहीं है। कृपया विराजें आप। बैठे आप।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : तो गर्भपात हो जाता है और यह स्थिति खाली पशुओं में ही नहीं है....

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप । विरा-जिये आप ।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : महिलाओं और माताओं के साथ भी ऐसी समस्या है ।

श्री अध्यक्ष : आप कह रहे हैं न प्रदूषण हो रहा है । बस खतम बात । बैठें आप ।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : मेरा एक निवेदन है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : बैठें आप ।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सर-कार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि टोंक जिले के मालपुरा तहसील के एक बड़े कस्बे डिग्गी के अन्दर....

श्री अर्जुनलाल जीनगर : अध्यक्षजी, पूरी बात तो सुनिये आप ।

श्री अध्यक्ष : वह बात कह रहे है, यह क्या कह रहे हैं ?

श्री बनवारी लाल बैरवा : बात तो सुन लें मेरी । बात तो सुन लें ।

श्री अध्यक्ष : पहले उनको बात तो पूरी करने दें ।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मेरी बात तो सुन लो मैं क्या कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : उनकी बात तो पूरी करने दो ।

श्री बनवारी लाल बैरवा : लाखों लोगों की भावनाओं को आज आघात पहुंचा है । भावनाएं आहत हुई हैं । टोंक जिला एक तरह से आंदोलित हो रहा है । स्थिति बड़ी खराब हो रही है ।

श्री टीकमचन्द कान्त : हमारा भी नम्बर आने दो । नम्बर आने दो ।

श्री अध्यक्ष : बैठें आप । खतम करें आप ।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : बेड़च नदी के किनारे लाखों रुपये लगाकर के किसानों ने लिफ्ट इरिगेशन योजना लगा रखी है लेकिन पानी दूषित होने के कारण वह काम में नहीं लिया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : विराजिये ना आप । सभी बातें थोड़े ही होंगी । विराजें आप ।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : जिला कलक्टर को कहने ···(व्यवधान) जिला कलक्टर को कइ बार (व्यवधान) जिला कलक्टर भी उसके प्रति कोई (व्यवधान) मैं यह चाह रहा हूं कि इसके खिलाफ आप कोई कार्यवाही करें ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं अब आपको अलाउ नहीं करता। विराजिये आप।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : और हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को पाबंद करें कि इस प्रकार से पर्यावरण दूषित न हो और इस प्रदूषण को रोकने की व्यवस्था करें। मेरा आपसे यही अनुरोध है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, डिग्गी के अन्दर जो डकैती हुई है उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपका नम्बर आएगा तब न।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मेरी बात तो सुन लीजिये ने।

श्री अध्यक्ष : मैं सबको अपने नम्बर से नम्बर दे रहा हूं। अपने क्रमांक से सबको बुला रहा हूं। आप भी बोल देना।

श्री बनवारी लाल बैरवा : चूंकि यह ऐसा महत्वपूर्ण मामला है....

श्री अध्यक्ष : सबके महत्वपूर्ण हैं। कोई ऐसा विधायक नहीं है जो यह कहता है कि मेरा महत्वपूर्ण नहीं है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मेरी बात तो सुनिये आप। डकैटी हुई है, सशस्त्र डकैती हुई है और वहां मर्डर हुए हैं। लोग वहां घायल होकर अस्पताल में पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट बैठिये न आप।

श्री बनवारी लाल बैरवा : और प्रशासन अब बिलकुल निष्क्रिय होकर बैठा है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। विराजिये आप।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मान्यवर, रात को 8 बजे डिग्गी के अन्दर लोगों ने उन मुलजिम को पकड़ा, सरकार किसी को पकड़ नहीं पायी।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये न। विराजिये आप। गृह मंत्रीजी की बात सुन लें...

श्री बनवारी लाल बैरवा : कितने दिनों से यह सब सोच चल रहा था। आप स्टेटमेंट दे रहे हैं ? बहुत गम्भीर मामला है।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : इस विषय में आज वक्तव्य दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या हो गया है यह ? बैठिये आप। बैठिये आप। बाहर चले जाइये। यह क्या मजाक है ?

श्री बनवारी लाल बैरवा : यह बहुत गंभीर मामला था। इस गंभीर मामले में....

श्री अध्यक्ष : + + +

श्री रामस्वरूप मीणा : पिट रहे हैं, पिट रहे हैं हम भी।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। मैं कह रहा हूं। आपको चेतावनी दे रहा हूं। बैठ जाइये आप। यह क्या मजाक है? हर दफा खड़े हो जाते हो। आप कोई बात कह रहे हैं तो आप बोलने ही नहीं देंगे उनको। मैं आपको फिर कह रहा हूं, रामस्वरूपजी, जाते जाते मेरा और आपका ठीक नहीं रहे ऐसा मैं नहीं चाहता। विराजिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जाते जाते नही है। बैठे जाओ आप।

श्री अध्यक्ष : क्या हो गया है आपको? माननीय, आपने अभी गृह मंत्रीजी से सुना नहीं है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, लाखों रुपयों के जेवरात, लाखों रुपये के कीमती गहने वहां के आज जो रात को चुराएं हैं वह एक दिन की तो वारदात नहीं है। यह तो पता नही कितने दिनों की सोच है। कितने दिनों से वहां इस पर काम हो रहा था।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। आज आप बोल रहे हैं। यह कह रहें हैं। आपने पूरा सुना भी नहीं है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : लाखों लोगों की भावनाओं को आघात पहुंचा है, टोंक जिला पूरा आंदोलित है।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं। विराजिये आप। माननीय रिछपालजी। सबको मौका देते हैं। आप बार-बार खड़े हो जाते हैं। रामस्वरूपजी, मैं आपसे फिर रिकवेस्ट कर रहा हूं, आइन्दा नहीं बोलेंगे आप। हर मामले में आप सिद्धहस्त नहीं हो। सिद्धहस्त नहीं हो आप।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं करीब तीन महीने पहले नागौर मे एक....

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : इनको तो + + +

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : कोई बात कहने दोगे आप या नहीं कहने दोगे?

श्री अध्यक्ष : कृपया बोलने दें। टोका-टोकी नहीं करें।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ऐसी सनसनीखेज घटना हुई, गेंग रेप। जिसका

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

मुकदमा दर्ज हुआ 96/97, चुन्नी नाम की लड़की के साथ में करीब 19 लोगों ने बलात्कार किया। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से यह मांग करना चाहता हूं कि उस मुकदमे में ऐसे प्रभावशाली लोग हैं जिनके खिलाफ पूरे नागौर में आतंक है, उनके खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहता, न कोई उनकी बात करना चाहता। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से मांग करना चाहूंगा कि दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये और इस मुकदमे में जिन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है उनको बेनकाब किया जाए और जनता के सामने उनका असली मुखौटा रखा जाए। मैं आपके माध्यम से यही मांग करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : गोपीराम जी। कृपया विराज जाएं।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक इस प्रकरण के बारे में मेरे से मिले थे और माननीय विधायक के मिलने पर मैंने पुलिस को इस बारे में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश भी दे दिये थे। माननीय विधायक को यह बात मालूम होगी कि उसके बाद इसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं और गिरफ्तारियों के बाद मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी गुनहगार व्यक्ति बचने नहीं पाएगा, इस तरह के स्पष्ट निर्देश एस. पी., नागौर को दे दिये गये हैं। आप भी उस पर निगाह रख रहे हैं, मैं भी निगाह रख रहा हूं इसलिए कोई भी अपराधी बचने नहीं पाएगा।

श्री अध्यक्ष : गोपीराम जी।

श्री बनवारी लाल बैरवा : किसी के बारे में आज स्टेटमेंट हो रहा है क्या साहब ?

श्री अध्यक्ष : हां, आप विराजिये ना। गोपीराम जी।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन मंत्रीजी और उप मुख्य मंत्रीजी यहां विराज रहे हैं, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के निवारु और बोडतावाला गांव में किसानों की आठ सौ बीघा जमीन जो 1982 के अन्दर एक्वायर कर ली गयी थी और वह जमीन को एक्वायर करके आर्मी को फायरिंग रेंज के लिये दे दी गयी। उससे पहले आर्मी का फायरिंग रेंज विद्याधर नगर में था और विद्याधर नगर एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना बन गयी जहां पर आज चार हजार रुपये गज की जमीन बिक रही है। लेकिन वहां के किसानों को जिनकी 800 बीघा जमीन ली गयी थी, अब तक एक पैसे का मुआवजा नहीं दिया गया। जमीन के बदले जमीन नहीं दी गयी और वहां के किसान जो खेती करके अपने परिवार के साथ खुशहाली से जीवन बिता रहे थे वे आज दर-दर की ठोकरें खाने के लिये मजबूर होकर के फैक्ट्री एरिया में मजबूरी कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैंने जयपुर विकास प्राधिकरण से भी सम्पर्क किया था, क्योंकि जे. डी. ए. ने

(श्री गोपीराम जाट)

विद्याधर नगर फायरिंग रेंज की जमीन ली थी उसके बदले में वह जमीन जे डी. ए. को दी गयी थी। उसका मुआवजा जे. डी. ए. को देना था लेकिन जे. डी. ए के अधिकारियों से सम्पर्क करने के बाद में उन्होंने बताया कि उसका तो मुआवजा करोड़ों में है हम नहीं दे सकते। माननीय उप मुख्य मंत्री जी आप विराज रहे हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि या तो कोर्ट ने मुआवजे का जो फैसला तय किया है वह मुआवजा दिलाया जाए और यदि सरकार या जे. डी. ए. मुआवजा देने में असमर्थ है, तो किसानों की जमीन छोड़कर के किसानों को वापस दिलवायी जाए ताकि किसान जो मजदूरी करके बरबादी की ओर अग्रसर हो रहे हैं वे अपना जीवन यापन कर सकें।

श्री अध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव आपके सामने पेश किया। उसकी जानकारी आपने राज्य सरकार से मांगी है। कल विधान सभा स्थगित हो जाएगी।

झुंझुनूं जिले के अन्दर कोई भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है सिर्फ सेठ मोतीलाल कालेज एक महाविद्यालय है। उसके अन्दर राज्य सरकार की अनुमति से यूनिवर्सिटी की पूर्व परमीशन से विज्ञान की कक्षाएं चालू की गयी थीं और राज्य सरकार ने वादा किया था कि ग्राण्ट-इन-एड उनको दी जाएगी। अब उनको ग्राण्ट-इन-एड मन्जूर नहीं की तो मैनेजमेंट ने नोटिस दे दिया कि हम अगली जुलाई से विज्ञान की कक्षाएं बन्द कर रहे हैं। इससे भारी असंतोष विद्यार्थियों में और विद्यार्थियों के अभिभावकों में है। झुंझुनूं जिले में एकमात्र महाविद्यालय है और साइंस की कक्षाएं किसी भी महाविद्यालय के अन्दर झुंझुनूं डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। 15 लाख की पापुलेशन का जिला है। वहां झुंझुनूं के अलावा कहीं भी विज्ञान विषय पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी से मिला था तब उन्होंने मुझे वित्त मंत्री महोदय से मिलने के लिये कहा। मैं दोनों से मिल चुका हूं। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने सुना नहीं, उनका आश्वासन सकारात्मक था। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर सहानुभूति के साथ विचार करके, कृपया इस एक केस को पर्टीकुलर केस मानकर आप इसकी अनुमति प्रदान करें ताकि जुलाई से एक निश्चित व्यवस्था हो जाए। लड़के वहां पर एडमीशन लेना शुरू करें, क्योंकि मैनेजमेंट ने नोटिस निकालकर के कह दिया तो कोई वहां पर एडमीशन होगा नहीं। दूसरे लड़के जो सैकण्ड ईयर, थर्ड ईयर में हैं वो भी विचलित हो रहे हैं। आपके मार्फत प्रार्थना है कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

श्री अध्यक्ष : माननीय टीकमचन्द जी।

श्री टीकमचन्द कांत (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, होली की रात को सिवाना क्षेत्र के अंदर बरसात हुई और ओले पड़े। फलस्वरूप वहां का जो जीरा था, जिसे घोड़ा जीरा, ईसबगोल बोलते वह हैं पक कर

(92)

(श्री टीकमचन्द कांत)

तैयार हो चुका था। लगभग-लगभग फसल लेने की तैयारी किसान कर ही रहे थे कि वह सारी की सारी फसल इससे बरबाद हो गयी सिवाना क्षेत्र के अंदर ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार की फसल होती है। वहां के किसानों को इतना जबरदस्त नुकसान हुआ है कि शायद वह नुकसान की भरपाई में किसी भी रूप में असमर्थ हो जाएंगे। यहां तक कि बीज की कीमत भी चुकाना उनके लिये बड़ा भारी पड़ेगा। मेरा निवेदन यह है कि सरकार उस नुकसान का अंदाज भी लगाये और साथ ही साथ संभव हो तो उस क्षेत्र के किसानों को किसी न किसी रूप में कोई न कोई राहत प्रदान की जाए। इसके साथ ही मैं एक और निवेदन करूंगा कि अल्प अवधि के जो लोन हैं उनको इस बरबादी को देखते हुए राहत देने के तौर पर लंबी अवधि का भी किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके बाड़मेर जिले में यह तकलीफ है कि वहां अध्यापकों आदि की जहां कहीं भी मैरिट के आधार पर भर्ती होती है....

श्री अध्यक्ष : यह दूसरा विषय है। विराजें आप। एक बार में एक ही विषय लें। कल बोल लेना आप। एक बार में एक ही विषय।

श्री टीकमचन्द कांत : .... उसमें बाड़मेर जिले का नम्बर नहीं आता है। 70 प्रतिशत तक प्राप्त करने वाले बाहर के प्रत्याशी थे उनको तो अध्यापकों की नियुक्तियां मिल गयी हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजें। श्री परसादी लाल जी।

श्री टीकमचन्द कांत : 300 पद अभी खाली हैं। मैं चाहता हूं शेष बचे हुए लोगों को शीघ्रातिशीघ्र नियुक्तियां दी जाए ताकि बाड़मेर जिले का भी नम्बर आ सके, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : परसादीलाल जी।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, हमने 10 तारीख को हरिसिंह जी, शैलेन्द्र जी, जुबेर खान जी ने दौसा में वीडियोग्राफर कैलाश सैनी की हत्या के सम्बन्ध में एक एडजोर्नमेंट मोशन दिया था। आपने 10 तारीख को उसकी व्यवस्था के लिये सरकार को जानकारी के लिये भेजा और वह जानकारी शायद आपके पास अभी तक नहीं आयी। मेरा आपसे निवेदन है कि कल हाउस एडजोर्न हो जाएगा, ऐसे गंभीर मामले में जहां दौसा 3-4 बार बंद हो चुका है एक वीडियोग्राफर को रात को 8 बजे टेलीफोन करके बुलाया गया कि यहां कुछ वीडियोग्राफी करवानी है। उसको मोटर साइकिल पर लोग लेकर गये। रात को उसकी बाणगंगा नदी के किनारे हत्या करके उसकी लाश कुए में डाल दी। दो दिन बाद उसकी लाश को निकाला गया। उसको मुर्दाखाने में जब पहचान करके आये तो वहां से जिस टेलीफोन पर रामू नाम के व्यक्ति को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है और उसके जो तीन साथी, जिनके सरकारी वकील ने न्यायालय में नाम बताये हैं उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया है। उनमें अनिल बोहरा, के.सी. गोस्वामी और कैलाश नाम के तीन लड़के और चून्नू व

(श्री परसादीलाल मीणा)

मून्नू, 5 लड़कों के नाम आये हैं। सारे सरकारी पक्ष से सम्बन्धित लोग हैं और सरकारी पक्ष के लोग होने के कारण पुलिस उनको पूछताछ के लिये लाती है, वापस छोड़ दिया जाता है। इस तरह का जो खेल चल रहा है उससे पुलिस इन्वेस्टीगेशन ठीक तरह से नहीं हो रही राजनीतिक दबाव में। कैलाश सैनी की क्यों हत्या की गयी सारे अखबारों में यह छप चुका है। पता नहीं गृह मंत्री जी को या इनकी पुलिस को जिन लोगों के नाम सरकारी रिकार्ड में आ चुके, उन्हें भी गिरफ्तार गृह मंत्री जी आज तक आपने नहीं किया और राजनीतिक दबाव के चलते सारे सैनी समाज में दौसा जिले में इस तरह बहुत बड़ा जनाक्रोश है। वीडियोग्राफर की हत्या इसलिए की गयी कि रामू नाम का जो लड़का आपने गिरफ्तार किया है वह ब्ल्यू फिल्में बनाता था, आगरा रोड पर कोई अण्डर ग्राउंड हाल है उसमें रिकार्ड करते थे। रिकार्डिंग का काम वीडियोग्राफर कैलाश सैनी करता था। उस नेगेटिव को लेकर ही रामू और कैलाश में झगड़ा हुआ। बड़े-बड़े लोगों के, पूंजीपतियों के जो नाम बता रहा हूं वे बहुत बड़े घरों से सम्बन्धित हैं। उन्होंने उसको नेगेटिव लेने के लिये वहां बुलाया। उसने नेगेटिव देने से मना कर दिया। उसकी हत्या करके लाश कुए में डाल दी। उसके बाद कैलाश सैनी के घर पर जो चोरी हुई उसकी हत्या के बाद, उसमें सारी जो वीडियो कैसेट वगैरह थीं उनमें से जो भी उनके काम के नेगेटिव वगैरह थे उनको निकाला गया।

अध्यक्ष महोदय, हम चारों विधायकों ने, दौसा जिले के पूरे कार्यकर्ताओं ने दौसा में गांधी जी की मूर्ति के आगे बैठकर सुबह से लेकर शाम तक अनशन किया पर सरकार ने आज तक नोटिस नहीं लिया, न उसकी कोई जांच करवायी, न उसमें चालान पेश किये, न उन तीनों या पांच लोगों के चून्नू और मून्नू सहित, जिनके नाम आये उनमें से अब तक एक को भी गिरफ्तार नहीं किया। ऐसे हालात में गृह मंत्री महोदय आपकी पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि गृह मंत्री जी कल या आज इसमें पूरा स्टेटमेंट दें। जिन लोगों के नाम सरकारी रिकार्ड में आये हैं, रामू ने जिन लोगों के नाम बताये हैं क्या पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है या नहीं कर रही है? इस केस से सारे लोगों में दौसा जिले में जो जनाक्रोश बढ़ा है, जितना अपराधीकरण पिछले दो साल में बढ़ा है, चाहे वह साधू की हत्या हो, चाहे वहां पर मारा गया हो। जिस तरह का अपराधीकरण बढ़ा है। उससे सारे दौसा जिले के लोग चिंतित हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम सारे विधायक भी इन बातों को लेकर बार-बार कलक्टर, एस.पी. और डी.आई.जी. से मिलते रहते हैं पर गृह मंत्री जी को तो हमसे मिलने तक का भी टाइम नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज या कल इस पर आप स्टेटमेंट सरकार की तरफ से दिलायें और इसकी संपूर्ण जानकारी हाउस को दी जाए। जिसमे दौसा जिले में एक जो गम पैदा हो

(श्री परसादीलाल मीणा)

गया है। अनिल बोहरा भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, के.सी.गोस्वामी. भारतीय जनता पार्टी का आदमी है; कैलाश जो दूसरा है वह भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण दिया गया। इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गयी? इसके सम्बन्ध में पूरा स्टेटमेंट आप दिलायें। इसके अलावा मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इस पर स्टेटमेंट देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत ही गम्भीर प्रकरण की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है। आज ही नहीं, इस घटना के बारे में समय-समय पर वहां पर आंदोलन भी हुए हैं, धरने भी दिये हैं और मुझे एक बड़ा आश्चर्य हुआ कि विधायकों से मिलने के लिये गृह मंत्री के पास समय नहीं है। यह असत्य कथन है। जब भी जहां भी, जो भी विधायक, जिस स्थिति में भी, रात को भी, सवेरे भी आते हैं तो मैं उनकी बात सुनता हूं।

श्री परसादीलाल मीणा : सत्य है, असत्य नहीं है, सत्य है। हम आफिस में आते हैं तो कह दिया जाता है कि मीटिंग चल रही है, अभी नहीं मिलेंगे। हम तीन बार आये, तीनों बार मीटिंग चल रही थी, मना कर दिया गया।

श्री कैलाश मेघवाल : आप रात को मिल सकते थे।

श्री कुबेर खान : आपको रात में डिस्टर्ब नहीं करेंगे।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमें समय नहीं दिया गया। हमने समय मांगा, तो कहा बाहर गये हैं। समय मांगा तो समय नहीं दिया गया हमें। मैं, परसादीलालजी मीणा, महेन्द्र मीणा और हरिसिंहजी (महुआ) चारों विधायक गये थे।

श्री अध्यक्ष : पूरी बात होने दें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय में ऐसी बातें करके हल्का न किया जाए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में मैंने डी.आई.जी. साहब से भी चर्चा की है, इस विषय में मैंने एस. पी. साहब को भी स्पष्ट निर्देश दिये हैं और इस विषय में लगातार इस बात के प्रयत्न चल रहे हैं कि असली अपराधियों तक अनुसंधान एजेंसी पहुंचे। मुझे आश्चर्य यही है कि किसी को पार्टी के आधार पर सम्बन्धित करके....

श्री परसादीलाल मीणा : ये नाम हैं, ये नाम आये हैं, आपके सरकारी वकील ने मजिस्ट्रेट के सामने नाम दिये हैं उनको तो गिरफ्तार करो।

श्री कैलाश मेघवाल : नाम आये हैं, मैंने कल भी कहा, पूरी बात तो सुनिये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : विधायकों का घोर निरादर किया गया है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये महेन्द्रजी, विराजिये, आप बैठो।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आज भी कहना चाहता हूं कि नाम आये हैं, ये सारे नाम इन्वेस्टीगेटिंग एजेंसी को वे करने हैं, वे करने के बाद उनके खिलाफ क्या एवीडेंस है, किस तरह की है, क्या वास्तव में वे अपराधी हैं या नहीं हैं या उन पर जिस तरह आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दबाव से बचाया जा रहा है, इसको यों भी कहा जा सकता है कि राजनीतिक दबाव से उनको फंसाना चाहते हैं, अगर कहा जाए तो ऐसा थोड़े है....

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं ? क्या, जानकारी है आपके पास ?

श्री जुबेर खान : आप उन्हें गिरफ्तार कब तक करा देंगे ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप गलत कह रहे हैं, आपको शब्द वापस लेने चाहिए, माननीय मंत्री महोदय गलत कह रहे हैं आपको इस तरह कहकर आप अपनी मर्यादा भंग कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री महोदय, आपको + + + आनी चाहिए, आपको ये शब्द शोभा नहीं देते। इस तरह के अशोभनीय शब्दों को कहने के कारण आप निन्दा के पात्र हैं... (व्यवधान).... आपको + + + आनी चाहिए। आप विधायक गणों की कही बातों पर आप विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ब्ल्यू फिल्म गायब कराई है, एक ब्ल्यू फिल्म, जिसमें नंगी लड़की के चित्र थे, वे कहां गये ? जो ब्ल्यू फिल्म पकड़ी गयी, जिसमें लड़की के नंगे चित्र थे, वे कहां गये ? (व्यवधान) इस तरह आप जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, नंगे चित्र कहां गये ? जो ब्ल्यू फिल्म में चित्र थे, वे लड़की के नंगे चित्र कहां गए, मुझे यह बताइए आप ? (व्यवधान) आपने इस तरह की जानकारी बतायी है, आपको + + + आनी चाहिए। गृह मंत्री महोदय, आप सदन की गरिमा का ध्यान नहीं रख रहे हैं। आप असत्य बोलते हैं, आपने मना किया हमसे मिलने के लिये, आपने मना किया है। आप नहीं मिलना चाहते हमसे और आप इस तरह का सदन में असत्य बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह महुआ (महुआ) : इनके चालान आप कब तक पेश कर देंगे ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : दौसा जिले के प्रति आपका भिन्नतापूर्ण नजरिया है।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दौसा जिले का बहुत ही गम्भीर मामला है और पुलिस को सब मालूम है, नामजद रिपोर्ट है।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इन्होंने खुद ने करवाया है, ये षड्यंत्रकारी हैं, षड्यंत्र के पीछे इनका हाथ है, माननीय मंत्री महोदय, जो गुण्डा तत्व हैं और अपराधी हैं उनको बचा रहे हैं, आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। (व्यवधान) आप खुद अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, आपको +++ आनी चाहिए। आपने खुद ने कहा है कि गृह मंत्री होकर, +++ आनी चाहिए आपको। भारतीय जनता पार्टी के लोग सारे मुजरिम हैं, +++ आनी चाहिए आपको (व्यवधान)।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन वाद-विवाद का प्रांगण नहीं है। इससे सदन की गरिमा गिरती है। यह वाद-विवाद का प्रश्न नहीं है। (व्यवधान) प्रक्रिया और नियमों के तहत सदन को चलाने की कृपा करें। इस पर वाद-विवाद नहीं होना चाहिए और आपकी बिना इजाजत के जो....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह मैटर सी.बी.आई. को जाना चाहिए। आप कर क्या रहे थे ? हम आपसे मिलना चाहते थे।

श्री कैलाश मेघवाल : इस तरह के गम्भीर प्रकरण में हल्के-फुल्के ढग से आरोप लगा दिये जाते हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, आपने यह किससे जाकर कहा ? (व्यवधान) मैं सी.बी.आई. से भी जांच कराने को तैयार हूं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : वो नंगे चित्र कहां गए ? कहां गए नंगे चित्र लड़की के ?

श्री परसादीलाल मीणा : जिनके नाम आ गये उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो ? अपना आदमी फस रहा है, उसको गिरफ्तार नहीं करना है आपने खुद ने कहा है। डूब के मर जाओ।

श्री कैलाश मेघवाल : किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार नहीं बनाया जा सकता। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : मुल्जिम आपको क्या लगते हैं ?

(13.13)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय, आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है, श्रीमान् रामस्वरूपजी, कृपया विराजें, धैर्य रखें, माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी अधिकारियों का सपोर्ट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : जानबूझकर अपराधियों को बचाने की वकालत करते हैं। (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : धैर्य हम रखें और मंत्री महोदय जो मन में आये वह कहें।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : अपराधी खुले आम घूम रहे हैं और मंत्री महोदय बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : असंसदीय भाषा बोल रहे हैं ××× आनी चाहिए।

श्री परसादीलाल मीणा : यह वक्तव्य गृह मंत्रीजी का है।

श्री कुबेर लाल : अपराधियों को बचाने के लिए गृह मंत्री....(व्यवधान) शर्म की बात है, हमेशा इनका जवाब आता है अपराधियों को बचाने के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप विराज जाएं, विराजें। आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की हालत बहुत खराब है और ये सुने ही नहीं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, ये हमारी अपनी बात नहीं है। इनके लोक अभियोजक ने रामू का रिमाण्ड लेते समय, यह अदालत में कहा कि हमें रामू का पांच दिन का रिमाण्ड इसलिए चाहिए कि इसमें सह—अभियुक्त अनिल बोरा, कैलाश मीणा, और चुन्नू-मुन्नू और के.सी. गोस्वामी से पूछताछ करनी है। हमारी साधारण सी बात यह है कि आपके लोक अभियोजक ने जिन आधारों पर रिमाण्ड मांगा था और जिनको नामजद किया है अदालत में, उन अभियुक्तों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और वह इसलिए नहीं किया गया कि गृह मंत्रीजी, एस.पी. दौसा को आपने स्पष्ट निर्देश दिए थे, चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें, अब आप विराजें।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह असत्य है (व्यवधान) मैं पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री हरिसिंह (महुआ) : ×××

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, क्या आपने परमिशन दे दी ? ये मर्जी आये जो आरोप लगा रहे हैं।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(98)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो आप बोल रहे हैं, वह अंकित नहीं हो रहा है। माननीय गृह मंत्री महोदय।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज ही खुले रूप में इस बारे में माननीय विधायक राय करके बता दें कि तफ्तीश किससे चाहते हैं क्योंकि इसका कारण है, मैं डी आई.जी. को कह चुका — (व्यवधान)....

श्री परसादीलाल मीणा : सी. बी. आई. को।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुनें, माननीय सदस्य (व्यवधान) नो, इस तरह से नहीं चलने दिया जाएगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इस तरह से बहस नहीं होगी। ऐसे बहस नहीं होगी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हम सी. बी. आई. से जांच चाहते हैं, सी. बी. आई. से।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह सदन है, यह पवित्र सदन है, यह भी ध्यान रखें आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बैठाओ इनको।

श्री परसादीलाल मीणा : वे हमको पूछ रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप सुन लें माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस स्थिति के बारे में कोई आलोचना या टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता कि रिमाण्ड लेते समय क्या कहा गया। कहा गया होगा। कहे जाने के बाद अगर साक्ष्य एकत्रित नहीं हुए हैं तो शायद मुल्जिम नहीं बने हों, मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि यह यहां विषय नहीं है। मैं तो एक विषय पर, मुझे इस विषय का शुरू से ही मालूम है, शुरू से वहां पर आन्दोलन भी होते रहे हैं, दौसा बंद भी हुआ है, सरकार की भी चिंता है कि वास्तविक अपराधी सामने आये और इसलिए यहां पर एक दिन में हो सकता है कि डी. आई. जी. हमारे हैं, उनको मैंने इसमें निर्देश दिए, एस. पी. साहब हैं, उनको निर्देश दिए हैं, अभी वाले को भी और पहले वाले को भी, पहले इसमें दूसरे एस. पी. थे। उनसे मैंने कहा था कि इसमें निचोड़ निकालिए, अपराधियों तक पहुंचिए और उसके बाद एस. पी. बदल गये। इन एस. पी. साहब से भी मैंने निवेदन किया। अब इसमें माननीय विधायकों को डी. आई. जी. तक में संतोष नहीं है, मैं यह मानने को तैयार हूं, ये कहें जिस एजेंसी से सी.आई.डी. की टीम बनाएं, अफसरों के नाम ये बताएं, अपराधी सामने आने चाहिए लेकिन यह अनर्गल आरोप कि मैंने एस. पी. साहब को कहा है, यह बिल्कुल मिथ्या आरोप है, बर्दाश्त के बाहर है।

(श्री कैलाश मेघवाल)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे ऊपर ऐसे आरोप राजस्थान में नहीं लग सकते। मैंने आज तक किसी तरह के, कोई भी आदेश नहीं दिये हैं जिसमें मैंने पक्षपात करने की कोशिश की हो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को आप अपने चैम्बर में बुलाकर कहिए कि ये कैसी टीम चाहते हैं इसके लिये, आखिर कोई तो हल निकले। आज आपने एक विषय उठा है कि तफ्तीश ठीक नहीं हो रही है वीडियोग्राफर कैलाश सैनी के हत्यारे नहीं पकड़े जा रहे हैं। यहां तक तो हम सब एक हैं कि नहीं पकड़े जा रहे हैं, लेकिन पकड़े कैसे जाएं इसका हल निकालने को राज्य सरकार तैयार है और उस हल के लिए ठंडे दिमाग से आप अपने चैम्बर में बात करके जो टीम आप चाहते हैं मैं वह टीम बनाने को तैयार हूं, अफसर हो या पुलिस हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इसमें आरोप–प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। मैं बिलकुल खुले दिमाग से आपसे निवेदन कर रहा हूं यहां आरोप-प्रत्यारोप लगाने से कोई हल निकलने वाला नहीं है। हल यह निकलेगा कि आप प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को अपने चैम्बर में बुलाकर इनसे पूछिए कि ये कोई टीम चाहते हैं, वह टीम तफ्तीश के लिये नियुक्ति करने को राज्य सरकार तैयार है। इनसे पूछिये कि वे किसी डी. आई. जी. को चाहते हैं, किसी एस. पी. को चाहते हैं, किसके सुपरविजन में वे तफ्तीश कराना चाहते हैं उसके लिये मैं खुले दिल से तैयार हूं। इसलिए हल यही निकलेगा, बाकी यहां उन्होंने आरोप लगा दिया और मैंने उस बात को दूसरे ढंग से कह दिया। हमको अगर तर्क करना है तो कुतर्क भी आ जाते हैं। उससे कोई रास्ता नहीं निकलेगा। इसलिए माननीय विधायकों को बुलाकर आप बात करके, वे क्या चाहते हैं, किस एजेंसी से तफ्तीश चाहते हैं, टीम चाहते हैं तो टीम किस अफसर को चाहते हैं, मैं उसके लिये तैयार हूं।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट....

श्री उपाध्यक्ष : अब, मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं उठता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अब कोई प्रश्न नहीं उठता। यह चर्चा समाप्त हुई।

श्री परसादीलाल मीणा : गृह मंत्रीजी ने यह कहा है वो क्या चाहते हैं।.... (व्यवधान).... उपाध्यक्ष महोदय, यह चैम्बर का सवाल नहीं है, यह हाउस का सवाल है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री महादेव सिंह। श्री लक्ष्मणसिंह।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हाउस किसी के आरोप-प्रत्यारोप के लिए नहीं है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : चेम्बर में बात नहीं करेंगे हम। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : हाउस आरोप-प्रत्यारोप के लिये नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : हम हाउस में बात करेंगे । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मीना अग्रवाल। । (व्यवधान) श्रीमती मीना अग्रवाल । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही नियमों से चलती है, इस तरह से नहीं चलती । (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, आप चीफ व्हिप साहब को रोकिए । ये किस अधिकार के तहत बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : हम चेम्बर में चर्चा नहीं चाहते । (व्यवधान) हम कोई चेम्बर में नहीं जाएंगे । (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : मुख्य सचेतक महोदय, इससे आपकी छवि खराब होती है मैं तो आपका हितैषी हूं । (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस मामले की जांच सी.बी.आई से करायी जाए । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन ठीक चले, यह आवश्यक है । (व्यवधान) यह सदन चले, यह आवश्यक है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने चर्चा समाप्त कर दी । उसमें कोई चर्चा नहीं होगी । कृपया विराज जाएं । (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले की सी.बी.आई से जांच करवाइए । हम यही चाहते हैं । (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार को क्या ऐतराज है ? सरकार सी.बी.आई. से जांच क्यों नहीं कराती ?

श्री परसादीलाल मीणा : आप सी.बी.आई. से जांच क्यों नहीं कराते ? (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, कैलाश सैनी की हत्या का मामला बहुत गम्भीर प्रकृति का है । इससे पूरे प्रदेश के सैनी समाज के अन्दर रोष व्याप्त है । हम चाहते हैं सरकार इस मामले को सी.बी.आई. की जांच के लिए दे । (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह आपके आदेशों की अवहेलना है । आपकी आज्ञा के बिना क्यों बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : राजस्थान की पुलिस पर विश्वास नहीं है ? कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो आपका विश्वासपात्र हो ? आप चेम्बर में भी नहीं जाना चाहते, चेम्बर में जाने के बाद थोड़ा नहीं दबाएंगे यह आप विश्वास रखो ।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : माननीय सदस्य, मुझे बोलने का मौका मिला है। यह बहुत गम्भीर मसला है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : इससे पूरे प्रदेश के सैनी समाज में रोष है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : गृह मंत्री महोदय, आप सी.बी.आई. से इसकी जांच कराइए। अभी तक जो जांच है वह पक्षपाती जांच है। सी.बी.आई. से जांच कराइए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें। (व्यवधान) कृपया विराजें आप। एक मिनट विराजें। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, आपको पूरी हकीकत का पता है (व्यवधान) आप भी दौसा जिले से दूर नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें तो सही।

श्री परसादीलाल मीणा : आप चैम्बर की बजाय मेरी बात यहीं क्यों नहीं सुन लेते ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : भारतीय जनता पार्टी के जो मुल्जिम लोग हैं उनको बचाने का षड्यंत्र है। माननीय गृह मंत्री महोदय पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : कांग्रेस के राज में आप भी ऐसा ही करते थे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। एक मिनट। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, आप चीफ व्हिप साहब को ताड़ना दीजिए। ये बहुत बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं माननीय गृह मंत्री जी ने जो कुछ कहना था कह दिया और उन्होंने हाउस के अन्दर यह भी कहा है कि माननीय सदस्य जिससे तफ्तीश कराना चाहते हैं उससे तफ्तीश कराने को वे तैयार हैं। फिर क्या शेष रह गया है ?

श्री परसादीलाल मीणा : सी.बी.आई. से जांच हो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सी.बी.आई. से जांच हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप लोग चैम्बर में आ जाइए, अपन बात कर लेंगे। (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं आप मेरे चैम्बर में आ जाइए, अपन बातचीत कर लेंगे। (व्यवधान) कृपया विराजें।

श्रीमती मीना अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में बाल कोर्ट को हटाकर जयपुर लाया गया है। इसके कारण अभागे, लावारिस बच्चों को न्याय मिलने में बहुत ही समय लगेगा और जयपुर आने में परेशानी होगी।

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि कई वर्षों से यह बाल न्यायालय अलवर के अंदर था और यह हफ्ते में एक दिन लगता था। लंच से पहले लगता था, लंच के बाद वह अधिकारी अपनी कोर्ट में आकर अपना कार्य करता था। सरकार का इसमें कोई खर्चा नहीं आता था। ऐसे बच्चे, जो पैदा होते ही लावारिस हो जाते थे, उनको गोद लेने के लिये अभिभावक आएंगे उनको गोद लेने के लिए जयपुर आना पड़ेगा। इस बारे में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि आप यह कोर्ट वापस अलवर में ले जाएं। हफ्ते में एक दिन, आधा दिन बच्चों को न्याय मिलता था। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं वहां के वकीलों ने बहिष्कार भी किया है और आपको ज्ञापन भी दिया है। आप उसी जिले के हैं, विधान सभा के उपाध्यक्ष हैं। आप भी मेरा सहयोग करें कि यह बाल न्यायालय अलवर के अन्दर हो। यही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूं, धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें, आसन पैरों पर है आप विराज जाएं। ....(व्यवधान).... प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाए।

(नियम 295 के तहत प्राप्त सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अध्यक्ष महोदय ने जीरो आवर में बोलने के लिए स्वीकृति दी थी। आपके सामने टेबल पर स्लिप पड़ी हुई है। मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार हमारा मौका आया है और ये पढ़े हुए मान लिए। हमें भी मौका दीजिए। दो-दो मिनट लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी केवल पढ़ते ही उसको।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : कोई जवाब नहीं मिलता उस पर।

श्री उपाध्यक्ष : जो कुछ आपने लिखा है उसको आप केवल पढ़ते ही। ये पढ़े हुए मान लिये गये हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : पहली बार ही मौका आया है।

श्री उपाध्यक्ष : ये पढ़े हुए मान लिए गए हैं माननीय सदस्या।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने मुझे समय दिया था दो मिनट बोलने के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, दो-दो मिनट का टाइम है, ज्यादा लम्बा नहीं है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि यह तत्कालिक महत्व का नहीं है, लेकिन ब्यावर की जनता के लिए यह महत्वपूर्ण बिन्दु है । क्योंकि अगला सत्र बजट सत्र होगा, आज अंतिम दिन से पहला दिन है । इसलिए मैं सरकार से पुरजोर मांग करना चाहता हूं ब्यावर की जनता के साथ में यह सरकार अन्याय कर रही है ।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : यह मसला गत विधान सभा में भी उठा था और माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि बजट सत्र में ब्यावर को जिला बनाया जाएगा ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कुछ कह रहे हैं । आप विराजें ।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि ब्यावर की डेढ़ लाख की जनता है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से राजस्थान में तेरहवां नम्बर का शहर है, लेकिन पुरजोर मांग होने के बावजूद भी ब्यावर के साथ में राजस्थान की सरकार अन्याय कर रही है। ब्यावर के साथ में भीम, रायपुर, मसूदा और बदनोर को मिलाकर यह जिला बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने 1977 में वहां घोषणा की थी । मुख्य मंत्री जी, क्योंकि अपनी घोषणा को पूरा नहीं कर सके इसी कारण से मुख्य मंत्रीजी की उसके बाद में वहां जाने की हिम्मत नहीं हो रही है और पिछले सात साल के अन्दर मुख्य मंत्रीजी ने जगह-जगह पर जिले खोल दिए, लेकिन ब्यावर को जिला नहीं बनाया । इस कारण से उनको वहां पर हार का सामना करना पड़ा । वैसे तो यह भाजपा की सरकार अजमेर जिले के साथ अन्याय कर रही है, अजमेर जिले के वहां से कई आफिसेज शिफ्ट कर दिये हैं लेकिन अब वहां की जनता ब्यावर और अजमेर के साथ अन्याय सहन नहीं करेगी इसलिए अगले बजट में कृपया आप ब्यावर को जिला बनाने की घोषणा करें ।

श्री उगमराज मेहता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर का मामला है इसलिए एक मिनट मैं कहूंगा । इसके लिए हमने कई बार प्रयास किया है । (व्यवधान) माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ब्यावर को जिला बनाने का आश्वासन दे चुके हैं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई वाद-विवाद नहीं होगा माननीय सदस्य । इस पर वाद-विवाद नहीं होगा । (व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता : अभी आश्वासन दिया है । (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी जीरो आवर में बोलने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय को पर्ची दे रखी थी । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप विराजें । वाद-विवाद नहीं होगा माननीय सदस्य । (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी जीरो प्रावर में बोलने की पर्ची दे रखी थी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हरिशंकर भाभड़ा, उप मुख्य मंत्री एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट बोलने का अवसर दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे आज्ञा दी थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान....(व्यवधान)

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

अधिसूचनाएं

वित्त विभाग

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 72 दिनांक 10-11-97 जिसके द्वारा राजस्थान बाट और माप मानक (प्रवर्तन) नियम, 1997 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल, खनिज मंत्री, खनिज विभाग की चार अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे। (व्यवधान) मैं बहुत आगे चला गया, अब आप विराज जाएं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं बहुत आगे चला गया, अब आप विराज जाएं। (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): व्यवस्था हो चुकी है कि गृह मंत्रीजी स्टेटमेंट देंगे। अजमेर के सन्दर्भ में देंगे जीरो आवर के बाद में।

श्री बनवारी लाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्षजी ने मुझे दो मिनट बोलने का अवसर देने का कहा था। कृपया मुझे बोलने का अवसर दिया जाए। दो मिनट बोलने की बात है। धौलपुर का मजदूरों का सवाल है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : किस मामले के बारे में बोल रहे हैं ?

श्री बनवारी लाल शर्मा : धौलपुर की बारूद फैक्टरी के मजदूरों को हटा दिया गया है, फैक्टरी बन्द कर रहे हैं। उस सम्बन्ध में दो मिनट बोलने के लिये। (व्यवधान)

खनिज विभाग

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खनिज विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या प. 14(4)खान/2/96/पार्ट-II दिनांक 21-1-1998 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-5-1995 में वर्णित जिलों में जिला करौली को सम्मिलित किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या प. 3 (162) खान/ग्रुप-2/83 दिनांक 18-2-98 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 जून, 1994 में संशोधन किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या प. 15 (3) खान/ग्रु.प-2/96 दिनांक 19-2-98 जिसके

(श्री कैलाश मेघवाल)

द्वारा स्वतः अधिशुल्क के निर्धारण योजना लागू की गयी है; एवं

(4) अधिसूचना संख्या प. 7 (17) खान/ग्रुप-2/97/130 दिनांक 5-3-98, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 3 (49) खान/2/85 दिनांक 1-4-91 में संशोधन किया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जसवन्त सिंह विश्नोई, अल्प बचत एवं राज्य लाटरी राज्य मंत्री, राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे ।

प्रतिवेदन

राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन (1996-97)

श्री जसवंत सिंह विश्नोई (राज्य मंत्री, अल्प बचत एवं राज्य लाटरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी के आर्टिकल ऑफ ऐसोसिएशन की धारा 114 के अन्तर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन, 1996-97 सदन की मेज पर रखता हूं ।

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1988-89, 89-90, 90-91, 91-92, 92-93, 93-94 एवं 95-96

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, उच्च शिक्षा मंत्री, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : पाइंट ऑफ आर्डर, सर । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चतुर्वेदीजी जो सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन रख रहे हैं वे 1988 से 1989, 1989 से 1990, 1990 से 1991, 1991 से 1992, 1992 से 1993, 1993 से 1994, 1994 से 1995, 1995 से 1996 के रख रहे हैं । 1988 से लेकर अब तक 10 साल पुराने प्रतिवेदनों को अब रख रहे हैं । आप पहले अजमेर विश्वविद्यालय के प्रतिवेदन भी 8-10 साल के पहले रखे थे....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : तीन साल के रखे हैं ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : रखे हैं । आपने 10 साल पुराने रखे थे और अब आप फिर रख रहे हैं 10 साल पहले के । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अब इसका मतलब यह हुआ कि विश्वविद्यालयों के प्रतिवेदन हर वर्ष तैयार नहीं होते हैं और तैयार होते हैं तो इस सदन को इस प्रकार लाइटली लिया जा रहा है कि उसमें रखना पसन्द नहीं करते । जब तक कि मंत्री महोदय यह नहीं बतायें कि इसके विलम्ब का क्या कारण है, कौन इसमें जिम्मेदार है, उन जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ आप क्या एक्शन लेना चाहते हैं, जब तक सदन को सन्तुष्ट नहीं करें तब तक आपको इस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिए ।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इसका कारण स्पष्ट है कि राज्य सरकार का विश्वविद्यालयों पर कोई नियंत्रण नहीं है और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री का तो कोई नियंत्रण है ही नहीं। यह तो हमने पिछली बार यहां बहस के दौरान देख लिया था जब राजस्थान विश्वविद्यालय की अव्यवस्था को लेकर के स्थगन प्रस्ताव हमारा था और उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के बोले थे। माननीय मंत्री महोदय ने कोई सार्थक जवाब नहीं दिया। जवाब यह दिया कि आप लोगों की जो बहस है, जो विचार आपके आये हैं वह माननीय राज्यपाल महोदय को, जो इसके चांसलर हैं, अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रेषित कर दूंगा, पेश कर दूंगा। यह जवाब उन्होंने दिया था। राज्य सरकार जिस विश्वविद्यालय के बारे में, जिसकी अव्यवस्था के बारे में यहां चर्चा हुई, जिसकी अव्यवस्था के बारे में अखबारों में आया कि पैसे लेकर के, धन लेकर के किस-किस तरह से नम्बर बढ़ा दिये, किस तरह से फर्जी सर्टिफिकेट आ गये, कैसे पकड़े गये, कितने स्केण्डल्स हुए, उस विश्वविद्यालय की बहस के बाद में माननीय मंत्रीजी का यह जवाब था तो आज मंत्री महोदय का क्या नियंत्रण है विश्वविद्यालयों पर ? कोई नियंत्रण नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय का वी सी. इनको कोई उत्तर नहीं देता, इनका सचिव है इनको उत्तर नहीं देता था, उनके सचिव उत्तर लेने के लिये जाते थे उनको उत्तर नहीं मिलता था। यह तो दयनीय स्थिति है....

श्री उपाध्यक्ष : आप सदन में प्रतिवेदन तो रखने दीजिये। श्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : चतुर्वेदी जी, आप रखने के पहले यह बताइये कि आपको यह प्रतिवेदन कब मिले, राज्य सरकार को कब मिले, कितनी देरी से मिले और उस देरी से मिलने के कारण आपने किनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की या अब क्या करने जा रहे हैं ? यह साथ में बताइये आप।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने देरी से रखने की जो बात कही है उससे मेरी सहमति है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार लगातार, दो विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनकी यहां रिपोर्ट रखी जाती है, एक अजमेर विश्वविद्यालय और एक उदयपुर विश्वविद्यालय, अजमेर विश्वविद्यालय की रिपोर्ट ठीक समय पर ठीक रूप से रखी जाती रही है। पिछले वर्ष में 1994-95 का प्रतिवेदन मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने हमको प्रेषित किया जनवरी, 1997 में। उससे पहले लगातार हम उनसे कहते रहे कि यह सारे प्रतिवेदन हमारे पास भेजो ताकि सदन के पटल पर इनको रखकर माननीय सदस्यों को उससे अवगत कराया जाए और उस लगातार आग्रह के कारण से 1994-95 का प्रतिवेदन उन्होंने जनवरी, 1997 में हमारे पास भेजा जिसको हमने 19 मार्च, 1997 को सदन के पटल पर

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

रखा और रखने के बाद हमने उनसे कहा कि एक साल का क्या भेजा है, हमारे यहां तो आपके ड्यूज निकल रहे हैं लगातार पिछले 1988 से लेकर के। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 1988, 1989 और 1990 में कहां थे, क्या था, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता और इसलिए कोई हम पर निर्भर नहीं है। लगातार हमारा प्रेशर हुआ इसलिए केवल एक साल का 1994-95 का प्रतिवेदन उन्होंने गत वर्ष दिया जिसको हमने रखा। किन्तु हम आग्रह करते रहे। इसलिए इस बार उन्होंने 1995-96 का और जो पुराने 1988 से लेकर के थे, वे सारे भेजे हैं, जो 15 दिन पहले भेजे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे तो 1994-95 का एक वर्ष पहले हमने रख दिया था, 1995-96 का ही एक वर्ष का इससे पहले रखना था, किन्तु पुरानों का जो लगातार आग्रह था उसके कारण हम उनको निकाल ले आये। हम तो दोषी हैं ही और मुझे खेद है इस बात का, किन्तु दोष 1988 से चला है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, हां, मेरी आपके साथ सहमति भी है, जहां तक एकेडेमिक बात है, मेरा फिर भी मत है कि स्वायत्तता एकेडेमिक दृष्टि से राज्य सरकारों को विश्वविद्यालयों के काम-काज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक बात को पूरी करने के लिए दूसरी बात को खराब किया जाए, यह किसी तरह से उचित नहीं है। हां, इसमें मेरी सहमति है और शनैः-शनैः पिछले 7 महीने में, 8 महीने में उस आग्रह के कारण लगातार विश्वविद्यालय के कामों में प्रशासनिक दृष्टि से सुधार आ रहा है और इसीलिए उस देरी के लिये खेद प्रकट करते हुए, इसमें केवल दोषी मैं नहीं हूं, कौन-कौन दोषी हैं 1988 से, उसका आप विचार कर लें। किन्तु पिछली बार जो एक वर्ष का प्रतिवेदन रखा गया उसके कारण हमने आग्रह किया तो पुराने ले आये और एक वर्ष पहले भी का ले आये। इसलिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि इस उत्तर के द्वारा मुझे इसको रखने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन जुलाई, 1988 से जून, 1989, जुलाई, 1989 से जून, 1990, जुलाई, 1990 से जून, 1991, जुलाई, 1991 से जून, 1992, जुलाई, 1992 से जून, 1993, जुलाई, 1993 से जून, 1994 और एक साल का पिछली बार रख दिया एव जुलाई, 1995 से जून, 1996, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस का शासन जब तक रहा, बराबर प्रतिवेदन मिलते रहे। 1988-89 का एक साल का ही हुआ ....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 1988-89 और 1989-90, दो साल। क्षमा

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

करेंगे। हां, तो इसलिए कह रहा हूं कि आदत पड़ी हुई थी, इसको ठीक किया।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : दो साल मान लो लेकिन आपके राज में तो छह साल तक पोल रही। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीखा भाई, सदस्य, विधान सभा, एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

याचिका का उपस्थापन

झोटवाड़ा (जयपुर) क्षेत्र में सड़क निर्माण

श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर के झोटवाड़ा क्षेत्र के अग्रसेन नगर में सड़क निर्माण बाबत एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल, खनिज मंत्री, खनिज विभाग की चार अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : वह तो रख दी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रख दी। श्री कैलाश मेघवाल, खनिज मंत्री, राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 50 वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

प्रतिवेदन

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 50 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम 1956 की धारा 619ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 50 वां वार्षिक प्रतिवेदन, 1996-97 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा; सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, 1997-98 समिति के 14 प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

समिति का प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति 1997-98 के 44 से 59 वां प्रतिवेदन

श्री परसराम मदेरणा (सभापति, राजकीय उपक्रम समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति, 1997-98 के निम्नांकित 14 प्रतिवेदन इस सदन में उपस्थापित करता हूं :—

(1) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1983-84) से सम्बन्धित दसवीं विधान सभा के 32वें प्रतिवेदन में समाविष्ट

(श्री परसराम मदेरणा)

सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर समिति का 44वां प्रतिवेदन;

(2) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1977-78) से सम्बन्धित दसवीं विधान सभा के 7वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर समिति का 45वां प्रतिवेदन;

(3) राजस्थान राज्य टैनरीज लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1979-80) राजकीय उपक्रम समिति, 1994-95 (दसवी विधान सभा) प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर समिति का 46वां प्रतिवेदन;

(4) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1978-79) से सम्बन्धित दसवीं विधान सभा के 23वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर समिति का 47वां प्रतिवेदन;

(5) राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1982-83) से संबंधित दसवीं विधान सभा के 12वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर समिति का 48वां प्रतिवेदन;

(6) राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1982-83) से सम्बन्धित दसवीं विधान सभा के 24वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर समिति का 49वां प्रतिवेदन;

(7) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1979-80) से सम्बन्धित दसवीं विधान सभा के 19वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर समिति का 50वां प्रतिवेदन;

(8) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1982-83) से सम्बन्धित दसवीं विधान सभा के 22वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर समिति का 51वां प्रतिवेदन;

(9) गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1979-80) से संबंधित दसवीं विधान सभा के 25वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर समिति का 52वां प्रतिवेदन;

(10) हाई–टेक प्रेसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1974-75) से सम्बन्धित दसवीं विधान सभा के 5वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर समिति का 53वां प्रतिवेदन;

(11) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1980-81) से सम्बन्धित दसवीं विधान सभा के चतुर्थ

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर समिति का 54वां प्रतिवेदन;

(12) राजस्थान राज्य औद्योगिक तथा खनिज निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1976-77) से सम्बन्धित दसवीं विधान सभा के 21वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर समिति का 55वां प्रतिवेदन;

(13) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1980-81) से सम्बन्धित दसवीं विधान सभा के 18वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर समिति का 57वां प्रतिवेदन; एवं

(14) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1983-84) से सम्बन्धित दसवीं विधान सभा के तृतीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर समिति का 59वां प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा, सभापति, प्राक्कलन समिति "ख" 1997-98 समिति का एक प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगी।

प्राक्कलन समिति "ख" 1997-98 का 13वां प्रतिवेदन

श्रीमती उजला अरोड़ा (सभापति, प्राक्कलन समिति "ख") : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि विभाग से सम्बन्धित दशम् प्रतिवेदन (तुम्बे व मतीरों की खेती पर विशेष प्रतिवेदन) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का 13वां प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ, सभापति, याचिका समिति 1997-98 समिति का एक प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे। (अनुपस्थित)

श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, 1997-98 समिति का एक प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगी।

महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, 1997-98 का चतुर्थ प्रतिवेदन

श्रीमती तारा भण्डारी (सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, 1997-98 का चतुर्थ प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य। श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, प्रभारी मंत्री, राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यादेश को जारी करने के कारणों का विवरण

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट ग्राफ ग्राडंर। वैसे तो ग्रभी अभी चर्चा हुई यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में ग्रौर माननीय मंत्रीजी ने खेद प्रकट किया। एक और उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा कि किस प्रकार से यह सरकार लेजिस्लेटिव बिजनेस को बहुत लाइटली लेती है ग्रौर किस प्रकार से यह ग्रक्षम सिद्ध होती जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय..

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपस्थापित करने तो दीजिये। इससे पहले थोड़ी ही है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : नहीं, उपस्थापित करने से पहले का आब्जेक्शन है। रूल 63 पढ़ लीजिए ग्राप जिसको ग्राप कोट कर रहे हैं यहां पर, जिसके ग्रन्तर्गत ग्राप यह प्रस्तुत कर रहे हैं। रूल 63 में यह कहा गया है :—

"Rule 63(1) Whenever a Bill seeking to replace an Ordinance with or without modification is introduced in the House, there shall be placed before the House along with the Bill a statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by Ordinace."

ग्रब, उपाध्यक्ष महोदय, 3–4 बिन्दु महत्वपूर्ण है। पहली चीज तो यह है कि सबसे पहले यह ग्रार्डिनेंस सरकार लेकर ग्राई थी 27-12-96 को 27-12-96 को ग्रार्डिनेंस लेकर ग्राने के बाद में विधान सभा में छह महीने के ग्रन्दर इसको ग्रार्डिनेंस रेक्टिफाई करवाना चाहिए था ग्रौर इसका इनको बिल लेकर ग्राना चाहिए था। बजट सेशन निकल गया, यह सरकार सोती रही ग्रौर सरकार ने कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया। उसके बाद में वापस इन्होंने 1997 के ग्रन्दर पुनः इसी ग्रार्डिनेंस को गवर्नर महोदय के पास में भेजा, इस शक्ति का दुरुपयोग किया ग्रौर यह ग्रार्डिनेंस वापस इन्होंने जारी करवाया। इस ग्रार्डिनेंस को जारी करवाने के बाद में वापस ग्रक्टूबर के ग्रन्दर, एक सेशन निकल गया ग्रौर उस सेशन के ग्रन्दर इस सरकार ने इस ग्रार्डिनेंस को विधान सभा के सामने प्रस्तुत नहीं किया ग्रौर आर्डिनेंस को प्रस्तुत नहीं करके ग्रब यह इतनी देरी से विधान सभा के सामने लेकर ग्रा रही है इसलिए यह सरकार पूरी तरह से ग्रसफल हुई है। इसलिए लेजिस्लेटिव बिजनेस को प्रोपरली कंडक्ट करवाने के सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्रीजी से एक्सप्लेनेशन चाहूंगा कि पहले तो वह बतायें कि यह 27-12-96 को आर्डिनेंस लाये थे, उसके सक्सिडिंग सेशन के ग्रन्दर उन्होंने विधान सभा के सामने इस ग्रार्डिनेंस को कानून बनाने के लिये प्रस्तुत क्यों नहीं किया ? उसके बाद में दूसरी चीज जानना चाहूंगा कि छह माह तक ग्रार्डिनेंस वेलिड होता है। दूसरी बार इन्होंने गवर्नर महोदय से जब ग्रार्डिनेंस निकलवाया तो वह कौनसी तारीख में था ? उपाध्यक्ष महोदय,

(112)

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

यह जो स्टेटमेंट ग्राफ आब्जेक्शंस एण्ड रीजंस है, इसको अगर आप बारीकी से पढ़ें तो पाएंगे कि चतुराई से माननीय मंत्रीजी ने पहली बार ग्रार्डिनेंस को निकलने की तारीख तो बता दी है, 27-12-1996 लेकिन दूसरी बार जब ग्रार्डिनेंस को प्रोमलगेट किया है, उसकी तारीख चतुराई मे ये छिपा गये हैं। यह विधान सभा को बाई पास करवाने का तरीका है। ग्राप ग्रपनी कमजोरी को छिपाना चाहते हैं तो उसका यह कारण नहीं हो सकता है कि ग्राप ये स्टेटमेंट ग्राफ ग्राब्जेक्शंस एण्ड रीजंस के ग्रन्दर सही तथ्यों को प्रस्तुत नहीं करें। यह क्या कारण था कि दोनों ग्रार्डिनेंसेज के बीच में गैप रहा ग्रौर ग्रार्डिनेंसेज के बीच में गैप रहा तो फिर उस दौरान इस विषय से सम्बन्धित जो भी बिन्दु थे जो भी समस्याएं थी उनका क्या हुग्रा ? इसलिए इस विषय के ऊपर भी माननीय मंत्रीजी एक्सप्लेन करें।

तीसरा कारण उन्होंने बताया है कि डिलीशन ग्राफ शिड्यूल, स्टेटमेंट आफ ग्राब्जेक्शन एण्ड रीजंस में दूसरा है सब्स्टीट्यूसन आफ सेक्शन 11, तो यह कोई ऐसा कारण नहीं है जिनके कारण से कि ग्राप एक बार ग्रार्डिनेंस लेकर ग्राये, दूसरी बार ग्रार्डिनेंस लेकर ग्राये, क्योंकि इस रूल 63 के ग्रन्दर स्पष्ट दिया गया है कि "statement explaining the circumstances which had necessitated...."

यानि इतना क्या ग्रावश्यक था कि इमिजिएटली ग्रापको ग्रार्डिनेंस पर ग्रार्डिनेंस निकालना पड़े ? इस शिड्यूल को डिलीट करने के लिये कोई ग्रार्डिनेंस को बार-बार निकलने की जरूरत नहीं पड़ती है। उससे कहीं पर भी कोई काम बिगड़ने वाला नहीं था ग्रौर न ही यह सब्स्टीट्यूशन ग्राफ सेक्शन 11 में इसकी कहीं पर ग्रावश्यकता थी कि दो बार यह ग्रार्डिनेंस निकाला जाता। मंत्रीजी, कृपया मेरे तीन स्पष्ट प्रश्नों के जवाब दीजिये कि क्यों ग्रापके ग्रार्डिनेंसेज में गैप था, क्यों ग्रापने इन कारणों से ये ग्रार्डिनेंस निकाले ग्रौर क्यों ग्रापके बजट के दो सब्सिडिंग सेशन्स होते हुए भी विधान सभा के सामने इन ग्रार्डिनेंसेज को नहीं प्रस्तुत किया ग्रौर इस प्रकार से इस विधान सभा की ग्रनदेखी की, एक तरह से लेजिस्लेटिव बिजनेस में ग्रापने ब्लंडर की है ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1996 का ग्रार्डिनेंस है, उसको ग्रापने बिल से रिप्लेस नहीं करवाया। ग्रार्टिकल 213 में इस बात का प्रावधान है कि यह सदन किसी भी मोशन के ऊपर उस ग्रार्डिनेंस को आउट राइट रिजेक्ट भी कर सकता है। ग्रसेम्बली का सेशन हुग्रा ग्रौर ग्रसेम्बली का सेशन होने के बाद में जो ग्रापको ग्रार्डिनेंस बिल लाना चाहिए था वह ग्राप लाये नहीं, यह लेप्स रहा गवर्नमेंट के पार्ट पर। जब यह लेप्स रहा तो उसी ग्रार्डिनेंस को ग्रापने दुबारा प्रोमलगेट किया। होना वह ग्रार्डिनेंस, क्योंकि पहले वाला ग्रार्डिनेंस बिल से रिप्लेस नहीं हुग्रा ग्रौर वह ग्रधिनियम नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)

बन सका। उस पर आप दुबारा जब लाये तो क्या पहला आर्डिनेंस और दूसरा आर्डिनेंस एक ही तरीके का आर्डिनेंस है ? इन दोनों के बीच में जब गेप हो गया तो उस समय आपने कवर–अप करने के लिये शायद एक सेमीक्लाज डाला होगा लेकिन यह बात सही है कि आपने सदन के अन्दर इसको बिल से रिप्लेस नहीं करवाया पहले आर्डिनेंस को इसलिए आप यह दूसरा आर्डिनेंस लाये हैं, यह गवर्नमेंट के पार्ट के ऊपर लेप्स है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता और भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस विषय को उठाया है, उस विषय के बारे में मेरा यह कहना है कि राज्य सरकार के स्तर पर इसमें किसी भी प्रकार की खामी नहीं रही है और मैं इस बात को साबित करने के लिये कुछ तथ्य आपके माध्यम से माननीय सदस्य महोदयों के समक्ष रखना चाहता हूं। मेरा कहना है कि केवल 1996 का नहीं, मैं तो इसके पहले की बात करना चाहता हूं, जब कैरियर एडवांसमेंट योजना बन गयी विश्वविद्यालय के मार्फत, तो यह कैडर प्रमोशन योजना बेकार हो गयी और यू.जी.सी. के मार्ग निर्देशानुसार हमको इसको समाप्त करना था। उस दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1-1-86 से, केवल 1996 से नहीं, क्योंकि मैं उसकी बात करूंगा आर्डिनेंस की और विधेयक की, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी कि 1-1-1986 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नवीन वेतनमान लागू कर दिये गये, इन वेतनमानों की विभिन्न शर्तों के अन्तर्गत तीन स्तरों के पदों पर केवल सीधी भर्ती का प्रावधान रखा गया, परन्तु लेक्चरर पद से रीडर के समकक्ष पद पर वेतनमान पाने हेतु एक नयी कैरियर एडवांसमेंट योजना का प्रावधान यू.जी.सी. ने किया और इस नाते से यह जो हमारे यहां कैडर प्रमोशन योजना थी वह रिडन्डेन्ट हो गयी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, राज्य सरकार द्वारा यह वेतनमान एवं तद्नुसार कैरियल एडवांसमेंट योजना लागू करने का निर्णय मार्च, 1988 में लिया गया था तथा उसके अनुसरण में आदेश दिनांक 3-6-1988 को प्रसारित किये गये। उक्त वेतनमान लागू करने का निर्णय लेते समय जो मंत्रिमण्डल उस समय था उसने यह आज्ञा प्रदान की कि पूर्व प्रचलित एक्स कैडर योजना को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि दो प्रमोशन योजना एक साथ नहीं चल सकती और इस हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम में वांछित संशोधन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाए। मंत्रिमण्डल की उक्त आज्ञा के अनुसरण में विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन हेतु एक अध्यादेश का प्रारूप मंत्रिमण्डल द्वारा 20-8-92 को अनुमोदित किया गया। 1996 नहीं, भीम से आने वाले माननीय सदस्य को मैं निवेदन करना चाहता हूं, ज्यादा एक्सप्लेन तो करूंगा मैं....

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : 1996 आपके इसमें छपा हुआ है, मुझे तो मालूम नहीं, आपके पास क्या है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : करूंगा उसको करूंगा। विराजे, एक बार सुनें। विराजें तो सही। इसलिए बता रहा हूं उस फैक्ट्स को। साथ ही मंत्रिमण्डल ने इसे विधेयक में परिवर्तन करते हुए विधान सभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया। उक्त निर्णय के थोड़े समय बाद ही, विधेयक तो आ-गया था, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, अतः वांछित विधेयक विधान सभा में प्रस्तुत किया जाना सम्भव नहीं हुआ। वर्ष 1994 में इस प्रकरण में पुनः कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। इस दौरान विभाग के सम्मुख यह प्रश्न उठा कि इस योजना को क्या भूतलक्षी प्रभाव से विलोपित किया जा सकता है अथवा नहीं। इस बारे में महाधिवक्ता महोदय से राय मांगी गयी जो विभाग को अक्टूबर, 1995 में प्राप्त हुई। महाधिवक्ता महोदय ने यह राय व्यक्त की कि यह योजना भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त नहीं की जा सकती है तथा इसे भविष्यलक्षी प्रभाव से ही समाप्त किया जाना चाहिए।

महाधिवक्ता महोदय से प्राप्त राय के अनुसार इस विभाग द्वारा मंत्रिमण्डल के अनुमोदनार्थ संशोधन अध्यादेश का प्रारूप तैयार किया गया जिस पर मंत्रिमण्डल का अनुमोदन दिसम्बर, 1996 में हुआ, दुबारा उसके बाद। इस अनुमोदन के आधार पर दिनांक 27-12-96 को ऐक्स कैडर योजना समाप्ति हेतु महामहिम राज्यपाल द्वारा राजस्थान के विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन हेतु अध्यादेश प्रसारित किया गया ठीक कह रहे हैं आप कि छह महीने में होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि वर्ष 1988 से 31-12-95 तक एक्स कैडर योजना के अन्तर्गत, उक्त आदेश को विधेयक में परिवर्तित करने हेतु और विधान सभा में विधेयक प्रस्तुत करने हेतु मंत्रिमण्डल की स्वीकृति 21-1-1997 को प्राप्त हो गयी, परन्तु विधान सभा का सत्र स्थगित हो जाने के कारण, आप उन दिनों की डेट्स देखेंगे कि जिस प्रकार की बात हुई थी बीच में ही विधान सभा का सत्र स्थगित हो गया, यह विधेयक विधान सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। यह मेरा आपसे निवेदन है, जिसकी चर्चा आपने की है।

इसी संदर्भ में उक्त योजना को समाप्ति हेतु पुनः अध्यादेश प्रसारित करने हेतु मंत्रिमण्डल के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। मंत्रिमण्डल ने दिनांक 18-3-1997 को अध्यादेश के स्थान पर विधेयक प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान की, क्योंकि तुरन्त अधिवेशन आने वाला था। तत्पश्चात् मई, 1997 में विधान सभा का सत्रावसान एकदम हो गया। यह विधेयक पुनः विधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसी पृष्ठभूमि में इस प्रकरण को अध्यादेश के द्वारा प्रभावी बनाने के लिए मंत्रिमण्डल की अनुमति पुनः 12-8-1997 को प्राप्त हुई और इसकी क्रियान्विति में महामहिम महोदय द्वारा दिनांक 15-10-97 को अध्यादेश प्रसारित किया गया जिसको बिल के रूप में लेकर अभी मैं विधान सभा के समक्ष आया हूं।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

चाहूंगा माननीय सदस्य महोदय को, कि जिस प्रकार की हालात उन दिनों सत्रों की हुई थी उनके कारण यह स्थिति पैदा हुई। अब यह कहा जाता है, प्रश्न तो यह है कि यह योजना चलती रहती तो यू.जी.सी. के जो डायरेक्शंस हैं उनका नेगेशन होता, उनके अनुसार चलना नहीं होता। दोनों प्रकार के प्रमोशन चलते रहते। इसीलिए अध्यादेश लाना आवश्यक हुआ। छह महीने में हम विधान सभा में लाना चाहते थे किंतु सत्रावसान होने के बाद, शोरगुल होने के कारण बीच में विधान सभा का सत्र समाप्त हो जाने के कारण इस प्रक्रिया को अपनाना पड़ा। इसीलिए आज पुनः आपके समक्ष आपकी कृपा बनाते हुए इस विधेयक को पास करने के लिए मैं आपके समक्ष लाया हूं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : पुर.स्थापित करिये आप।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : दो मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, आपने कुछ बातें बतायी हैं। देखिये, लेजिस्लेटिव वर्क है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप विराजिये। नहीं, बहुत कुछ हो लिया। सारा स्पष्टीकरण आ गया, माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : लेजिस्लेटिव वर्क्स को रश नहीं कर सकते। आज लेजिस्लेटिव वर्क्स को रश नहीं कर सकते। विधान सभा विधान बनाने के लिए बनी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें। कृपया अब आप विराजिये। वह पुरःस्थापित कर रहे हैं, पुरःस्थापित।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ इन्होंने नयी बात बताई हैं, दो मिनट तो दें।

श्री उपाध्यक्ष : वे विधेयक को पुरःस्थापित मात्र कर रहे हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, लेजिस्लेटिव वर्क को हम इस प्रकार से पास नहीं कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अपने....

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 1998

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 1998....

श्री परसादीलाल मीणा : आपको आज्ञा नहीं दी अभी। बैठिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मुझे आज्ञा दी है।.... 1998 को पुरःस्थापित करने के लिए आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर है मेरा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 1998....

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, आप एब्रश करना चाहते हैं। इसमें दो मिनट बात सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय,+++तो यह बहुत दुःख की बात है।

(स्वीकृत)

श्री उपाध्यक्ष : अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे एवं साथ ही तत्सम्बन्धी अध्यादेश को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री बनवारी लाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं, आप उनकी बात तो सुनें।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : माननीय मंत्री महोदय, इतना क्या, थोड़ा धैर्य तो रखिये। थोड़ा सा धैर्य रखिये, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करता हूं और साथ ही प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत इस विधेयक को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : पूरी तरह से गलत परम्परा तो ये स्थापित कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी दो मिनट के लिये।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 1998

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 1998 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 1998 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह, श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय ने अभी काफी..

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : + + + उपाध्यक्ष महोदय, बहुत दुःख की बात है और यह माननीय मंत्री महोदय की विद्वता के ऊपर बड़ा प्रश्नचिन्ह है। मैं तो आपको बहुत बड़ा विद्वान समझता हूं, किसी बात को संतुष्ट करने के लिये ...

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको पूरा सुना है, पूरा सुना है। माननीय मंत्रीजी ने पूरा उत्तर दिया है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : पूरा उत्तर नहीं दिया है माननीय मंत्री महोदय ने 1992 के अन्दर यह सरकार अगर निर्णय ले लेती है, उस पर जाकर क्रियान्विति 1996 में करती है और फिर आप कहते हैं कि माननीय मंत्रीजी ने पूरा उत्तर दे दिया है। माननीय मंत्रीजी ने पूरा उत्तर नहीं दिया है। इन्होंने तथ्यों को छिपाया है और लेजिस्लेटिव वर्क करने के लिये इस प्रकार से विधान सभा के अन्दर कानून बनाने वाली अगर संस्था इस प्रकार से कानून की + + + तो क्या संदेश देंगे आप राजस्थान की जनता को? उपाध्यक्ष महोदय, फोर द गाडं शक कम से कम लेजिस्लेटिव वर्क के लिये तो आपको धैर्य रखना चाहिए। पेशेंस रखिये। सुनिये कुछ बात। हम यहां पर ऊल-जलूल बात नहीं कर रहे हैं। काम की बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे ज्यादा धैर्य रखता हूं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : बिलकुल धैर्य नहीं रखा इस मामले में और मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मंत्री महोदय ने अपनी विद्वता है, स्तर है, उस स्तर के अनुरूप उत्तर नहीं दिया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह। कृपया विराजिये माननीय सदस्य। माननीय लक्ष्मणसिंह जी विराजिये।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : सरकार का लेप्स होते हुए भी इन्होंने बातों की लीपा-पोती कर दी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 1998 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सदन में विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में समय-समय पर चर्चाएं होती आ रही हैं और उन चर्चाओं में इस प्रकार की बातें हमारे सामने आयीं, सरकार ने भी माना कि विश्वविद्यालयों में प्रशासन जिस प्रकार से चल रहा है उससे सरकार भी संतुष्ट नहीं है और यह सदन भी सतुष्ट नहीं है। इस सब स्थिति के बिगाड़ के लिये वहां जो कार्यरत अधिकारी हैं और सरकार का रवैया है ये दोनों ही जिम्मेदार हैं। विश्वविद्यालयों में निष्पक्ष तरीके से काम नहीं हो पाता है। चाहे अपाइंटमेंट का मामला हो या प्रमोशन का मामला हो, इन सब बातों को लेकर विश्वविद्यालयों के अध्यापक, प्रोफेसर, रीडर्स समय-समय पर आंदोलन करते आ रहे हैं, अपनी नाराजगी दिखाते आ रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहां यह जो विधेयक लाया जा रहा है इसमें कुछ रिलीफ इन प्रमोशन के एवेन्यूज में दिया गया है और उसमें हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय के जो स्टाफ है उसकी तीन-चार कैटेगरी है। लैक्चरार होता है, रीडर होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर होता है और प्रोफेसर होता है। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी में प्रमोशन आवश्यक है और उसके बिना एफिशिएंसी नहीं आ पाती है। हमेशा से ये आरोप लगते आ रहे हैं कि राज्य सरकार इस कार्य में अपनी मर्जी से जहां अपने आदमी को फायदा पहुंचाना होता है उसी प्रकार से व्यवस्था करती रहती है। कभी प्रमोशन के कुछ नियम बना दिये; कभी प्रमोशन और अपाइंटमेंट के दूसरे नियम बना दिये, और राज्य सरकार अपने चहेतों के लिये स्थान क्रिएट करती रहती है प्रमोशन के लिये अपाइंटमेंट के लिये। पिछली बार भी यहां सदन में चर्चा हुई थी। अजमेर विश्वविद्यालय का मामला हमारे सामने आया, राजस्थान विश्वविद्यालय का मामला हमारे सामने आया। उस वक्त के जो वाइस चान्सलर थे अजमेर के और वहां जो अपाइंटमेंट्स किये गये थे, माननीय मंत्री महोदय तक को इस सदन में चर्चा का भागीदार बनना पड़ा। इसके ऊपर भी यह आरोप लगाया गया कि इन्होंने अपने सम्बन्धियों को वहां अपाइंटमेंट देने के लिए एक प्रकार की व्यवस्था की। यह कोई नया मामला नहीं है। यहां हमारे राजस्थान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सब में इस बात की चर्चा रहती है। एवेन्यूज बनाये गये थे और जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि एक बार बने लेकिन यू.जी.सी. बीच में आ गयी और यू.जी.सी. के बाद में ये नया अमेंडमेंट लाये हैं।

(श्री शिवनाथ सिंह)

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक बात तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो बिल पेश किया गया है वह इस आर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिये किया गया है और माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि चूंकि विधान सभा की कार्यवाही उस वक्त नहीं चल पा रही थी इसलिए इस बिल को हम एक्ट में परिवर्तन नहीं कर पाए।

उपाध्यक्ष जी, यह किसकी जिम्मेदारी है? यह जिम्मेदारी सरकार की थी। सरकार समय पर विधान सभा का अधिवेशन नहीं बुलाती है। विधान सभा के जो नियम हैं उनके अनुसार यहां कार्य करने के लिए समय नहीं दिया जाता है। रश-अप किया जाता है और उसी का परिणाम यह हुआ कि सरकार का यह बिल, जो सरकार एक्ट में परिवर्तित करना चाहती थी नहीं हो पाया। इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की है और यह भर्त्सना का काम है।

माननीय उपाध्यक्षजी, यह प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है सदन को समय पर बुलाये, नहीं बुलाये। आप समय देते नहीं हो, समय देने के बाद कार्यवाही कुछ करते नहीं हो और फिर उसका दोष हमें देते हो। इस बिल में जो आर्डिनेंस के द्वारा कार्यवाही की गयी और उसको रिप्लेस करने के लिए बिल लाया गया, इस बीच में एक समय गुजरा है और वह समय गुजरा है वह किसी के लिये घातक हो सकता है उस समय गुजरने की जिम्मेदारी और एक इल्लिगल काम बीच में हुआ उसकी जिम्मेदारी माननीय मंत्री जी की, खास तौर से इस सरकार की पूरी तरह से है। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया मेरे सवाल के जवाब में भी वो ही जवाब देंगे लेकिन यह कोई संतोष की बात नहीं है। सदन की कार्यवाही पूरे समय चले।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहूंगा कि यहां प्रमोशन के एवेन्यूज एक बार बनाये गये। आज यू.जी.सी. की वो बात कहते हैं। यू.जी.सी. के आज लेक्चरार से रीडर और रीडर से प्रोफेसर के जिन प्रावधानों को डिलीट करना चाहते हैं उनके लिये माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इनके प्रमोशन के लिये क्या प्रावधान है? जो आरिजनल एक्ट था और जिसके प्रावधान को आप डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट जब हो जाएगा तो इन दोनों श्रेणी के जो अध्यापक हैं, रीडर हैं, और लेक्चरार हैं उनके प्रमोशन के लिये वह जो पुरानी व्यवस्था थी वह खतम हो गयी और नयी व्यवस्था में आपने उसके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है। यह हमारे शिक्षा जगत के श्रेष्ठ व्यक्ति हम मानकर चलते हैं जो यूनिवर्सिटीज में हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। जब उनमें असंतोष होता है पूरी पीढ़ी, पूरा देश और पूरा प्रान्त उससे प्रभावित होता है। हमारा यह कर्त्तव्य है, सदन का कर्त्तव्य है और सरकार का कर्तव्य है यूनिवर्सिटीज के जो लेक्चरर्स, रीडर्स, प्रोफेसर्स हों वो ठीक ढंग से काम करें और ठीक ढंग से काम करने की व्यवस्था के लिये ऐसा वातावरण हमारी सरकार और यूनिवर्सिटीज बनाये, आज वह नहीं है। इसलिए मेरा जो

(श्री शिवनाथ सिंह)

प्रस्ताव करने का उद्देश्य है, इन सब लोगों के सम्बन्ध में जो कार्य वहां करने हैं, उन सबकी राय इसमें ली जानी चाहिए और जब इतने दिन तक आपका कुछ नहीं बिगड़ा तो अब कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, इसलिए उन सब लोगों की राय ली जाए। जनमत इसमें जाना जाए और उसके बाद एक सही और अच्छे ढग का बिल आप सदन में लायें।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय, लेक्चरर्स, रीडर्स और प्रोफेसर्स के जो प्रमोशन एवेन्यूज हैं उनमें क्या प्रावधान नये में रखे हैं, मेरी समझ में उतने नये में प्रावधान नहीं हैं इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इस बिल को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी जनमत जानने हेतु संशोधन प्रस्ताव है। इससे पहले एक परिनियत संकल्प भी मैंने प्रस्तुत किया था लेकिन वह समय पर प्रस्तुत नहीं होने के कारण आपके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। मान्यवर, उसका मकसद यह था कि इस आर्डिनेंस को ही, सदन से मैं प्रार्थना करने वाला था कि इसको अस्वीकार कर दिया जाए इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसे कोई अपरिहार्य रीजंस नहीं हैं इसके पीछे। मान्यवर, मेरी दलील यह थी, क्योंकि वह तो आपने स्वीकार नहीं किया लेकिन इसमें एक संशोधन के मार्फत मेरे जो विचार हैं वह मैं प्रकट करना चाहता हूं। यह आप इसको पास करवा देंगे। पास हो जाएगा। मंत्री जी, यह हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि, उपाध्यक्ष महोदय, आप 1967 से यहां हो उस वक्त आप ट्रेजरी बैन्चर्स पर थे। इधर से, प्रतिपक्ष में से बोलते थे माननीय मुख्य मंत्री जी, जो उस वक्त प्रतिपक्ष में बैठते थे। वे जनसंघ के लीडर थे, प्रतिपक्ष के नेता महारावल लक्ष्मणसिंह जी थे। ऐसा कोई अवसर नहीं होता था जब आर्डिनेंस की पद्धति को वे तिरस्कृत नहीं करते हों और उसकी घोर निन्दा नहीं करते हों आपका रिकार्ड इसका साक्षी है आप दिखवा सकते हैं। आज वे ही प्रतिपक्ष में उस वक्त के लीडर सदन के नेता और मुख्य मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। इनके कार्यकाल में कितने ही आर्डिनेंस निकले हैं। एक भी रेगुलर बिल अमेंडमेंट के लिये ये कोई लाये हों, तो वह मुझे बता दें। ये जो आर्डिनेंस लाये हैं यह अमेंडमेंट रेगुलर भी आ सकता है इसमें कोई आसमान नहीं गिर रहा था।

मान्यवर, आप देखिये कि ये यू.जी.सी. स्केल्स जून, 1988 में revised U G.C. pay scales were extended to teachers in the Universities. इसलिए ये जो इनके पहले वाले थे वो रीडंडेंट हो गये इसलिए इसको रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वह उपयोगिता नहीं रही।

(श्री रामनारायण चौधरी)

1988 से आज 1998 हो गया, 10 साल के दरम्यान कोई आकाश गिरकर पृथ्वी पर नहीं आया, इसमें बीच में कोई कष्ट नहीं हुआ और 10 साल निकाल दिये, यह रेगुलर बिल नहीं ला सके। आज आर्डिनेंस ले आये, यह भी पास हो जाएगा। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि यह आप ले आएंगे उसके बाद में क्या आप इस बात के लिये आश्वस्त हैं कि विश्वविद्यालय का सारा काम सुचारू रूप से हो जाएगा ? जो कुछ लोगों को लाभ पहले मिल रहा था वह मिलता रहेगा ? आपने एक सुविधा और दे दी उसको आप विथड्रा करेंगे, यू. जी. सी. ने वह एक्सटेंड कर दी तो इसमें कौनसा विशेष अन्तर नहीं आ रहा है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह आर्डिनेंस और यह जो बिल आप लाये हैं इसको रिप्लेस करने के लिये वह अपने आप में काफी नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है, मान्यवर कि आप, पक्ष और विपक्ष तथा सब सदस्य बैठकर विचार करें कि आज जो विद्या के मन्दिर हैं, विश्वविद्यालय हैं, एक जमाना था, जब आप और हम पढ़ते थे उस समय वाइस चांसलर के बारे में हम सुनते थे कि वाइस चांसलर तो गवर्नर जैसा होता है, उसका यह रुतबा होता है। आज मान्यवर, मुझे वह दिन याद आते हैं जब 1944 के अन्दर झुन्झुनू में हमारे सी.एम. माथुर हैडमास्टर थे, लड़के उनके ऊपर थूक देते थे और वह उस थूक को पोंछ देते थे। आज उस वाइस चांसलर की क्या दुर्गति हुई थी पिछली बार विधान सभा में....

श्री उपाध्यक्ष : यह रुतबा तो सभी जगह घटा है। इस सदन का रुतबा भी घटा है।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या उसकी छिछालेदार हुई। आसन की उतनी ही गरिमा है और सदन की भी वही गरिमा है लेकिन इनका रुतबा गिरा है। मान्यवर, अब आप देखिये, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि किस तरीके से लड़के पास होते हैं, कैसे उनकी मार्कशीट बदली जाती है, कैसे फर्जी सर्टिफिकेट्स हो रहे हैं, कैसे फर्जी तरीकों से पास किया जा रहा है, कैसे विदेश लड़कों को यहां पर एडमीशन देकर फर्जी प्रमाण-पत्र दिये जा रहे हैं। यह सब इनके सामने भी आये हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता एक वाइस चांसलर, जो उस जमाने में था, जब हमने यहां जवाब देना शुरू करवाया था तब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, सरकार को कोई उत्तर नहीं भेजा। फिर बाद में थर्ड ग्रेड ट्रीटमेंट उनके लिये करना पड़ा, उनके खिलाफ कैस दर्ज करवाया, उनकी गिरफ्तारी के वारंट निकले तब वे इस बात के लिये तैयार हुए कि मैं छुट्टी पर चला जाऊंगा। कहा नहीं, आप त्याग-पत्र दो। त्याग-पत्र उन्होंने नहीं दिया, छुट्टी पर ही भेजा। थर्ड ग्रेड ट्रीटमेंट देने के बाद में वह छुट्टी पर ही गये, घर बैठे तनख्वाह ली और दूसरी व्यवस्था की। दूसरे वाइस चांसलर को

(श्री रामनारायण चौधरी)

कार्यवाहक बनाकर उनका चार्ज सौंपा गया। यह पोजीशन सरकार की आज यूनिवर्सिटी के मामले में है। आप स्वायत्तता रखिये चतुर्वेदी जी, इस स्वायत्तता को चाटोगे क्या जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा हो। किस बात के लिये हायर एजुकेशन मंत्री बने बैठे हैं और किस बात के लिये चीफ मिनिस्टर बने बैठे हैं जब आज आप रिलीफ नहीं दे सकते विद्यार्थियों को और रिलीफ नहीं दे सकते आम लोगों को।

आज आप देखिये कि विश्वविद्यालय प्रशासन से नाखुश छात्रसंघ हैं, छात्रों का विधान सभा पर प्रदर्शन, एन.एस.यू.आई. के कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर विधान सभा में प्रदर्शन। लड़के प्रदर्शन कर रहे हैं, टीचर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार में असंतोष हो रहा है तो कौन सी स्वायत्तता हुई। क्या उसको पूजाओगे, कैसे चटाओगे हमें इसको, शहद है क्या वह स्वायत्तता? जब आप कोई रिजल्ट्स नहीं दे रहे हो, कोई फ्रूटस आप नहीं दे रहे हैं, न लड़कों को दे रहे हो।

मान्यवर, अब आप लड़कों के लिये यूनिवर्सिटी में 75 पर्सेण्ट अटेंडेंस अनिवार्य कर रहे हैं। मैं कहता हूं 75 पर्सेण्ट क्यों 90 पर्सेण्ट कीजिये लेकिन वह 90 पर्सेण्ट लड़के जाकर कहां बैठेंगे। कौन पढ़ाएगा उनको? कोई पाबन्दी नहीं है। मान्यवर, टीचर्स के लिए, जिनको आप यह बेनिफिट देने के लिये जा रहे हो उनको तो दे रहे हो। चतुर्वेदी जी, आप छाती पर हाथ रखकर खड़े होकर कह सकते हो कि वह क्लासेज ले रहे हैं इतना रेगुलेशन हैं लेने का? क्यों नहीं आप यह प्राविजन लाये कि लड़कों की 90 पर्सेण्ट अटेंडेंस होगी; अपरिहार्य कारण होंगे जिसके अन्दर पी.सी को या किसी को एक्जेम्पशन होगा; बीमारी का होगा, कोई और कारण होगा। क्यों नहीं आप इसके अन्दर अमेंडमेंड लाये या इनेबिलग क्लाज इसके अन्दर डाली जिसके तहत आप प्रोफेसर्स को, टीचर्स को, लेक्चरर्स को पाबन्द कर सकते कि इतनी क्लासेज उनको हर वर्ष लेनी होंगी। वह तो फ्री हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, यूनियंस बना रहे हैं, पैसा जनता का उठा रहे हैं, हमारा पैसा उठा रहे हैं और आप स्वायत्तता की बात कर रहे हैं। क्या यह विधान सभा यूनिवर्सिटी को पैसा नहीं देती? उपाध्यक्ष महोदय, क्या हम पैसा नहीं देते, क्या उसके बजट की पूर्ति हम नहीं करते, उसके बजट की पूर्ति में क्या हमारे छात्र फीस नहीं देते, क्या वह हमारी जेबों में से नहीं निकलता है? यह कहते हैं कि हमको स्वायत्तता दे दी, उन लोगों को जो फर्जी सर्टिफिकेट देते हैं, उनको सर्टिफिकेट देते हैं जो वहां पर जाते ही नहीं, उनको आप सर्टिफिकेट देते हैं स्वायत्तता का, जो लड़कों की अटेंडेंस की कोई व्यवस्था नहीं तो क्या है यह? क्या ये विश्वविद्यालय है या चंडूखाने? मैं पक्ष और विपक्ष दोनों से पूछना चाहता हूं कि आप और हम विधान सभा में हैं, कोई हमारे बच्चों के बारे में, प्रदेश के बारे में, कैसी शिक्षा हो यूनिवर्सिटी की इस पर कभी सोचा है? ठीक है, सत्ता पक्ष ने यह बिल रख दिया। हमारा कर्तव्य है कि हम

(श्री रामनारायण चौधरी)

इसका घोर विरोध करेंगे और चतुर्वेदी जी का डटकर करेंगे । लेकिन कभी आप और हमने सोचा है कैसे अमेंडमेंड आने चाहिये । 10 साल बाद आप यह ला रहे हो, 10 साल में जो था दे दिया । मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसका कोई फायदा यूनिवर्सिटीज को नहीं होने वाला है जब तक कि आप यूनिवर्सिटी की शिक्षा नहीं सुधारोगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स पर सौ तरह की पाबंदियां हैं । जहां पर हाइयेस्ट सेलेरी यू.जी.सी. ग्रेड्स के आधार पर आपकी यूनिवर्सिटी के टीचर्स ले रहे हैं, जिन पर हाजिरी की पाबंदी नहीं, पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं कोई आब्लिगेशन कुछ नहीं और प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की खाल खींच रहे हो कि तुम यहां हाजिर रहें क्यों रहेंगे हाजिर, वह तो ऊपर वालों को देख रहे हैं । अगर यहां मिनिस्टर्स, एम. एल. एज. और एम. पीज. इस प्रकार का आचरण करेंगे तो आम जनता पर उसका क्या एक्शन होगा । आज यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, रीडर्स और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले छात्र, फर्स्ट ईयर, सैकण्ड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आपके और हमारे जमाने में होता था कि टेंथ क्लास पास करने के बाद में फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में आते ही उनकी गरिमा बनती थी कि यह लड़का कालेज में है, फर्स्ट ईयर में पढ़ता है । नीचे वाले उसका आदर करते थे । आज क्या स्थिति हो रही है यूनिवर्सिटीज में आप खुद इण्ट्रोस्पेक्शन कीजिये । मान्यवर, यह क्यों हुआ ? क्या इसका रिफ्लेक्शन नीचे नहीं पड़ता ? इसका रिफ्लेक्शन नीचे वाले बच्चों पर भी पड़ता है । आज ऊपर के प्रोफेसर्स पढ़ाते नहीं, क्लासेज में जाते नहीं तो उसका असर नीचे भी पड़ता है टीचर्स पर, तो सारी सोसाइटी का आज जीवन सारा समाप्त होता जा रहा है । आज हमारा जीवन जिन लोगों के हाथों में है, भविष्य बनाने का, उनको सुविधा पर सुविधा दिये जा रहे हैं लेकिन उनका क्या आब्लिगेशन है, उनको ड्यूटीज क्या है रैसपांसिबिलिटीज क्या हैं उसका कहीं किसी एक्ट में, किसी रूल मे, किसी बाइलॉज में कहीं नियंत्रण नहीं है, साहब, स्वायत्तता है ।

मान्यवर, हायर एजुकेशन मिनिस्टर साहब कहते हैं कि स्वायत्तता के अन्दर हस्तक्षेप करना मैं पाप समझता हूं । पाप आप ही नहीं समझते हैं अपन सब समझते हैं लेकिन स्वायत्तता की छूट आपने दे रखी है उसके ऊपर किसी की निगरानी तो होनी चाहिये । आपकी हम रगड़पट्टी कर लेते हैं साल में 10-12 दिन, उनकी तो कोई रगड़पट्टी करने वाला ही नहीं है, तो क्या है, किस तरह की स्वायत्तता है ?

मैं इस प्रस्ताव के द्वारा, मान्यवर, यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता 1988 से 1998 तक यह चलता आया, आपने कैफियत दी है कि नहीं, हम 1992 में ले आये थे, 1992 में भी आप ही बिराज रहे थे, राष्ट्र-

(श्री रामनारायण चौधरी)

पति शासन भी आप ही की कृपा से हुआ था, हमारा नहीं वह आपने ही करवाया था, वह झण्डे ले लेकर, जांघिये पहन-पहन आप ही गये थे विध्वंस करने के लिए बाबरी मस्जिद को। हम तो नहीं गये थे, वह आपने ही थोपा हमारे ऊपर और अब उसके बाद में भी आप दुबारा यहां विराजे। मान्यवर, और यह पांचवा साल चल रहा है, पांच साल तक शिक्षा मंत्री जी को फुर्सत नहीं मिली, आर्डिनेंस की क्या जरूरत थी, आप बिल ही ले आते कि यह अमेंडमेंट हम करना चाहते हैं। 10 मिनट का काम था, हो जाता। हमारे से भी बात कर लेते हम भी सुझाव दे देते कि इस तरह का और लाओ तो यह अपने आप में कुछ भी नहीं है। यू.जी.सी. में प्रावधान तो यह किया कि नई यू.जी.सी.की स्केल्स दे दीं, यू.जी.सी. स्केल्स देने के बारे में इन्होंने जो बेनिफिट्स दिये थे वह रिडंडेंट हो गये। वह मिलने लग गये इनको पहले से ही इसलिए अपने वालों का यह विथड्रा करना चाहते हैं। इन्होंने कितनी जोरदार बात कही, आप तो स्वयं महान विद्वान हैं, आप भी प्रोफेसर रहे हैं विज्ञान के, आप इनको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहते थे विथड्रावल को, यह हुआ है कभी? जिन लोगों ने प्रमोशन ले लिये उसको विथड्रा कर सकते थे क्या आप? यह तो साधारण कामनसेंस की बात है, उपाध्यक्ष महोदय, क्यों तो इन्होंने एडवोकेट जनरल को कष्ट दिया, क्यों इन्होंने एडवोकेट जनरल को देकर हजारों, लाखों रुपये बरबाद किये? सभी को पता है कि जो काम हो गया है उसको आप किस तरह से अनडू कर देंगे। जिन्होंने बेनिफिट उठा लिया इस एक्ट के तहत उसको आप विथड्रा कैसे कर लेंगे बैक डेट से? आज तो आप मर्जी आये सो करो। यह साफ था लेकिन हमने इसमें भी तीन साल का टाइम लगा दिया। वह कुछ भी हुआ हो।

लब्बोलुबाब के बाद में आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि यह बहुत साधारण बात है इसमें कुछ भी नहीं है। जो बेनिफिट आपने दिये थे वह यू.जी.सी. की ग्रेड्स आ जाने के बाद उनको वह फायदा मिलने लगा है। बात तो यही है चतुर्वेदी जी, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। वह आपने दिया था वह रिडंडेट हो गया। इसलिए यह लाये हैं उसको आप हटाना चाहते हैं, निल करना चाहते हैं। इसमें कौनसा आकाश पाताल एक हो रहा था? यह और छह महीने चलता रहता, क्या फर्क पड़ता था? आप हमारे से सलाह मशिवरा करते और अमेंडमेंट की इस में जरूरत थी, वो ले आते। किस तरह से प्रशासन को सुधारा जावे, वो ले आते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप को याद नहीं है कि इधर से एक एडजोर्नमेंट मोशन आया था यूनिवर्सिटीज के बारे में, इन विद्वान मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया था चांसलर साहब के पास, जो हमारे राज्यपाल महोदय हैं, बड़ी विडम्बना है कि राज्यपाल हमारे मालिक हैं। हम उनको डिस्कस नहीं कर सकते। अगर हम यूनिवर्सिटी को डिस्कस करते हैं तो वो उसके चांसलर है। यह क्या स्थिति बना दी

(श्री रामनारायण चौधरी)

आपने ? अगर हम यूनिवर्सिटी को डिस्कस करेंगे तो जिम्मेदारी चांसलर पर आती है, तो गवर्नर का जो आचरण है वह डिस्कस हो जाता है। वह आप हमें बोलने नहीं देंगे । आप उसे डिलिट करा देंगे, हटा देंगे, एक्सपंज करा देंगे। क्यों ऐसी स्थिति बना रखी है ? और कोई तरकीब सोची नहीं जा सकती कि चांसलर किसको बनाया जाए, राज्यपाल के बजाय किसको बनाया जाए । आज स्थिति क्या हो गयी ? राज्यपाल के बजाय, उपाध्यक्ष महोदय, यदि चांसलर और कोई होता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि पिछले दिनों यूनिवर्सिटी की जो गत हुई थी और तत्कालीन वाइस चांसलर ने सरकार के नाक में दम कर दिया था, सब विद्यार्थियों के कर दिया था, सारी जनता के कर दिया था, सारे प्रतिपक्ष ने घोर असंतोष जाहिर किया था और हां पक्ष ने भी घोर असंतोष व्यक्त किया था। उस समस्या को ये दूर नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके, क्योंकि राज्यपाल से इनकी रपट नहीं थी। ये जाकर कह नहीं सकते थे। कहते तो राज्यपाल इनकी बात को तवज्जोह नहीं दे रहे होंगे। इनका साहस नहीं था जाकर आश्वासन देने का कि हम आपकी बातों से संतुष्ट हैं और यह होगा। सरकार यह डिसिजन करके भेजेगी राज्यपाल के पास। टकराव हो जाता, टकराव हो जाता तो कौनसा राज्यपाल आपको डिसमिस कर देता और डिसमिस कर देता, आपकी तनख्वाह रोक लेते तो रुक जाती। आप एक स्टेमना दिखाते कि राजस्थान सरकार का यह निर्णय है कि कैबिनेट रिजोल्व्ज। गवर्नर को यह कहना पड़ेगा। आप टकराते इसमें चांसलर की शक्ति ज्यादा है कि आपकी शक्ति ज्यादा है, वो फिर विधान सभा में आता। हम भी वहां आपकी मदद करते। लेकिन आपने पहले ही हथियार डाल दिये।

मान्यवर, मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि आप इसको वापस ले लीजिए और आप चाहें तो इसका उपभोग कर लीजिए। जनमत जानने का मेरा उद्देश्य कोई फार्मल नहीं है उसके पीछे मेरा उद्देश्य ही यह है कि आज के यूनिवर्सिटी एक्ट, आज की यूनिवर्सिटी की व्यवस्थाएं और आज की शिक्षा की व्यवस्था जनआकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है। पुराने जमाने की पीढ़ी के हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय बैठे हैं और उधर आप भी बैठे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी महान विद्वान हैं। जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप, आपकी आकांक्षाओं के अनुकूल आज की यूनिवर्सिटी की क्या व्यवस्था है, मुझे इसमें कुछ नहीं बोलना है। मैं मेरे प्रस्ताव को वापस लेता हूं लेकिन अगर आप संतुष्ट हैं, तो इस पर चर्चा कराइए पहले कि क्या अमेंडमेंट आना चाहिये। हम कैसे यूनिवर्सिटी को सुधारें, किस तरह से जनाकांक्षाओं को सार्थक करें, कैसे हमारी नई पीढ़ी, नई खोज को, जिन पर भारत का भविष्य टिका हुआ है, उस भविष्य को किस तरह से संवारा, सुधारा और विकसित किया जा सकता है ? यह एजुकेशन ही मीडिया है। एजुकेशन ही सब कुछ है, शिक्षा ही सब कुछ है, विद्या ही सब कुछ है। अगर इसका ही हम यह हाल

(श्री रामनारायण चौधरी)

कर देंगे, फर्जी सर्टिफिकेट बिकेंगे, अंक-तालिकाएं बिकेंगी, विदेशी लड़कों से पैसे लेकर पास करेंगे; विदेशी लड़कों को चाहे जैसे एडमिशन दे देंगे, इन सब पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं ऐसे अमेंडमेंट से।

इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए भेजा जाए, इसको वापस लिया जाए और फिर सबसे सलाह करके, इस सदन से सलाह करके, बुजुर्ग लोगों से, दूसरे एकेडेमिशियंस को बुलाया जाए फिर दूसरा एक कम्पोजिट, कम्प्रीहेंसिव अमेंडमेंट बिल लाया जाए यूनिवर्सिटी के लिये जो सारे राजस्थान में लागू हो। कौन उसका चांसलर बने, कैसी व्यवस्था हो यह सब इसमें होना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं। सदन का मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे ध्यानपूर्वक सुना।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री महोदय।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य और झुन्झुनूं जिले के ही गुढ़ा क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने इस विधेयक को जनमत जाग्रत करने के लिये यहां प्रस्ताव रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय एक मिनट। श्री हरिसिंह (कुम्हेर), श्री हरिसिंह (महुआ), श्री हरजीराम बुरडक, श्रीमती कमला, सदस्य, विधान सभा, विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद आप उत्तर देंगे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष जी, मैंने संशोधन यह रखा है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाए ताकि प्रवर समिति इस पर सोच-विचार करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। मुझे आपसे निवेदन यह करना है कि हम इस असेम्बली में जो भी बिल लाते है उनको जो तवज्जोह देनी चाहिये और जिस हिसाब से उस पर विचार करना चाहिये, वह कर नहीं पाते। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, आप भी देख रहे होंगे, बेहतर हो इस असेम्बली का नाम राजस्थान डिबेट असेम्बली कर दिया जाए, राजस्थान कानून व्यवस्था असेम्बली कर दिया जाए, राजस्थान और कोई असेम्बली नाम कर दिया जाए। राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली का नाम अब शोभा नहीं दे रहा। क्यों शोभा नहीं दे रहा, क्योंकि लेजिस्लेटिव बिजनेस, जो कि उसका प्रमुख बिजनेस होना चाहिये उस पर यह असेम्बली अपना समय बिलकुल नहीं दे पाती और बहुत ही शार्टकट तरीके से बिल्स इंट्रोड्यूज होते हैं और पास कर दिये जाते हैं। मैंने इस असेम्बली में, आप भी उपस्थित होंगे, तीन-तीन मिनट में एक-एक बिल की तीन-तीन रीडिंग होते हुए देखा है और पांच-पांच मिनट में दो-दो एक्ट पास होते हुए देखे हैं। अब आप यह देखिए, यह जो आज आपका बिल आया है इंट्रोड्यूज होने से पहले हमें यह कहा गया

(श्री हरिसिंह)

कि हम इस पर 11 बजे पहले अपने संशोधन प्रस्ताव रख दें। अगर यह इंट्रोड्यूज नहीं होता, यह मानकर कैसे चलें कि इंट्रोड्यूज हो ही जाएगा और असेम्बली उसे स्वीकार भी कर लेगी। 11 बजे पहले हमे आपने कहा कि अपने संशोधन रख दीजिए और आज भी आप बड़ी जल्दी में हैं, क्षमा करना आप मुझे, क्यों जल्दी में है इसमें, क्योंकि आपको आज ही इसकी तीनों रीडिंग करानी हैं और तीनों रीडिंग बड़ी जल्दी करानी है, क्योंकि उसके बाद आपको डिमांड्स पास करानी हैं और फिर एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा और उसे पास कराना है। तीनों पास कराने हैं। उसके बाद कोई और बिजनेस हो नहीं सकता। यह मुख्य बिजनेस सरकार का है और उसके बाद डिमांड्स पास करा कर एप्रोप्रिएशन बिल पास कराना है। यह तो एक फालतू काम है जो कराना जरूरी है। आपका प्रोसिजर यह कहता है कि इसको पहले लेना चाहिये अन्यथा इसका नम्बर कब आता। और यही कारण हुआ मंत्री महोदय कह रहे थे कि हम इसका आर्डिनेंस नहीं ला पाये। जिस सेशन में मंत्री महोदय कह रहे थे कि हम शोरगुल की वजह से नहीं कर पाये उस शोरगुल में तो इन्होंने 6 एक्ट पास किये, इस असेम्बली में पास किये हैं। उसमें यह भी पास हो जाना, कौन सुनता है? आज डिबेट कब होती है बिल्स के ऊपर ?

मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा था कि पहले किसी भी बिल के लिये यह हाउस पूरा ध्यान नहीं देता इसलिए ध्यान देने की बहुत जरूरी है कि इसको प्रवर समिति को सौंपा जाए। क्यों सौंपा जाए प्रवर समिति को ? मैं उसके पीछे आपको रीजन्स देना चाहता हूं कि हमारी यूनिवर्सिटीज में जितने भी लैक्चरर्स थे, रीडर्स थे, प्रोफेसर थे, एक व्यक्ति जबसे वह उस पद पर आया और उसी पद पर वह रिटायर्ड हो जाता था। लैक्चरर, रीडर नहीं हो पाता था और रीडर, प्रोफेसर नहीं हो पाता था इसलिए 1984 में यह व्यवस्था की गयी कि एक्स कैडर व्यवस्था होगी। जितने लोग एलिजिबल हैं उसके एक चौथाई पोस्ट क्रिएट की जाएगी। 1 जनवरी को जो लोग एलिजिबल होंगे उनके एक तिहाई पद को पर्सनल प्रमोशन देने के लिये एक्स कैडर पोस्ट को आप क्रिएट करेंगे।

अब क्रिएशन हो जाएगा तो आप उनको प्रमोशन दे देंगे। यह 1984 से व्यवस्था है। अब आप यह कहते हैं कि हम इस व्यवस्था को कंटीन्यू नहीं करना चाहते। क्यों कंटीन्यू नहीं करना चाहते ? आपका कहना है कि 1988 में यू. जी. सी. की पे-स्केल्स आ गयीं और पे-स्केल्स आने के बाद आपकी कैरियर एडवांसमेंट स्कीम बन गयी। पहले एक जो व्यवस्था है, जो कि बहुत मान्यता प्राप्त व्यवस्था हुई है, एक तरह से सरकार के कहने से व्यवस्था की गयी उसको आप कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत समाप्त करना चाहते हैं।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं, क्या आपकी जानकारी में है कि वह कैरियर एडवांसमेंट स्कीम क्या है ? मुझे तो पता नहीं है। इस सदन को पता

(श्री हरिसिंह)

नहीं है कि कैरियर एडवांसमेंट स्कीम क्या है और न मंत्री महोदय ने इसको इसके रीजंस के साथ में बताया है। आप उस आर्डिनेंस को खतम करना चाह रहे हैं। उस आर्डिनेंस को निकालने की और आर्डिनेंस को बिल में लाने के लिये बहुत ही जरूरी है आपके लिये कि जिस कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के आधार पर आप आर्डिनेंस को बिल में फोर्म करना चाह रहे हैं वह हमारे रीजंस में देना चाहिए। अब रीजंस में देना कैरियर एडवासमेंट स्कीम आगे से कर दी जाए, this is no reason, Sir. इस पूरे सदन के कितने मेम्बर्स हैं, आप मुझे बतायें, सिवाय चतुर्वेदीजी के, इनमें से, 200 में से कोई एक आदमी बता दे कि कैरियर एडवांसमेंट स्कीम क्या है, कोई नहीं बता सकता है। आप बता दें इसके लिये, किसी को यह पता नहीं है कि कैरियर एडवांसमेंट स्कीम क्या है और उसके आधार पर आप यह बिल पास कराना चाहते हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : आप हमारी काबलियत को चेलेंज कर रहे हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : नहीं, मैं चेलेंज नहीं कर रहा हूं। मैं आपको अभी पुष्प मालाओं से सुसज्जित करूंगा, आप बता दीजिए कैरियर एडवांसमेंट स्कीम क्या है?

अंधेरे में रखकर पास कराना चाहते हैं। खैर, आपको जानकारी होगी, आप तो समझदार आदमी हैं, आपको होगी। लेकिन मुझे जैसे अल्प-बुद्धि आदमी के लिये, जो ज्यादा अध्ययन नहीं कर पाता, मुझे तो पता नहीं है। इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि इस कैरियर एडवांसमेंट स्कीम में हुआ क्या है, हुआ यह कि इसमें एक राजनीतिक पुट आ रहा है। चतुर्वेदीजी यह फरमा देंगे कि यह कांग्रेस के जमाने से आर्डिनेंस चली आयी थी और उसके बाद लम्बा हो गया। इस प्रोसीजर के अन्दर यह सब बात हो गयी। इसलिए इसमें आज भी कोई जल्दी की बात नहीं है। आप आज पास कराना चाहते है, इसकी क्या आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता नहीं है। आप इसको बहुत ही साधारण तरीके से (व्यवधान) प्रवर समिति को पहुंचेगा तो प्रवर समिति आपको कैरियर एडवांसमेंट स्कीम को एग्जामिन करेगी। प्रवर समिति इसको देखेगी कि आपके यहां पर कितने लेक्चर्स हैं, कब से भर्ती हैं और प्रवर समिति यह भी एग्जामिन कर पाएगी कि कितने लोगों के लिये एक तिहाई पोस्ट जरूरी थी जिन पर एक्स-कैडर प्रमोशन हो सकते थे। यह सब बातें एक प्रवर समिति ही बहुत बारीकी से देख सकती है।

अब इसमें होगा क्या, इसमें एक तो बात यह होगी कि आपने पुरानी डेट से लागू कर दिया, 27 दिसम्बर, 1996 से, तो इसको रिट्रोस्पेक्टिव आप लागू कर रहे हैं, बेक-डेट से लागू कर रहे हैं। हालांकि आपके एडवोकेट जनरल हैं, उनकी यह राय थी कि इस प्रकार के भूतलक्षी प्रभाव से नहीं होना चाहिए, भविष्य से होना चाहिए। वह आप नहीं करके भूतलक्षी प्रभाव से

(श्री हरिसिंह)

ला रहे हैं। प्रवर समिति यह देखेगी कि इसको भूतलक्षी किया जाए अथवा इसके लिये फ्यूचर से करना चाहिए। इसमें मुझे जहां तक जानकारी है, मैं आपको निवेदन करूं कि अभी बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे रीडर्स हैं जिन्हें यह आने के बाद में जीवन भर उनको प्रमोशन नहीं मिल पाएगा। वह रीडर ही रिटायर हो जाएंगे।

मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रकार से एक अव्यवस्था, अभी इतनी बहस हुई यूनिवर्सिटी की, हम यूनिवर्सिटीज के कैडर को, यूनिवर्सिटीज के स्टेण्डर्ड को और बढ़ाना चाहते हैं वह आप नहीं कर पाएंगे इस प्रकार से यह पास होने के बाद में। आज हिन्दुस्तान भर में राजस्थान यूनिवर्सिटी का स्तर बड़ा गिरा हुआ माना जाने लगा है। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी से जब कोई डिग्री जाती है और जगह, जैसे कोई आदमी पीएच. डी. करना चाहता है, तो रिकोग्नाइज नहीं करते राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों के लिये, क्यों नहीं करते की यहां पर जो विद्वान लोग हैं वे टिक नहीं पाते। आप उनको न तो पे-स्केल उतनी दे पाते हैं, जितनी उनको मिलनी चाहिए, 10 साल में, 15 साल में 5 साल में जितने प्रमोशन मिलने चाहिए, वह कोई स्थिर चीज नहीं है। मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि, श्रीमान, अगर इस बिल को आप प्रवर समिति को सौंप देंगे, निर्दिष्ट कर देंगे, तो प्रवर समिति उसको एग्जामिन कर सकेगी, यह मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह (महुआ)।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 1998 को जो प्रस्तुत कर रहे हैं, मैंने इसको प्रवर समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और इस सन्दर्भ में मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

कई बार राजस्थान विश्वविद्यालय सदन में बहुत ही गर्म चर्चा का विषय रहा। उन बातों पर मैं नहीं जनना चाहूंगा क्योंकि लम्बी पूरी डिस्कशन वहां हो गयी। यहां तो सवाल सिर्फ एक एक्ट में संशोधन लाने का है।

उपाध्यक्ष महोदय, मूल एक्ट जो हमारी सर्विसेज को और यूनिवर्सिटीज को रेग्युलराइज कर रहा है, वह 1974 का है। अब जो हमारे लेक्चरर्स, रीडर्स और प्रोफेसर के पद हैं उनके प्रमोशन के तीन रास्ते बना दिये। मूल एक्ट में तो था कि सलेक्शन के माध्यम से ही प्रमोशन होंगे। लेकिन लम्बे समय तक जब सलेक्शन नहीं हो रहे थे तो 1984 में इसमें एक्ट की धारा 11 में संशोधन लाया गया और उस में यह कहा कि एक निश्चित पे-स्केल पर जाकर कोई लेक्चरर अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, रीडर अपनी अन्तिम पे-स्केल पर पहुंच गया या प्रोफेसर पहुंच गया, तो उनको प्रमोशन के कोई चासेज नहीं थे। इसलिए 1984 के अमेंडमेंट के

(श्री हरिसिंह)

जरिये एक्स-कैडर प्रमोशन लागू किये गये। एक्स--कैडर प्रमोशन का सच्चा-सीधा सार यह था कि जैसे ही उस व्यक्ति की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी, विश्वविद्यालयों से उस का पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और कोई नया पद सृजित करके हम उसका प्रमोशन नहीं कर रहे। इसके बाद में तीसरा और रास्ता आया, वह 1988 में जो यू.जी.सी. ने पे-स्केल लागू की, उस पे-स्केल के तहत कैरियर एडवांसमेंट स्कीम लागू की गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मंत्रीजी जो यह एक्ट लाये हैं और इसके जो उद्देश्य यहां दिये हैं उनमें मंत्रीजी ने मुख्यतः दो बातें कहीं। कोई आर्डिनेंस इन्होंने निकाला और विधान सभा सत्र उस समय नहीं था। इसलिये उसको समय पर ये पारित नहीं करा पाये। वह अपने आप में एक अलहदा मामला है। मैं ज्यादा समय सदन का नहीं लूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मंत्रीजी का ध्यान, मंत्रीजी शायद मेरी बात सुनेंगे इसको पढ़ने से पहले (व्यवधान)

आप जो यह कहकर गये हैं कि एक्स कैडर लागू होने के बाद में, जो हमने संशोधन किया था 1984 का, एक्स कैडर का, उसका अब कोई अर्थ नहीं रहा और वह आपने लागू कर दिया। मंत्रीजी, यह आपकी यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का एक आदेश है, जो इस एक्स कैडर प्रमोशन के लिये सिंडिकेट ने मंजूर किया है। उस सम्बन्ध में रूल्स बने और यह जो रूल्स उन्होंने बनाये हैं। उसमें लेक्चरर्स से रीडर बनने के नियम तो हैं एक्स कैडर में लेकिन रीडर से प्रोफेसर के पद पर क्रमोन्नत करने का या पदोन्नत करने का किसी प्रकार का कोई रूल्स आपने फ्रेम किये हैं क्या? यह जानकारी आप मुझे दे दें। यानि लेक्चरर से रीडर तो बना देंगे इसके लिये तो रूल्स यूनिवर्सिटी ने बना दिये। ये रूल्स तो मेरे पास हैं कि आप रीडर से प्रोफेसर कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत रीडर से प्रोफेसर के पद पर प्रमोशन करने की कोई स्कीम, अगर आपके पास हो तो कृपया आप मुझे भी जानकारी दे दें। मैं सुधार कर लूंगा। मैं समझता हूं कि शायद यूनिवर्सिटी ने इस तरह का कुछ नहीं किया है। आप जो अमेंडमेंट ला रहे हैं उसमें यह बात सही है, मैं सहमत हूं आपसे कि आपने एम्पल एपाच्यूनिटी इस कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत दे दी लेकिन वह दी है सिर्फ लेक्चरर से रीडर के प्रमोशन के लिये। रीडर से प्रोफेसर पर प्रमोशन करने के लिये आपके पास सिर्फ एक्स कैडर प्रमोशन की स्कीम है। अब आप इसके लिये लेक्चरर से रीडर बनाने के लिये, अगर इस स्कीम को खतम करना चाहें, यहां तक तो मैं भी सहमत हूं लेकिन रीडर से प्रोफेसर के पद पर प्रमोशन को आप क्यों ब्लाक कर रहे हैं जबकि यह आपकी कैरियर एडवांसमेंट स्कीम में रीडर से प्रोफेसर के पद पर प्रमोशन की कोई स्कीम नहीं, आपकी यूनिवर्सिटी में है नहीं। न आपकी गवर्नमेंट का किसी प्रकार का कोई इरादा इस ढंग की स्कीम लाने का है। अब आप

(श्री हरिसिंह)

अगर यह संशोधन बिल पास करवा लेंगे; तो रीडर सदा ही रीडर बना रहेगा। उसको कभी भी प्रोफेसर बनने के चांसेज आप नहीं दे रहे हैं, नम्बर एक।

नम्बर–दो, इसमें आप जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं, यह समझ में नहीं आ रहा और फिर आप इतना जिद्द क्यों कर रहे हैं जब आपके एडवोकेट जनरल की राय आ गयी कि कानून–सम्मत नहीं है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना? फिर आप भूतलक्षी प्रभाव क्यों दे रहे हैं? आज भी जब आप बिल लेकर के आये हैं तो इसमें दिसम्बर, 1996 से प्रभाव दे रहे हैं; तो आज यह भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा? दो साल में जिनको प्रमोशन मिले हैं, क्या आप उनके हितों पर कुठाराघात नहीं कर रहे हैं, जबकि आपके एडवोकेट जनरल की राय है कि इसमें भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाए? मैं नहीं समझता कि उसके बावजूद भी कौनसी यहां ऐसी आपकी जिद्द है? उपाध्यक्ष महोदय, पेशे से आप प्रोफेसर रहे हैं अगर माननीय शिक्षा मंत्री महोदय आज राजनीति में आकर के शिक्षा मंत्री नहीं होते और अपने उसी पद पर सेवारत रहे होते, कोटा खुला विश्वविद्यालय में होते या राजस्थान विश्वविद्यालय में होते या महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय में होते, तो इस बिल के खिलाफ मैं समझता हूं कि आवाज उठाने वाले प्रथम पंक्ति के व्यक्ति आप होते, क्योंकि इस समय आप ज्यादा से ज्यादा रीडर के पद पर पहुंचे होते। चूंकि आपके हितों पर यह बिल कुठाराघात कर रहा होता तो आपका यह प्रमोशन मार रहा होता, इसलिए आप इस पर गम्भीरता से विचार करें। आप विद्वान हैं, आप चूंकि उस बिरादरी से सम्बन्धित है, जो शिक्षा जगत की बुद्धिजीवी बिरादरी है, जो समय-समय पर दिशा-निर्देश हमारे समाज को देती है, ऐसी बिरादरी के हितों पर कुठाराघात करना और वह भी एक राजस्थान का सर्वोच्च सदन करे और हम मूक-दर्शक बने बैठे रहें, हमने अपनी भावना की अभिव्यक्ति आप तक कर दी। अगर इनके हितों की सुरक्षा नहीं की गयी, तो हमारे बच्चों के हितों की सुरक्षा यह समाज कभी नहीं करेगा। इसलिए यह ध्यान देने की बात है कि हम यहां एक रीडर को रीडर के पद पर ब्लाक कर रहे हैं, इस अमेंडमेंट बिल के माध्यम से; आप उसके लिये व्यवस्था करें। आप आज ही इस बिल को पास कराने की जिद्द न करें। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस बिल पर पुनर्विचार करने के लिये प्रवर समिति को सुपुर्द करें क्योंकि रीडर से प्रोफेसर के पद पर आप प्रमोशन करने की कोई व्यवस्था लेकर के नहीं आये हैं।

मैं साथ ही आपसे निवेदन करूं कि प्रमोशन के लिये सलेक्शन जो होना चाहिये था, कृपया आप मुझे जानकारी दें कि 1987 के बाद में आपने कोई सलेक्शन किया है? नहीं किया। ग्यारह वर्ष का लम्बा समय हो गया। यूनिवर्सिटी में रोज भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रश्न खड़े हो जाते हैं। रोज आपके वी.सी. बदलते हैं। अभी आप वी.सी. का ही मसला तय नहीं कर

(श्री हरिसिंह)

पाये । मान्यवर, आपने जो वी.सी. अभी यहां राजस्थान यूनिवर्सिटी में बैठा रखे हैं, वह तो टेम्पोरेरी व्यवस्था के लिये हैं । उनका टाइम भी खतम हो गया । अभी आप उनके सम्बन्ध में भी कोई निर्णय नहीं ले पाये । ऐसी कैसी यह विश्वविद्यालयों की हालत है, आप अगर विशेष ध्यान नहीं देंगे तो यह बद से बदतर होती चली जाएगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुनः विनम्र शब्दों में मंत्रीजी से भी निवेदन कर रहा हूं और आसन से भी मैं पुरजोर शब्दों में हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि रीडर के पद पर जो लोग प्रमोशन पाकर जिनका केरियर वहां पर ब्लाक हो रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी अपने पोजेटिव प्रभाव का उनके हित में प्रयोग करें और यह एक्ट प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिये दिशा-निर्देश गवर्नमेंट को दें ताकि समाज के एक प्रोफेसर के पद पर जिन लोगों का प्रमोशन होने को है, उनके हितों की यह सदन सुरक्षा कर सके और उनके लिये कोई रास्ता निकाला जाए । अगर आपको अमेंडमेंट ही इसमें लाना है, तो कृपया रीडर से प्रोफेसर के पद पर जो एक्स केडर का जो है, उसमें सेविंग क्लाज लाते हुए यह बिल आप पास करें । इसलिए बेहतरीन व्यवस्था तो यही है कि या तो आप सरकारी अमेंडमेंट ले आयें । इसी सदन में आपकी अगर यही जिद्द है कि आज ही इसे पास करवाना है तो सरकारी अमेंडमेंट आप पेश कर दें । यह मेरी राय है । अगर यह आप नहीं लाते हैं तो निश्चित रूप से आप प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें, इससे समाज के बहुत बड़े एक वर्ग का हित संवर्द्धन होगा और मेहरबानी करके इसको कम से कम रिट्रोस्पेक्टिव प्रभाव से पारित नहीं करवायें । यह कानून के सिद्धान्तों के भी विपरीत है, कॉमन लॉ के विपरीत है, प्राकृतिक कानून के सिद्धान्तों के विपरीत है । मेहरबानी करके यह प्रावधान आप हटा लें और प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के लिये मैं पुनः आपसे अनुरोध कर रहा हूं । आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क । (अनुपस्थित)

श्रीमती कमला ।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय ने जो अध्यादेश को बिल में परिवर्तित करने के लिये अपना प्रस्ताव रखा है, उसके देर होने का कारण और इसको लाने के उद्देश्य इन्होंने सदन के सामने रखे हैं । इन्होंने देरी के कारण बहुत लम्बा विवरण देकर सदन को बताया, इतने लम्बे विवरण में ऐसा लगा आपको भी कि इन्होंने सब कुछ पुष्टि कर दी है, जो भी आपत्तियां थी उनका निराकरण कर दिया और उन्होंने सचमुच में किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में इसको इतना लम्बा पढ़ने के लिये मजबूरी इनकी हो गयी । दो बार

(श्रीमती कमला)

तो आपने यह कहा; क्योंकि यह सदन अचानक स्थगित हो गया; हंगामे के कारण कार्यवाही नहीं चल पायी, इस तरह की बात भी इन्होंने कही।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं के शब्दों में, इन्हीं की बात को याद करना चाहती हूं कि उस हंगामे के दौरान भी कुछ बिल पास हुए। जिस दिन हंगामे के कारण बिल पास हुए, उस दिन की कार्य सूची में इन्होंने इसको नहीं लगा रखा था। नहीं, तो यह भी हंगामे में ही पास हो जाता। इसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने उस समय में इस बिल को लाने की कोई तत्परता या आवश्यकता या इसकी बहुत जरूरत नहीं समझी और बाद में रखने के लिये इसको कार्य-सूची के लिये छोड़ दिया। यह अपने आप में इस बात का द्योतक है कि जितनी प्रायोरिटी से इसको इन्हें विधान सभा के उस सत्र के अन्दर एनलिस्ट कराना चाहिये था, वह एनलिस्ट नहीं करवाया और बाद के लिये क्यों रख दिया, यह तो ये ही जानें, बतायें।

दूसरा जो कारण इन्होंने दिया है, उस कारण में उल्लेखित नहीं किया। जुबानी तौर पर इन्होंने जो लम्बे होने के और देरी के कारण बतायें, उसमें बताया कि केरियर एडवांसमेंट स्कीम जो यू. जी. सी. ने दी, उससे रिप्लेस हो गयी, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं रही। तो कॅरियर एडवांसमेंट स्कीम का जो उसमें उल्लेख नहीं है, वरना सदस्यगण उसके बारे में जानकारी करते कि कितना वह उसमें एक्चुअली एक्स–कॅडर स्कीम को रिप्लेस कर सकेगी और जिस लाभ के लिये वह चालू की गयी थी, उसको यह सच-मुच में पूरा का पूरा रिप्लेस कर रही है या आधा रिप्लेस कर रही है और जिस कॅडर के लोगों को लाभ देने के लिए कायम की गयी थी, उन सभी कॅडर्स को वह लाभ मिल जाएगा या नहीं मिल जायगा, यह भी पता लगता और उसके संदर्भ में जो कॅरियर एडवांसमेंट स्कीम यू. जी. सी. ने दी, उसके संदर्भ में यूनिवर्सिटी से क्या-क्या और व्यवस्थाएं, क्या-क्या और नियम और क्या-क्या प्रशासनिक आदेश जारी किये गये हैं? तो भी समझ में आ जाता। वह भी हमें उपलब्ध नहीं, इसलिए जो कारण आपने विशेष तौर से बताया है, वह कारण न उसमें दर्ज है और न आपने अलग से कोई विवरण माननीय सदस्यों को दिया। अब स्थिति यह है कि आपने जिस कारण से इसको भूतलक्षी प्रभाव से जारी करने के लिये प्रस्तुत किया है, जिसके लिये आपको एडवोकेट जनरल ने मना किया कि यह विधिसंगत नहीं है और यह बात सही भी है कि आज जिन-जिन लेक्चरर्स या रीडर्स ने या जिन किन्हीं ने भी इसका लाभ लिया है, उनके ऊपर इसका क्या-क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किसको इससे वापस नुकसान होगा और इसको हटा लेने से कौन-कौन इस लाभ से वंचित रह जाएंगे, यह सारा का सारा विश्लेषण और यह सारी की सारी वस्तुस्थिति को देखने के लिये यह जरूरी है कि अगर आप

(श्रीमती कमला)

इतने दिनों तक नहीं ला सके और थोड़े दिनों तक और नहीं लाये तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता ।

लेकिन इसको एक प्रवर समिति को सौंपिये जो इन तीनों-चारों मुद्दों को देखे कि भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने से किस--किस पर एडवर्स इफेक्ट इसका होने वाला है और उसको आप नयी कैरियर एडवांसमेंट स्कीम में कैसे कम्प-सेट करने वाले हैं या होगा कि नहीं होगा ? लेक्चरर से रीडर का प्रमोशन है उसके एवेन्यूज, जैसा कि हमारे माननीय सदस्य ने बताया, कि शायद हैं लेकिन जो रीडर से प्रोफेसर के प्रमोशन एवेन्यूज हैं वो उसमें नहीं हैं । अब आप अपने स्पष्टीकरण में शायद देंगे तो समझ में आएगा । शायद होंगे या नहीं होंगे । लेकिन मेरा यह निवेदन है कि यह यूनिवर्सिटी के तमाम टीचिंग स्टाफ का अपने कैरियर का अपने भविष्य का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इम्पार्टेंट मुद्दा है इसको हश-अप नहीं करना चाहिये । आप एक प्रवर समिति कायम कर के इन तीनों मुद्दों पर ही विचार करें कि भूतलक्षी रखा जाए या नहीं रखा जाए और एक्स कैडर को समाप्त किया जाए या नहीं किया जाए, किया जाए तो कितने अंशों तक किया जाए, कितने अंशों में वह कम्पंसेट हो चुका है, कितने अंश कायम रखे जाएं, और कैरियर एडवांसमेंट स्कीम में कितना क्या लाभ उनको मिल रहा है; वह उसके मुकाबले ज्यादा लाभप्रद है या नुकसानदेह है या इससे कम लाभप्रद है ? यह सारे मुद्दे चर्चा में आ सकते हैं और इससे आपको भी लाभ मिलेगा जिससे कि बाद में स्टाफ के अन्दर कोई ग्रिवेंसेज नहीं रहें और वो और आप दोनों मिल कर उनके भविष्य के लिए सुनिश्चित हो सके और आप जिस उद्देश्य से इसको ला रहे हैं उसकी भी पूर्ति हो सके ।

मेरा यह निवेदन है कि इसको प्रवर समिति को सौंपा जाए और जल्दी से जल्दी प्रवर समिति अपने तमाम मुद्दों पर चर्चा कर के, विश्लेषण कर के और उसको आपको प्रस्तुत कर देगी । इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्रीजी ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेंडमेंट है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका बाद में है ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी । वह अमेंडमेंट पर आएगा जब बोलना ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को प्रस्तुत करने के बाद झुन्झुनूं जिले से आने वाले माननीय सदस्य, श्री शिवनाथ सिंह जी और मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य श्री रामनारायण चोधरी साहब ने जनमत जानने के लिये इस विधेयक को देने की बात कही है । इसी प्रकार से कुम्हेर से, महुआ से आने वाले और बैराठ से आने वाली माननीय सदस्यगण ने इसको प्रवर समिति को देने की बात कही है ।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि न तो इसको जनमत जानने के लिये देने की आवश्यकता है न प्रवर समिति को इसको देने की आवश्यकता है। एक बहुत छोटा सा विषय लेकर कि जिस विषय का प्रभाव राज्य सरकार पर प्रभावी रूप से होना है, जब यू. जी. सी. को हमने ग्रेड्स दे दी तो यू. जी. सी. की जो मान्यताएं हैं, जो उनकी अनुशंसाएं हैं उनको मानना राज्य सरकार के लिये आवश्यक है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इसीलिए कि जब 1988 में यू. जी. सी. की ग्रेड्स दे दी गयीं और यू.जी.सी. ने कुछ हमारी मान्यताओं की दृष्टि से हमको कहा कि यह-यह काम करो, इतना ही नहीं, उन्हीं निर्देशों का पालन करने के लिये उच्चतम न्यायालय ने 8-9-1994 को एक आदेश दिया, मेंडेटरी कहा कि यू. जी. सी. के निर्देशों को राज्य सरकार को मानना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रख कर इस सारे संशोधन को, विधेयक को, मैं सदन के समक्ष लाया हूं।

यहां एक चर्चा की गयी कि भूतलक्षी प्रभाव से, इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि यह तो मैंने पहले ही एडमिट किया है कि भूतलक्षी प्रभाव से हम इसको लागू करना नहीं चाहते। किन्तु 27-12-1996 को वो आर्डिनेंस हम ले आये थे और जिस आर्डिनेंस को एक बार समाप्त हो जाने के बाद में भी, क्योंकि पास नहीं करवाया, दोबारा आर्डिनेंस ले आये। इसीलिए 27-12-1996 से ही इस आर्डिनेंस के आधार पर यह विधि सम्मत है और उसी दिन से लागू होगा। इसीलिए यह भूतलक्षी प्रभाव से नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह सदन से कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि सामान्य रूप से मान्यता यह है और यू. जी. सी. ने जो दिशा-निर्देश दिये उसमें उनकी मान्यता यह रही कि लैक्चरर्स, रीडर्स और प्रोफेसर्स के सलैक्शन सीधे-सीधे किये जाएं। इनमें पदोन्नतियां जिस नाते से की जानी चाहिये, उन्होंने उसको सदा डिस्करेज किया है। किन्तु यू. जी. सी. की ग्रेड्स आने से पहले 1984 में जब यह बात लगातार लैक्चरर्स से और रीडर्स से आती रही कि हमारा स्टेग्नेशन हो रहा है तो उस स्टेग्नेशन को ध्यान में रख कर के वह संशोधन लाया गया जिस संशोधन को अब मैं करना चाहता हूं। 1988 के बाद यू. जी. सी. की स्केल्स आने के बाद, उनके निर्देश आने के बाद और उन निर्देशों का पालन किया जाए, उच्चतम न्यायालय का आदेश आने के बाद, कोई आल्टरनेटिव हमारे सामने नहीं रहा था सिवाय इसके कि यू. जी. सी. के दिशा-निर्देशों की पालना की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस दृष्टि से कहना चाहता हूं कि आज नहीं, उस समय तत्कालीन सरकार ने ही, जिसकी चर्चा मैंने अपने पहले भाषण में कारण बताते समय की थी, उन्होंने भी यही बात कही थी, क्योंकि हमने यू. जी. सी. की ग्रेड्स स्वीकार कर लिये उनके दिशा-निर्देशों का

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

पालन हमको करना चाहिये। उस समय के तत्कालीन मंत्रिमण्डल ने भी इसी प्रकार का निर्णय लिया था। हाईकोर्ट का निर्णय होने के पश्चात् तो हम किसी भी दृष्टि से डिग नहीं सकते हैं। हमारे सामने यह समस्या आकर खड़ी हो गयी और उसी बात को ध्यान में रख कर के, उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन लाये हैं। मैं निश्चित रूप से यह बात बताना चाहता हूं कि कैडर प्रमोशन में दोनों प्रकार के प्रमोशन थे, लैक्चरर से रीडर के लिये, रीडर से प्रोफेसर के लिये। कैरियर एडवांसमेंट स्कीम में दोनों का नहीं है। ठीक कह रहे थे महुआ से आने वाले माननीय सदस्य, मैं उनकी बात को मानता हूं। चूंकि यह प्रोफेसर का पद ऐसा है जिसका रिक्रूटमेंट लगातार होता रहता है, जिसकी पोस्ट इतनी अधिक नहीं है और यू. जी. सी. के दिशा-निर्देश हैं और इसीलिए उन्होंने अपने दिशा-निर्देश देते समय भी कैरियर एडवांसमेंट स्कीम की जब चर्चा की तो उन्होंने कहा कि जो इस क्षेत्र में लो-पेड लैक्चरर हैं उनका रीडर पर प्रमोशन होना चाहिये किन्तु रीडर से प्रोफेसर का प्रमोशन किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिये। हम उससे दूर नहीं हट सकते। किन्तु आप कहेंगे कि वह प्रोफेसर बनेंगे कैसे? नहीं, बन सकते हैं। उनको पोस्ट है, एडवरटाइज होगा, सलेक्शन होगा। वो उसमें आएंगे, इन्टरव्यू फेस करेंगे और इन्टरव्यू फेस करने के पश्चात् उनमें अगर योग्यता हुई तो निश्चित रूप से प्रोफेसर के नाते उनको पदस्थापित किया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए मेरी सहमति है, आपने मेरी भावनाओं को जाग्रत किया। यह बात सच है। आप भी प्रोफेसर रहे हैं कभी और शायद आज राजनीति के मैदान में नहीं आते तो शायद आप भी पहले व्यक्ति होते जो कहते कि नहीं, यह हमारे साथ कुठाराघात हो रहा है, रीडर से भी प्रोफेसर का प्रमोशन किया जाना चाहिये। मेरी व्यक्तिगत राय कुछ भी हो सकती है, मैं आज उसको बताना नहीं चाहता, परन्तु अपने-अपने इन्टरेस्ट रहते हैं। मेरा भी इन्टरेस्ट शायद रहा होता और मैं कुछ कह जाता किन्तु अगर यू.जी.सी. के ग्रेड्स हमने दिये हैं, उनके दिशा-निर्देश का पालन करना हमको आवश्यक है और फिर हाईकोर्ट के निर्णय के संदर्भ में तो पालन करना निश्चित रूप से आवश्यक हो ही गया है, ऐसा मेरा कहना है।

एक बात मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने सच कही। कई चर्चाएं की थीं, वह चर्चाएं पहले विधान सभा में भी हो गयीं, मैं उसमें विस्तार में जाना नहीं चाहता। राज्य सरकार यह भी विचार कर रही है कि कुछ इस प्रकार की बातें हैं, अकाउंटेबिलिटी हो, प्रोफेसर्स की भी हो, अटेंडेंस की बात भी हो और इसके नाते से इस टीचर्स वाले सलैक्शन में तो नहीं किन्तु सामान्य एक्ट में ही कोई न कोई बड़ा संशोधन लाना चाहिये, इसके लिये राज्य सरकार लगातार विचार कर रही है। सब स्तर पर, लोगों से विचार-विमर्श करती चली जा रही है, उनको उचित समय आने पर उपस्थित करेगी। अकाउंटेबिलिटी के बारे में, अटेंडेंस के

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

बारे में, गुणात्मक परिवर्तन हुए बिना और क्षमा करिये, एक काल हो गया है लगातार बहुत पहले से, मैं कोई आज की बात नहीं कर रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एजुकेशन में जो डेटेरियोरेशन आया है, बहुत समय से यह सवाल, कोई सात-दस साल का सवाल नहीं है और इसलिए उस प्रकार की जो परम्पराएं बन गयी थीं, आज तो विषय भी आकर खड़ा हो जाता है और कहा जाता है हम तो टीचर हैं, टीचर पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। हां, संदीपन ऋषि का मामला होता तो बात चल सकती थी। किन्तु आज के भौतिकवादी परिवेश में निश्चित रूप से उस प्रकार के भी कुछ न कुछ नियम, कानून बनाने पड़ेंगे और इसलिए बड़े एक्ट में परिवर्तन किया जाना पड़ेगा जिसके लिये राज्य सरकार की मानसिक तैयारी है।

विभिन्न स्तरों पर हम चर्चा कर रहे हैं। ऐक छोटे से उद्देश्य को लेकर उस दिशा-निर्देश का पालन हो, हाई कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन हो और उसमें यह जो बात आपने कही है कि यह प्रमोशन केवल, यह बात सच है कैरियर एडवांसमेंट स्कीम जो आयी है उसमें सहूलियतें ज्यादा हैं। आठ वर्ष बाद ही, जिसने आठ साल का कार्य पूरा कर लिया हो, जिनकी ए.सी.आर. ठीक हो, ऐसे को निश्चित रूप से सीनियर लेक्चरर और सलेक्शन ग्रेड मिल जाएगी। पहले दस साल हुआ करता था। एक्स-कैडर स्कीम में दस वर्ष का होता था तो सहूलियतें दी हैं छोटी कैटेगरी के लिये। बड़ी कैटेगरी के लिये उन्होंने कहा कि रीडर से प्रोफेसर का प्रमोशन करना इस दृष्टि से उचित नहीं है कि बहुत बड़ी पोस्ट होती है और सचमुच आज जो प्रोफेसर की पोस्ट है वह पोस्ट चीफ सेक्रेटरी से भी बड़ी है आज पे की स्केल से सब दृष्टि से है और इसलिए इस छोटे-से उद्देश्य को रखकर मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो दोनों प्रस्ताव जनमत जानने के लिये आये हैं या जो प्रवर समिति को देने के लिये आये हैं; पहले ही बहुत देरी हो गयी, बहुत कठिनाई हुई है, अब आगे आएं। अब इसमें सवाल आया कि कुछ लोगों को मिल गया होगा तो क्या होगा? इस अमेंडमेंट में इस बात की सावधानी रखी है कि जिनको पहले प्रमोशन मिल गया है उन पर कोई भी किसी प्रकार का असर नहीं होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर इस संशोधन विधेयक को मैं सदन के समक्ष लाया हूं। आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूंगा माननीय सदस्यों को, कि इसको आगे बढ़ाएं और इन दोनों प्रकार के जो प्रस्ताव आये हैं, उनको रिजेक्ट करें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें वाद-विवाद नहीं होगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक सैकण्ड, नहीं, वाद-विवाद नहीं कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध कर रहा हूं सिर्फ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वर्ड में करिये ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, अनुरोध कर रहा हूं । यह वाचन की बात नहीं है । मैं यह कह रहा हूं कि अभी बजट सत्र आने वाला है, एक-दो महीने में कोई महाप्रलय नहीं होने वाली है । यह प्रवर समिति को सुपुर्द करें और प्रवर समिति को यह ....(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : फिर यह आोर्डिनेंस लेप्स हो जाएगा ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : प्रवर समिति को यह बाउण्ड कर रहे हैं । बजट सत्र में ....(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह आोर्डिनेंस फिर लेप्स हो जाएगा । फिर नयी बात आ जाएगी ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : बजट सत्र में....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह आोर्डिनेंस फिर लेप्स हो जाएगा । फिर बाद में आ जाएगी तीन महीने के बाद में । यह कहना है मेरा ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अब तो आप बहुत जल्दी प्रतिस्थापित कराने वाले हो ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें माननीय सदस्य ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 1998 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 1998 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए ?

(अस्वीकृत)

प्रवर समिति को सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 1998 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया ।

खण्डशः विचार

खण्ड-2, कोई संशोधन नहीं ।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया ।

खण्ड-3 श्री हरिसिंह (कुम्हेर) एवं श्री शैलेन्द्र जोशी, सदस्य, विधान सभा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : खण्ड—3 में मैंने यह संशोधन रखा है और इस उद्देश्य से रखा है जैसा कि माननीय प्रभारी मंत्री जी ने बताया कि हम अब कैरियर एडवांसमेंट स्कीम ले आये हैं और कैरियर एडवांसमेंट स्कीम लाने के पश्चात् जो पहला सैक्शन था 11 उसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है । पूर्व सैक्शन था पर्सनल प्रमोशन अगेंस्ट एक्स—कैडर पोस्ट एक्स—कैडर पोस्ट पर प्रमोशन करने की, इसमें एक विधि दी हुई थी कि लेक्चरर से रीडर और रीडर से प्रोफेसर को प्रमोशन उन लोगों को दिया जाए जिनको कि काफी स्टेगनेंसी हो गयी है । इसमें दे रखा है कि जो 10 साल सर्विस में रहे हों और जिनका कैरियर अच्छा रहा हो, उस प्रकार के लोगों के लिये वह एक जनवरी को कुछ वन थर्ड पोस्ट होंगी, उनको वन थर्ड पर प्रमोशन देकर एक्स—कैडर पोस्ट क्रिएट करके वह उनको प्रमोशन देते थे । अब आप यह कह रहे हैं कि इस प्रकार की स्कीम सैक्शन 11 की जो है वह तो आप समाप्त करते हैं और साथ-साथ जो नया सैक्शन 11 है, जो कि ट्रांजिशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू एक्स—कैडर प्रमोशन स्कीम है, उसको लागू करना चाहते हैं और उसके हिसाब से जिस व्यक्ति का प्रमोशन हो चुका है यदि वह परमानेंटली उस पोस्ट को होल्ड करना, सीज कर जाएगा तो एक्स कैडर पोस्ट समाप्त हो जाएगी और ओरिजिनल पोस्ट है वह पुनः रिवाइव हो जाएगी । ऐसा एक प्रोविजन सैक्शन-11 में है । मैंने इसमें माननीय प्रभारी मंत्रीजी केवल यह संशोधन रखा है कि अगर आपकी कैरियर एडवांसमेंट स्कीम में ऐसा प्रावधान है, ऐसा पद है तब तो आप इसको समाप्त कर दीजिए और अगर कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का भी लाभ नहीं मिलेगा, आपके हाई कोर्ट वगैरह केवल यही कहते हैं कि आप कैरियर ऐडवांसमेंट स्कीम को यू.जी.सी. ने जो स्कीम लागू की है, उसको आप लागू करिये, यही हाई कोर्ट का कहना है । लेकिन अगर उस स्कीम का लाभ किसी व्यक्ति को नहीं मिल रहा है तो उसके लिये पुरानी जो स्कीम है आपकी; उसका लाभ दे सकें, उसका पद क्रिएट कर सकें, उसका मैंने संशोधन रखा है । इसमें भी कोई आपको एतराज है तो आप जाने दीजिए अन्यथा मेरा तो संशोधन है । यह बिलकुल न्यायसंगत संशोधन है इसलिए रखा है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी ।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो विषय है वह बहुत ही इंटेलेक्चुअल क्लास आफ

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

सोसायटी से रिलेटेड है और यह जो बिल की प्रति....

श्री उपाध्यक्ष : आपका जो विषय है वह भी सीमित है। एक खण्ड पर है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : खंड पर बोलना।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं खण्ड पर ही बोल रहा हूं लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि यह किसी + + + से सम्बन्धित नहीं है बल्कि इंटेलेक्चुअल क्लास आफ सोसायटी का विषय है जिसके लिये बहुत ही विद्वता की जरूरत है; बहुत ही पारगंत होने की जरूरत है, जिसमें शिक्षाविद् की निपुणता की जरूरत है। यह मैं कहना चाहता हूं और उसका स्पष्ट द्योतक यह है कि आज इस बिल के बारे में केवल विपक्ष के माननीय सदस्य ही चिन्ताग्रस्त हुए हैं और हां पक्ष के लोग कितने बोलकर इंटेलेक्चुअल केलिबर दिखा पाये हैं वह आपको भी मालूम है मुझे भी प्राइमफेसी मालूम है। मेरा निवेदन करना यह है कि जैसा आपने आदेशित किया वैसा ही मैं खण्ड-3 में संशोधन प्रस्तावित कर रहा हूं:—

"विधेयक के खण्ड—3 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "11 काडर-बाह्य पदोन्नति स्कीम के सम्बन्ध में अन्तःकालीन उपबन्ध के पश्चात् एवं अभिव्यक्ति पुनरुज्जीवित हो जाएगा।" के पूर्व अभिव्यक्ति "सुसंगत विधि अथवा इस अधिनियम में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, राज्य सरकार, रुके हुए योग्य अध्यापकों को पदोन्नति सम्बन्धी अवसर देने की दृष्टि से, प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी को जितने पात्र व्यक्ति हों, उनके एक तिहाई तक आचार्यों के काडर बाह्य पद किसी विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय में, सृजित कर सकेगी" प्रतिस्थापित किया जाए।"

"विधेयक के खण्ड—5 के स्थान पर निम्नांकित को प्रतिस्थापित किया जाए। खण्ड—5 बाद में पढ़ूंगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हां, बाद में पढ़ना।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरा निवेदन करना यह है कि इस खण्ड—3 के अन्तर्गत संशोधन होने जा रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की प्रति आज रात को ही विधायकगण के घर पर डाली गयी है। सुबह उठकर देखा गया, पढ़ा गया था। राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो कैरियर एडवांसमेंट स्कीम है, एक्स-कैडर प्रमोशन स्कीम है उसको देखा गया। इस तरह से जो यह अल्पकालीन सूचना दी गयी, यह ठीक नहीं है। परन्तु फिर भी मेरा यह कहना है कि जो भी यह प्रावधान रखा गया है, यहां इन्सर्ट किया गया है उसका मकसद केवलमात्र यह है कि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत

+ + + अंसम्बन्धित अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

जो प्रारम्भ में प्राध्यापक लेक्चरर के रूप में आते हैं, जिनका कि आज नोमेनक्लेचर एसोशिएट प्रोफेसर हैं, जिनको कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी यह कह रहे हैं कि आठ साल बाद हम उनको रीडर के रूप में पदोन्नत कर देंगे, इसलिए मेरा निवेदन है कि यू.जी.सी. के 1988 के जो वेतनमान हैं उनके अनुरूप हम आचरण करते हुए और उनका एनफोर्समेंट करते हुए हम ड्यूटी बाउण्ड हैं कि कैरियर एडवांसमेंट स्कीम ही लागू रखें। मेरा यह कहना है कि कैरियर एडवांसमेंट स्कीम नहीं लागू की गयी तो यह कानून एक काला कानून होगा राजस्थान के विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों के लिये और उसकी वजह क्या रहेगी कि आज राजस्थान विश्वविद्यालय में, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, आप बताने की हैसियत में हैं तो बताइये कि हमारे यहां 34 संकाय हैं, उनमें से कितने संकायों में प्रोफेसर के पद हैं? इस समय आप बताने की स्थिति में हों तो मुझे बताइये। मुझे शर्म आ रही है।

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ठीक है, यह तो मेरा निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय। मैं यह बताना चाहता हूं कि जो प्रोफेसर के पद हैं, जो 34 फैकल्टीज हैं, हमारे यहां 34 फैकल्टीज में से मात्र छह प्रोफेसर के पद हैं। क्या राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षाविद् नहीं या पढ़े लिखे रीडर नहीं? जिनको 18 साल हो गये रीडर बने हुए, जिनको 12 साल हो गये। अब वे प्रोफेसर का पद प्राप्त नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यह काला कानून लाया जा रहा है, क्योंकि कैरियर एडवांस स्कीम जिसके द्वारा एक रीडर को प्रोफेसर बनाया जा सकता था उस स्कीम को इस सदन के द्वारा हटाया जा रहा है, रीपील किया जा रहा है। मेरा "सेविंग्स" क्लॉज के रूप में यह कहना है कि उस स्कीम को रखा जाए। आज हम एक बात जो तय करने जा रहे हैं, हम चाहेंगे कि हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में 700 लेक्चरर हों, 800 उसमें एसोसिएट प्रोफेसर हों।

श्री उपाध्यक्ष : यह भी अलग से प्रश्न है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सर, मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इससे खण्ड 3 का सम्बन्ध नहीं है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितना मैं रिलेवेन्ट बात कर रहा हू, जितनी मैं तार्किक बात कर रहा हूं, जितनी मैं प्रासंगिक बात कर रहा हूं, मैं नहीं समझता कि उतना अन्य माननीय सदस्यगण ने की हो लिहाजा मेरे को समय और दिया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने यह बताया कि राज्यों में यू.जी.सी. के 1988 के वेतनमान

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

लागू हो गये उसके अनुसार कैरियर एडवांसमेंट स्कीम चलाना चाहते हैं जिससे कि लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर रीडर बन जाए। मेरा यह निवेदन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने वहां के विश्वविद्यालय ने यह कैरियर एडवांसमेंट स्कीम जो कि यू. जी. सी. के 1988 के वेतनमान के बाद लागू की गयी है, उसके बाद भी रीडर से प्रोफेसर के पद के प्रमोशन के लिये एक्स कैडर प्रमोशन स्कीम जारी रखी है। आप मालूम करवा लीजिये। यदि यह बात गलत है तो मैं सदन में माफी मांगने के लिए तैयार हूं। ऐसी स्थिति में मेरा यह निवेदन करना है कि हमारे यहां जो जीनियस लोग हैं, हमारे यहां जो विद्वान लोग है, हमारी यूनिवर्सिटी में जो काबिल लोग हैं, उनकी काबलियत पर आप जंग नहीं लगायें, उनकी काबलियत को समाप्त और नष्ट नहीं करें। आप भारतीय सभ्यता और संस्कृति की अक्षुण्य धरोहर और विद्यालय और महाविद्यालयों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इनकी विद्वता इनकी इंटेलेक्चुअल केलिबर को बरकरार रखें ....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराज जाएं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरा निवेदन करना और भी है साहब। मैं रिलेवेन्ट बात कह रहा हूं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं, अलग बात कर रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ऐसी स्थिति में मेरा यह कहना है आपसे केवल खण्ड 3 के लिये कि आप कैरियर एडवांसमेंट स्कीम जरूर अपनायें किन्तु इसके साथ-साथ एक्स कैडर प्रमोशन स्कीम अपनायें जिससे कि रीडर से प्रोफेसर बन सकें, राजस्थान विश्वविद्यालय को यह गौरव हासिल हो सके कि कम से कम और नहीं तो 80 प्रतिशत डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के पद अगर आप सृजित नहीं करेंगे तो आप बताइये कि एवेन्यू कैसे ओपन होंगे। आपने इस समय राजस्थान विश्वविद्यालय में कितने विभागों में प्रोफेसर के पद सृजित कर रखे हैं। जब पद सृजित नहीं होंगे, पद सैंक्शन नहीं होंगे तो एक्स कैडर प्रमोशन स्कीम के अन्तर्गत प्रोफेसर तो बन जाएंगे? किन्तु कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत एक भी प्रोफेसर नहीं बनेगा। आपको + + + देंगे, आपको अभिशाप देंगे, आपको + + + देंगे। यह हालत है। + + +

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह शब्द एक्सपंज किया जाए। + + + शब्द उचित नहीं है। पता नहीं किस पर + + + कर रहे हैं, अपने ऊपर कर रहे हैं या काहे के ऊपर कर रहे हैं, मालूम ही नहीं है क्या बोल रहे हैं। इनको जाना दिल्ली है और बम्बई वाली गाड़ी में बैठ रहे हैं।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। बीच में व्यवधान नहीं माननीय सदस्या, डाक्टर साहब।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 3 में दो माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये। मैं दोनों को अमान्य करने के लिये आपसे निवेदन करता हूं, सदन से निवेदन करता हूं। कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी बात में इस बात को स्वीकार कर लिया कि अगर सचमुच यू. जी. सी. के दिशा-निर्देशों का पालन करना है और हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करना है, तो उन्होंने भी अपने संशोधन पर जोर नहीं दिया।

जहां तक बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य का सम्बन्ध है, मैं उनको इंटेलिजेंशिया की श्रेणी में रखता हूं, कोई और रखे या न रखे, मैं मानता हूं किन्तु खण्ड 3 के विषय में इन्होंने जो संशोधन रखा, अगर यू. जी सी. के दिशा-निर्देशों को मानना है तो कैडर प्रमोशन कैसे रहेगा। जहां तक प्रोफेसर्स की पोस्ट क्रिएशन का प्रश्न है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि पोस्ट क्रिएटेड हैं, सलेक्शन नहीं हुए। राज्य सरकार यह भी चाहती है, प्रयत्न कर रही है, उनको कह रही है, व्यवस्थाएं भी बनाने के लिए उनको निवेदन कर रही है, कि जल्दी से जल्दी सलेक्शन करें ताकि रीडर के जो ग्लेमरस लोग हैं उनको सलेक्शन में आकर प्रोफेसर बनने का अवसर मिल जाए। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी इंटेलिजेंशिया को स्वीकार करते हुए और कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य को तो मेरे बराबर का, उन्होंने पहले बात कही है, उसके सन्दर्भ में कहा है। मैं निश्चित रूप से जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मैं महुआ वालों की बात करना चाहता हूं इसलिए मैं उसको प्रेस अप नहीं करना चाहता। मैं तो कहना चाहता हूं कि यू. जी. सी. के ग्रेड स्वीकार करने के बाद ही खण्ड 3 में संशोधन किये हैं, वे बिलकुल अमान्य हैं और उस बात को पूरा करने के लिए खण्ड 3 में यही संशोधन करना आवश्यक है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको स्वीकार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में जो संशोधन श्री हरिसिंह (कुम्हेर), और श्री शैलेन्द्र जोशी, सदस्य विधान सभा ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें स्वीकार किया जाए ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत हो जाएगा। संशोधन पर वोटिंग तो एक-एक पर होगा। इकट्ठा वोटिंग नहीं करा सकते। इकट्ठा हो नहीं सकता। आप करा लें, आपकी मर्जी वाली बात है। यह सेपरेट-सेपरेट होता है।

श्री उपाध्यक्ष : एक-एक पर ही बोल रहा हूं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में जो संशोधन श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान

(144)

(श्री उपाध्यक्ष)

सभा ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में जो संशोधन श्री शैलेन्द्र जोशी, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड-4 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया।

खण्ड 5, श्री शैलेन्द्र जोशी, सदस्य, विधान सभा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक के खण्ड—5 के स्थान पर निम्नांकित प्रतिस्थापित किये जाने का निवेदन करता हूं:—

"द्वितीय अनुसूची की प्रविष्टि 2 को हटाया जाना, मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची की प्रविष्टि 2 को हटाया जाएगा।"

मेरा निवेदन करना यह है कि अभी माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा कि एक्स कैडर प्रमोशन स्कीम के अन्तर्गत जो पहले प्रोफेसर के पद थे उनके लिये पोस्ट वेकेन्सी कर दी गयी, किन्तु उनकी भर्ती नहीं हुई है और प्रोसेसिंग जारी है। मेरा यह निवेदन करना है कि आज यूनिवर्सिटी एक आटोनोमस बाडी है, यह बात सही है। राजस्थान सरकार का एक निर्धारित और निश्चित ही क्षेत्राधिकार है। किन्तु माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह की पोस्ट प्रोफेसर की वेकेंसी क्रिएट कर दी गयी वह आज तक नहीं भरी गयी। उसी तरह राजस्थान विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की पोस्ट खाली है और उसके लिये कमेटी बना दी गयी। राजस्थान विश्वविद्यालय में आज वी.सी. के पोस्ट के लिये कमेटी बनाने के अलावा भी आज तक वाइस चांसलर की नियुक्ति नहीं हो पायी है।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड पांच से सम्बन्धित है क्या यह बातें ? इससे सम्बन्धित हैं क्या?

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरा यह कहना है कि सेम केस, मेरा यह कहना है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जिस तरीके से आपने यह कहा है कि प्रोफेसर का पद सृजित कर दिया गया है अन्य-अन्य संकाय में। किन्तु पद सृजित करने के बाद भी उसमें भर्ती की प्रक्रिया, चयन की प्रक्रिया नहीं हुई। प्रोफेसर के लिये भी राजस्थान विश्वविद्यालय में जितने पद सृजित होते हैं उनमें चयन की प्रक्रिया में इतना विलम्ब होता है, दीर्घजीवी होती है, लोंग लास्टिंग होती है और वह परपीटस समय तक डीलेड लेटली डीलेड रहती है जो नहीं हो पाती है। ठीक ऐसी स्थिति में जैसे कि राजस्थान विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिये एक प्रश्न चिन्ह के रूप में खड़ा हुआ है और नहीं बन पा रहा है।

साथ में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो सबसे ज्यादा ज्वलंत समस्या जिससे हजारों विद्यार्थियों का, केवल आज ही भविष्य में एक-दो दिन में तय होना है, वह यह है कि 75 प्रतिशत अटेंडेंस रखकर आपने उनको प्राइवेट एग्जाम के लिये कह दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, इस खण्ड से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रभारी मंत्री महोदय।

श्री शैलेन्द्र जोशी : श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इस पर बोलना क्या है? यह तो अनुसूची है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराज जाएं। विराज जाएं माननीय सदस्य।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जो मूल उद्देश्य को पूरी करने के लिये मैंने कहा है, कृपया इनका जो प्रस्ताव है उसको निरस्त किया जाए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप अनुसूचित दो को रीपील एण्ड सेविंग्स क्लॉज के रूप में हटाएं और मेरा यह कहना है कि जो पहले ही की बात है वही इन्सर्ट की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें। आसन पैरों पर है माननीय सदस्य।

प्रश्न यह है कि खंड 5 में जो संशोधन श्री शैलेन्द्र जोशी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड 5 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड 5 स्वीकार किया गया।

खंड 6- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड 6 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खंड 6 स्वीकार किया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 1998 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 1998 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 1998 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 1998 को पारित किया गया।

श्री किशन मोटवानी : होम मिनिस्टर को जो स्टेटमेंट देना है वह दिलवा दीजिये।

मुखबंध

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 1997-98 का पारण

मांग संख्या-2

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-2 मंत्रिपरिषद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 37,78,000/- (सैंतीस लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-3

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-3 सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,000/- (तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-4

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–4 जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,03,60-000 (दो करोड़ तीन लाख साठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-5

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 5-प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,41,37,000/- (चार करोड़ इकतालीस लाख सैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-6

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6- न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,65,23,000 (चार करोड़ पैंसठ लाख तेइस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-7

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 7–निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,90,61,000/- (इक्कीस करोड़ नब्बे लाख इकसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-8

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 8-राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,17,91,000/- (एक करोड़ सत्रह लाख इक्यानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-9

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9—वन के सम्बन्ध में 31 मार्च 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,50,07,000/- (एक करोड़ पचास लाख सात हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-10

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 10-विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,66,000/- (एक लाख छियासठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-12

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 12-अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-13

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 13-आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,94,49,000/- (सोलह करोड़ चौरानबे लाख उनचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-14

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14—बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-15

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 15–पेंशन व अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 94,31,50,000/– (चौरानवे करोड़ इकतीस लाख पचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-16

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—17

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की की मांग संख्या 17-कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,000(पांच-हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—19

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,00,27,000(दो करोड़ सत्ताईस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—20

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20–आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000(चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या—21

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,000(तीन-हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—22

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22-क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,65,34,000 (पांच करोड़ पैंसठ लाख चौंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—23

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,000 (चौदह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—24

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 74,82,000(चौहत्तर लाख बयासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—26

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26-चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,000(दस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकार)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या—27

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27-पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,06,98,-42,000/- (एक अरब छह करोड़ अठानवे लाख बयालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—28

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000(एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—29

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-29 नगर आयोजन एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25,96,66,000/-(पच्चीस-करोड़ छियानवे लाख छियासठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—30

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000/- (चार हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—34

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,69,000/- (बीस लाख उनहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—35

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,60,01,000/- (बाईस करोड़ साठ लाख एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—36

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36-सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,01,21,-000/- (सात करोड़ एक लाख इक्कीस हजार) की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—37

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37-कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,000/- (तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—38

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,01,000 (दस लाख एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—39

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या—40

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,86,75-000/- (तीन करोड़ छियासी लाख पिचहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—41

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,000/- (छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—42

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42-उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 28,19,56,000/- (अट्ठाईस करोड़ उन्नीस लाख छप्पन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—46

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46-सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,20,27,14,000/- (एक अरब बीस करोड़ सत्ताईस लाख चौदह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—48

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 48-विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,93,75,66,000/- (छह अरब तिरानवे करोड़ पिचहत्तर लाख छियासठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—49

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 49—स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 77,06,000/- (सतहत्तर लाख छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1998

श्री हरिशंकर भाभड़ा, प्रभारी मंत्री, राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव रखेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप-मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिशंकर भाभड़ा, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1998 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1998 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री शिवनाथ सिंह (मुंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (फलोदी) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी राशि सप्लीमेंट्री के रूप में हम स्वीकार करने जा

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

रहे हैं। जो पुरानी पीढ़ी है, उसको याद है कि जब राजस्थान का गठन हुआ था उस वक्त राजस्थान का बजट कुल 16 करोड़ रुपये था और इस साल रफ एस्टीमेट्स के अनुसार यह 16 हजार करोड़ रुपये है। यह बड़ी राशि क्यों? क्योंकि समय परिवर्तनशील है। जो बड़े–बड़े कार्य थे, चाहे इरिगेशन के हों, चाहे बिजलीकरण के हों, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हों, चाहे शिक्षा के क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों में हों, काफी उपलब्धियां हमने प्राप्त कीं लेकिन समय बदलने की वजह से हमारी जो योजनाएं हैं और खर्चा है उसके अनुसार हम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। सामाजिक परिस्थितियां हैं, आर्थिक परिस्थितियां हैं, ये सब बदल रही हैं लेकिन हम पुरानी लीक पर चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर, आज कानून और व्यवस्था की हालत है, पहले मारपीट या कत्ल या इस तरह के मुकदमे होते थे, आजकल बढ़ी आबादी के कारण अपराध भी कई तरह के बढ़ गये हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है, किसी सरकार का मुख्य ध्येय होता है कानून और व्यवस्था बनाये रखना और न्याय देना। पहले भी मैं कह चुका हूं और आज फिर कहता हूं, आज कोई रैंक ट्रेसपासर आपके मकान में आकर बैठ जाए, सूना पड़ा है और आकर बैठ जाए, तो इस जिन्दगी में आप और मैं उस मकान को कानून के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते।

सिविल केसेज हैं, लम्बे-लम्बे, छह-छह, आठ-आठ महीनों में पेशी, फिर इन्टरिम ऑर्डर, उसकी अपीलें, फिर अदालतों की सीढ़ियों में आकर रिट, तो यह हो क्या रहा है? अगर कोई किसी के खेत में आकर बैठ गया, इस जीवन में वह कानून से उस खेत को खाली नहीं करवा सकता। आज कोई हत्या हो जाए तो हत्यारे को, मुझे दसों केस याद हैं, 20-20 साल पहले हत्याएं हुई हैं और अभी तक वे केस लम्बित हैं। बड़े अफसोस की बात है, छोटी-छोटी बातों पर तो अपन विचार करते हैं, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, क्या व्यवस्था है? इसकी तरफ किसी ने इंगित किया है या सरकार ने ध्यान दिया है कि नहीं।

किसी सरकार का प्रथम दायित्व है कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखे और न्याय दे, बाकी तो सब है, शरीर ठीक नहीं है तो चाहे कितना ही श्रृंगार कर लो, पाउडर लगा दो, क्रीम लगा दो, जरी के कपड़े पहना दो, शरीर सुदृढ़ नहीं है तो सब थोथा आडम्बर है। इस तरफ ध्यान ही नहीं किया।

चाहे कितना ही बढ़ाना पड़े, एक-एक पकौड़े पर, एक-एक साड़ी बांटने पर, दो रुपये, ढाई रुपये या पांच रुपये किलो चावल देने में अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं। आबादी जो तीन–चार गुना बढ़ गयी है तो अदालतों की संख्या, अब अपराधों के प्रकार बढ़ गये हैं, पहले सिविल लॉ में रुपयों के लेन-देन के दावे वगैरह होते थे, आजकल ब्रीच ऑफ कांट्रेक्ट और पचासों तरह के उपभोक्ता कानून अलग हैं, एक्सीडेंट्स कानून अलग हैं, तो इस बात को हम नजरअंदाज कर रहे हैं बहुत बड़ी कीमत पर, संक्षेप में कहूंगा, एक बात।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

दूसरी बात है कि पी.एच.ई.डी. पर एक अरब रुपये का बजट, पिछले तीस साल में पी.एच.ई.डी. ने काफी उपलब्धियां पायी हैं लेकिन इन्होंने इतना गलत तरीका अपनाया है कि पश्चिमी राजस्थान अगले पांच साल में सूख जाएगा पी.एच.ई.डी. की गलत नीतियों के कारण। जहां कहीं भी भू-जल है वहां तीस-तीस ट्यूबवैल लगा देते हैं। मैं आपको बता देता हूं, रामपुर और मथानिया, भाटी साहब यहां हो तो, चालीस से पैंतालीस फीट पर पानी था आज नौ सौ फीट पर गया है। रणसी गांव से जोधपुर को पानी देने के लिये, फ्लश लेट्रिन को बहाने के लिये, मल बहाने के लिये। रणसी गांव में अथाह जल था, दुनिया कहती थी कि यहां का पानी कभी खतम होने वाला नहीं है। हरेक ओपन कुएं का ओपन डिस्चार्ज पचास हजार गैलन प्रति घण्टा था, आज पानी वहां से नदारद है।

हम हैं कि 1939 में जोधपुर में छह महीने के अंदर पानी खतम हो गया तो नहर ले आए और ऐसा वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम दुनिया में अगर कहो भी हैं, तो सबसे बढ़िया जोधपुर का एनशियंट सिस्टम है। जब आबादी एक लाख की थी, दो इंच बरसात होती तो जोधपुर नगर के लिये पर्याप्त जल, कहां-कहां से, पुन बांध कर, नहरें निकाल करके लाये थे लेकिन जब से यह आधुनिक पद्वति आपने अपनाई, पहले पाली के हेमावास बांध, जो सिंचाई का था, उसको खतम किया, यहां पानी खींचा फिर जवाई से लिया, उसका पानी खींचा, अब उससे भी पूरा नहीं पड़ रहा है तो राजथान नहर से जोड़ रहे हैं, डेढ़-दो अरब की लागत से।

यह हिमालय का पानी है, अब सभी, झुन्झुनू से कह रहे हैं कि वहां से पानी लो, सीकर से कह रहे हैं कि वहां से पानी लो, चूरू से कह रहे हैं कि वहां से पानी लो, यह हम विचार नहीं करते कि एक इंच अगर बरसात होती है तो एक एकड़ में पच्चीस हजार गैलन पानी बरसता है। पांच इंच मिनिमम है जैसलमेर में, सवा लाख गैलन पानी, एक एकड़ में बरसता है। सवाल इतना ही है कि इसको एकत्र कैसे किया जाए। ब्यावर शहर है, इस शहर को पानी देने के लिये वहां से पानी गया, फिर सेंदड़ा का गया, फिर निम्बाड़ का गया और अब बीसलपुर से ला रहे हो। वहां के काश्तकार रो रहे हैं।

(15.49)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

ब्यावर पहाड़ियों के बीच आया हुआ है, दो पहाड़ियों का पानी रोक दो, एक तालाब बना दो, छोटा बांध बना दो, सृष्टि सजल हो जाएगी, अनाप-शनाप पानी हो जाएगा। मैं अपनी बात बताता हूं, पुनासा करके गांव है, वहां मेरा ट्यूबवैल है, चौवन फीट पर पानी था और पचास हजार गैलन पानी का डिस्चार्ज था एक घण्टे में। तैंतीस ट्यूबवैल लगा दिए इन्होंने सांचोर को पानी देने के लिये, नतीजा यह हुआ कि एक साल में सवा सौ फीट पानी नीचे चला गया।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

चार साल बाद में सूख जाएगा पूरा पश्चिमी राजस्थान। मैं कई दफा कह चुका हूं कि अनाज के वियोग से कई दफा दुनिया उजड़ी है, पानी के वियोग से अगर नहीं उजड़ जाए तो मुझे पूछ लेना। अगले पांच सात साल में, ज्यादा दूर नहीं है, इन गलत नीतियों के कारण। पानी जब यहां बरसता है, इतने बढ़िया-बढ़िया तालाब थे, 1960–61 में बंद कर दिये कि तालाबों के पानी से गिनीवर्म होता है। शिवारामन करके एक आई.सी.एस. अफसर थे उनको मैं सब तालाब बताने ले गया, वैसा प्रैक्टिकल, वैसा एयर कण्डीशनर तालाब, उन्होंने उस का समर्थन किया, कहा और वहां से तालाबों की खुदाई चालू हुई। जितने भी गांवों में तालाब थे उन पर एनक्रोचमेंट हो गये, उनकी नहरें तोड़ दीं। अब वापस एक तालाब और बांध में मैं समझता हूं, आप सब समझते होंगे तालाब कभी फूटता नहीं है, बांध फूट जाता है; क्योंकि ऊपर बनाया जाता है बांध, तालाब में मिट्टी खोदी जाती है, खोदने से वह हमेशा बराबर रहता है। इतने बढ़िया-बढ़िया तालाब थे सब आपने तोड़ दिये ट्यूबवैल के पीछे और हम भी सोचने लगे कि हम ट्यूबवैल बना रहे हैं, तालाब नहीं बना रहे हैं। लेकिन यह बहुत महंगी कीमत है इसलिए इसमें विचार बदलना पड़ेगा।

मुख्य मंत्री जी विराजमान हैं, ग्रामीण हैं, जमीन से उठे हुए हैं, मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर आप ध्यान दें वरना पूरा इलाका, खेती और यह सब उजड़ जाएगी, दुफसली खेती नहीं होगी। पहले इंजीनियर, क्षमा करें, मैं भ्रष्टाचार वाले मामले में पड़ता नहीं हूं, क्योंकि यह तो महामारी की तरह है, इसका इलाज करो, लड़ो, जो पकड़ा जाए उनको पकड़ो, सजा दो, वही हो सकती है। लेकिन यह नहीं हो सकता कि कोई समाज भ्रष्टाचारविहीन हो जाए। लेकिन यह भी नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार होने दो। इसका इलाज यही है कि इसका विरोध करो, जो पकड़ा जाए उसको जेल में करो और जोर लगाते रहो कि यह बंद होना चाहिए। लेकिन एक बात है। भ्रष्टाचार का भी एक पक्ष देख लो। मान लो, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी बंद कर दो तो अनएम्प्लायमेंट नहीं होगा? आपकी तनख्वाह में आप पूरी उम्र में न तो मकान बना सकते हैं, न गहने, न कपड़े न अच्छा फर्नीचर, न अच्छा आराम का सामान बना सकते हैं। असलियत यह है, लेकिन यह कहना बहुत बुरा लगता है। कहते हैं क्या है मैंने कहा इसके खिलाफ लड़ो। महामारी से लड़ते हो, इससे भी लड़ो, संघर्ष करते रहो। पकड़े जाएं उनको सजा दो। खुला नहीं होना चाहिए कि भ्रष्टाचार बहुत अच्छा है। मैंने कहा, यही आप किए जाओ और यही होगा जैसे महामारी बंद नहीं हो सकती।

मैंने आपको निवेदन किया कि इस तरह की बदली हुई परिस्थितियां हैं उसमें आपको बजट उसी हिसाब से ढालना चाहिए। खासतौर से पी.एच.ई.डी. को बहुत समझ कर आप भू-सर्वेक्षण कराओ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

बाढ़ का पानी है उसको उलटा बाहर निकालते हो उसी तरह से इंजेक्ट करने का करो। जहाँ नीचे जा रहा है, भू-सर्वेक्षण में है, भू-सर्वेक्षण इरिगेशन को भी है, नई विधियां अपनायी हैं। तरीका पुराना है। कई जगह के अनुभव हैं। पाली वगैरह के होंगे जहां पर छोटा सा बांध बना दिया, लेकिन उससे पानी तो फैला हुआ है, चार-चार फीट है। नतीजा यह है कि तीन महीने पड़ा रहता है। वह आधा तो चला जाता है। एक पिलाई होती है बत्ती पिलाई होती नहीं और नीचे जो कुएं हैं नदी के किनारे, वे कुएं सूख जाते हैं। इसलिए वैज्ञानिक ढंग से इरिगेशन होनी चाहिए। मैं इस बात के लिए सरकार को बधाई देता हूं कि इसने स्प्रे इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन के लिये पक्की नालियों के लिये भारी सब्सिडी दी है। लेकिन इरिगेशन के बांध बनाते समय यह ध्यान रखिए कि भू-सर्वेक्षण करके उससे सीधा इरिगेशन का पम्प-सेट नहीं रहेगा, कोई जगह ऐसी नहीं बची है जहां बांध बन रहा हो। इंजीनियर भी बहुत अच्छे हैं। पुराने वाले बहुत कंजरवेटिव थे। उनसे किसी बांध का प्रस्ताव कराना असंभव होता था। आज तो तैयार बैठे हैं कि लाओ कोई प्रस्ताव कहीं से, कोई बनाओ, ज्यादा खर्चा हो हमारे डिपार्टमेंट में। यह फिलोसफी बन गयी है। इसमें आप लोगों की जिम्मेदारी है कि बहुत गहराई से अध्ययन करें। भूमि में इंजेक्शन, सोइल कंजर्वेशन, कैसे बचाएं, इस तरह का दृष्टिकोण आपका होना चाहिए।

मैं एक-दो बातें कहकर समाप्त करता हूं। एक है परिवार नियोजन। कई लोग धर्म-गुरु, चाहे किसी जाति के हों, धर्म के हों, यह कहें कि हमारे धर्म के विरुद्ध है परिवार नियोजन। आपको मालूम है जीवन एक श्रृंखला है उसमें 84 लाख जिया-जूणी है। आदमी जहां जा रहा अपने बुद्धि बल से सबको खतम करते हुए जाता है, चूहा खतम, सांप खतम, कीड़े-मकोड़े खतम, यह खतम। इनको अलग-अलग प्रकृति ने काम सौंपा है। तो कुदरती जो बैलेंस है वह खतम हो रहा है, क्योंकि इंसान के पास बुद्धि है। जो जानवर हैं उनके पास बुद्धि नहीं है, लेकिन बढ़ी हुई आबादी है, हवा प्रदूषित हो रही है, पृथ्वी प्रदूषित हो रही है, जल प्रदूषित हो रहा है। अगर आबादी बढ़ती रही तो अपने ही सबसे पहले तो प्रकृति के दुश्मन हैं, सब जीवधारियों के दुश्मन हैं और फिर मानव जाति के दुश्मन हैं। ऐसा कौनसा धर्म होगा जो यह कहेगा कि सब जीवधारी संसार से खतम हो जाएं और मानव जाति इस प्लेनेट से खतम हो जाए। यह कौनसा धर्म कहेगा? इसलिए मेरा मत यह है कि आपको इसको कम्पलसरी बनाना चाहिए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इन्होंने परिवार नियोजन को आगे बढ़ाया, लेकिन बहुत देर से दुरस्त आए।

मैं जोधपुर से एक कैंडीडेट था पार्लियामेंट का। मैं जानकर कहता था। बाकी नेतागण यही कहते थे कि यह हो जाएगा। हमारे में ही यह समझाते थे। मैं उलटा

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

कहता। कोई कहते हैं कि परिवार नियोजन से वोट कटते हैं। मैं कहता था कटने दो वोट। सबकी समझ में आ गया इसको कम्पलसरी बनाना चाहिए। इस पर पुनर्विचार करके, इन समस्याओं के लिये, इतना भारी धन है और इस अभिभाषण में, बजट में हमने इतना खर्च किया, उस साल में, इस साल में इतना हुआ। 16 करोड़ से 16 हजार करोड़ हुआ है। एक दिन में तो शेखावत सरकार ने किया नहीं। यह तो सालों–साल बढ़ता रहा है। आप कह रहे हैं कि 27 हजार करोड़ की नवीं योजना है। यह याद करो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना पूरे भारत की 20 या पौने इक्कीस अरब रुपये की थी। यह तो बढ़ा है, जो सब तरफ बढ़ेगा। यह खास उपलब्धि नहीं है। ठीक है, अपना मन बहलाने के लिये, बोलने लिये के विषय अच्छा है बोले जाओ, लेकिन हकीकत से दूर मत रहो। मेरा यही कहना है।

श्री सभापति : धन्यवाद, श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदय, जो मुखबंद के द्वारा धनराशि आपने स्वीकार करायी है, पारित करायी है उन सबको मिलकर यह बिल माननीय वित्त मंत्री महोदय हमारे सामने लाये हैं और उसको पास कराना चाहते हैं। इसमें पंचायती राज और ग्रामीण व्यवस्था, जल योजना, शिशु एवं महिला कल्याण आदि मदों के अन्दर बड़ी रकम आपने दी। पंचायती राज और ग्रामीण व्यवस्था इस देश की पुरानी व्यवस्था है और वैसी व्यवस्था इस कानून के द्वारा हम नहीं ला सके। जो पुरानी व्यवस्था थी उस पुरानी व्यवस्था में जो ग्रामीण व्यवस्था थी वह व्यवस्था आप अरबों-खरबों रुपये देकर भी वह माहौल, भ्रातृभाव और वह व्यवस्था उत्पन्न नहीं कर सके।

आपने पंच बना दिये। ये सब सरकारी पंच बने। ये गांवों के पंच नहीं हैं, जनता के पंच नहीं हैं, लोगों के दिलों के पंच नहीं हैं। मैं विनोबाजी का साहित्य पढ़ रहा था। आज तक चुनाव की प्रणाली और पद्धति में गांव के चार सर्वमान्य लोग अपना फैसला करते थे। कोई भी आदमी गांव के अन्दर बाहर से आता है एक फ्रूट सेलर आया अपने बेर बेचने के लिये। रात में बच्चे उसके बेर चुरा ले गये और खा गये। सुबह उसने देखा तो गट्ठर ढीला पड़ा हुआ था। मालूम हुआ कि बेर बच्चे खा गये। गांव वालों से पूछा, वह नया नया था, पहली बार आया था। गांव वालों से पूछा कि मेरे साथ यह हादसा हो गया, मैं क्या करूं। इस गांव में फैसला करने वाले, न्याय करने वाले भी हैं ? हां, हैं। तो उन्होंने चार नाम बता दिये। उन चार आदमियों को ले आ, फौरन फैसला हो जाएगा। वह चारों आदमियों को इकट्ठा करके ले आया। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा करके फौरन पता लगा लिया कि उन-उन बच्चों ने, फलाने घरों के बच्चों ने इसके बेर चुराये। फैसला कर दिया, उसके पैसे दिला दिये और फैसला हो गया। विनोबा जी के साहित्य में लिखा है कि इस प्रकार के स्वाभाविक पंच थे, वास्तविक

(श्री रामनारायण चौधरी)

पंच थे, वे न्याय करते थे, इन्साफ होता था गांवों में। लेकिन आज उन्हीं लोगों को जो स्वाभाविक पंच हैं, सभापति महोदय, आप तो ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण क्षेत्र से हो, मुख्य मंत्रीजी भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आज तो प्रतिपक्ष के नेता भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आज अगर देखा जाए तो विधान सभा में ग्रामीण व्यवस्था, ग्रामीण लोगों का, ग्रामीण जन प्रतिनिधियों का ही शासन है। विनोबा जी के साहित्य में रामराज्य पर लिखा है कि ऐसे पंचों को आप वार्डों में खड़ा कर दो तो वे हार जाएंगे, उनको वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन गांव के स्वाभाविक पंच वे ही हैं, आज भी वे ही हैं। वे पंचायत में खड़े नहीं होते। इसलिए नहीं होते है कि वे हार जाते हैं और कहीं खड़े हुए तो हार गये। यह पंचायती राज व्यवस्था आज के कानून के द्वारा हुई है, वही चलेगी लेकिन स्वाभाविक प्रक्रिया जो होनी चाहिए, पंचायती राज की वह नहीं हुई।

हमारे + + + पंचायती राज मंत्रीजी कह रहे थे कि हमारा सौभाग्य है कि हमने सबसे पहले पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया। मान्यवर, उस वक्त आप कहीं पढ़ रहे होंगे या पैदा ही नहीं हुए होंगे जब राजस्थान में चिरस्मरणीय पंडित जवाहर लाल जी नेहरू, मोहनलाल जी सुखाड़िया ने गांधी जयन्ती के दिन, 2 अक्टूबर, 1959 में पंचायती राज का श्रीगणेश, डी सैण्ट्रलाइजेशन, विकेन्द्रीकरण का उद्घाटन नागौर में करवाया था। उस दिन पंचायती राज की स्थापना हुई थी और विकेन्द्रीकृत व्यवस्था राजस्थान में लागू हुई थी। उसके बाद सारे भारतवर्ष में फैली और राजस्थान टाप पर रहा। गुजरात में उसके बाद आयी, महाराष्ट्र में उसके बाद आयी, आन्ध्र में उसके बाद आयी। यह अलग बात है कि आज वे राजस्थान से आगे निकल गये लेकिन प्रारम्भ राजस्थान से ही हुआ। आप इस बात को मत भूलिये, यह बात सही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह + + + पंचायती राज क्या है इसकी व्याख्या करें आप।

श्री रामनारायण चौधरी : व्याख्या करने में मेरा टाइम निकल जाएगा। चेयरमैन साहब मुझे कह देंगे कि आप बैठिये, बहुत हो गया। हम आगे जाकर पिछड़ गये, वह अलग बात है लेकिन आपको याद हो, मान्यवर, तो इस पंचायती राज को सुदृढ़ और कांस्टीट्यूशनल [illegible] के अन्दर लाने का श्रेय स्वर्गीय राजीव गांधी को है। उनका 1989 के अन्दर प्रस्ताव था, वह बोल तो रहे थे बहुत जोर-जोर से लेकिन उनको पता नहीं था आपकी पार्टी ने ही उस पंचायती राज की व्यवस्था को गिराने में, पाइंट 25 पर्सेण्ट वोट कम पड़ने के वह ड्राप हो गया था....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लागू हमने ही तो किया।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामनारायण चौधरी : फिर जब नरसिंहराव जी प्रधानमंत्री बने तो सब से मिलकर के, आप लोगों से भी राय करके यह पंचायती राज व्यवस्था लाये। उसमें प्रतिबन्ध सब आये थे। हमारे मुख्य मंत्री जी इस मामले में होशियार हैं कि किसी का कहीं से निकाल लाना, सबसे पहले ले आना, इस मामले में इनसे होशियार आदमी नहीं है। इन्होंने देख लिया कि केन्द्र में यह कानून पास हो गया और अब यह स्टेट में लागू होगा तो सबसे पहले इन्होंने राजस्थान में टेक दिया। इसमें रिजर्वेशन की व्यवस्था और यह सब है। यह बात सही है कि इसकी शुरूआत राजस्थान से हुई लेकिन केन्द्र से पास होने के बाद। राजस्थान में सबसे पहले लागू हुआ लेकिन यह क्या हुआ, मान्यवर....

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं करें।

श्री मगराज चौधरी (आहौर) : राजस्थान के अन्दर आरक्षण बहुत बाद में लागू किया। (व्यवधान) उससे पहले कई स्टेट में लागू कर दिया था। आन्ध्र प्रदेश में लागू हो गया था।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं करें। कृपया इस आदत को छोड़ें। विराजें आप। कृपया विराजने का कष्ट करें। (व्यवधान) उनको बोलने दीजिये। आपका नम्बर आये तो आप भी बोल दीजिएगा। मैं आपको इजाजत दूंगा। (व्यवधान) कृपया विराजें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि विराजें। यह तरीका ठीक नहीं है। चौधरी साहब।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरे से छूट जाए तो आप बोल देना। सभी चीजों का मैंने ठेका नहीं लिया है कि सब मुझे याद है और मैं बता दूंगा। कुछ छूट जाएगा वह आप बता देना। अब यह पंचायती राज आप लाये हो, इस पंचायती राज में आज कोई उत्साह नहीं है। पंचायती राज में जो 1959, 1962, 1967 तक उत्साह था प्रधानों में, सरपंचों में, पंचायत समिति के मैम्बरों में, जो उनमें उत्साह था, एक उमंग थी, सभापति महोदय, आपने तो देखा है, जिस तरीके से आपके उस वक्त में जब दिल्ली से आते थे अपने यहां के प्रोग्राम देखने, आप सवाईमाधोपुर के जिला कलक्टर थे, कितना उत्साह गांवों के अन्दर आपने पैदा कर रखा था वैसा उत्साह किसी गांव में आज के दिन है क्या? जो आपने उत्साह पैदा किया था पंचायती राज के प्रति, प्रोग्राम के प्रति, इम्प्लीमेंटेशन के प्रति, आप जिले के कलक्टर थे, आज तो आप विधान सभा के माननीय सदस्य हो और सत्ता पक्ष के कर्ता-धर्ता हो, आज आपका ब्रेन उधर भी काम में आता है, वह उत्साह जो जिला कलक्टर होते हुए आपने पैदा किया था सवाईमाधोपुर डिस्ट्रिक्ट में वैसा उत्साह आज आपके निर्वाचन क्षेत्र में नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : चौधरी साहब, इनको यह फरमायें कि इतने अच्छे जिला कलक्टर थे, कैसे उस पार्टी में जाकर बैठ गये।

श्री रामनारायण चौधरी : वैसा उत्साह आज आप माननीय सदस्य होते हुए, सब कुछ होते हुए भी, आज आप सब तरह से, भौतिक दृष्टि से सम्पन्न हो, वैसा वातावरण आज आप अपनी पंचायत समिति में पैदा नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है ? इसके कारण को खोजा जाना चाहिए। पंचायती राज में तो आपने कह दिया कि हमने करोड़ों रुपये दे दिये, हम पास भी कर रहे हैं, लेकिन पंचायती राज की सुदृढ़ता, उत्साह गांवों में पैदा नहीं हो रहा है। आज हो क्या रहा है ? पंचायत समिति के अन्दर पंचायत समिति के अध्यापकों की तनख्वाह पंचायत समिति का कार्यालय चलाने में खर्च कर देते हैं। अध्यापकों को टाइम पर तनख्वाह नहीं मिलती है। डवलपमेंट वर्क्स का पैसा पहुंचता नहीं है और अध्यापकों की तनख्वाह उसमें खर्च कर देते हैं। तीन-तीन महीनों तक पंचायत समिति के अध्यापकों को तनख्वाह इसलिए नहीं मिलती कि जो पैसा सैलेरीज का जाता है वह उधर डवलपमेंट वर्क्स में खर्च कर देते हैं। डवलपमेंट वर्क्स के इधर से पैसे जाते नहीं हैं। आज आप तो स्वीकार नहीं करेंगे और मैं आपसे स्वीकार करवाऊंगा भी नहीं, क्योंकि आप एक निष्पक्ष कुर्सी पर बैठे हैं। उधर होते तो मैं आपको कहता और आप स्वीकार ही नहीं करते, आप उसमें आर्ग्यूमेंट्स भी करते। लेकिन आज चारों तरफ, राजस्थान में चारों कोनों में यह वातावरण बना हुआ है कि टोटल बैंकरप्सी की फाइनेंशल क्राइसेस राजस्थान में क्यों आ गयी ? इतना क्या था जो भरा पूरा परिवार, घर 1990 में आप को दिया था, देश में भी और प्रदेश में भी, कहीं यह चिन्ता नहीं होती थी कि तनख्वाह कैसे चुकेगी, कहीं किसी का बिल रूकता नहीं था। कंस्ट्रक्शन वर्क्स आपने करवाये, ठेकेदारों से करवाये। किसी से भी करवाये, कोई सप्लाई आपने ली, अरबों, खरबों का जो बजट आपके पास है उसका भुगतान आपने इस तरीके से कर रखा है काबू में कि एक महीने के अन्दर इतने बिल, चैक पास हो क्योंकि बैंक में स्वीकृति नहीं इसलिए बना रखा है कि इतने पास करो ताकि वहां से निकल आए। हालत यह हो गयी कि ऐसा क्यों वातावरण बन गया, आप कह रहे हैं कि हम इतना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है हमने मान लिया लेकिन यह वातावरण इस प्रकार का मायूस वातावरण क्यों हो रहा है ? इसका मतलब यह है कि मामला गड़बड़ है।

आज, मान्यवर, जो मिड-डे-मील लड़को के लिये है, कांग्रेस के शासन के अन्दर दिल्ली से प्रारम्भ हुआ। आज जो गेहूं बच्चों के लिये जाता है वह स्कूलों में पड़ा है, पंचायत हैडक्वार्टर पर पड़ा है, जो सेल्स मैन हैं, दुकानदार हैं उनके पास पड़ा हुआ है। बच्चों के पास 5-5,6-6 महीने तक नहीं पहुंचता। आपके यहां तो होगा लेकिन मेरे यहां तो पंचायत समिति झुन्झुनूं और अलसीसर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कहीं भी मिड-डे-मील ठीक टाइम पर लड़कों के पास में नहीं पहुंचता। मैंने कहा कि क्यों नहीं भेजते हो, तो कहते हैं कि क्या करें यहां तक पहुंचाने का कोई खर्चा नहीं है। वह कोई पहुंचाता नहीं है। तो मिड-डे-मील की एक अच्छी स्कीम आयी वह पहुंचाने की व्यवस्था राज्य सरकार को

(श्री रामनारायण चौधरी)

करनी चाहिए। इसमें जितना खर्चा आना था वह राज्य सरकार को करना था। राज्य सरकार ने उसमें एक कोड़ी खर्च नहीं की, बजट का कोई प्रोवीजन नहीं किया। मान्यवर, जो इतनी आदर्श स्कीम थी, इस स्कीम की वजह से बच्चों में बड़ा उत्साह पैदा हुआ, आप भी इस बात के साक्षी हैं कि लड़कों का एनरोलमेंट एकदम बढ़ गया और उत्साह आ गया था, चमक आ गयी थी लड़कों के ऊपर कि उनको गेहूं मिलता था। वह टाइम पर नहीं मिला और वह सारा आउट हो गया। राजस्थान के अन्दर आपने पुस्तकें लड़कियों के लिये और जो गरीब बच्चे हैं प्राइमरी सेक्शन के, एस. सी., एस.टी. और वीकर सेक्शन के जितने हैं उनको आपने किताबें दी हैं। जो पाठ्य-पुस्तकें हैं वे कहीं भी समय पर नहीं मिलीं। सेशन चालू हो जाता है, पढ़ाई चालू हो जाती है, उसके दो महीने के बाद में वह गट्ठर किताबों का खोला जाता है, और शिक्षा विभाग वाले कहते हैं, टीचर आकर ले जाते हैं, वे स्कूलों में लाकर देते हैं। मैं एक रोज एक स्कूल में पहुंच गया और पूछा कि भाई, क्या कर रहे हो? वह बोला, साहब किताबें बांट रहे हैं। मैंने कहा कि इस समय? तो वह बोला कि अभी आयी हैं। तीन महीने हो गये सेशन को चालू हुए और अब क्या होगा, किताबें सब बच्चों के पास में है? वह बोला कि साहब, हम तो दे देंगे। दे क्या देंगे, किसी को दे देंगे; बाकी वह बेचकर खा जाएंगे। यह स्थिति हमारे प्रोग्राम की हो रही है।

आज करोड़ों रुपये शिशुओं एवं महिलाओं के कल्याण के लिये यूनिसेफ और वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन से प्राप्त हो रहे हैं, इतने अच्छे किस्म के विटामिन्स, दूध और बढ़िया किस्म का दलिया, अमेरिका का बढ़िया घी, डेनमार्क और नार्वे, इन कंट्रीज से डब्लू.एच.ओ. के मार्फत घी इतना बढ़िया आता है, मान्यवर, कि इसको कोई व्यवस्था यहां नहीं है। सारी योजनाएं धरी की धरी रह गयी। इनमें सब जो मिडलमैन है, जिसके जिम्मे यह कर रखा है, आप किसी भी जगह चले चलिये, किसी भी पंचायत समिति में चले चलिये जहां यह काम चालू हो। अगर 10 प्रतिशत भी कहीं इसका सदुपयोग हो तो आप मुझे कह दीजिये कि रामनारायण, तू बड़ा झूठा आदमी है। तो स्थिति यह है आज हमारे इम्प्लीमेंटेशन की।

जनता जल योजना हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी और जलदाय मंत्रीजी ने चालू की थी। जनता जल योजना के अन्दर लगभग 20 प्रतिशत खर्चा गांव वालों को करना पड़ता है उसके बाद भी कहीं भी यह योजना सफल नहीं है। यह योजना आज से तीन-चार साल पहले स्वीकृत की थी। उस वक्त के मंजूरशुदा काम पड़े हुए हैं; वह पूरे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपने पूरा सिस्टम बना करके वाटर वर्क्स को दे दिया। मान्यवर, आप गौर फरमाये कि इसमें एक लाख पचास हजार रुपया जनता जल योजना में हो रखे हैं, इसका बाइ–फरकेशन ऐसा कर रखा है कि वह उतना पैसा खर्च होता नहीं है। बाइफरकेशन इस हिसाब से कर रखा है कि इंजीनियर्स,

(श्री रामनारायण चौधरी)

टैक्नीकल स्टाफ व ठेके के अन्दर ठेकेदार के मार्फत वह उसको सारा रफा-दफा कर देते हैं। वह स्कीम्स टैस्ट होती नहीं, वह अधूरी रहती है। 20 प्रतिशत खर्चा गांव वाले नहीं कर सकते हैं। वह कहीं भी, एक जगह भी हमारी स्कीम कामयाब नहीं हो रही है।

आपने कृषि के लिये काफी पैसा लिया। अभी हमारे माननीय पूनमचन्द विश्नोई तारीफ कर रहे थे कि आपने फव्वारों के बारे में, यह हमारे मुख्य मंत्रीजी की पापुलर स्कीम है। आप गये थे इजरायल और वहां से यह इम्पोर्ट करके लाये हैं। स्थिति यह है कि एग्रीकल्चर विभाग से आज फव्वारों के अन्दर सब्सिडी मिलती है, वह सब्सिडी रीयल काश्तकार, जो उसका उपभोक्ता है, कंज्यूमर है उसके पास में नहीं जाकर जो उसका एजेंट है फव्वारों को बेचने वाला, उसको ये लोग पेमेंट करते हैं। वह उसको रफा दफा कर जाते है। कितना वह करते हैं, कितना वह देते हैं, भागते चोर की लंगोटी सही। वह देखते हैं कि जो मिला वही ठीक है। वह देखते हैं कि कुछ मिला तो सही, इस तरह से संतोष करते हैं। यह स्थिति हमारी स्कीम्स की है। आपने घंटी बजा दी, मेरी बात दो मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : बिजनेस बहुत शेष है।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं एक बात और भी कहूंगा। यह तो, मान्यवर, है ही, आप देखेंगे, यह जो सप्लीमेंट्री ला रहे है, एप्रोप्रिएशन बिल, यह अधूरा है। आप कहेंगे कैसे अधूरा है ? वह इस मायने में अधूरा है, सभापति महोदय, कि जब तक हम विधायक हैं या पार्लियामेंट के मेम्बर हैं तब तक तो हम सही मायने मे सोशल वर्कर हैं, जन सेवक हैं, क्योंकि आप हमको सारी फेसेलिटी देते हैं, अवेलेबल करवाते हैं लेकिन जिस दिन हम यहां नहीं रहेंगे उस दिन स्थिति इससे भिन्न हो जाती है। यह क्रेडिट स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी को जाती है जिन्होंने यह महसूस किया था कि पब्लिक लाइफ को किस तरह से नर्चर किया जा सकता है, कैसे इसको मेंटेन किया जा सकता है। सोशल लाइफ का किस प्रकार से संयोजन को-आर्डिनेशन हो सकता है। दूसरे देशों में जहां डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम है या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहां से ये लाये कि जिस दिन पार्लियामेंट का मेम्बर नहीं हो उस दिन वह क्या करे, तो वहां से जब मालूम हुआ चाहे अमेरिका हो, चाहे आस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे ब्रिटेन हो, जहां-जहां भी यह पार्लियामेंट्री सिस्टम है, एम.पी. नहीं रहने के बाद में एक व्यवस्था है वहां उनको पेंशन है, उनको ट्रेवलिंग एलाउन्स है, उनको मेडिकल एलाउन्स है, उन्हें स्टेनो एलाउन्स है। यह सब बाकायदा जो एक्स-एम.पी. हैं उन्हें भी मिलता है, तो यह सिस्टम इन्ट्रोडूस किया उन्होंने दिल्ली में और दिल्ली में इंट्रोडूस करने के बाद में उस समय राजस्थान पहला राज्य था। स्वर्गीय हरिदेव जी जोशी हमारे यहां मुख्य मंत्रीजी थे और मुझे भी उनकी केबिनेट में रहने

(श्री रामनारायण चौधरी)

का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, मैं भी मंत्री था।

मान्यवर, यहां पर चर्चा चलती थी। एक रोज मैं कहीं से आ रहा था। एक भूतपूर्व विधायक जिनकी उम्र उस वक्त लगभग 70 और 80 के बीच की थी, वे दो बार विधायक रह चुके थे। मैं आपको सच वर्णन कर रहा हूं कि पाड़ा गाड़ी पर, पाड़ा आप जानते हैं ? भैंसा जो अकेला जुतता है, वह पाड़ा गाड़ी पर बैठे हुए थे। उनके शरीर पर एक बनियान थी, पैरों में उनके चप्पल थी और हाथ में लकड़ी थी। मैंने उनको देख लिया। मैंने गाड़ी रुकवाई। मान्यवर, मैंने उनसे बातचीत की। मैंने पूछा कि क्या हालचाल है ? बोले, क्या हालचाल होंगे ? देख नहीं रहे हैं क्या ? हमने रामा श्यामा की। चर्चा चली वह आपको वर्णन कर रहा हूं। आज वह दुनिया में नहीं हैं। मैंने उस समय सी.एम. साहब से वर्णन किया कि मैं ऐसे गया था और मुझे वह मिले थे। वह दो बार विधायक रह चुके थे। उनकी यह स्थिति है। उनके पास जमीन नहीं थी। जमीन भाइयों ने नहीं दी तो यह हाल है। मेरे कहने का यह मतलब है कि सोशल लाइफ किस प्रकार से मेंटेन करें, किस प्रकार से पब्लिक लाइफ मेंटेन करें। दिल्ली में उस वक्त कानून आ चुका था। जोशीजी को यह कह गया कि अपने यहां पर भी दिल्ली वाला पैटर्न लाओ। सबसे पहले राजस्थान के अन्दर जो सेवानिवृत या निवर्तमान विधायक कहिये या भूतपूर्व विधायक कहिये या एक्स-एम.एल.ए. कहिये, यह बिल उस वक्त लाया गया था और उस वक्त जब लाये तो उनकी रेमुनरेशन 250 रुपये पेंशन रखी। आज मुख्य मंत्रीजी तो भूल गये होंगे अब तो, क्योंकि आज जिस पोजिशन में हैं, उस वक्त वह इस पोजिशन में नहीं थे। उस वक्त न वह असेम्बली में थे और न पार्लियामेंट में थे। मैं आपको सही सही जानकारी दे रहा हूं, चेयरमैन साहब; इन्होंने मेरे को कहा, मैं इनसे मिलने के लिये जाता था। मैं इनके सामने ही रहता था एम.एल.ए. क्वार्टर्स में। उन्होंने मुझे कहा कि रामनारायण, जोशीजी ने यह काम तो बहुत बढ़िया कर दिया। इसकी बहुत आवश्यकता थी। इसको तो चारों तरफ से एप्रिशिएशन मिलेगा।

He was the first man. Our Today's Chief Minister at that time was neither in Assembly nor in Parliament. He appreciated and congratulated late Shri Hari Deoji Joshi.

यह बहुत अच्छी स्कीम लाये। उसके बाद में समय समय पर बढ़ोतरी होती गयी। आप, मान्यवर, निवर्तमान विधायक को 500 रुपये पेंशन देते हैं एक टाइम की। आप यह बतायें, नीचे से नीचा फोर्थ क्लास, उसको मिनिमम पेंशन आप कितनी देते हैं ? आप केलकुलेट कर लीजिये। एक बार जो विधायक बन गया। आप तो सौभाग्यशाली हैं, आई.ए.एस. के कैडर से आये हैं और उधर से वैल-एस्टेब्लिश भी हैं लेकिन जो वकालत छोड़कर एम.एल.ए.

166

(श्री रामनारायण चौधरी)

बन गया या एम.पी. बन गया और दूसरी नौकरी छोड़कर एम.एल.ए. बन गया, मैं एक नहीं, आपको कई उदाहरण बताऊं, सरकारी नौकरी छोड़ छोड़ कर एम.एल.ए. बन गये और नैक्स्ट टाइम के अन्दर हार गये। वकालत चली गयी, और उधर नौकरी चली गयी। अब कैसे पब्लिक लाइफ मेंटेन करे तो मैं मंत्री महोदय, मेरी कोई मांग नहीं है, मैं भिक्षु की हैसियत से नहीं मांग रहा हूं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि यदि देश में डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री सिस्टम आफ दी गवर्नमेंट को आपको नर्चर करना है और इसको आपको फ्लोरिश करना है।

मान्यवर, मैंने तीन साल पहले हमारे मुख्य मंत्रीजी को जिक्र किया था कि इन भूतपूर्व को, बोले अभी आप भूतपूर्व हो रहे हो क्या, अभी तो आपके चार साल पड़े हैं। तो मैंने कहा कि मैं तो उसके बाद होऊंगा लेकिन और भी तो हैं। बोले, देखेंगे, देखेंगे, अभी बहुत टाइम पड़ा है चार साल। उनके ऐसा करते-करते आज वह पांचवें साल में आ गये। अब एक बजट आप भागते हुए पास कराएंगे वित्त मंत्री महोदय, भागते हुए, वह भी तसल्ली से नहीं कराएंगे। मई, जून या जुलाई में भागते हुए। आधा कराएंगे, आधा नहीं कराएंगे। हां पक्ष जीता, ना पक्ष जीता कराकर, अलबत्ता यों ही आप करा ले जाएंगे जैसे पहले किया वैसे। तो आप यह सोचिये। भूतपूर्व या निवर्तमान विधायक को आज आप एक टर्म के पांच सौ देते हैं और सिर्फ 1500 रुपये उनको देते हैं मेडिकल रिएम्बर्समेंट के। मान्यवर, 1500 रुपये में क्या आएंगी मेडिसिन डाक्टर प्रिसक्रिप्शन लिखेगा जुकाम का, 1500 रुपये का लिख देगा। आप उनकी हालत देखिये। अब ठीक हैं, वह कैसे भी चलता है, जिनको बोलो "अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गये, सब के दाता राम।" अगर आप उस पर विश्वास करें तब तो कोई बात नहीं, जिसको दिया है उसको चुग्गा मिलेगा। लेकिन इस समाज के अन्दर स्वाभिमानी तरीके से जो जनप्रतिनिधि आज के हैं, वह एक स्वाभिमानी तरीके से चलें, तब एक बात दूसरी है, उस के लिये आपको व्यवस्था करनी होगी जो आप सप्लीमेंट्री लाये हैं इसमें इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, कहीं आपने कोई एक्स्ट्रा डिमाण्ड पास ही नहीं करवाई। यह आपके इसमें एक बड़ी कमी है, कैसे इसको आप मीट करेंगे।

अब मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं, वह लोग कहेंगे कि आज के जो विधायक हैं, वित्त मंत्री महोदय और माननीय चेयरमैन साहब, भूल गया, मैं आपको बाईपास कर गया, अब की बार मेरा बिल आया बिजली का, सच कहता हूं, छह हजार रुपये का आया है। और कोई मेरा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, जो पिछले महीने में चार था वही खर्चा है। पिछले महीने में हजार का आया था, उसके पहले मे तीन हजार का आया था। अब की बार मेरी लड़की ने कहा कि पिताजी, छह हजार का बिल है। मैंने कहा, छह हजार रुपये का। हां, बोली, छह हजार रुपये का। मैंने कहा कि बेटी, यह दो महीने का है। बोली, हां, दो महीने का है। एक महीने का तीन

(श्री रामनारायण चौधरी)

हजार हो गया। सभापति महोदय; कितना दे रहे हैं आप हमें ?

श्री सभापति : साढ़े पांच हजार रुपये।

श्री रामनारायण चौधरी : बिजली के पेटे ?

श्री सभापति : करीब-करीब पिछले छह महीने से आ रहा है यही बिल।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, बिजली-पानी का कितना दे रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये। आप से जब पूछें तब आप बता देना आपकी बात।

श्री रामनारायण चौधरी : तो यह आज स्थिति है। हो सकता है मेरे बिल के अन्दर एग्जेगरेशन होगा। टेलीफोन का बिल, पिछले महीने का मेरा चार हजार रुपये का आया जयपुर-जयपुर का। इसके अलावा मेरी कांस्टीट्यूएंसी में पी.सी.ओ. है, एस.टी.डी. है उनको अलग मेंटेन करना पड़ता है। तो आपने आज से पांच साल पहले जो एमेनेटीज और फैसेलिटीज की थी उनको आज रिवाइज करने की जरूरत है। अब कितना करें, क्या करें, वह आपके इधर के, इधर के सब लोगों के देखने की बात है लेकिन इसको आपको करना है। सभापति महोदय, आपको राय देनी चाहिए सत्ता पक्ष को कि इस पर वह सोचे। कैसे आप इसका समायोजन करेंगे, कहीं आपने मांग उठाई ही नहीं, पास करवाई ही नहीं। इस बिल में भी आप कैसे समायोजन करेंगे, यह आपके देखने की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ, चेयरमैन महोदय, आपने मुझे टाइम दिया उसके लिये मैं बहुत आभारी हूं।

श्री सभापति : श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : पाइंट आफ आर्डर।

श्री सभापति : फरमाइये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सभापति महोदय, अभी चौधरी साहब ने इजराइल की टेक्नोलोजी का जिक्र किया इसलिए मैं पाइंट आफ आर्डर रेज कर रहा हूं। उप मुख्य मंत्रीजी, मुझे तो आप यह बता दो, करोड़ों रुपये आपने खर्च कर दिये, आपके मुख्य मंत्रीजी वहां चले गये, आपके कृषि मंत्रीजी इजराइल पधार कर आये, और आप चिंतित हैं राजस्थान के बारे में, आप खुद, मैं आपका जिक्र कर रहा हूं, एक योजना नहीं लेकर आये इजराइल से। स्प्रिंकलर की बात करते हैं, स्प्रिंकलर, मुख्य मंत्रीजी की इजराइल की जो यात्रा हुई उससे कोई बीस साल पहले स्प्रिंकलर राजस्थान में आ गया था। इसमें भी मैं नहीं जाना चाहता कि उस डेलीगेशन में कौन थे। कुछ लोगों ने कहा कि उसमें कोई कॉफी पोजाक का कोई बिजनेसमैन था वह भी गया। गया, इनकी मर्जी है, इनको चौकसी रखनी चाहिए थी, नहीं रखी लेकिन आप करोड़ों रुपये

(168)

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

खर्च कर दो और मुख्य मंत्रीजी की वाह-वाही हो रही है कि साहब, इन्होंने राजस्थान के लिये बहुत कुछ किया। ठेठ इजराइल जाकर आये। कुछ योजना तो लागू करो, आज दो साल हो गये उसको। आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : विराजिये। माननीय शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय सभापति जी, वित्त मंत्री महोदय ने 4308 करोड़ रुपये से अधिक की राशि इस सदन द्वारा पास करने का प्रस्ताव रखा है और सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स किन-किन पर वह खर्च करना चाहते हैं वह भी इन्होंने हमको दी है। माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा, डिमाण्ड्स काफी हैं लेकिन कुछ मुद्दों पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। आपने सबसे मुख्य मुद्दा रखा है ग्रामीण विकास का। ग्रामीण विकास, पंचायती राज, नगरपालिकाएं, यह सब मुद्दे ऐसे हैं जो जनता से सीधे जुड़ हुए हैं और जनता की बहबूदी के सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। माननीय सभापतिजी, आज ग्रामीण विकास की क्या स्थिति है। हर जिले में हमारा डी.आर.डी.ए. बना हुआ है, उसकी गवर्निंग कौंसिल है। केन्द्र सरकार से रुपया आता है, स्टेट गवर्नमेंट को बहुत कम राशि देनी पड़ती है और कुछ योजनाओं में तो एक पैसा भी नहीं देना पड़ता है। आपने इस बिल के माध्यम से इस मद में भी रुपया चाहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज एक भी डी.आर.डी.ए. ऐसा नहीं है जो जिस भावना से वह बना था, काम कर रहा हो। जितना भी रुपया आता है, या तो राज्य सरकार यहां रख लेती है और राज्य सरकार यदि जिले में दे देती है उस जिले के अन्दर किस प्रकार से खर्च हो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

माननीय सभापतिजी, हमारी डी.आर.डी.ए. की गवर्निंग कौंसिल है, रजिस्ट्रेशन हमारा हुआ हुआ है उसमें प्रावधान दे रखा है लेकिन सदन के माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक भी सदस्य यह नहीं कह सकता कि गवर्निंग कौंसिल की कोई कीमत है। आज उसके चेयरमैन जो कलक्टर हैं, अपनी मर्जी से चाहे जो रुपया खर्च करते हैं और उन कामों में खर्च करते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है। कमीशन अधिक मिलता है इसलिए उन कामों में खर्च करते हैं। माननीय सभापतिजी, मेरे जिले में भी वाटर कंजर्वेशन की स्कीम लागू है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि चार-चार लाख रुपये, तीन-तीन लाख रुपये उन कामों के स्वीकृत किये गये हैं जिनका एक पैसे का उपयोग नहीं है। हमारा रेगिस्तानी जिला है, वर्षा कम होती है और वर्षा का पानी बहकर उन कुंडों में नहीं आएगा लेकिन चूंकि वहां कमीशन ज्यादा है, अर्थ वर्क है, मिट्टी का काम है, कोई नाप-जोख नहीं है और उनमें कई-कई लाख रुपये मंजूर होते हैं। यदि इसकी जांच की जाए, माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन

(श्री शिवनाथ सिंह)

करना चाहूंगा, चाहे आप सेम्पल के तरीके से दस-पन्द्रह कामों की जांच करा लीजिये, आपको पता लग जाएगा, क्या गवर्निंग कौंसिल है और क्या डी.आर.डी.ए. है। गवर्निंग कौंशिल में कोई प्रस्ताव लाये नहीं जाते, गवर्निंग कौंशिल की कोई मीटिंग नहीं होती है और आखिर में एक हमारे पास आ जाती है कि इसकी सहमति व्यक्त करिये। हम सहमति व्यक्त नहीं करते हैं तो भी उनको अधिकार है, वह कुछ भी कर लेते हैं। यह आज डी.आर.डी.ए. की हालत है।

आज जो विकास के काम हैं उनमें मैं राज्य सरकार का दीवालियापन कहूंगा तो मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी नाराज हो जाएंगे लेकिन पेमेंट नहीं हो रहा है। यहां के वित्त सचिव जी, उनके सीधे निर्देश जाते हैं पंचायत समिति को कि एक महिने में दो चैक दिये जाएंगे। उन दो चैक से कितने रुपये वह ड्रा कर सकते हैं, कितना पेमेन्ट कर सकते हैं। डी आर डी.ए. को आदेश जाएंगे कि आप ट्रेजरी से इतने रुपये ही पास कराओ। वह सब रुपया जो विकास के कामों में खर्च होना चाहिए वह विकास के कामों में खर्च नहीं हो रहा है और ऐसी एक भावना बन चुकी है कि पंचायत समितियों, डी.आर.डी.ए. सब ऐसी बन गयी हैं कि वहां से कोई पेमेन्ट हो नहीं पाएगा।

यही हाल माननीय यातायात मंत्रीजी का है। सड़क मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, आपका एक भी बिल, जिन ठेकेदारों से आपने काम करवाये हैं उनके बिल पास नहीं हो रहे हैं, छह-छह महीने से बिल पास नहीं हो रहे हैं। कैसे ठेकेदार काम करेंगे और कैसे आपका विकास होगा। सड़कों की हालत बिगड़ी हुई है, एक बेस है, सड़कें आधार हैं विकास का और उनकी हालत इन पिछले चार सालों में जो मैं देख रहा हूं, माननीय सभापति जी, दयनीय स्थिति है। सड़कें कभी बनी थी लेकिन जब वो बनी थी उसके बाद उनमें खड्डे पड़ गये हैं और कई जगह तो सड़कों का नाम लेश नहीं हैं। हमेशा हर साल रिपेयर्स के नाम से खर्च दिखाया जाता है और वह मौके पर खर्च हो नहीं पाता है। आपको चिन्ता है नेशनल हाईवे पर खर्च करने की 6 लाइन का बनेगा, 4 लाइन का बनेगा, 8 लाइन का बनेगा और पेवर सड़क बनेगी। माननीय सभापति जी, नेशनल हाईवेज का मापदंड हमारे सामने है और वो उसी मापदंड से बनने चाहिये, क्योंकि हमको रुपया भी उसी मापदंड से मिलता है लेकिन राज्य की भी सड़कें हैं, स्टेट हाईवेज हैं, जिलों हाईवेज हैं और ग्रामीण सड़कें हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना आपका कर्त्तव्य है उसके लिये आप राशि कितनी भी मांगो लेकिन वह खर्च होनी चाहिए। आपने राशि मांगी भी नहीं है। जब पूछते हैं तो कहते हैं कि हमने तो प्रस्ताव भेज दिया राज्य सरकार को राज्य सरकार पास नहीं कर पाती है। यह स्थिति आज के दिन हमारे विकास के कामों की है।

माननीय सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो आज राजस्थान के विकास की स्थिति ऐसी बन गयी है, सब

(श्री शिवनाथ सिंह)

माहौल हो गया है। आज पंचायत समितियां नपुंसक हो गयी हैं। पंचायत समितियों के पास कोई अधिकार नहीं है। आपने रुपया मांगा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कौन सी पंचायत समिति है जो अपने हिसाब से काम कर सकती है। माननीय मंत्री जी अभी उठकर कह देंगे कि हमने पूरे अधिकार दे दिये, पूरे अधिकार आपने कागजों में भी नहीं दिये, व्यवहार में भी नहीं दिये और आज प्रधान की हास्यास्पद स्थिति ऐसी बन गयी है कि वह कोई भी आदेश कर नहीं सकता, कोई भी काम करवा नहीं सकता और यही....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं इर्रिलेवेंट नहीं बोल रहा हूं।

श्री सभापति : बहुत लोग बोलने वाले हैं शाम के सात बज जाएंगे इसी में, बिजनेस बहुत बाकी है।

श्री शिवनाथ सिंह : यह तो सरकार के देखने का काम है कि वह इतना कम समय क्यों रखती है।

श्री सभापति : मेरा निवेदन है कि जितना संक्षिप्त हो सके....

श्री शिवनाथ सिंह : मैं आपके आदेश की पालना करते हुए दो मिनट में अपनी बात खतम करूंगा।

माननीय सभापति जी, हमने बहुत समर्पित किये पानी को, शिक्षा को और स्वास्थ्य को, क्या नतीजा आया ? आज भी स्थिति वही है। किसी भी अस्पताल की स्थिति ऐसी नहीं है कि कोई भी साधारण आदमी वहां जाकर के इलाज करा ले। विदेशों से हमको रुपया मिला साक्षरता कार्यक्रम के लिये। माननीय मुख्य मंत्री जी बार-बार कहते हैं कि जब मैं देखता हूं कि राजस्थान की साक्षरता का प्रतिशत क्या है, मुझे शर्म आती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे भी शर्म आती है यह कहते हुए कि जो रुपया विदेशों से इस साक्षरता कार्यक्रम के लिये मिला है उस सारे का दुरुपयोग हुआ है और आपके यहां से गलत आंकड़ें बनाये गये हैं। एक भी गांव जिसको आपने साक्षर माना है, एक मोहल्ला जिसको साक्षर माना है, राजस्थान में 10 ऐसे मोहल्ले आप छांट लीजिए और उनमें आप उसकी जांच करा लीजिए एक भी प्रतिशत आपका मामला सही नहीं है। सब रुपया खर्च हुआ यहां से गया और पता नहीं किन किताबों में गया, कहां गया, कहां नहीं गया ? आपके संसद सदस्य हैं, जिले में विधायक हैं और क्या कोई विधायक यह कह सकता है कि सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम में किसी भी विधायक को, किसी भी सरपंच को, किसी भी प्रधान को और किसी भी प्रमुख को जोड़ा गया है ? उनको सामने नहीं आने देते हैं। वे जब सामने आते हैं तो सब पोल खुल जाती है इसलिए एक भी मीटिंग में, एक भी कमेटी में उनको नहीं रखा है। अपने-आप परचेज करते हैं, अपने-आप उसका वेल्यूएशन करते हैं और इवेल्युएशन

(श्री शिवनाथ सिंह)

करते हैं। दिल्ली से टीम आती है तो अच्छी तरह से सेवा सुश्रुषा हो जाती है उनको और सर्टीफिकेट दे जाते हैं कि यहां सम्पूर्ण साक्षरता हो चुकी है।

माननीय सभापति जी, सबसे लेटेस्ट यह है कि अभी-अभी चुनाव हुए। चुनाव में जो वोटर जाता है उसके दस्तख्त होते हैं या अंगूठा होता है। आपको यदि आकलन करना है तो देख लीजिये उनमें कितने लोगों ने साक्षर होकर दस्तख्त किये हैं और कितनों ने अंगूठा टेका है। दूसरा सवाल यह है कि आपके काम चलते हैं, डवलपमेंट वर्क्स चलते हैं, मस्टररोल बनता है, उन मस्टररोलों को उठाकर देख लीजिए जिन गांवों को आपने सम्पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया उसके मजदूर की हालत क्या है? सबके अंगूठे टेके हुए मिलेंगे। यह इतना फास्ट असत्य था और एक फरेब भरा हुआ आपने कार्य कर रखा है जिसके लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जांच का विषय है, जांच करनी चाहिए। माननीय सभापति जी, आखिरी एक उनको निवेदन करना चाहूंगा....

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं एक सैकण्ड बोलना चाहता हूं अगर मेहरबानी हो तो।

श्री सभापति: जी, हां।

श्री गुलाबचन्द कटारिया: मैं साक्षरता के बारे में शायद हमारे ध्यान में यह आ गया कि 100% का मतलब 100% नहीं है केवल हम 15 से लेकर 35 साल के उम्र के लोगों को ही साक्षरता में जोड़कर और उन पर प्रयास करते हैं। हमारे ऐसे जितने भी मूल्यांकन हुए उन मूल्यांकनों में कहीं 21% आया है, कहीं 35% आया है हमने कभी किसी मूल्यांकन में नहीं कहा कि हमने 100% एचीवमेंट कर लिया और पाली, जिस जिले को प्रथम स्थान मिला उसमें केवल हम 35% ही साक्षरता कर पाये, मूल्यांकन में भी 35% ही बताया और सीकर जिला है उसमें केवल 21% ही उस मूल्यांकन में आया फिर भी हमको राष्ट्रपति के द्वारा जो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ वह 21% से है। कारण यह है कि हमने कोई भी मनचाहे आंकड़े बना करके पेश करने का काम नहीं किया, कोशिश की है जो सच्चाई है उस पर हम आये और हमने वह सच्चाई को रखने की कोशिश की है।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचोर): सभापति महोदय, उसमें एक-दो आदमी भी आपको नहीं मिलेंगे। असत्य आंकड़े आप कितने ही फिट कर दो उससे क्या फर्क पड़ता है?

श्री हरजीराम बुरड़क: बिलकुल असत्य आकड़े आपने बनाये हैं वहां कुछ भी नहीं हुआ है। मूल्यांकन के लिये आपने बाहर से ला लाकर लोगों को बैठाया। यह सारे गवर्नमेंट के पास असत्य आंकड़े हैं।

(172)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप चाहे कभी भी समय निकाल लें, भले ही आपके साथ टीम भेज करके और आपके मन के संतोष के लिये जो कुछ किया जा सकता है वह करने के लिये तैयार हैं।

श्री हरजीराम बुरडक : नहीं, कुछ किया ही नहीं सारा फर्जी हुआ है (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय भाटी जी विराजिये, शिवनाथ सिंह जी को अपना भाषण बोलने दें, पूरा करने दें। माननीय मंत्री जी ने पूछ करके बोलना चाहा और आप खड़े हो गये, वो खड़े हो गये कृपा करके इस प्रक्रिया को बंद करें।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सभापति जी, मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा वे सब बातें मेरे ध्यान में हैं, फील्ड में रहता हूं। 15 से 35 साल की उम्र के लोगों को किया है वह सब बात मैं स्वीकार करता हूं। मैं तो यह कहता हूं कि 15 से 35 के आपने रजिस्टर कायम किए थे, उसमें हाजरी दर्ज हुई थी और हाजरी जिनकी दर्ज हुई उनको कहीं न कहीं हस्ताक्षर करने योग्य तो आपने माना है। यदि उनमें भी आपने नहीं माना है, तो वह दूसरी बात है लेकिन जिन लोगों को आपने साक्षर मान लिया उनकी स्थिति में आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं कोई पूरे 100 प्रतिशत की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कोई पूरे 50 प्रतिशत की बात नहीं कर रहा हूं....

श्री सभापति : आप कह चुके हैं अब जरा समाप्त करें। यह बता चुके हैं बात को आप।

श्री शिवनाथ सिंह : हां, कर रहा हूं। एक मिनट में। इसलिए मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो आपने साक्षर मान लिया, अपने रजिस्टरों में जिनकी हाजरी की गयी और उनकी हालत यह है कि वे अंगूठा टेकते हैं, फर्जी नाम लिखे गये हैं फर्जी सर्टिफिकेट दिये गये हैं। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मैं चेलेंज करता हूं कि आप अपने हिसाब से किसी भी सेन्टर का चयन कर लीजिए। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। मेरे जिले की बात कहता हूं औरों की नहीं कहता हूं। मेरे जिले में 10 सेन्टर कर लीजिए 20 सेन्टर कर लीजिए और उसमें 5 प्रतिशत भी आपके सही हों, तो मैं आपकी बात स्वीकार कर लूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती कमला जी।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति जी, मांगों के बाबत बिल प्रस्तुत हुआ है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पहली पंक्ति वाले ही बोलेंगे या दूसरे भी बोलेंगे ?

श्री सभापति : नहीं, सभी बोलेंगे। मेरे ध्यान में है जो-जो बोलना चाहते हैं। एक के बाद एक ही होगा, एक साथ तो सबको नहीं बुलवा सकता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : क्या एता आप को सिर्फ पहली पंक्ति ही दिख रही हो ?

श्री सभापति : नहीं-नहीं, ऐसा नहीं है, पर पहली पंक्ति में कोई ज्यादा वरिष्ठ है, उनका ध्यान तो रखना पड़ता है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कमाल है तब तो हम लोगों की बारी तो कभी आनी ही नहीं।

श्री सभापति : नहीं, अवश्य आएगी। आपकी बारी तो निश्चित ही आएगी।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय मुख्य मंत्री जी ने और सरकार ने अपना प्लान पेश करते वक्त बहुत खुशी और बहुत बड़ा एचीवमेंट प्रस्तुत किया था कि हम इतनी बड़ी योजना लाये और आज जो मांगें आयी हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन के सन्दर्भ में कुछ अतिरिक्त खर्चे और आपने दिखाये हैं कि हमने बहुत ज्यादा काम किया है इसलिए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हमको लेनी पड़ रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं कई बार पहले भी कुछ मुद्दों पर सरकार के सामने अपनी सोच रखती रही हूं आज फिर रखना चाहती हूं कि प्लानिंग जितना पैसा आया उसको किस तरह खर्च करना है सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं रखनी चाहिए। जितना पैसा विभिन्न मदों के लिये आया है या आप प्लान में से विभिन्न मदों के लिये अलोटेड करते हैं उस धनराशि से हमने कितना और विकास, प्रगति, संशाधन, खुशहाली या एम्प्लायमेंट या और अधिक तरक्की का रास्ता रिजनरेट, एक्सोलरेट कर सकते हैं उस दृष्टि से हमने प्लान को बनाने का शायद कभी सोचा नहीं है और उस हिसाब से काम किया नहीं है इसलिए नतीजा यह है कि हम जो स्टीरियो टाइप्ड हमारी व्यवस्थाएं हैं, उदाहरण के तौर पर कृषि में हम इतने हैक्टेयर जमीन में इतना और अधिक पैदा करेंगे, गेहूं की फसल इतनी और बढ़ाएंगे, सरसों की इतनी और बढ़ाएंगे और इतना हम खाद का अनुदान देंगे, इतना हम पैस्टीसाइड्स का अनुदान देंगे, इतना हम उनको कर्ज देंगे, डेढ़ सौ करोड़ दे रहे हैं, दो सौ करोड़ का कर्ज देंगे। यह सारी हमारी पुरातन से चली आ रही व्यवस्था है। इसको ही हमने देखा। हमने यह नहीं देखा कि जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं उस पैसे को इस तरह प्लान करें कि उस पैसे से जिसके लिये खर्च कर रहे हैं उसकी भी कितनी ज्यादा स्थिति और कितना उसका स्टेण्डर्ड आफ लिविंग बढ़ा सकते हैं, कितनी आमदनी उससे और जनरेट कर सकते हैं और कितने राज्य के संसाधन उससे और बढ़ सकते हैं। इस दृष्टि से हमने उसको प्लान नहीं किया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज जितना भी पैसा दिया उसके साथ में अगर हम यह भी प्लान करते कि एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज के लिये किन किन क्लाइमेटिक ज़ोन्स में कितनी कितनी और हम इण्डस्ट्रीज लगा सकते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा सकते हैं, जिसे जो पैदा कर रहा है काश्तकार या उत्पादक, वह जो चीजें पैदा कर रहा है उसको भी अपनी पैदावार का समुचित लाभ मिले, उचित उसको कीमत

(श्रीमती कमला)

मिले और अपनी स्टेट के अन्दर भी एक एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज का नेटवर्क बन जाए, इस पर हमने कोई वर्कआउट नहीं किया। इसके अलावा जो खेती में उत्पादन हो रहा है वह कितना हो रहा है और कितना वेस्ट जा रहा है, उसके एक एक आइटम छोटे से छोटा अंश का हम पूरी तौर से उपयोग कर सके जिससे जो पैदा कर रहा है उसको उसकी कीमत मिले, राज्य का फॉरेन एक्सचेंज भी मिले और डोमेस्टिक एक्सपोर्ट के जरिए से उसकी हालत भी सुधरे। उदाहरण के तौर पर सब्जी पैदा होती है, फल पैदा होते हैं, फूल पैदा होते हैं, आयल सीड्स वगैरह सब होते हैं। आप इनके सब के प्रिजर्वेशन के लिये, इनकी ग्रेडिंग और पैकिंग के लिये, इनके डोमेस्टिक और फॉरेन एक्सपोर्ट के लिये अगर इस प्लान के अन्दर व्यवस्था करते तो मैं यह समझती हूं कि आज राजस्थान का किसान बहुत तेजी के साथ खुशहाली की ओर बढ़ता, उसकी आमदनी बहुत तेजी से बढ़ती और आपके पास में अतिरिक्त संसाधन उसके जरिए से जुड़ते। लेकिन इसके ऊपर कोई वर्क-आउट नहीं किया गया जो कि किया जाना चाहिए। आज आप यह कहकर कि हम इतनी सब्सिडी दे रहे हैं, हम इतना कर्ज दे रहे हैं, इतना यह कर रहे हैं उससे किसको क्या लाभ हो रहा है सिवाय इसके कि आप जितना कर्ज दे रहे हैं उससे थोड़े बहुत संसाधन खरीदकर वह थोड़ा और पैदा कर लेता है। लेकिन वह पैदा किया हुआ आपके और उसके क्या काम आ रहा है, न सरकार के लिये विशेष काम आ रहा है, न उसकी लाइफ स्टाइल बदल रही है, न उसकी आमदनी बढ़ रही है इसलिए उसकी पैदावार को, आप उसकी स्टेण्डर्ड आफ लिविंग सुधारने में, आमदनी को बढ़ाने में, सरकार के संसाधन और अतिरिक्त क्रिएट करने में रिजनरेट होना चाहिए। आपका जो इंवेस्टमेंट है वह इंवेस्टमेंट रिजनरेट नहीं हो रहा है, न जनता की यूनिट के लिये और न स्टेट के लिये। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि आने वाले समय में राज्य सरकार इस तरह से प्लान करे कि काश्तकार जो भी पैदा कर रहा है उसके आधार पर एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज को अभी से एक प्रोफाइल बनाकर उसका पूरा स्टेट में फैलेज के अन्दर किस तरह से हम क्रिएशन करेंगे, किस तरह से लगाएंगे और किस तरह की प्रोसेसिंग यूनिट स्टेट में लग सकती है, चाहे वह फलों के आधार पर हो, चाहे सब्जियों के आधार पर हो, चाहे और चीजों के आधार पर हो, उनको हमें टेक-अप करना चाहिए। पिछले कई वर्षों से मैं इस बात को प्रतिपादित कर रही हूं लेकिन इस तरफ हमारी प्लान का सोच बना नहीं।

मैं कहना चाहती हूं कि आपका जो रोजगार का कार्यक्रम है। आज लाखों बच्चे बेरोजगार हैं और हमारी स्टेट के अन्दर इतनी एजेंसीज हैं जो स्वयं के रोजगार की योजनाएं लेकर बैठी हैं, चाहे वह उद्योग विभाग है, चाहे खादी ग्रामोद्योग आयोग है, चाहे प्राइम मिनिस्टर रोजगार स्कीम है, आर.एफ.सी. की स्कीम्स हैं, और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज हैं जो कि सेल्फ एम्पलायमेंट स्कीम्स

(श्रीमती कमला)

को लेकर बैठी हैं लेकिन उन सब का कार्डिनेशन बिलकुल नहीं है। वह किस तरह से फंक्शन करती हैं, कौन उनकी कमेटीज हैं, वैसे वह सलेक्ट करती है, किस तरह से उस पैसे से हम सालाना कितने लोगों को रोजगार देकर एस्टेब्लिश कर रहे हैं, इसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। सब एजेंसीज अलग अलग अपना काम कर रही हैं। मैं कहना चाहती हूं आप इन सारी एजेंसीज को कार्डिनेट करने का प्लान करिये और वह कितना किस किस तरह का रोजगार कितने समय में और किस तरह से दे सकती हैं उसको रेग्युलेट कराइये और हरेक पंचायत समिति लेवल पर एक एम्प्लायमेंट इन्फार्मेशन ब्यूरो कायम करिये। वहां पर सालाना पंचायत समिति के जरिए से सम्मेलन होने चाहिए और अन-एम्पलायड यूथ को और दूसरों को बुलाना चाहिए और बताना चाहिये कि वह क्या रोजगार कर सकते हैं। इन एजेंसीज के प्रतिनिधियों को वहां पर भेजिये, भेजकर उनके समान तैयारी कराइये कि किस किस पचायत समिति में कितने कितने लोगों को, कौन-कौन सी एजेंसीज, किस-किस तरह से रोजगार देने का काम करेगी और उनको एस्टेब्लिश करने तक आपको उनकी टेक-केयर करना चाहिए। यह नहीं कि उनको पूछ लिया, उनको कह दिया, तुम फलां एजेंसी में चले जाना, तुमको इतना पैसा मिल जाऐगा, आधा-पड़दा ही मिलता है, पूरा तो मिलता भी नहीं है लेकिन जितना भी मिलता है उससे वह एस्टेब्लिश नहीं होते। सरकार का पैसा जा रहा है, भारत सरकार का पैसा आ रहा है, कोई एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, कोई जॉब में नहीं जा रहा है और यह सारा पैसा हमारा वेस्ट जा रहा है उससे हमें एम्पलायमेंट जनरेशन का एक सुनियोजित कार्यक्रम तैयार करना चाहिए।

तीसरा एक मुद्दा मैं आपको एजुकेशन का कहना चाहती हूं। मैं खतम कर रही हूं। आपने कितनी एजेंसीज को यह काम दे रखा है वह भारत सरकार से भी एड लाती है, राज्य सरकार से भी एड लाती है और जो काम वह कर रही हैं आपके सामने माननीय सदस्यों ने रखा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि एक तरफ हमारा इतना पैसा उन एजेंसीज को आप दे रहे हैं और उनके रिजल्ट्स कितने निराशाजनक हैं। आज भी अकेले एक मेरे ब्लाक में तीन सौ, ढाई सौ की आबादी की कम से कम 20 ढाणियां, गांव ऐसे बैठे हैं जो एक प्राइमरी स्कूल के लिये तरस रहे हैं पिछले छह वर्ष से, तो आप यह ज्यादा पैसा इधर-उधर बिखेरने के बजाय सरकारी स्कूलें, प्राइमरी स्कूलें, मिडल स्कूलें ज्यादा से ज्यादा खोलिये। आप सन् 2000 तक सारे प्रदेश को साक्षर बनाना चाह रहे हैं। यह माननीय मुख्य मंत्री जी जगह जगह घोषणा कर रहे हैं। अब सन् 2000 में कितना समय रह गया है। माननीय सभापति जी, क्या इतने समय में आप सब को साक्षर कर सकेंगे ? जो आप एज ग्रुप बता रहे हैं उसको भी नहीं कर सकेंगे।

(श्रीमती कमला)

मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि यह झूठा सपना है। यह पूरा नहीं हो सकता, तीन वर्ष या पौने तीन वर्ष के अन्दर पूरा प्रदेश साक्षर नहीं होने वाला है। आप यह संकल्प लीजिये कि हमें प्राइमरी एजुकेशन को जल्दी से जल्दी नीचे बेस के ऊपर सुदृढ़ करना है और एक भी ऐसी जगह नहीं रहनी चाहिए जहां पर 30 बच्चे पढ़ने वाले हों और वहां पर आपका स्कूल नहीं हो। आप क्रमोन्नत करने के लिये थोड़े से स्कूल कर देंगे, प्राइमरी खोल ने के लिए थोड़े से कर देंगे लेकिन लोग तरस रहे हैं प्राइमरी स्कूल लेने के लिये और आप कह रहे हैं हम सन् 2000 तक सब को साक्षर कर देंगे। इसलिए यह जो योजनाएं हैं, जिनमें इस तरह से पैसा खराब हो रहा है इन योजनाओं को आप समाप्त करें या उनको साइडलाइन करें। और प्राइमरी एजुकेशन और अपर प्राइमरी एजुकेशन का पूरा एक पिरामिड सही ढंग से, सुदृढ़ ढंग से बनाइये तो आप नतीजा दे पाएंगे।

अन्त में, मैं जो वाटर कंजर्वेशन है इसके लिये कहना चाहती हूं। आज आप मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, जहां पर बड़ी-बड़ी कई नहरें हैं, कई नदियां हैं बड़ी-बड़ी उनमें आप काम करेंगे। आम तौर पर राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पर बारिश का पानी ही छोटे छोटे नालों में चलता है और बहता है। हम पिछले कई वर्षों से इस बात को कहते आये हैं कि जो एनीकट बनाने का काम है, वाटर कंजर्वेशन का काम है, फ्लड प्रोटेक्शन का काम है इन कामों के लिये आप एक अलग महकमा बनाइये। जितना पानी आप कंजर्व करके छोटी-छोटी जगह रख देंगे उससे आपका वेजीटेशन ग्रो होगा, आपके कुओं में जल स्तर बढ़ेगा और जो आज प्राब्लम ड्रिंकिंग वाटर की बन रही है उसको भी आप रेस्टोर कर पाएंगे। लेकिन मुझे मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया, मुझे लिखकर भी दिया था, हाउस में भी कहा कि इसके लिये हमने डिपार्टमेंट बना रखा है। उन्होंने कौन सा डिपार्टमेंट बना दिया? वह वाटर शेड वाला। वाटर शेड का जो डिपार्टमेंट है वह खेतों के ऊपर कंटूर बनिंग का काम करता है। नदी-नालों के ऊपर छोटे-छोटे एनीकट बनाने का या फ्लड प्रोटेक्शन वाला काम कोई नहीं करता। इसलिए मेरा माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि पानी की समस्या को, संकट को ध्यान में रखते हुए एक महकमा इस बात का क्रिएट करिए कि एक-एक बूंद पानी को कंजर्व होनो चाहिये और वह नदी-नालों में बहकर के वेस्ट नहीं जाना चाहिये। फ्लड प्रोटेक्शन से घर बरबाद हो रहे हैं, खेत बरबाद हो रहे हैं, सारा जोन रेतीला होता जा रहा है उसको आप काम में लिजिए। यह हंसने की और सिर्फ यों ही हवा में उड़ा देने की बात नहीं है। आप इस मुद्दे को गम्भीरता से लीजिए और जो पैसा आप इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं ....

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री भाटी जी।

श्रीमती कमला : पिछले सालों के 10-10, 12-12 एनीकट आज ऐसे पड़े हैं जो बिलकुल बरबाद हो गये हैं, टूट गये हैं। उनकी मरम्मत कराने तक का पैसा भी किसी विभाग के पास नहीं है।

श्री सभापति : धन्यवाद। बात स्पष्ट हो गयी।

श्रीमती कमला : कहने के लिये नहीं कह रही हूं, साहब, मैं भाषण के लिये कह रही हूं।

श्री सभापति : स्पष्ट हो गयी आपकी बात सबको।

श्रीमती कमला : एक दर्द है, एक बात है आपके सामने कहना चाहती हूं उसको गंभीरता से टेकअप करना चाहिये। पूरे 4 वर्ष से बराबर मैं इस बात को इम्फेसाइज करती आ रही हूं। लेकिन इसके ऊपर कोई गौर नहीं हो रहा है। बने हुए एनीकट भी टूटते चले जा रहे हैं। यही सड़कों की हालत हो रही है, वह चाहे डी.आर.डी.ए. की हो, चाहे पंचायत की हो, चाहे किसी भी तरह की हो, सारी की सारी सड़कों की मिट्टी उधड़ गयी है और उनकी बुरी हालत हो रही है।

अंत में, इतना ही कहना चाहती हूं कि प्लान को आप इस तरह से करिये कि उस प्लान से आगे से आगे स्टेट को लाभ मिलता जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति : कृपया सचेतक जी की बात सुनिये, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सुरेन्द्र गोयल (उप मुख्यसचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिये और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है।

माननीय श्री भाटी जी।

विधेयक पर विचार

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : एक मिनट। सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य श्रीमती कमला जी से यह कहना चाहूंगी कि 1981 में जयपुर में बाढ़ आयी। सब बंधे टूट गये। उस समय जब हम कहते थे भू-संरक्षण के लिये और इन सब कामों के लिये जमवा-रामगढ़ में तब आप स्थानीय होते हुए भी काम नहीं कर रही थी। मैं यह कहना चाहूंगी अब आपको थोड़ा सा महसूस हुआ है उधर बैठकर यह अच्छी बात है....

श्रीमती कमला : आप गलत बयानी कर रही हैं। उस जमाने में जितने एनीकट बने उतने कभी नहीं बने।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तब ध्यान रखना चाहिये था। जब और कोई बात

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कहता है, श्रीमती कमला जी, मैंने यहां 1980 से 1990 तक यह कहा कि यह काम कर दीजिए। इन्होंने किया, नहीं किया तब क्या होता था ? (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं दोनों सम्माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि कृपया विराजें। यह कोई तरीका नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : स्कूल आपने नहीं खुलवाये। हमें खुलवाने पड़े।

श्री सभापति : माननीय डाक्टर अरोड़ा जी आप तशरीफ रखिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पर्सेंटेज हमने बढ़ाया आपने घटाया। आप क्या बात करती हो। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया विराजिये, आर्डर प्लीज।

श्रीमती कमला : ये पांच सौ-छह सौ स्कूल खोलते हैं और हमने तीन-तीन हजार स्कूलें खोली हैं। आप पांच सौ-छह सौ स्कूलें खोलते हैं हमने उस वक्त जितने एनीकट बनाये उसने आज तक कभी नहीं बने।

श्री सभापति : कृपया विराजिए। आर्डर प्लीज। तशरीफ रखिए आप। आपस में चर्चा नहीं कीजिए। बैठ जाइए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर आप ही लोग करते तो हमको करने की जगह ही नहीं बचती। पंचायत समिति में आपका अध्यक्ष था उसने काम नहीं किया।

श्री सभापति : माननीय श्री भाटी जी कृपया प्रारम्भ करें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : सभापति महोदय, अभी 33 पर्सेंट नहीं हुआ जब तो यह हालत है अगर वह हो गया तो फिर आप सोच सकते हैं क्या होगा।

सभापति महोदय, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है इस सम्बन्ध में मैं वित्त मंत्री जी का और उप मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज जो डिफिकल्टी आ रही है वह यह है कि सिस्टम पूरा बिगड़ गया है। सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पूरा बिगड़ गया है। मैं सिर्फ यह नहीं कह रहा हूं कि उसमें बी.जे.पी. ही दोषी है, हम लोगों की भी गलती है। आप प्रशासन में रह चुके हैं, आप ब्यूरोक्रेसी में रह चुके हैं। सबसे बड़ी भूल मुख्य मंत्री जब बनते है, मैंने सन् 1980 से लेकर आज तक देखा है, मुख्य मंत्री बनते ही वह एम.एल.एज.को तो भूल जाते हैं और एक डी.फेक्टो मुख्य मंत्री बन जाता है सेक्रेटरी टू सी.एम.। ठीक है, सेक्रेटरी टू सी.एम. एण्ड चीफ सेक्रेटरी की एक मर्यादापूर्ण ड्यूटी होती है और एम.एल. एज और मंत्रियों की गलती यह है कि अगर एम.एल.एज. को कोई काम हो, तो मुख्य मंत्री से सीधी बात करिए। मैंने देखा है कि मंत्रियों को कि अगर उनको मुख्य

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

मंत्री जी से कोई काम हुआ और उन्होंने अगर गलती से यह कह दिया कि आप मेरे सेक्रेटरी को नोट करा देना, तो वो सेक्रेटरी को अपने चेम्बर में बुला सकता है। लेकिन मंत्री भी सेक्रेटरी टू सी.एम. के चेम्बर में जाएंगे। काम हो, नहीं हो लेकिन आप एम. एल. एज. हैं आप एक-दो लाख जनता के नुमाइंदे हैं। आप अगर मर्यादा नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा ?

सभापति महोदय, आज पूनमचन्द जी साहब ने बहुत ही अच्छा जिक्र किया, मथानिया का किया, पेयजल का किया। हम बाहर निकल रहे थे तो मैंने यही अर्ज की कि यह इनके सोच और समझ से बाहर की बातें हैं, जो आपने रखी हैं। हम तो 20 साल से सुनते आ रहे हैं। मुख्य मंत्री जी का शायद आप सबने आर्टिकल पढ़ा होगा। हमारे लोग तो जब चुनाव में जाते हैं, तो हम कह देते है कि साहब राजस्थान पत्रिका क्या है कि "मैरू पत्रिका"। कुलिश जी ने एक आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल को काफी लोगों ने पढ़ा होगा। मैं उनको बधाई देता हूं। इसलिए देता हूं कि एक्चुअली आज समस्या क्या है, आज यह जन-आक्रोश हुआ, यह जन आक्रोश बी.जे.पी. के खिलाफ नहीं है, यह जन आक्रोश मुख्य मंत्री जी की कार्यशैली के खिलाफ है। इन्होंने एकीकरण कर लिया, यह ह्यूमनली इम्पोसिबल है। आज बिल क्लिटन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका कोल्ड वार जब से खतम हुई है, सबसे पावरफुल पर्सन हैं वर्ल्ड में। मैं इस आर्टिकल को सिर्फ उप मुख्य मंत्री जी को पढ़ने के लिये इसको टेबल पर पेश करूंगा। टेबल पर आएगा तो आप सबको पढ़ना पड़ेगा और आपको पढ़ना चाहिये। इसलिये पढ़ना चाहिये कि जब हैड ऑफ दी स्टेट अगर सिस्टम को नजरअंदाज कर दे, सिस्टम को सेक्रेफाइज कर दे तो प्राब्लम होगी। आज 16 हजार करोड़ की चर्चा हो रही है। 16 हजार करोड़, मेरे ख्याल से इनके जो वित्त सचिव हैं उनको अगर आप कहो कि 16 हजार करोड़ रुपये गिन लो, तो उनसे गिनती नहीं हो सकती। आज वास्तव में किसी को सोच ही नहीं है।

आज इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड की बात हो रही है। चौधरी साहब ने जिक्र कर दिया 6 हजार के बिल का और आपने फरमा दिया साढ़े पांच हजार के बिल का।

(16.49)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, सिस्टम यह कहता है कि आज बिजली बोर्ड में भले ही पी.एन. भंडारी आ जाएं, आ नरेन्द्र सिंह सिसोदिया आ जाएं, लेकिन जो कांग्रेस के टाइम में बोर्ड बना, जो बी.जे.पी. के टाइम में बोर्ड बना, आप कम से कम अगले 50 साल तक की कुछ नीतियां तो तय करिये उप मुख्य मंत्री जी। नहीं तो क्या होता है कि भंडारी साहब पधारे और उन्होंने तय कर दिया कि साहब आज मेरे जच गयी है कि मैं बिजली बोर्ड के लिये कमाऊंगा। आज हालत यह है उप मुख्य मंत्री जी, बिजली

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

बोर्ड के प्राइवेटाइजेशन की आप घोषणा करते हो। मैं तो बधाई देता हूं, शिक्षा मंत्री जी थोड़ा परे हटकर, मुझे तो एक्चुअली मुख्य मंत्री जी की जो घोषणाएं हुई हैं अभी तक जहां पधारते हैं घोषणा कर आते हैं कि 100 पर्सेंट, घोषणा में ये बहुत माहिर है; मुझे तो आज पता पड़ा है जब आपने फरमाया कि हमारा आकलन है 15 से 20 पर्सेंट, ऐसा होना चाहिये। उसमें अगर आपके कोई बी.जे.पी. के साथी यह कह दें; साहब यह क्या बात कर रहे हो आप; मैं तो आपको शाबासी देता हूं। जो हकीकत है उसको न तो आप छिपा सकते। कैनाल हैं और जो इम्पोसिबल चीज है उसको आप अचीव नहीं कर सकते की आपके और मेरे बीच में अनेक बार चर्चा हुई होगी। मेरी कोई बापोती है क्या कैनाल? इन्दिरा गांधी कैनाल के लिये काम दिया गया था। कुछ सोच-विचार कर; साथ बैठकर अपन ने तय किया था। और इसलिए मैं कहता हूं कि आज आप विद्वान विराजे हैं, हम इधर बैठे हैं। कभी सपोज जनता हमें मौका दे दे, हम उधर बैठे और आप विपक्ष में पधारो तो मेरे जैसा शख्स तो आदर करेगा कि अगर मेरे से ज्ञानी विपक्ष का सदस्य हो और वह सुझाव दे तो उस सुझाव को लेने के लिये, कार्यान्वित करने के लिये मुझे क्यों संकोच होना चाहिए। लेकिन यह संकोच मुख्य मंत्रीजी में है और उस संकोच के कारण ही आज हालत यह है।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : यह मुख्य मंत्रीजी पर चर्चा हो रही है क्या?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : देखिये; भंवरलालजी साहब, आप अगर फरमाएंगे तो मैं बैठ जाता हूं। मुझे उपाध्यक्षजी ने मौका दिया है। मुख्य मंत्रीजी के और मेरे बहुत अच्छे मधुर सम्बन्ध थे। अब नहीं हैं; वह भी आप जानते हो। अब अगर जसवंत सिंहजी साहब; मेरे बहनोई हैं; कल वह आपके वित्त मंत्री बन जाते हैं तो मैं तो उनकी भी यह आलोचना करूंगा कि अपनी जो ढाई सौ बीघा जमीन है उस पर तो वह धेला भी कमा नहीं सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप एप्रोप्रिएशन बिल पर आ जाइये; माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, आपके मंत्री मुझे टोकें....

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय; जो सदन में उपस्थित नहीं हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं करायें। जो सदन में नहीं हैं, उनके बारे में जो चर्चा की है वह हटाई जाए।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : वाह-वाह; क्या हिमायती आये हो, राजेन्द्रजी जसवंतसिंह जी के आप। कमाल है, और आपकी टिकट का कोई विरोध करेगा तो सबसे ज्यादा वे करेंगे, पहले आपके सांसद रह चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मुझे परमिशन दे दी थी सभापतिजी ने, यह तो मैं अभी रख दूंगा, क्योंकि उप मुख्य मंत्रीजी पढ़ना चाहेंगे। लेकिन आप प्लानिंग

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

करिये। आज प्लानिंग की जरूरत है, सबसे बड़ी बात है उप मुख्य मंत्रीजी कि अपनी; एक भारतीय इन्सान की बाइ-नेचर एक कमी है कि अपन मेंटिनेंस में बहुत पूअर हैं। आप नयी योजना लगा देंगे, आप नया उद्घाटन कर देंगे, नया पत्थर लगा देंगे लेकिन आज सेक्रेटेरिएट में पधारों, उपाध्यक्षजी, कोई मेंटिनेंस नहीं है। हालत यह हो गयी है कि आपने वहां की सफाई भी ठेके पर दे दी। आज यह की यह बात, मथानिया पर, समय कम है, विस्तार में जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो पूनमचन्दजी साहब ने कहा और आज हम भुगत रहे हैं, 30-30, 60-60 फुट पर मथानिया योजना पर, कब हुई थी, 1962 में आज स्वर्गीय मथुरादासजी अपने बीच में नहीं हैं। जब वहां जोधपुर के पास में ओसियां की जनता और फलोदी की जनता ने थोड़ा आब्जेक्शन किया कि साहब, हमारा एरिया सूख जाएगा। उन्होंने कहा था कि सिर्फ 3-4 साल के लिये हम कर रहे हैं। अब 23-23 ट्यूबवैल्स तिवरी मथानिया एरिया से रोजाना 24 घण्टे पानी निकाल रहे हैं, जबकि नहर का पानी आ गया जोधपुर में, हम उनको कह रहे हैं कि नहर का पानी आ गया तो आप किसानों के एरिये में से एट-लीस्ट पानी अब ड्रा करना तो बंद करिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत : देरी का कारण ही आप थे।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो एक बात अर्ज कर दूं, इस कैनाल की, एक तो राजेन्द्रजी मुख्य मंत्रीजी को खुश करने के लिये पैरवी कर-करके तो +++ या तो इसमें एक बार डिबेट करवा लीजिए, उप मुख्य मंत्रीजी। उसमें एक तो रख लीजिए आपके मुख्य मंत्रीजी को, इसलिए कि उस समय राजेन्द्रजी और हम जो बैठे हैं राजस्थान कैनाल से सम्बन्धित जो लोग हैं खुलकर के डिबेट कर लेंगे। मैं आज कैनाल की बात जानकर के नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही मैंने राजस्थान कैनाल की बात छेड़ी नहीं, ये राजेन्द्रजी उठेंगे, चेम्बर में मुख्य मंत्रीजी सुन रहे हैं। राजेन्द्रजी को यह लग रहा है कि भाटी की कुछ भी आलोचना करें तो मेरा टिकट सुरक्षित है। (व्यवधान) मंत्री पद के लिए तो मैंने इनको आज से चार साल पहले ही....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। (व्यवधान) तो आप मूल विषय पर आ जाइये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : समाप्त क्या करूं ? (व्यवधान) मैं तो एड्रेस कर रहा हूं उप मुख्य मंत्रीजी को और आपको। कभी तो भंवरलालजी मुझे डिस्टर्ब करते हैं, पेयजल मंत्रीजी, कभी यह करते हैं राजेन्द्रजी सिर्फ उस क्लास को खुश करने के लिये और कोई कारण नहीं है, उपाध्यक्ष जी।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : आप डिस्टर्बेंस का कारण ही क्यों बनते हैं ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : यह भी अब मैं एक्सप्लेन करूं ? चलो मैं इस पर उतर जाता हूं। (व्यवधान) डिस्टर्बेंस का कारण एक है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप सूखकर कांटा क्यों हो गये ?

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब जोधपुर कैनाल का नाम आ गया, आप यदि योजना में परिवर्तन नहीं करते तो नहर आज से 6 साल पहले बन जाती और 1984 से लेकर 90 तक वहां मात्र 21 करोड़ रुपये खर्च हुए। भैरोंसिंहजी ने, राजस्थान सरकार ने और भंवरलालजी शर्मा ने उस पर 290 करोड़ रुपये खर्च किये, नहर पूरी की तथा जोधपुर को पानी दिया, और पानी नहीं मिला मथानियां, ओसियां के फार्म सूखे, कुएं सूखे तो उसका कारण आप और आपकी पार्टी है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : बहुत अच्छा। आप एक चीज भूल गये, भैरोंसिंह जी को आपने जो तगमा दिया था, अबकी बार 25 का अंक आया न 18 और 5, "एक ही सिंह, एक ही सिंह-भैरोंसिंह," वह कहां गया ?

श्री राजेन्द्र गहलोत : वह तो आज भी है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सब भूल गये। अब उससे कोई जुड़ना नहीं चाहता हैं, अमरारामजी, क्योंकि जैसे ही "भैरोंसिंह-एक ही सिंह" हुआ नहीं कि जनता और ठोक देगी।

उपाध्यक्षजी, मैं बिलकुल सब्जेक्ट पर आना चाहता हूं। आज इन्दिरा गांधी कैनाल से पानी जोधपुर आ गया। पेयजल मंत्रीजी, मेहरबानी करके, भले ही आप 10 दिन बाद करें, लेकिन उप मुख्य मंत्री जी जितने भी ट्यूब-वैल्स से विथड्रावल हो रहा है, अब आप 1962 से लेकर 1998 हो गया और जल स्तर उपाध्यक्षजी, जैसे "बड़े" ने फरमाया....

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): यह "बड़ा" क्या है ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : "बड़ा" पूनमचन्दजी विश्नोई हैं, साहब। आप अगर नहीं समझते हो सिन्धी होते हुए भी तो कमाल करते हो।

श्री किशन मोटवानी : तो "बडेरा" कहो।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : हां, तो "बडेरा" हम "बड़ा" कहते हैं और आप "बडेरा" कहते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह 'बडेरा' कहेंगे तो आप बडेरा समझ जाएंगे और दिल्ली पहुंच जाओगे।

श्री राजेन्द्र गहलोत : अब बडेरा राज करने लग गये, यह हो जाएगा।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अब तो जय बोलनी पड़ेगी उस बडेरा की। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अब मैं बडेरा कह देता तो मेरे पर ये टीकमचन्दजी और सब चढ़ जाते। मैं कल की डिबेट का उत्तर दे रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं उप मुख्य मंत्री जी को, वित्त मंत्रीजी को यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप 2-3 चीजें लागू कर दीजिए। एक तो कलक्टर्स को और कमिश्नर्स को यह बता दीजिए कि वे ब्यूरोक्रेसी के पार्ट हैं। They are not politicians. जाकर उद्घाटन करेंगे आज, कलक्टर्स की आचार संहिता के तहत जगह-जगह इन्होंने मीटिंग्स बुलाई हैं, उपाध्यक्षजी, और जनता से क्या पूछें कि साहब आपकी डिफिकल्टीज क्या है, आप हमें बताइये। यह उनका कब से काम आ गया, 200 एम.एल.ए. अपन हैं। जनता अपने को चुनकर भेजती है, हराती है, जिताती है। उपाध्यक्षजी, यह बोलते कोई नहीं हैं। इसलिये कि वह एकीकरण कि अगर कलक्टर को, ब्यूरोक्रेसी को, किसी भी ब्यूरोक्रेट को जरूरत हो तो उसको तो सिर्फ मुख्य मंत्रीजी को खुश रखना है। यह आप कर सकते हैं, उप मुख्य मंत्रीजी अभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब कभी भी मौका मिले, महीने भर, दो महीने भर में, आप मेहरबानी करके यह करिये और जितने भी जैसे मथानिया योजना है, या दूसरी जितनी भी पेयजल योजनाएं हैं, वहां से पम्पिंग हो रहा है, और दूसरे सोर्स हैं नेचुरल या अन नेचुरल कैनाल का, आप वहां पर मेहरबानी करके उस पानी का विथड्रावल बंद करिये।

आपने मुझे, सभापतिजी ने और उपाध्यक्षजी ने समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब सन 1994 में इस विधान सभा में आये तब से हर बजट के वक्त और हर वक्त सुनने को मिला कि इस सरकार का कुशल वित्तीय प्रबन्धन; फाइनेंशियल मेनेजमेंट है और उसका यह नमूना है कि कोई सा साल ऐसा नहीं गया कि जिसमें सप्लीमेंट्री डिमाण्ड के ऊपर; सप्लीमेंट्री डिमाण्ड नहीं आयी और यह दूसरी सप्लीमेंट्री डिमाण्ड है जिसके एप्रोप्रिएशन बिल पर अपनी चर्चा चल रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह वित्तीय कुशल प्रबन्धन कभी भी नहीं कहलाता कि जिसमें आकलन सही नहीं निकले। मैं तो यह भी नहीं समझता कि यह आखिरी सप्लीमेंट्री डिमाण्ड है, क्योंकि उसके बाद में भी सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स आएगी। तो हमारे वित्त मंत्रालय की जो स्थिति है उसमें आकलन नाम की तो कोई चीज ही नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले चार सालों में अखबारों के माध्यम से, इस सदन के माध्यम से जानकारी मिली कि हमारी आठवीं

(184)

(श्री विष्णु मोदी)

पंचवर्षीय योजना 11500 करोड़ रुपये की है। मैंने राजस्थान के जो पुराने लोग हैं उनसे भी चर्चा की, कुछ आंकड़ों का भी अध्ययन किया उससे जानकारी मिली कि जो सात पंचवर्षीय योजनाएं थीं, उनका टोटल एक्सपेंडीचर था वह 7190 करोड़ रुपये का था। उस 7190 करोड़ रुपये में राणा प्रताप सागर भी बन गया, गांधी सागर भी बन गया, जवाहर सागर भी बन गया, माही बजाज सागर भी बन गया और कोटा बैराज बन गया। इसके अलावा इन्दिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट पर काफी काम हो गया। इस राजस्थान के अन्दर इन्फ्रास्ट्रक्चर के अन्दर सड़कें बनी, अस्पताल खुले, दवाखाने खुले, कालेज खुले। मैं समझता हूं कि राजस्थान में जो सन् 1952 में स्थिति थी उसमें उतरोत्तर विकास के लिये पंचवर्षीय योजनाएं बनीं और सात पंचवर्षीय योजनाओं में जिनमें मात्र 7,190 करोड़ रुपया खर्च हुआ और आठवीं पंचवर्षीय योजना में 11,500 करोड़ रुपया खर्च करके भी मैंने नहीं देखा कि कोई मेजर डेम आया हो या राजस्थान के अन्दर कोई इरिगेशन के अन्दर वाटर कंजर्वेशन में काम हुआ हो या राजस्थान के अन्दर बिजली उत्पादन बढ़ा हो या राजस्थान के अन्दर सड़कों का विकास हुआ हो। मैं आपके माध्यम से बहुत करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता यह सवाल पूछ रही है, और यह जो पार्लियामेंट के नतीजें हैं, वह नतीजें भी इसका एक परिचायक है कि आपने 11,500 करोड़ रुपया किस बात में खर्च किया है? और जब एक सूचना पाने का अधिकार मांगने की बात हो रही थी, उसमें किस तरह से आपने तोड़-मरोड़ किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज चाहे किसी मंत्रालय की बात ले लें। आज किसी भी विभाग की बात ले लें। डी.आर.डी.ए. के अन्दर जे. ईएन. नहीं हैं, पंचायत के अन्दर सेक्रेटरी नहीं हैं, स्कूल में टीचर्स नहीं हैं, अस्पताल के अन्दर डाक्टर्स नहीं हैं, पट्टी नहीं हैं, थाने के अन्दर कागज और पेंसिल नहीं हैं और फिर 11,500 करोड़ रुपये की + + + कम से कम इस राजस्थान की विधान सभा में, क्योंकि यह तो पिछले साल भर में आज का एक दिन ऐसा रहा है कि राजस्थान का हाउस आर्डर में है और अगर विधान सभा में समस्याएं वेंटिलेट नहीं होंगी, क्योंकि यह तो आपने कमर कस रखी है कि हम विधान सभा को नहीं चलाएंगे, हम राजस्थान में विपक्ष की बात को नहीं सुनेंगे, ठीक है, सवा चार साल निकल गये। एक नतीजे आपने देख लिये। दूसरे नतीजे आपके सामने आने वाले हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस सरकार पर यह आरोप है कि जितना बिजली के उत्पादन के बारे में इस राजस्थान की विधान सभा में असत्य बोला गया और जितना राजस्थान की जनता के सामने

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री विष्णु मोदी)

असत्य बोला गया कि हम इतने हजार मेगावाट उत्पादन करने जा रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, this Government has not only failed in power generation, it has miserably failed. उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का सवाल है तो वह दिन दूर नहीं कि किसी दिन यह सारे का सारा ढांचा कॉलेप्स नहीं हो जाए।

माननीय पूनमचन्दजी साहब ने, माननीय भाटी साहब ने और माननीय चौधरी साहब ने पानी के कंजर्वेशन का जिक्र किया। आज से तीन साल पहले मद्रास शहर में भी जैसे राजस्थान की जगह-जगह स्थिति है, मद्रास शहर में भी यह स्थिति हुई कि वहां का पानी बहुत नीचे चला गया तो वहां एक लेजिस्लेशन बना। तमिलनाडु की सरकार ने मद्रास के लिये एक कानून बनाया और वह कानून यह बनाया कि हर बिल्डिंग के अन्दर उनको अपना पानी, जो बारिश का पानी है, उसको किस तरह से अपनी ही जमीन में रखना पड़ेगा। मैंने वह कंजर्वेशन का कानून मंगाया और आदरणीय मुख्य मंत्रीजी और आदरणीय भंवरलालजी शर्मा को खुद को दिया और आज तक मैंने उसके बाद कितने ही पत्र लिखें पर कुछ नहीं हुआ। फिर तो लिखना भी छोड़ दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विश्नोईजी ठीक कह रहे थे कि राजस्थान के अन्दर एक एकड़ में अगर एक इंच पानी बरसता है तो इतना पानी है, लेकिन हमने बातें ही सुनी हैं आज तक उसमें कुछ काम नहीं हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कानून-व्यवस्था की स्थिति का सवाल हो या विधायकों की सुरक्षा की बात हो, दूसरी हो, अभी जो आंकड़े आये हैं, वह आंकड़े अपनी जगह हैं और जो स्थिति है, वह सबके सामने है। पर सवाल इस बात का है कि हमारा तालमेल नहीं है और एक व्यवस्था टूट सी रही है। आज कुल मिलाकर जो स्थिति बन गयी है कि आदमी में सुरक्षा की भावना ही नहीं रही है। आज उसमें यह विश्वास ही नहीं रहा है कि अगर वह घर से सफर करने निकला है तो कोई कार एक्सीडेंट से बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा, या घर बन्द करके जा रहा है तो घर में उसके पीछे से चोरी होगी या वह सुरक्षित रहेगा, तो आज इस तरह की भावनाओं से राजस्थान का आम आदमी ग्रसित है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। उस फैसले के आने से राजस्थान की कम से कम दो हजार खानें बन्द हो गयीं और दो हजार खानें बन्द होने की मार वहां कार्यरत मजदूरों पर पड़ी, खनन व्यवसाइयों के ऊपर पड़ी, ट्रांसपोर्ट वालों पर पड़ी और सारी इकॉनोमी सैट-अप होने को आयी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मोदी परिवार पर पड़ी।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं

(श्री विष्णु मोदी)

श्रीमान् रघुवीरसिंहजी कौशल साहब का कि उन्होंने कम से कम इस बात का प्रयास किया कि वह प्रपोजल्स भारत सरकार को जाएं। लेकिन इसके साथ-साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मुख्य मंत्रीजी पर और माननीय खनिज मंत्री पर भी यह आरोप है कि उन्होंने कम से कम एक बार, भी कोशिश नहीं की कि वह भारत सरकार में जाकर उन प्रपोजल्स की क्या स्थिति है, क्या कि-रिजर्वेशन होता है या क्या नहीं होता है, सिवाय रघुवीर सिंहजी कौशल ने......

श्रीमती तारा भण्डारी : सारी कोशिश आपको बताकर के करते । आपकी नहीं हुई दिखती है । (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : यह कोशिश करते कि वहां से प्रपोजल्स आगे हो जाएं, बाकी की इस सरकार के किसी नुमाइंदे ने, न चीफ सैक्रेटरी ने, न मिनिस्टर ने, न चीफ मिनिस्टर ने और आज भी स्थिति यह है कि उन दो हजार खानों में से कम से कम 1200 खानें बन्द पड़ी हैं, एक साल से ऊपर का समय हो गया है लेकिन कोई धनी-धोरी ही नहीं है । कोई पूछने वाला ही नहीं है कि उनकी क्या स्थिति है ? उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ही बात नहीं है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : सारी इनकी ही बन्द पड़ी हैं ।

श्री विष्णु मोदी : देखिये, यह सवाल मेरा या आपका नहीं है । सवाल राजस्थान का है । आज राजस्थान की इकोनोमी.....

श्रीमती तारा भण्डारी : आप तो खान एक्सपर्ट हैं । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : खानें बन्द हैं । आम आदमी के मकान बनाने के लिये पत्थर की मुसीबत हो रही है । ग्राम-ग्राम में त्राहि-त्राहि मच रही है; आप नहीं जान रहीं क्या इस बात को ?

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार के किसी नुमाइंदे ने यह कोशिश नहीं की कि उनकी क्या स्थिति है । जहां तक पी.एच.ई.डी. का सवाल है, पानी की बात हुई है कि जब आज बीसलपुर का पानी अजमेर आ गया, इसके बावजूद भी पुष्कर में गनेड़ा और भावता से, मैं कई बार आदरणीय मंत्री महोदय को चिट्ठी लिख चुका हूं कि वहां के पानी का जल स्तर नीचे चला जा रहा है वहां के किसान परेशान हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है । बीसलपुर भी आ गया और वह भावता भी चल रहा है, गनेड़ा भी चल रहा है, बूढ़ा पुष्कर से रेलवे वाले भी उतना ही पानी ले रहे हैं । आज सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार में कोई सुनने वाला ही नहीं है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक औद्योगीकरण की बात है; सातवीं पंचवर्षीय योजना में इतना पूंजीनिवेश हुआ और उसके बाद में आठवीं पंचवर्षीय योजना में इतना पूंजीनिवेश हुआ हम तो

(श्री विष्णु मोदी)

सिर्फ आंकड़े सुनते रहे लेकिन कोई मेजर सैक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। और तो और कम से कम अरबन सैक्टर के अन्दर आप इन्वेस्टमेंट स्टेट में लाएंगे चाहे वह इण्डस्ट्रियलाइजेशन सैक्टर में हो, चाहे पावर सैक्टर में हो, चाहे किसी सैक्टर में हो लेकिन अरबन सैक्टर में तो जैसे भंवरलालजी + + + आज मुख्य मंत्रीजी ने राज विलास होटल का उद्घाटन किया। आज जयपुर के अन्दर पचास होटल आ सकते हैं, आज उदयपुर के अन्दर 50 होटल आ सकते हैं लेकिन कानूनन रूप से बाधा है। अरबन सैक्टर के अन्दर आज जयपुर में जे डी.ए. है तो बाकी के यू.आई.टीज. के इस तरह के कानून बने हुए हैं कि इन शहरों के अन्दर इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान सरकार ने नीतियां तो कई बनायी लेकिन एक नीति खनिज नीति, मार्बल नीति, ग्रेनाइट नीति, सड़क नीति, औद्योगिक नीति और कई नीतियां बनायीं और वह नीति बनाकर, मैंने आज तक, इस विधान सभा सचिवालय को निरन्तर लिखता आ रहा हूं कि यह परिपाटी है कि जो भी नीति बनायें, वह आप इस विधान सभा में डिस्कस करायें। लेकिन इस सरकार ने एक भी नीति को इस विधान सभा में आज तक डिस्कस नहीं कराया और वह क्यों नहीं कराया वह इसलिए कि इन्होंने नीति बनाकर इन सैक्टर्स का डवलपमेंट रोका है। मार्बल नीति बनाकर मार्बल में जो राजस्थान में डवलपमेंट हो रहा था, मेरा यह आरोप है कि आपकी मार्बल नीति बनाने से मार्बल का डवलपमेंट राजस्थान में रुका है। ग्रेनाइट की नीति बनाने पर ग्रेनाइड का डवलपमेंट राजस्थान में रुका है और उसी तरह से उद्योग विभाग ने नीति तो बनायी लेकिन एक फरमान जारी कर दिया चूंकि जब कैलाशजी बंटाधार करने पर लगे हैं तो मामड़ा जी क्यों चूकेंगे, इन्होंने मार्बल की खान पर रोक लगा दी तो उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि सड़क से 500 मीटर तक कोई फैक्ट्री नहीं होगी। राजस्थान के अन्दर उदयपुर में, किशनगढ़ के अन्दर कम से कम इस तरह की 100 यूनिट्स हैं जिसके अन्दर नहीं-नहीं करके 300-350 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट आने वाला था, इस उद्योग विभाग के एक आदेश से (व्यवधान) मेरा हिसाब तो ले लो, खुली किताब है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री विष्णु मोदी : लेकिन इस राजस्थान का विकास करने में जहां तक मेरा सवाल है, मैंने कभी अपनी कोई व्यक्तिगत बात नहीं उठायी है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, अभी खतम कर देता हूं।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री विष्णु मोदी)

उद्योग विभाग के एक फरमान से कि सड़क से 500 मीटर की दूरी में कोई उद्योग नहीं लगेगा, इसके कारण से कम से कम 100 इकाइयों का काम आज भी बंद पड़ा हुआ है। मेरा आपके माध्यम से इस सरकार पर आरोप है कि इन नीतियों को बना कर इसने राजस्थान के विकास में, उन्नति में बाधा पहुंचाई है। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुबेर खान (अनुपस्थित)।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के विकास के लिये अगर आपको और धन की आवश्यकता है, तो और सप्लीमेंट्री बिल लाकर के और ले लीजिये लेकिन कम से कम मेहरबानी कर के यह तो देख लीजिये कि इस धन का क्या उपयोग हो रहा है, इसकी क्या उपयोगिता है और इस धन का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है।

जन स्वास्थ्य मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 1995-96 में पेयजल के लिये जो बजट आपको दिया था। (व्यवधान) एक सैकण्ड, आप बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? मैं यही तो निवेदन कर रहा हूं कि वह बजट आपके लिये समर्पित किया था। आपने यह कभी गौर किया है कि उससे क्या काम हुऐ? 6.1.1996 को आपने गंगापुर-मालपुर के लिये एक करोड़ 81 लाख रुपये स्वीकृत कर के काम निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी। 40 लाख रुपये के पाइप रीको के गोदामों में सड़ रहे हैं। तो क्या यह आपका विकास हो रहा है? खाली उन पाइपों की परमिशन लेने के लिये खरीद कर पटक दिया कि हां, साहब; हमने कर लिया।

एक माननीय सदस्य : कमीशन के लिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : कमीशन के लिये तो मैं नहीं कहता। मैं तो पूछना चाहता हूं कि क्या आपने उनको वैसे ही पटक दिया? आप पानी के लिये बात करते हो, जो हैंड पम्प लगते हैं, लग रहे है वे हैंड पम्प तीन महीने बाद में ही खराब हो रहे हैं। उनको 70 मीटर गहराई तक हमारी साइड में देना चाहिए था, 110 फुट पर देना चाहिये था लेकिन 50-60 फुट पर ही देकर छुट्टी। यह पैसे का दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग हो रहा है?

माननीय मंत्रीजी, मेरा निवेदन है कि इस तरह से आपने योजनाएं बनायीं, उनकी घोषणा की। गंगापुर में तीसरी टंकी के निर्माण का आपने सदन में यह आश्वासन दिया था कि एक महीने के अन्दर निर्माण कार्य चालू हो जाएगा, भगवान जाने कहां गया एक महीना। डेढ़ साल हो गया उसको। अब इस बात को याद रखना। पैसा तो आपको खूब दे दिया लेकिन उस पैसे को यूटिलाइज करो।

विशिष्ट योजना मंत्रीजी, आप भी

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

ध्यान दो, आप भी लिखो तो सही। आप जरा इस बात को गौर से देखो कि आपके माध्यम से होने वाले विशिष्ट कामों के लिये कितनी विशिष्ट योजना भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने आपको दे रखी हैं। डी. आर. डी. ए. के अन्दर जो कार्य होता है, जो पैसा आपके माध्यम से जाता है उसको कभी आपने जाकर देखा भी है? मेरे ख्याल से कभी जाकर नहीं देखा। देखा है? (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना) : देखा है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें, माननीय सदस्य।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गलत थोड़ी कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, अब आप विराजें। बहुत बोल लिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : एक मिनट तो बोले नहीं हुआ कि बहुत बोल लिये। उपाध्यक्ष महोदय, कभी-कभी तो बोलने का मौका मिलता है और आप यह कहते हो कि बोल लिये। मैं तो सही बात कह रहा हूं। भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से पैसा काफी मिल रहा है, तो मेरा यही निवेदन है कि कम से कम इस पैसे का सदुपयोग तो कीजिये।

मान्यवर, इरिगेशन विभाग में इमर्जेंट वर्क के नाम से बरसात में सड़कों और नहरों की सफाई के लिये कार्य चालू होता है, सात दिन में नहरों की सफाई हो गयी और चार-चार, पांच-पांच लाख रुपये का पेमेंट उठ गया। तत्कालीन मंत्री, देवी सिंह जी भाटी जानते हैं। वो क्यों गये हैं? क्यों सवाई माधोपुर जिले में एक्स. ईएन. वगैरह के साथ कांड हुआ? वह यही तो चक्कर था। वहां कितने का घोटाला हुआ? करोड़ों रुपये मिले सवाईमाधोपुर जिले के लिये, सब साफ कर गये। मैं आपको एक एक उदाहरण बताऊं तो उसमें बहुत समय लगेगा, मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि पैसे का जो सदुपयोग होना चाहिये वह नहीं हो रहा है।

सड़क मंत्रीजी भी बैठे हुए हैं। सड़क मंत्रीजी, आप तो जाते हो हमारी साइड में, सड़कों पर कितने खड्डे पड़े हैं, देखे हैं आपने? 1986-87 की सड़कें बनी हुई हैं, आपने दोबारा से उनकी रिपेयरिंग करवायी है, उनको बनवाया है? आपकी जे. आर. वाई. योजना में सड़क बन रही है, ग्रेवल रोड जिन पर मोटे-मोटे ढीम पटक दिये हैं। आदमी तो क्या चलेगा पशु भी नहीं चल सकते उन पर और कह दिया कि हमने ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ दिया। आप जाकर देखो गंगापुर क्षेत्र के अन्दर। आपको एक उदाहरण दूं, 10 ग्राम पंचायत मुख्यालय आपने इस चार साल के पीरियड में जोड़े हैं। लेकिन सड़कों की स्थिति क्या है, यह स्थिति है कि उन पर चलना तो दूभर उसके बगल में

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

पगडंडी में होकर, खेतों में होकर रास्ता निकाल कर लोग जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि ग्रेवल रोड बना दी पर अगर आप उसको कुटवा देतें तो मेरे ख्याल से शायद ऐसा नहीं होता। इसके बारे में मैंने आपको कई बार पत्र भी लिखे। मेरा तो इतना अनुरोध है कि पैसा अपन खर्च कर रहे हैं, ग्राम पंचायत मुख्यालयों को अपन सड़कों से जोड़ रहे हैं तो मेहरबानी कर के सड़कों का निर्माण इस तरह से तो कराइये कि जिन पर आसानी से चला जा सके।

माननीय उद्योग मंत्रीजी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा। बड़े-बड़े उद्योगों को तो आप विदेशों से मंगा रहे हैं, विदेशों से पूंजीपतियों को बुला रहे हैं लेकिन कभी आपने लघु उद्योगों के बारे में भी सोचा है? राजस्थान के अन्दर, खास तौर से सवाईमाधोपुर जिले में ले लो, या सारे राजस्थान के अन्दर ले लो, 6500 तेल मिलें हैं, छोटी-छोटी इकाइयां हैं। आज उनकी स्थिति क्या है? एक-एक मिल पर 10-10 मजदूर काम करते हैं। अब आप हिसाब लगा लीजिये कि कितने मजदूर उन मिलों में काम करते हैं उनकी क्या स्थिति हो रही है? आपने उनको क्या बेनिफिट दिया है? मेरा निवेदन है कि कम से कम मेहरबानी कर के आप बड़े उद्योगों को तो प्रोत्साहित करिये; खूब लगायें लेकिन लघु उद्योगों को भी जिंदा रखें।

आखिर में एक ही निवेदन करूंगा, सारी बात हो गयी, आपने पैसा दे दिया; कुछ देर में पैसा ले लेंगे, कभी आपने देखा है कि सवाईमाधोपुर जिले में खास तौर से और अलवर जिले में, भरतपुर जिले में, बूंदी जिले में, टोंक जिले में और कोटा जिले में सरसों की पैदावार कैसी हुई है? एक-एक बीघा में दो-दो मन से ज्यादा पैदावार नहीं हुई है। आज किसान रो रहा है। किसानों को राहत देने का आपने सोचा है क्या? पिछली फसल खतम हो गयी थी बरसात के कारण से बाजरा काला पड़ गया है और अब यह सरसों की फसल जो किसान की जान है वह पैदा नहीं होने के कारण से, गेहूं के अन्दर हवा चलने से और बरसात होने के कारण से गेहूं भी औंधे पड़ गये हैं इससे किसान की हालत खराब है। मेहरबानी कर के उन किसानों को किसी न किसी तरह राहत दिलाने की कृपा करें। आपसे मेरा यह अनुरोध है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहूंगा। फलौदी से आने वाले हमारे माननीय सदस्य, पूनमचन्दजी विश्नोई ने कुओं के जल स्तर की जो बात कही, वह सही है। मैं इस बात को आज से नहीं 1976 से उठाता आ रहा हूं। 1985 मैंने इस मसले को उठाया था। बाबा आदम के जमाने के गांवों के अन्दर तालाब, तलइयां, गऊ कुंड जीर्णशीर्ण स्थिति में हो गये हैं। हमारे सवाईमाधोपुर जिले के अन्दर 7500 तालाब हैं और अकेले गंगापुर क्षेत्र के अंदर 450 तालाब हैं। किसान अपने आप उनको ठीक करा लेते थे लेकिन आज उनकी स्थिति ऐसी नहीं है। एक-एक

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

तालाब की सिंचाई क्षमता किसी की 150, किसी की 100 तो किसी की 50 एकड़ है। इसके बावजूद जब हम डी.ग्रार.डी.ए. में मामला उठाते हैं तो वे कहते हैं कि, साहब, वाटरशेड के अन्दर नये तालाब बनवा लो। नये तालाब बनवाने के लिये तो वे हां करते हैं और पुराने तालाबों की रिपेयर के लिये पैसा नहीं है। भारत सरकार की जो वाटरशेड की स्कीम आयी थी उसमें मैंने बताया था रिपेयरिंग, रिपेयर शब्द है। तो यह रिपेयर शब्द किस चीज के लिये है? क्या नये तालाब की रिपेयर होगी? रिपेयर तो पुरानी चीज की ही होगी। इसलिए मेहरबानी कर के डी ग्रार.डी.ए. के लिये ग्राप इंस्ट्रेक्शंस दीजिये कि वाटरशेड के माध्यम से उन पुराने तालाबों की मरम्मत के लिये पैसा ग्रलाट करें। यही मेरा कहना है। ग्रापने मुझे समय दिया, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सारे माननीय सदस्यों का बड़ा ग्राभारी हूं ....

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो इतना सा निवेदन है कि जितना भी पैसा भारत सरकार देती है ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्राप उस समय उपस्थित नहीं थे, ग्रापका नाम पुकारा था।

श्री जुबेर खान : जब तक उठ गये थे, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : उस समय मैंने ग्रापकी एब्सेंट मार्क कर दी।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रलवर का मामला है।

श्री हरिशंकर भामड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस विनियोग बिल पर जो भाषण दिये हैं ग्रौर जो सुझाव दिये हैं, मैं समझता हूं (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, डी.ग्रार.डी.ए का जितना भी पैसा खर्च हो रहा है पंचायत समितियों के मार्फत हो रहा है। मेरा ग्रापसे निवेदन है कि हालत यह है कि चार-चार महीने से पंचायत समितियों में जे.ईएन. (व्यवधान) एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया ग्रब ग्राप विराज जाएं। (व्यवधान) श्रीमान रामस्वरूप जी, कृपया मेहरबानी करें, विराजे। कृपया मेहरबानी करें। विराजें।

श्री जुबेर खान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी की बात है कि गोविन्दगढ़, ग्रलवर में कालेज की घोषणा करके ग्राये हैं। ग्रापने यहां घटत-बढ़त कर ली उसके लिये भी कुछ पैसे दे देते।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रापने संकेत में ग्रपनी बात कह दी। (व्यवधान) माननीय सदस्य,

(श्री उपाध्यक्ष)

आपने संकेत में अपनी बात कह दी विराज जाएं।

श्री जुबेर खान : और, उपाध्यक्ष महोदय, आपको तो खुद ही सुनना पड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें। प्रभारी मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप तो खुद मौजूद थे मंच पर, जहां से घोषणा की थी कि समझो कालेज खुल गया। मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि गोविन्दगढ़ में कालेज तो खोल दीजिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप पांच पर्सेंट भी नहीं बोलने देंगे क्या 33 पर्सेंट की जगह (व्यवधान) हमारे चीफ व्हिप साहब ने नाम दिया और आप (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होगी उस समय आप अपनी बात कह सकती हैं। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : नहीं, मेरा तो इसी में नाम दिया है आपके पास।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप तो उसमें भी नाम काटोगे।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आपका नहीं काटेंगे हम। न काटा है आज तक।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मुझे भरोसा हो आप अभी से विश्वास दिलाइए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहे माननीय सदस्य।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं मैं उन सारे सुझावों का हृदय से स्वागत करता हूं। एप्रोप्रिएशन बिल पर एक प्रकार से बहुत-ही लिमिटेड बहस होती है लेकिन चूंकि सारी डिमाण्ड्स आज पास हुई इसलिए माननीय सदस्यों ने विभिन्न विभागों के बारे में अपने विचार व्यक्त किये और मैं समझता हूं कि लगभग सभी माननीय सदस्यों ने वही विचार व्यक्त किये हैं जो कि हम स्वयं उनसे एग्री करते हैं। जो दिशा-निर्देश, चाहे वह कानून-व्यवस्था का हो, चाहे वह पानी का प्रश्न हो, चाहे वह परिवार नियोजन का प्रश्न हो, पंचायत व्यवस्था का प्रश्न हो, शिक्षा के सम्बन्ध में जो सुझाव आये, जनता जल योजना के बारे में जो सुझाव आये, साक्षरता अभियान के बारे में जो सुझाव आये, योजनाओं के बारे में सुझाव आये कि योजना किस तरह से बननी चाहिये। मेरा किसी से भी इस सम्बन्ध में मतभेद नहीं है और मेरे स्वयं विचार इसी दृष्टि से सोचने के हैं और इसलिए निस्संदेह इन सारे सुझावों पर (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुनें। आपने इतनी मेहनत की है, शांति से जवाब सुनें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इन्हीं सुझावों पर सरकार इसी दिशा में सोच रही है और उनको क्रियान्वित करने के लिये अपनी ओर से भरसक प्रयास करेगी। समय-समय पर आपके सुझाव मिलते रहेंगे तो मैं समझता हूं प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिलकर राजस्थान की बहबूदी के लिये, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, चाहे पानी का क्षेत्र हो, चाहे खनिज का हो, चाहे उद्योग का हो, चाहे सड़क निर्माण का हो और चाहे पर्यटन का हो, इन सारे क्षेत्रों में हम निश्चित रूप से आपके इन सुझावों को इनकारपोरेट करने की कोशिश करेंगे। अब वह चूंकि अलग-अलग है।

एप्रोप्रिएशन बिल पर हमारे माननीय विष्णु मोदीजी जरूर थोड़ा बोले और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने यह कह दी कि वित्तीय कुशल प्रबन्धन की बार-बार इतनी थोथी घोषणाएं होती हैं लेकिन यह सप्लीमेंट्री पर सप्लीमेंट्री लाये जा रहे हैं। मैंने अभी सारा रिकार्ड देखा है, 1952 से लेकर आज तक विधान सभा में ऐसा कोई भी वर्ष नहीं गया जिसमें एक सप्लीमेंट्री पेश नहीं हुई हो।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आपने दो किये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैंने दो किये हैं तो दो के लिये भी मैं आपको आंकड़े बता दूंगा कि कितने वर्षों में दो सप्लीमेंट्री भी हुई हैं इसलिए सप्लीमेंट्री लाना यह कोई अकुशल प्रबन्धन का द्योतक नहीं है। इसका कारण यह है कि आज हमारा वित्तीय प्रबन्धन बहुत कुछ केन्द्र पर निर्भर करता है। हमको केन्द्र आधारित योजनाओं को उनकी सहायता पर, बहुत-सी बातों पर हम उन पर निर्भर करते है और जब-जब भी केन्द्र में अव्यवस्था होती है....

श्री राजेन्द्र पारीक : अब तो बन्द हो गयी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अब बन्द हो गयी तो ठीक हो जाएगा। तो उस समय हमारे बजट पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और इसलिए हमको यह पता नहीं चलता कि केन्द्र कौन-सी योजना लागू करेगा, हमको किस योजना में कितना पैसा देगा और समय-समय पर केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से एक मद से खर्च के अनुदान को दूसरी मद में ट्रांसफर करना पड़ता है या समायोजन करना पड़ता है। कुछ अपरिहार्य कारण भी होते हैं जो अचानक होते हैं। इन सारी बातों को आप ध्यान में रखकर यदि इस बात पर विचार करेंगे कि सप्लीमेंट्री तो एक स्वभाव है और यह एक ऑर्डिनरी प्रोसीजर है इसलिए इसको यह मान लेना कि वह अकुशल प्रबन्धन है, यह मेरी समझ में ज्यादती होगी।

माननीय विष्णु जी मोदी ने और भी बहुत-सी बातें कहीं कि हमने सात हजार करोड़ रुपये में तो इतना कर दिया और आपने बारह हजार करोड़ रुपये में क्या किया? मुझे लगता है कि यदि आप महामहिम राज्यपाल महोदय का भाषण

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

पढ़ लेते तो उसमें क्या किया है, वह आंकड़े दिये हैं।

श्री विष्णु मोदी : मैंने पढ़ लिया, उपाध्यक्ष महोदय....(व्यवधान) यह हम आपसे वादा करते हैं कि जब हमारी सरकार आयेगी तो हम जांच करायेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप मुझे बोलने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बीच में इंटरप्शन नहीं माननीय सदस्य (व्यवधान) माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : शायद हमारे विष्णु मोदी जी ने नहीं देखा कि पिछले छह साल, इसी योजना में हमने 19 हजार किलोमीटर नई सड़कें बनायीं। यह बांध की बात कर रहे हैं, यह बीसलपुर बांध हमने बनाया और जहां तक स्कूलों का सवाल है, छह हजार से अधिक स्कूलें खोलीं।

श्री जुबेर खान : यह तो डी.आर.डी.ए से बनवा रहे हो।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : और जहां तक पानी का सवाल है, सैंतीस हजार गांवों में पेयजल की व्यवस्था की। यह सारी बातें, सारे आंकड़े जो इनके ध्यान में हैं....

श्री विष्णु मोदी : पढ़ लिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : पढ़ लिये हैं मगर अब कोई जिद करे कि मैं तो मानने को तैयार नहीं हूं उसको तो भगवान भी नहीं मना सकता। यदि आप कहें कि मेरे मुर्गे की एक टांग है तो आपको कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि दो टांग है। आप तो यही कहोगे कि मेरे मुर्गे की तो एक ही है इसलिए इसका मेरे पास उत्तर नहीं है। लेकिन यदि वह भाषण पढ़ लेते तो उनकी बहुत-सी शंकाओं का समाधान हो जाता। साढ़े बारह हजार करोड़ में ज्यादा से ज्यादा, वह उद्योगपति हैं, पैसे के मामले में समझते हैं तो पिछली योजना से जो इंफ्लेशन है, उस राशि को कम कर सकते थे, यदि वह कम करें तो भी पिछली योजना से वह बहुत ज्यादा है। इंफ्लेशन कम करने के बाद में भी बहुत ज्यादा है और जितने काम हुए, उनका पूरा विवरण महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में वर्णित है। इसलिए ब्लेंकली यह कहना कि कुछ हुआ ही नहीं है। हमने तो सात हजार करोड़ में इतना काम कर दिया और आपने साढ़े बारह हजार करोड़ खर्च करके भी कुछ नहीं किया। इसलिए यह कहना, मैं समझता हूं कि उपयुक्त नहीं है, सही बात नहीं है।

मान्यवर, ये तो खुद उद्योगपति हैं। कहने लगे मार्बल में बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे राज में किशनगढ़ में मार्बल मंडी बनी, राजसमंद में बनने जा रही है और जितने उद्योग मार्बल में लगे, हमने 10 हजार करोड़ रुपये का विनियोजन किया, यह भूल गये। कहने लगे उद्योग की बात करते हो, लोग आये ही नहीं तो

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

10 हजार करोड़ रुपये मामूली बात होती है।

लघु उद्योग की बात कर रहे थे। एक लाख चौरासी हजार लघु उद्योग काम कर रहे है जिसमें लगभग छह-सात लाख लोग काम कर रहे हैं और हमारी उद्योग नीति की मैन थ्रस्ट यह है जो बार-बार मैं कह चुका हूं कि हम लघु उद्योग, घरेलू उद्योग और शिल्प उद्योग पर अधिक जोर देना चाहते हैं और इसी पर हमारा अब तक जोर रहा है और इसलिए पिछले साल में मंदी आयी, मंदी आने के कारण बहुत-से उद्योग बंद हुए। हमने हर उद्योग के लिये अपनी योजना बनायी। आर.एफ.सी. से उनको रिलीफ दी। रीको से उनको रिलीफ दी। जितनी हम मदद कर सकते थे, वह सारी मदद की। लेकिन सारे हिन्दुस्तान में मंदी यदि केन्द्र सरकार की अक्षमता के कारण या गलत नीतियों के कारण या उनके कुशासन के कारण आयी तो उसके लिये हमें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन फिर भी राजस्थान में मुझे आज कहते हुए खुशी है कि यहां के उद्योगपतियों की समस्याओं का जिस प्रकार से हम समाधान करते हैं, मौके पर जाकर, सारे उद्योगपतियों को और मुझे इस बात की चिन्ता है कि जो उद्योग राजस्थान में चल रहे हैं, हम पहले उनका संरक्षण करें और उस पर हम पहले ध्यान दें कि यह सही ढंग से चलते रहें और इसलिए हमने उद्योगों का परचेज प्रिफरेंस 70 पर्सेंट कम्पलसरी कर दिया डिपार्टमेंट में, कि राजस्थान में जितने लघु उद्योग हैं उनसे उत्पादित चीजें विभागों से 70 पर्सेंट खरीदनी पड़ेंगी। हम उनकी मार्केटिंग के लिये हर जिले के अंदर हम उद्योग मेले लगा रहे हैं।

बेरोजगारी का सवाल आया। उद्योग विभाग के सारे विभागों से हम हर साल 1 लाख 25 हजार लोगों को रोजगार देते हैं, जो अलग-अलग विभाग और अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट तक हमने उसकी जांच की है। और भी स्पष्ट करने के लिये हमने नयी योजनाएं चालू कीं तत्काल रोजगार देने के लिये और इस सम्बन्ध में हमारे तीन--चार जगह मेले लग चुके हैं। लगभग छह हजार आदमियों को एक ही दिन में हाथों-हाथ रोजगार दिया, वह तो प्रत्यक्ष है। भिवाड़ी में दिया, भीलवाड़ा में दिया; आबू रोड में दिया और 19 तारीख को यदि आपको देखना है तो आप मेहरबानी करके जयपुर में ही विश्वकर्मा में आ जाना, वहां पर भी तत्काल लोगों को किस प्रकार रोजगार दिया जाता है। यह हमारे ध्यान में है। जिन-जिन समस्याओं की तरफ आपने ध्यान दिलाया है वह सारी बातें हमारे ध्यान में है और इसलिए हम योजना का एक-एक पैसा, जिस तरह की आज सारे राज्यों की स्थिति चल रही है। आज कोई राजस्थान पर ही वित्तीय भार नहीं आया है, सब राज्यों पर आया है। मेरे पास बंगाल के, मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर्स के रोज फोन आते हैं। हमने तो यहां पर पांचवे वेतन आयोग का भुगतान भी शुरू कर दिया है। वहां तो घोषणा ही हुई है, भुगतान कहीं नहीं हुआ और बिहार में तो आज दस-दस महीने हो

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

गये, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। हमारे यहां ऐसा कभी नहीं हुआ। हर महीने सबको बराबर तनख्वाहें मिल रही हैं और वित्तीय प्रबन्धन में जहां हमको जरूरी पड़ता है हाथ रोकना, वहां हम रोकते हैं, क्योंकि हमने प्रशासनिक खर्चे में बहुत बड़ी कमी की है। पिछले साल से हमको केन्द्र सरकार से जो पैसा मिलना चाहिए था वह नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला और इसलिए हम उस घाटे की पूर्ति करने के लिये अपने खर्चे कम करके अपना वित्तीय प्रबन्धन बनाकर चल रहे हैं। इस में कहीं पर भी कोई कमी नहीं है और मैं समझता हूं कि आप तो कोई भी आंकड़े, पहले मेरी सुनलें, बाद में पूछ लेना।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक जानकारी करनी है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। जानकारी बाद में कर लेना।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्याक्षजी, भाषण खतम हो जाएगा फिर कौन देगा जानकारी। उपाध्यक्षजी, अगर भाषण ही खतम हो जाएगा तब क्या जानकारी करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको मौका दूंगा जानकारी करने के लिये।

श्री हरिशकर भाभड़ा : मान्यवर, इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक कम से कम आथोरिटी है। हम तो भले ही नहीं होंगे, आप भी नहीं होंगे और यदि रिजर्व बैंक के आंकड़े गलत हैं तो फिर इस देश में कोई भी ठीक नहीं है। राजस्थान की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है कि राज्य में बिना अतिरिक्त कर लगाये राजस्व में वृद्धि की है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फरवरी, 1998 में प्रकाशित बुलेटिन के अनुसार सारे राज्यों में ही राजस्व प्राप्तियां वर्ष 1997-98 के बजट अनुमानों के अनुसार पिछले वर्ष के मुकाबले 12.1 प्रतिशत बढ़ी है जबकि राजस्थान के सम्बन्ध में यह प्रतिशत 14.67 बढ़ी है। इसी प्रकार समस्त राज्यों के अपने कर राजस्व में 1996-97 के संशोधित अनुमनों के अनुसार पिछले वर्षों के मुकाबले 13.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि राजस्थान में यह 19.61 प्रतिशत हुई है। अब यह रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं। इन आंकड़ों से हमारे प्रबन्धन को आप मापिये कि राजस्थान में वित्तीय प्रबन्धन कुशल है कि नहीं तब तो उसका कुछ है बाकी आप अपनी मर्जी से कहें तो मैं उसका क्या जवाब दूं, उसका जवाब देने की स्थिती में मैं नहीं हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, राबड़ी देवी का बढ़िया है इनके लिये तो।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मान्यवर, इस सेकण्ड सप्लीमेंट्री में हमने कुल मिलाकर 4308.97 करोड़ रुपये की मांग की है इसमें से 3143.49 ये चार्ज्ड खर्चा है जिसमें कोई खर्चा नहीं है यह हमारी मीन्य एण्ड वेजेज को

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

रिजर्व बैंक से हमको 10 दिन के लिये 137 करोड़ रुपये तक मिलता है वह रुपया हम वापस लौटाते हैं तो खर्च में होता है। एक्चुअली वह खर्च तो अलग-अलग मदों में हो चुका है लेकिन चूंकि वापस लौटाते हैं इसलिए यह 3143.09 इस खर्च में शामिल नहीं है। खर्च में केवल 1165.48 है जिसका आपको अलग-अलग मांगों का हमने दे दिया इसलिए यह कहना कि हम बहुत ज्यादा रकम आपसे मांग रहे हैं यह सही नहीं है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी निवेदन किया है कि सप्लीमेंट्रीज आना, यह राज्य का प्रशासन, सारे राज्यों में और केन्द्र में इतना वृहद प्रशासन है कि उसके अन्दर यह संभव नहीं है कि आप अप-टू-डेट, बिलकुल कौए की आंख के ऊपर ही तीर मारें, यह संभव नहीं है। यह तो मेरे ख्याल से उद्योगपतियों के यहां भी नहीं है। वे खुद भी अपना अनुमान करने बैठते हैं और किसी का उद्योग बहुत चला हुआ है, शायद विष्णु जी के इतनी खानें हैं कि ये खुद भी नहीं बता सकते कि साल भर में कितना खर्चा होगा और कितनी आमदनी होगी। मोटे तौर पर देखते हैं। ये बड़े-बड़े अरबपति और खरबपति, क्या आप यह समझते हैं कि वह इतना अंदाज लगा सकते हैं? यह संभव नहीं है, किसी के लिये भी नहीं है। एक मामूली पूंजीपति भी नहीं लगा सकता तो फिर राज्यों में इतने खरबों का है और इसलिए यह कहना कि रुपये, आने, पाई सहित अनुमान बनाना चाहिये; संभव नहीं है और रुपया आने, पाई से नहीं बनेगा तो निश्चित रूप से उसमें सप्लीमेंट्रीज आएंगी, उसमें वैरीयेशन होगा। इसलिए सप्लीमेंट्रीज लाना कोई अकुशल प्रबन्धन का प्रतीक हो, मैं इस बात को मानता नहीं।

लेकिन फिर भी माननीय विश्नोई जी ने जो सुझाव दिये, देखिये इस सम्बन्ध में हमने एक जल नीति बनाकर एक अलग समिति कायम की है और आपने जो सवाल उठाये उन सारे सवालों पर उस समिति में विचार हुआ है चाहे वह पारम्परिक स्रोतों को ठीक करने की बात हो, वाटर कंजर्वेशन की बात हो, छोटे-छोटे एनीकट बनाकर पानी रोकने की बात हो। यह सारी बातें उस मीटिंग में तय की गयी हैं और यहां तक कि जो कुओं का दोहन हो रहा है, बेतरतीब तरीके से, उस पर भी विचार हुआ और उस पर तो एक सेमीनार यहां पर हुई थी। उस सेमीनार में सुझाव आया था कि भविष्य में कुए खुदाने के लिये सरकार अपनी ओर से नियंत्रण करे। आपको आश्चर्य होगा कि वह सुझाव, सुझाव मात्र था अखबारों में आ गया लेकिन इस बार हमारे भाइयों ने नागौर में और वहां पेम्पलेट छापे कि सरकार सारे कुओं का अधिग्रहण करने जा रही है। उसमें यह आया था कि उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिये ताकि कोई नया कुआं खोदे तो कम से कम पता तो रहे कि वितरित रजिस्टर पहले से है....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वितरित कर दो, सब ठीक होगा। काल यह पटक रहे हैं कुओं का....

श्री हरिशंकर भामड़ा : बिलकुल सही है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : और पाइपों पर खर्च कर रहे हैं, ओवर हैड टैंक्स पर कर रहे हैं खर्च। यह देश डूब जाएगा। लकीर के फकीर कि आपने ऐसा किया हम तो कल तय करेंगे सौ हाथ के कुए.... (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : इसीलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। मैं बता रहा हूं। हम लकीर के फकीर नहीं हैं। मैं आपको बता रहा हूं इसीलिए यह हमने बनाया है कि जोधपुर शहर में जो कुओं से पानी आ रहा था धीरे-धीरे कम करने के लिये राजस्थान कैनाल का पानी लाये, बीकानेर में लाये, चूरू में हम व्यवस्था करने जा रहे हैं और बीसलपुर का बांध हमने बनाया ताकि जयपुर, अजमेर और ब्यावर इन सबको पानी मिले और इस सम्बन्ध में हमारा सोच है कि अधिक से अधिक जो बहता हुआ पानी है, उस पानी का हम उपयोग करें और कम से कम जमीन के पानी का उपयोग करें और उसको री-चार्ज करने की भी बात की।

आज भाटीजी ने कहा कि मुख्य मंत्री जी इजरायल गये थे। मैं समझता हूं कि आज हमारे यहां जो स्प्रिंकलर लगे हैं.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आपस में बात नहीं करें माननीय सदस्य।

श्री हरिशंकर भामड़ा : आज स्प्रिंकलर राजस्थान में जिस तरह से पापुलर हुए हैं और लाखों की संख्या में लग रहे हैं, लोग धड़ाधड़ लगा रहे हैं राज्य उसके लिए सब्सिडी दे रहा है। इतनी पापुलर स्कीम हुई है कि सारी स्कीम वहां पर जाने के बाद ही हुई है और उसके फल भी आ रहे हैं, राजस्थान में उत्पादन बढ़ रहा है, राजस्थान में खाद की खपत बढ़ रही है, किसानों की बहबूदी बढ़ रही है। यह बात सही है कि सभी समस्याओं का समाधान नहीं है लेकिन फिर भी किसानों की स्थिति में सुधार आ रहा है। आम आदमी, जनता की में सुधार आ रहा है।

मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण बताता हूं। आप तो जानते हैं, कलकत्ता और मुम्बई में वहां पर राजस्थान के हरेक जिले की कमेटियां बनी हुई हैं और वे बहुत पुराने समय से चल रही हैं। कमेटी वाले एक कमरा लेकर रखते हैं कि राजस्थान से कोई आये नौकरी के लिये, तो जब तक उसको नौकरी नहीं मिले तब तक उनके रहने की व्यवस्था वहां है। अभी मैं वहां गया तो सब जगह लोगों ने मुझे यही कहा कि आजकल राजस्थान से नौकरी लेने कोई नहीं आ रहा है, क्या हो गया है। (व्यवधान) आप भी जाकर पता कर लीजिये, आप जाकर पूछ लीजिये, आपको मालूम पड़ जाएगा। इसका मतलब एक बात स्पष्ट है कि....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कोटा में जे.के. सीमेन्ट फैक्ट्री के पांच हजार आदमी बेरोजगार हैं, आप कहो तो भिजवाऊं आपके पास।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : राजस्थान में कम से कम यह स्थिति तो पैदा हो गयी है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपके पास भिजवा दूं पांच हजार आदमियों को ?

श्री रामस्वरूप मीणा : छह हजार मजदूर बेरोजगार हो गये सीमेन्ट फैक्ट्री के सवाईमाधोपुर में।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : और इसलिए राजस्थान सरकार की नीतियों के परिणामस्वरूप ये सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसके बारे में लोग कह रहे हैं। विष्णु मोदीजी ने कह दिया कि बिजली के सम्बन्ध में जितना असत्य बोला गया, राजस्थान की जनता और इस विधान सभा को हमारी सरकार ने जिस ट्रांसपेरेंसी से एक-एक चीज की सूचना दी, हमने एग्रीमेंट किये तो आपको सूचित किया, किससे एग्रीमेंट किया, सूचित किया, सूचनाएं दीं आपको और वह क्यों रुक गया, उसकी भी सूचना दी। आप भी इस बात को जानते हैं इसलिए जो कुछ भी कहा गया है और जो घट रहा है, जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। अभी अगले महीने तक सूरतगढ़ के ढाई सौ मेगावाट का शुरू हो जाएगा। पैंतीस मेगावाट आपके....

श्री विष्णु मोदी : दिसम्बर, 98 तक भी सूरतगढ़ अगर प्रोडक्शन में आ जाए, भाभड़ाजी, तो मैं इस सदन से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। आप तो गवर्नर स्पीच में 1994 से सूरतगढ़ लिखवाते आ रहे हैं और अगर दिसम्बर, 1998 से पहले आप प्रोडक्शन....(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, उस समय तक सदन के मेम्बर दोनों ही नहीं रहेंगे। चुनाव नवम्बर में हो जाएंगे। कहां इस्तीफा देने की जरूरत पड़ेगी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, एक बार युधिष्ठर के पास में एक आदमी भीख मांगने आया और युधिष्ठर ने उसको कहा कि तुम कल आओ। भीम बाहर खड़े थे। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ ? वह बोला मुझे युधिष्ठर ने कहा कि तुम कल आओ। बोले अच्छा, तो वहां एक घण्टा था उसको जोर-जोर से बजाया। सब लोग इकट्ठे हो गये और उन्होंने पूछा कि किस बात का घण्टा बजा रहे हो। वह बोले कि एक बात तय हो गयी कि मेरे बड़े भाई युधिष्ठर कल तक जीवित रहेंगे, यह तय हो गया।....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय टीकमचन्द जी कान्त, इधर ध्यान दें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : और मुझे इसलिये प्रसन्नता हो रही है कि कल तक की तो गारण्टी मिल गयी। अब विष्णु मोदीजी आप अगले साल विधान सभा में रहोगे कि नहीं, इसकी क्या गारण्टी है ? आप विधान सभा में रहोगे क्या ? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक जानकारी चाहिए। ये खतम कर देंगे, फिर क्या जानकारी मिलेगी ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपको इस्तीफा देने की नौबत ही नहीं आएगी। ऐसी बातों में चुनौतियों से काम नहीं चलता। जो काम करने वाले हैं....

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, जब बायलर लाइट अप-होता है उसके आठ महीने के बाद में सिस्टम में बिजली आती है। आप बायलर लाइट-अप नहीं कर पाए आज तक, तो आप कहां अगले महीने इससे बिजली उत्पादन कर पाएंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं आपकी तरह से लायजन नहीं कर सकता।

श्री विष्णु मोदी : 21 तारीख तक आपका बायलर लाइट अप नहीं हुआ है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हां, मैं बता रहा हूं। मैं आपकी तरफ तो लायजनिंग कर नहीं सकता।

श्री विष्णु मोदी : आपने पहले असत्य बोला है बिजली के मामले में, अब फिर बोल रहे हैं और आपने कोई ट्रांसपरेंसी नहीं रखी। आपने बिजली के मामले में जितने समझौते किये हैं वह राजस्थान की जनता के साथ एक धोखा है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कोई धोखा नहीं किया है। हमने जो किया है सही किया है। हमने जो (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : धोखा है और इसी का कारण है कि मुझे सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी में राजस्थान सरकार की शिकायत करनी पड़ी है और वहां के मंत्री महोदय ने एक टीम बनाकर यहां भेजी है जो कि राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सारे रिकार्ड जांच करने के लिये ले गयी है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इनको चुप तो करिये।

श्री विष्णु मोदी : और आपने इंटरनेशनल काम्पीटिटिव बिडिंग का जो + + + रचाया है उसके सम्बन्ध में भी भारत सरकार ने यह कहा है....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप बोल रहे थे तब मैं आपके बीच में नहीं बोला।

श्री विष्णु मोदी : कि यह इंटरनेशनल काम्पीटिटिव बिडिंग नहीं है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप बोल रहे थे तब आपके बीच में नहीं बोला।

मान्यवर, धौलपुर का साढ़े सात सौ मेगावाट का बिजलीघर बनना शुरू हो गया है। यह जिसको असंभव कहते जा जा रहे थे वह काम हो रहे हैं। इसीलिये

+ + + अब अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित टिप्पणी।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

मैंने कहा कि जो ट्रांसपरेंसी हमारे पास थी, जो कुछ हमने किया वह आपको बताया। वह आगे क्यों नहीं बढ़ रहा वह भी हम आपको बता रहे हैं। उसमें केन्द्र सरकार का कितना योगदान है वह भी हमने आपको बताया है। उनकी नीतियों का परिणाम कितना है यह भी हम बता रहे हैं आपको। हर बात हमने आपको बतायी इसलिये धोखा देना या असत्य बोलना यह हमारे स्वभाव में नहीं है। यह बात सही है कि जिस तरह से माननीय सदस्य विष्णु मोदी जिस प्रकार अपने काम कराने के लिये लायजन कर सकते हैं वह तो मैं नहीं कर सकता। वह सरकार नहीं कर सकती। इनको यदि सरकारी कामों से काम कराना है वह मैं नहीं कर सकता। व्यक्तिगत आदमी का अपना एक तरीका होता है।

श्री विष्णु मोदी : ऑन ए पाइंट आफ आर्डर। आई एम.ग्रान ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : नो।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अब यह सरकारी काम कराएं इसमें कोई व्यक्ति तो है नहीं। आखिर सरकार का काम सरकारी तरीके से होता है इसलिये वह बाध्य तो नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : मैं कौनसे आपके पास काम कराने आया हूं आज तक आप जरा बता दें। मैं आपसे आज तक किस काम के लिये या राजस्थान सरकार के किसी मंत्री से किसी मेरे व्यक्तिगत काम के लिये मिला हूं, तो आप बता दें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मुझे यह कहना है. देखिये मैंने किसी काम का नाम नहीं लिया है मैं आपकी रीति की बात बता रहा हूं....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और आपने आपके परिवार के लिये क्या-क्या काम करवाए हैं वह बतायें? बोलिये। राजसमंद में खानें किसने लीं? आपने आपके परिवार के नाम पर खानें लीं कि नहीं लीं?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपके पिता जी ने होटल बनाया और जिसका आप मजा ले रहे हो किस बात के लिये बनाया और फिर उनको टिकट नहीं मिली। टिकट नहीं मिली और हारे बुरी तरह से वहां पर।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरे पिता जी ने होटल बनाया, कोई सरकार से चूना लगाकर नही बनाया। चूना लगाकर नहीं बनाया....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आज आपके पैट्रोल पम्प चल रहे हैं। दुनिया भर की आप बसें चला रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने अवैध खनन किया है अवैध खनन के दोषी हो।

श्री हरिशंकर मामड़ा : आपने फार्म हाउस बना रखे हैं और मेरे को बता रहे हो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आने दो हमारी सरकार जब पता लगेगा अवैध खनन कैसे होता है। बताऊंगा आपको (व्यवधान)

श्री हरिशंकर मामड़ा : ये चालनी क्या बोलेगी। जिन्होंने धंधा बना लिया रीको के प्लाट अलॉट करा-करा करके और.. (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इन्हें चुप करिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बताएंगे बारह-बारह खानें खायी हैं। बारह-बारह खानें कांकरोली में, पता लग जाएगा। अवैध खनन करके करोड़ों रुपये का चूना लगाया है आपने सरकार के।

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : धारीवाल जी, धारीवाल जी।

श्री हरिशंकर मामड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, या तो इन्हें चुप करिये या मैं चुप हो जाता हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और आज ही अखबार में छपा है चार खानें और दे दीं। पता लगेगा आपको।

श्री मदन दिलावर : धारीवालजी, कहूं क्या, कहूं क्या, मैं कहूं क्या?

श्री हरिशंकर मामड़ा : माननीय सदस्य बोलने की स्थिति में ही नहीं हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : + + +

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : + + +

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य; श्री शांति धारीवाल जी विराजें।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : + + + हिन्दुस्तान के अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री परसादी लालजी।

श्री हरिशंकर मामड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, अंत में....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : + + + रोज गालियां खाते हो और हमसे बात करते हो।

श्री हरिशंकर मामड़ा : अंत में मैं उन सभी माननीय सदस्यों को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने अपने अमूल्य सुझाव आज अपने वक्तव्य में दिये हैं। निश्चित रूप से राज्य सरकार उनके सुझावों से लाभ उठाएगी जिससे आम जनता का लाभ होगा। धन्यवाद।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

203

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटे के लिये बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन का समय आधे घंटे के लिये बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से....

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, इनका + + +समाप्त होने वाला नहीं है। यह तो+ + +है।

श्री कालूलाल गूजर : उपाध्यक्ष महोदय, यह धारीवालजी बार-बार बोल रहे हैं क्या कहना चाहते हैं ? आप इस मांग को पास करवाइये।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह+ + + ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से....

श्री हरिशंकर भामड़ा : पास।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उप मुख्य मंत्रीजी से, वित्त मंत्रीजी से एक इन्फोर्मेशन चाहता हूं। एक यह खबर पांच-छह रोज पहले अखबार में छपी थी कि वित्त मंत्रालय के....

श्री हरिशंकर भामड़ा : किस बात की इजाजत दे रहे हैं इनको। यह कौनसी प्रक्रिया है मुझे समझाइये आप....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : प्रक्रिया की क्या बात है ? मैं तो जानकारी ले रहा हूं....

श्री हरिशंकर भामड़ा : और मैं जब सवाल पूछूंगा इनके सारे+++

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते....

श्री हरिशंकर भामड़ा :+++

एक माननीय सदस्य : आप आसन को +++

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराज जाएं, माननीय सदस्य। कृपया विराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वित्त मंत्रालय ने....

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो आपने इजाजत दी है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए; मैंने आपको टाइम दे दिया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुझे तो जानकारी की इजाजत दी है। (व्यवधान) आपने टाइम दिया है मुझे साहब। +++

श्री जुबेर खान : आपने टाइम दिया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको समय दे दिया। (व्यवधान) उसका आपने सदुपयोग नहीं किया। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं जी; आपने मुझे कहां दिया समय? (व्यवधान) बताइये कहां दिया....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको समय दिया, उसका आपने सदुपयोग नहीं किया। इसलिए आप विराज जाएं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने उपयोग कैसे नहीं किया? (व्यवधान) आप तो यह बता दीजिए कि आप वित्तीय प्रबन्धन की बात करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1998 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह बता दो कि तीन दर्जन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही के लिये कहा कि नहीं कहा? (व्यवधान) उपाध्यक्षजी; यह तो आपकी ही व्यवस्था का आप +++

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिशंकर भामड़ा; प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1998 को पारित किया जाए?

श्री हरिशंकर भामड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1998 को पारित किया जाए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले क्या वित्त मंत्रालय ने तीन दर्जन आला अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करने की सिफारिश की है सरकार को, जिन्होंने कि स्वीकृत प्रावधानों के आगे जाकर 250 करोड़ रुपया राज्य सरकार का खर्च कर दिया और यह आरोप भी उस सिफारिश में लगाया है कि इन्होंने 250 करोड़ रुपये पानी के माफिक बहा दिया और गम्भीर संकट से जूझ रही राज्य सरकार की हालत इतनी पतली कर दी कि इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए? क्योंकि इन अफसरों ने....

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

अनेक माननीय सदस्य : टाइम हो गया आपका ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : + + + वित्त मंत्रालय ने यह सिफारिश कर दी कि....

श्री रामप्रताप कासनियाँ : आपने तो बीमा करा लिया न ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इन अफसरों पर स्वीकृत प्रावधानों से ज्यादा खर्च करने की जिम्मेदारी आपने डाली । मिसाल के तौर पर एक विभाग है जिसमें 33 करोड़ रुपये के स्वीकृत प्रावधान थे और खर्च कर दिया गया 87 करोड़ रुपये, वह है पी.डबल्यू. डी. । मतलब 54 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च किया गया । यह खर्चा सिर्फ क्या अधिकारियों के जिम्मे ही है करना ? यह फिर + + + । यह बता दिया जाय और मुख्य मंत्री महोदय, आपके सामने 250 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च हो गया । यह वित्तीय प्रबन्धन है आपकी सरकार का ? इसका जवाब दिलवा दो, आप तो मुझे ।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम एप्रोप्रिएशन बिल की थर्ड स्टेज पर चल रहे हैं । राजस्थान में बिजली की बात हुई, गवर्नर एड्रेस में सूरतगढ़ थर्मल की कई मर्तबा तारीफें छपीं और आज भी सदन में यह बयान दिया गया कि अगले महीने सूरतगढ़ से बिजली मिलना चालू हो जाएगी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी बता दें या ऊर्जा मंत्रीजी बता दें कि क्या इसकी चिमनी लाइट-अप हो गयी है और चिमनी लाइट-अप होने के बाद में कितने दिन बाद में कामर्शियल प्रोडक्शन होता है ? एक बात ।

दूसरी बात, वित्त मंत्रीजी ने फरमाया कि जितने भी एग्रीमेंट किये वे सब एग्रीमेंट हमने आपको बताये । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं क्या वे इस सदन की टेबल पर रखे गये ? क्या बिजली की जो एक कमेटी बनी, इसी सदन ने बनायी थी, वे बिजली के एग्रीमेंट उस कमेटी में डिस्कस हुए ? क्या जो राजस्थान की विधान सभा को, राजस्थान की जनता को सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, उप मुख्य मंत्री जी ने, ऊर्जा मंत्रीजी ने बताया कि 4000 मेगावाट, 3000 मेगावाट और सोलर से इतनी बिजली, इतनी बिजली एज ऑन टूडे आज की तारीख में जो इन्होंने एग्रीमेंट्स किये, उन एग्रीमेंट्स की इम्पलीमेंटेशन स्टेज क्या है ? दूसरी बात की जो बरसिंहसर पावर प्रोजेक्ट के पावर पर्चेज एग्रीमेंट को फाइनेंशल क्लोजर....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप पहले बोलते न ।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बरसिंहसर का नाम आते ही इस

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री विष्णु मोदी)

सरकार को पता नहीं क्यों कंपन आने लगती है ? पता नहीं क्यों इनको कंपद आने लगती है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बरसिंहसर में मोदी जी हैं इसलिए कंपन आती है ।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या बरसिंहसर पावर पर्चेज एग्रीमेंट का फाइनेंशल क्लोजर हो गया है ? यह कुछ सवाल मैं आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं ।

श्री जुबेर खान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि आज एप्रोप्रिएशन बिल पर विचार हो रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री महोदय से कि क्या यह सही है कि दिसम्बर, 1997 में अलवर में कोई ब्रेवरिज बीयर की फैक्ट्री गलत तरीके से बिलिंग करते हुए पकड़ी गयी ? ढाई करोड़ की बीयर राज्य सरकार के द्वारा सीज की गयी और कोई अभी (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह स्टेज नही है उठाने की ।

श्री जुबेर खान : आज तक कभी नहीं हुआ राजस्थान के इतिहास में कि ढाई करोड़ की शराब पर सिर्फ मिनिमम पेनल्टी 10 लाख के ऊपर छोड़ दिया हो ।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराज जाएं माननीय सदस्य । प्रभारी मंत्री महोदय ।

श्री जुबेर खान : जबकि उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे अधिकारों का हनन है । सम्बन्धित सवाल था, इस पर सवाल कर रहा हूं । उप मुख्य मंत्री महोदय क्या आपके स्टाफ के सदस्य ने या किसी ने पक्षपात करके राज्य सरकार को 2 करोड़ 40 लाख रुपये का सीधा-सीधा नुकसान नहीं पहुंचाया है ?

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराज जाए माननीय सदस्य । श्री जुबेर खान जी ।

श्री जुबेर खान : 2 करोड़ 40 लाख रुपये का नुकसान अभी दिसम्बर से लेकर फरवरी के इन तीन महीनों के अंदर राज्य सरकार को पहुंचाया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें माननीय सदस्य ।

श्री जुबेर खान : इस पर कहते हैं हमारा वित्तीय प्रबंधन है ।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराज जाए माननीय सदस्य ।

श्री जुबेर खान : हमारा स्पेसिफिक सवाल है । अलवर में सारेखुर्द में एक फैक्ट्री है जिसको माननीय उप मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री जी ने पहुंचाया है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजें ।

श्री जुबेर खान : +++

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो। अंकित न हो।

श्री जुबेर खान : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य अंकित नहीं हो रहा है।

श्री जुबेर खान : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया विराजें।

श्री हरिशंकर भामड़ा : मैं माननीय सदस्य के कथन का खंडन जोरों से करता हूं और उन पर चार्ज लगाता हूं कि हाउस को गुमराह कर रहे हैं और सस्ती भाषा बोल रहे हैं.... (व्यवधान) साबित करें वरना इस्तीफा देवें।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री जुबेर खान : ×××

श्री हरिशंकर भामड़ा : मान्यवर, इस तरह की भाषा बोलने वाले के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए ....(व्यवधान) इनको दंडित किया जाना चाहिए।

श्री जुबेर खान : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अंकित नहीं हो रहा है।

श्री जुबेर खान : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह इस प्रकार से जो सदन चल रहा है बिना नोटिस के बिना किसी पूर्व सूचना के इस प्रकार से चार्ज लगा दें....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने अंकित नहीं होने दिया।

श्री जुबेर खान : ×××

विधेयक का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1998 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1998 पारित किया गया।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, अब नहीं करें। 6 घंटे बैठे हो गये पर्याप्त है।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(208)

श्री उपाध्यक्ष : अभी समय है। आधे घंटे बढ़ाया है। श्री रमाकांत शर्मा।

श्री बनवारी लाल बैरवा : गृह मंत्री जी से आज जो स्टेटमेंट दिलवाना था....

श्री परसराम मदेरणा : वह कल देंगे स्टटमेंट। आप तो एडजोर्न कीजिए न।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही बुधवार दिनांक 18 मार्च, 1998 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर विधान सभा की कार्यवाही 18.05 बजे, दिनांक 18 मार्च, 1998 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 74 की सूची)

परिशिष्ट "क-1"

शाही रेलगाड़ी के लिए खरीददारी बाबत गठित समिति दिनांक 30-4-97 में निम्नलिखित सदस्य थे:—

1. कार्यकारी निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि.; जयपुर
2. उपमहाप्रबन्धिक (वित्त)	उपरोक्तानुसार
3. वरिष्ठ प्रबन्धक (शाही रेल)	उपरोक्तानुसार
4. वरिष्ठ प्रबन्धक (क्रय व स्टोर)	उपरोक्तानुसार

परिशिष्ट "क-2"

दिनांक 3-7-97 को गठित समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित थे:—

1. कार्यकारी निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि., जयपुर
2. महाप्रबन्धक (वित्त)	उपरोक्तानुसार
3. वरिष्ठ प्रबन्धक (शाही रेल)	उपरोक्तानुसार
4. वरिष्ठ प्रबन्धक (क्रय व स्टोर)	उपरोक्तानुसार
5. कार्यकारी अधिकारी (वास्ते निगम अध्यक्ष)	उपरोक्तानुसार
6. सहायक लेखाधिकारी (बजट एवं शाही रेल)	उपरोक्तानुसार
7. उप वास्तुविद (कार्य शाखा)	उपरोक्तानुसार

परिशिष्ट—"ख"

उच्च स्तरीय समिति द्वारा निम्नलिखित आइटम की खरीद की गयी:—

1. विभिन्न हाउस कीपिंग कन्जूमेबल आइटम	रुपये 5.89 लाख
2. क्रॉकरी एवं ग्लास आदि	रुपये 1.12 लाख
3. खाद्य सामग्री आइटम	रुपये 0.12 लाख
4. सोविनियर आइटम	रुपये 0.20 लाख
योग	रुपये 7.41 लाख

परिशिष्ट–2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर)

राज. स्वीट्स व मिल्क प्रोडक्ट्स को-आपरेटिव सोसाइटी, बीकानेर का पंजीकरण

75. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान स्वीट्स व मिल्क प्रोडक्ट्स कोआपरेटिव सोसाइटी, बीकानेर में कब पंजीकृत की गयी तथा इसके सदस्य कौन-कौन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समिति ने पंजीयन वर्ष से अब तक प्रति वर्ष कितना-कितना कारोबार किया?

उत्तर

(1) राजस्थान स्वीट्स एवं दुग्ध अन्य उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, बीकानेर दिनांक 16-9-88 को पंजीकृत की गयी। इसके सदस्यों की सूची संलग्न है।

(2) उक्त समिति द्वारा पंजीयन वर्ष 1988-89 से वर्ष 1996-97 तक वर्षवार निम्नानुसार कारोबार किया:—

1. वर्ष 1988-89 शून्य
2. वर्ष 1989-90 शून्य
3. वर्ष 1990-91 शून्य
4. वर्ष 1991-94 रुपये 9,53,785.88

(सहकारिता मंत्री)

5. वर्ष 1994-95 रुपये 38,652.50
6. वर्ष 1995-96 रुपये 2,78,67,71.00
7. वर्ष 1996-97 रुपये 6,50,95,470.05 अनअंकेक्षित लेखों के आधार पर

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों के रिक्त पद

76. श्री हरिसिंह (महुआ) एवं श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने पशु चिकित्सालय हैं और उनमें ऐसे कितने हैं जिनमें पशु चिकित्सकों के पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों की संख्या सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में कितने पशु चिकित्सक ग्रामीण विकास विभाग में, प्रतिनियुक्ति पर विकास अधिकारी के पद पर पदस्थापित हैं ?

(3) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में पशु चिकित्सक को प्रतिनियुक्ति पर देने बाबत कोई नियम बनाये हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में 1180 पशु चिकित्सालय कार्यरत है। वर्तमान में उनमें 95 पशु चिकित्सकों के पद रिक्त हैं। रिक्त पदों की संख्या सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) राज्य में 41 पशु शल्य चिकित्सक एवं 92 सहायक शल्य पशु चिकित्सक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में प्रतिनियुक्ति पर विकास अधिकारी के पद पर पदस्थापित हैं।

(3) जी, हां। विकास अधिकारी के पद पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों का चयन किया जाता है। उनमें पशुपालन विभाग भी सम्मिलित है। विकास विभाग की मांग पर एवं उनके द्वारा चयन करने पर अधिकारी की सेवाएं विकास अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर दी जाती है। कार्मिक क-II विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 18-10-82 के शिड्यूल-I की प्रति संलग्न है।

(सूची/प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

चम्बल व बनास नदियों के पानी का सिंचाई कार्यों में उपयोग

77. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): क्या मुख्य (सिंचाई) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाईमाधोपुर तथा करौली जिलों में चम्बल एवं बनास नदियां बहती हैं ? यदि हां, तो इन नदियों के पानी का उपयोग सिंचाई हेतु क्यों नहीं लिया जा रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सवाईमाधोपुर जिले में खण्डार के पास चम्बल नदी पर लिफ्ट योजना बना कर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव कई वर्षों से सरकार के विचाराधीन है ?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा इन्दिरा लिफ्ट योजना के नाम सर्वे भी कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त योजना का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा एवं निर्माण पूर्ण होने पर उक्त जिलों की किन-किन तहसीलों के कौन-कौन से गांवों को पानी दिया जा सकेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। जिला सवाईमाधोपुर तथा करौली में से चम्बल एवं बनास नदियां बहती हैं। परन्तु यह सही नहीं है कि इन नदियों का पानी सिंचाई के लिये उपयोग में नहीं लिया जा रहा है।

(2) जी, हां।

(3) जी, हां। इन्दिरा लिफ्ट योजना के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस योजना का कार्य केन्द्र सरकार एवं योजना आयोग से अनुमोदित होने एवं आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर प्रारम्भ कराया जाना सम्भव होगा। फिलहाल इस योजना को प्रारम्भ करने के लिए कोई निश्चित तिथि तय नहीं है एवं इस योजना के द्वारा गंगापुर, खण्डार, नादौती, हिण्डौन टोडाभीम, करौली, महुआ, बयाना एवं बैर तहसीलों के 237 गांवों की 1,03988 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। विवरण परिशिष्ट 'म' पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण

78. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने मजदूरों को भुगतान के लिये न्यूनतम मजदूरी दर निश्चित कर रखी है ? यदि हां, तो इस समय न्यूनतम मजदूरी क्या है ? और कब से लागू है ? इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार

(श्री हरजीराम बुरड़क)

के पास मजदूर बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या व कब से ?

(3) सरकार द्वारा मजदूरी बढ़ाने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा मजदूरी बढ़ाने के आधार क्या है ?

उत्तर

(1) जी, हां । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राज्य में अनुसूचित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों के लिये सरकार ने न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर रखी है । वर्तमान में प्रभावी न्यूनतम मजदूरी की सामान्य दरें अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल श्रमिकों के लिये प्रतिदिन क्रमशः 32/-, 33/-व 34/- रु. निर्धारित है । ये दरें दिनांक 1-1-95 से प्रभावी है । अधिसूचना की प्रति संलग्न है ।

(2 व 3) जी, हां । राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव राजपत्र में अधिसूचना दि. 17-11-97 (जो राजपत्र में दि. 19-11-97 को प्रकाशित हुई) द्वारा प्रकाशित किये गये हैं । राज्य सरकार का प्रस्ताव न्यूनतम मजदूरी की दरें अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल श्रमिकों के लिये प्रतिदिन क्रमशः 44/-, 47/- व 50/-रु. निर्धारित करने का है । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की दो प्रक्रियाएं वर्णित हैं तथा राज्य सरकार द्वारा अपने प्रस्ताव प्रकाशित कर उस पर आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने तथा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मण्डल की राय प्राप्त कर प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अपनायी जाती रही है । न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि करने का मुख्य आधार औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में होने वाली वृद्धि तथा पिछली न्यूनतम दर है ।

(अधिसूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

खैरवाड़ा क्षेत्र के गांवों को विद्युत कनेक्शन

79. **श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि खैरवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में कुछ गांव ऐसे हैं, जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है और न भविष्य में पहुंचने की कोई योजना है ? यदि हां, तो ऐसे कितने गांव हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्वाचन क्षेत्र में करीब 30 गांवों में गत तीन वर्षों से विद्युत लाइन पहुंचने के उपरान्त भी कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों में किन-किन गांवों को विद्युतीकृत किया गया और कितने–कितने कनेक्शन दिये गये ?

(214)

उत्तर

(1) खैरवाड़ा निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत पंचायत समिति, खैरवाड़ा में 49 ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष हैं तथा ये सभी ग्राम ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत हैं । अविद्युतीकृत ग्रामों की सूची परिशिष्ट 'अ' सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(2) उक्त निर्वाचन क्षेत्र में गत तीन वर्षों में कुल 36 गांव विद्युतीकरण किये गये हैं जिनमें से 21 ग्रामों में विद्युतीकरण के उपरान्त कनेक्शन नहीं हैं तथा 15 गांवों में कनेक्शन जारी किये हुये हैं । गत तीन वर्षों में किये गये विद्युतीकृत ग्राम व उनमें दिये गये कनेक्शनों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' व 'स' सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

परिशिष्ट—"अ"

निर्वाचन क्षेत्र खैरवाड़ा के अविद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड सं.	क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड सं.
1	2	3	1	2	3
1.	बवाई	21/17/1	12.	आकोट	24
2.	रामलाई पानवा	2	13.	पाडलिया	26
3.	उमरा	4	14.	गतराली	37
4.	भलाई	7	15.	भनदरा	50
5.	बांकड़ा	8	16.	डूमाल	54
6.	रानावड़ा	9	17.	रामाबावड़ी	56
7.	महुडिया	12	18.	केरमाला	89
8.	डबन	13	19.	हूंरसावाड़ा	92
9.	भगरा	17	20.	लक्ष्मणपुरा	118
10.	बड़ा पीपला	22	21.	बाव	119
11.	पांचा पाडला	23	22.	बबायचा	120

1	2	3	1	2	3
23.	बोंसलाठी	121	37.	कानपुर	134
24.	मोमटाबाड़ा	122	38.	रेठ्‌डा	135
25.	जुवारवा	123	39.	बलिया	136
26.	सात संगड़ा	21/17/93	40.	सुखजावड़ी	137
27.	भगोरवाड़ा	124	41.	मालीफला	139
28.	झांझरी	125	42.	मालीफला	140
29.	देयित	126	43.	चक कनवई–2	142
30.	बावड़ी	127	44.	चक कनवई–1	143
31.	गदुनिया	128	45.	खोखादरा	189
32.	माणवा	129	46.	घोघावाड़ा	190
33.	गुड़ा	130	47.	मुण्डवाड़ा	191
34.	पाटिया	131	48.	पानीसाला	228
35.	चिकली	132	49.	घोघा	230
36.	भगोरवाड़ा	133			

परिशिष्ट—"ब"

खैरवाड़ा पंचायत समिति के गत तीन वर्षों में किये गये विद्युतीकृत वे ग्राम जिनमें आवेदन पत्र लम्बित नहीं हैं

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड सं.	
1.	लोलरा	21/17/36	कोई भी आवेदन पत्र लम्बित नहीं है
2.	नीचलाफला	139	
3.	महुवाल	138	
4.	सुखापाड़ा	134	
5.	बीकलवास	4	
6.	काकनगोडावण	15	
7.	सगवाड़ा	13	
8.	चोको	32	
9.	गजरा	10	
10.	मनेला	136	
11.	मटारिया	137	
12.	जायरा	131	
13.	समदर	183	
14.	दामातलाब	19	
15.	फूटाला रामरथ	14	
16.	कटवी	31	
17.	मगरा	3	
18.	बावड़ीखेड़ा	229	
19.	मूंतल	49	
20.	कटार	18	
21.	चोटोल	90	—2 आवेदन पत्र कृषि के लम्बित हैं।

(217)

परिशिष्ट—"स"

खैरवाड़ा पंचायत समिति के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में विद्युतीकृत किये गये वे ग्राम जिनमें निम्नानुसार कनेक्शन दिये गये

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड सं.	जारी कनेक्शन		
			घरेलू	अघरेलू	उद्योग
1.	बाघपुर	21/17/168	67	—	1
2.	खानियालोमड़ी	166	18	—	—
3.	धारपुर	167	2	—	—
4.	कनवई	135	75	12	4
5.	लराठी	73	6	—	—
6.	कानपुर	29	42	1	3
7.	कातरवासखुर्द	30	8	—	2
8.	टाकवास	5	10	—	1
9.	लाम्बापानवा	164	6	—	1
10.	झाड़ोल	51	78	—	—
11.	केलवाड़ा-"बी"	81	12	—	4
12.	रनवाड़ा	100	13	—	—
13.	खेरावीजाड़ा	101	16	—	—
14.	रेहता	88	12	—	2
15.	मालवाड़ा	87	4	—	—
		योग	290	13	15

थानागाजी क्षेत्र की सड़कों का निर्माण कार्य

80. श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र थानागाजी कृषि उपज मण्डी, अलवर के अन्तर्गत आता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1994 से अब तक इस क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी द्वारा एक भी सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया है ?

(3) क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं। निर्मित सड़कों का विवरण परिशिष्ट "क" पर सलंग्न हैं।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति अलवर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में सम्पर्क सड़कों का निर्माण कार्य विभागीय नीति के अन्तर्गत सम्पन्न कराया गया है। अतः इसमें कोई अधिकारी दोषी नहीं हैं तथा किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही का प्रश्न भी नहीं है।

परिशिष्ट-क

विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा वर्ष 1994 से अब तक निर्मित सड़कों की सूची

क्र. सं.	नाम सम्पर्क सड़क	वित्तीय स्वीकृति वर्ष	निर्माण वर्ष
1.	सं0स0 कुशालगढ़ नारायण-पुर रोड से जोधपुर	93-94	95-96
2.	सं0स0 प्रतापगढ़ दौसा रोड से समरा	94-95	97-98
3.	सं0स0 नारायणपुर घाटा बांदरोल से बसई जोगीयान	95-96	97-98
4.	झिरी से हमीरपुर	95-96	96-97

लगड़वास और रामबका (अलवर) के माध्यमिक विद्यालय का क्रमोन्नयन

81. श्री मदन मोहन (खैरथल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लगड़वास और रामबका अलवर जिले के सबसे बड़े दूरस्थ कस्बा/ग्राम हैं जहां पर वर्षों से माध्यमिक विद्यालय हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त माध्यमिक विद्यालय को वरिष्ठ उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजकीय माध्यमिक विद्यालय लगड़वास को वर्ष 1984-85 में एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालय रामबका को वर्ष 1989-90 में माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया था जिनकी मुख्यालय (अलवर शहर) से क्रमशः 50 एवं 10 किलोमीटर एवं किशनगढ़ बास पंचायत समिति से क्रमशः 16 एवं 31 किलोमीटर की दूरी है।

(2) राज्य सरकार अपने सीमित वित्तीय प्रावधानों के प्राप्त प्रस्तावों पर निर्धारित मापदण्ड, क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकता, प्रशासनिक आधार पर गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत के प्रस्तावों पर समग्र विचार किया जाता है।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में कार्यरत मजदूरों की मजदूरी का निर्धारण

82. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायतों द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की विभिन्न योजनाओं पर कार्यरत मजदूर/कारीगरों को प्रतिदिन कितनी-कितनी मजदूरी दी जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकारी मजदूरों की दरें बाजार में कार्यरत मजदूरों की दरों से बहुत कम हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में पंचायत द्वारा कार्यरत मजदूरों को राज्य सरकार के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत मजदूर को रु. 32/- प्रतिदिन देय हैं। कारीगर ग्रेड-I व II को क्रमशः रु. 75/- व 60/- प्रतिदिन मजदूरी दी जाती है।

(2) विभिन्न योजनान्तर्गत मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दरें ही देय हैं, परन्तु वर्तमान बाजार दरों से यह दरें कम हैं। इस बाबत विभाग को संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं।

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में राजस्व भूमि पर अतिक्रमण प्रकरण

83. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बेगूं में कृषि योग्य पड़त राजस्व भूमि पर कई जरूरतमन्द किसान लम्बे अर्से से नाजायज कब्जे कर भूमि को कृषि योग्य बनाकर; चार दीवारी बनाकर, कुएं खोद-कर कृषि कर रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने किसान हैं ? विवरण नाम, पता, रकबा, नाजायज कब्जे की अवधि सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इन किसानों के प्रकरण चलकर लम्बे अर्से से पैनल्टियां वसूलने, कुर्कियां करने, सजा देने की कार्यवाही की जाती रही है ?

(3) क्या सरकार ने ऐसे नाजायज कब्जों को नियमन करने के लिये पिछले 3-4 वर्षों में कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो कितने प्रकरण निस्तारित किए एवं नहीं, तो क्यों ? नाम पतावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में कृषि योग्य पड़त राजस्व भूमि पर जरूरत मन्द किसानों के लम्बे अर्से से नाजायज कब्जे कर भूमि को कृषि योग्य बनाकर चारदी-वारी बनाकर कुएं खोदकर कृषि करने सम्बन्धी कोई प्रकरण नहीं है। केवल मात्र पड़त राजस्व भूमि पर कुए खोदकर अति-क्रमण करने के 33 प्रकरण पाये गये हैं। जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) इन अतिक्रमियों को नियमों के अन्तर्गत बेदखल कर पैनल्टी वसूल करने की कार्यवाही की गयी है, किन्तु किसी कृषक के विरुद्ध कुर्की नहीं की गयी है एवं किसी भी काश्तकार को सजा नहीं दी गयी है।

(3) जी, हां। ऐसे अतिक्रमणों के 14 प्रकरणों में नियमन की कार्यवाही की गयी है। जिसकी सूची परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

कुएं खोद कर अतिक्रमण करने वाले कृषकों की सूची

परिशिष्ट—1

क. सं.	अतिक्रमी	ग्राम	खा. नं.	रकबा (बीघा)	अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	गोपी/मियाचंद रेगर, पीपलीखेडा	पीपलीखेडा	68 मी.	0.05	91-92
2.	किशोर/वेणा धाकड, पीपलीखेडा	,,	68 मी.	0.05	83-84
3.	नंदलाल/रामलाल धाकड, पीपलीखेडा	,,	390	0.02	93-94
4.	सालाल/टेका धाकड, पीपलीखेडा	,,	390	0.02	93-94
5.	शांतिलाल/बालू धाकड, ठकुराई	ठकुराई	900	0.03	89-90
6.	नारायण/पन्ना धाकड, नि. श्रीनगर	धावनपुर	152 मी.	0.03	94-95
7.	धवदीबाई/धन्ना ब्रा., नि. डोराई	डोराई	1091	0.05	92-93

1	2	3	4	5	6
8.	नारायण/जयचंद धाकड़, नि. हरिपुरा	हरिपुरा	784	0.02	92-93
9.	बख्तावर/दल्ला बलाई, नि. उत्थोनकलां	रायती	1322/950	0.01	92-93
10.	देवीलाल/प्रभुलाल धाकड़, नि. धनोपपुरा	धनोपपुरा	614	0.02	94-95
11.	भागीरथ/सेवा धाकड़	,,	614	0.02	94-95
12.	धारु/हीरा भील; भवरडी	भवरडी	10	0.01	68-69
13.	बजरंग दास/रामदास	गोविन्दपुरा	20	0.02	86-87
14.	मोती/चमना, रूपा/चम्पा, भवाना/देराम; हुणुतिया	हुणुतिया	75	0.04	86-87
15.	कामा, बाधू, गोपी/रामलाल गुजर; नि. काटूंदा	काटूंदा	370	0.01	91-92
16.	देवीलाल/लखा गुजर; काटूंदा	,,	1144	0.01	91-92
17.	देवी, जयराम, तुलसीराम, गंगाराम; बरदामोहन/कजोड़ भील; नि. धामन्या	सेमलिया	340	0.04	91-92

223

1	2	3	4	5	6
18.	भेरू, कालु, शंकर/ बालु भील, नि. मचरडी	मचरडी	17	0.04	91-92
19.	कुका/गोकल रैगर, नि. चरखा	चरखा	279	0.03	91-92
20.	गंगाराम/चुन्नीलाल पिता प्रभु दरोगा, नि. देदिया	देदिया	99	0.03	91-92
21.	रामचंद्र/मोती सुथार, नि. डोराई	डोराई	1078	0.04	94-95
		(नियमन योग्य न होने से खारिज)			
22.	रामेश्वर/शंकर ब्रा., नि. डोराई	डोराई	1081	0.04	94-95
		(नियमन योग्य न होने से खारिज)			
23.	नारायण/हीरा, काना/भवाना; सीचंद/नोला बाकड़, नि. प्रांवलहेड़ा	प्रांवलहेड़ा	1618	0.02	94-95
24.	काना/चतरभुज गुजर, नि. सुलतानपुर	सुलतानपुर	183	0.03	93-94
25.	रामचंद्र, धीसा/ काना गुजर, नि. मेघनिवास	मेघनिवास	12	0.02	93-94

1	2	3	4	5	6
26.	काना/नंदा गुजर, नि. महावदा	महावदा	16	0.02	90-91
27.	नारायण/नंदा गुजर, नि. महावदा	महावदा	17	0.03	90-91
28.	श्री देवा, भेरूकुका, रामचंद्र पिता नारायण गुजर नि. परखियाखेडी	परखियाखेडी	55	0.04	94-95
29.	हीरालाल/गोकल धाकड़, नि. परखियाखेडी	,,	15	0.08	94-95
30.	भगवाना/नमगीराम लुहार, नि. जोगणिया माता	धारला	559	0.04	94-95
31.	प्यारा/उंकार पिता हीरा धाकड़, नि. चंदाखेड़ी	चंदाखेडी	945	0.08	94-95
32.	गुलाब पिता निराम, मोहन/गोकल, शंकर पिता नारायण, लक्ष्मण, बरदा/हीरालाल धाकड़	,,	945	0.04	94-95
33.	राजू, शिवलाल पिता मोती भवकू देवा मोती बलाई	बालेछा	43	0.03	94-95

ह.
जिला कलक्टर
चित्तोड़गढ़

225

परिशिष्ट—2

कुएं खोद कर कृषि भूमि पर अतिक्रमण करने से नियमन किये गये प्रकरणों की सूची

क्र.सं.	नाम प्रतिक्रमी	ग्राम	आ.नं.	रकबा	नियमन दि.
1	2	3	4	5	6
1.	गोपी/मियाचंद रैगर	पीपलीखेड़ा	68 मी.	0.05	11-11-97
2.	किशोर/वेणा धाकड़	,,	68 मी.	0.05	,,
3.	नंदलाल/रामलाल धाकड़	,,	390	0.02	,,
4.	रूपलाल/टेका धाकड़	,,	390	0.02	,,
5.	शांतिलाल/बालू धाकड़	ठुकराई	900	0.03	14-01-98
6.	नारायण/धन्ना धाकड़	पालनपुर	152	0.03	,,
7.	आनंदीबाई/धन्ना ब्रा.	डोराई	1081	0.05	,,

1	2	3	4	5	6
8.	नारायण/जयचंद धाकड़	हरिपुरा	784	0.02	14-1-98
9.	बख्तावर/दल्ला बलाई	उत्थेनकलां	1322/950	0.01	,,
10.	देवीलाल/प्रभु धाकड़	अनोपपुरा	614	0.02	6-3-98
11.	भागीरथ/सेवा धाकड़	,,	614	0.02	,,
12.	नारु/हीरा भील	मचरडी	10	0.01	,,
13.	बजरंगदास/रामदास	गोविंदपुरा	20	0.02	,,
14.	मोती/चमना, रूपा/चंपा भवाना/देराम धाकड़	हुणुतिया	75	0.04	,,

ह०
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़ ।

आबू रोड के समीप चन्द्रवती सिविलाइजेशन की भूमि पर अतिक्रमण

84. श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आबू रोड के समीप चन्द्रावती भूमिगत सिविलाइजेशन भण्डार की खोजबीन के कार्य के लिये सरकार द्वारा भूमि अधिकृत की गयी है ? यदि हां, तो कब व कितनी ?

(2) चन्द्रावती सिविलाइजेशन की कितनी भूमि पर अतिक्रमण हुये तथा इसमें अन्य क्या-क्या संशोधन हुए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त भूमि पर से अतिक्रमण को हटाने के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी और उक्त अतिक्रमण अब कब तक हटा दिये जाएंगे ?

(4) सरकार द्वारा चन्द्रावती सिविलाइजेशन की खुदाई हेतु क्या योजना बनाई गई तथा अब तक उस पर कितना कार्य पूर्ण करवा दिया गया है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) चन्द्रावती सिविलाइजेशन की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। 139.13 बीघा भूमि दिनांक 11-6-91 को तथा 17.09 बीघा भूमि दिनांक 26-4-92 को औद्योगिक क्षेत्र हेतु अवाप्त की गयी थी। उक्त अवाप्त की गयी भूमि में से खसरा नं. 463 एवं 464 जो पुरातत्व महत्व की थी, को अवाप्ति से मुक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(3) भूमि पर अतिक्रमण नहीं हुआ। चन्द्रावती के खसरा नं. 568 रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा में से 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर पूर्व से ही माताजी का मंदिर व बगीचा बना हुआ है।

(4) वर्ष 1996 में अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत पुरातत्व विभाग के स्तर से चन्द्रावती स्थल की साफ-सफाई का कार्य कराया गया जिसके फलस्वरूप जमीन में धंसे हुए कलात्मक पाषाण-खण्ड निकाले गये और उन्हें स्थल पर एकत्रित किया गया।

वर्ष 1998-99 में चन्द्रावती स्थल पर सिविलाइजेशन की खुदाई हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करना प्रस्तावित है।

राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन फैडरेशन कर्मचारियों का राजकीय उपक्रमों में समायोजन

85. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कर्मचारियों व

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

अधिकारियों के असीमित भ्रष्टाचार के कारण राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन फैडरेशन, जयपुर को बन्द कर फैडरेशन के कर्मचारियों व अधिकारियों को दूसरे राजकीय उपक्रमों में समायोजित किया गया है ? यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या विचार रखती है ?

उत्तर

यह सही नहीं है। राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन फैडरेशन जयपुर को बन्द करने का सुझाव मथुरादास माथुर कमेटी द्वारा राज्य सरकार को दिया गया था जिस पर विचार किया जा रहा है। आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों का समायोजन अन्य राजकीय उपक्रमों में किया जा रहा है।

विधान सभा क्षेत्र रूपवास की नदियों में सिल्ट रोकने के उपाय

86. श्री मोतीलाल (रूपवास) : क्या मुख्य (सिंचाई) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रूपवास में बाढ़ से जिन नदियों में सिल्ट भर-गयी थी उसे अभी तक नहीं निकाला गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सिल्ट नहीं निकालने से उक्त क्षेत्रों में पुनः बाढ़ आने की संभावना है ? यदि हां, तो सरकार इसके समाधान हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी, हां। नदियों से सिल्ट निकालने का कार्य तकनीकी, आर्थिक और उपादेयता की दृष्टि से नितान्त असम्भव है। जब तक सम्पूर्ण नदी का डिसिल्टिंग नहीं हो जावे तब तक इस प्रक्रिया से कोई लाभ नहीं है। इसलिए विभाग द्वारा ऐसा कोई कार्य करवाने का विचार नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर सिर्फ नहरों से ही सिल्ट निकाली जाती है।

(2) जी, नहीं। सिर्फ सिल्ट नहीं निकालने से उस क्षेत्र में बाढ़ की सम्भावना नहीं है फिर भी बाढ़ से आस पास के गांवों की सुरक्षा हेतु कुकंद नदी में खास रुकावट की जगहों पर क्यूनेट चैनल बनाने का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।

निर्वाचन क्षेत्र रामगंजमण्डी के ग्राम हेमलखेड़ी का विद्युतीकरण

87. श्री रामकिशन वर्मा (रामगंजमंडी): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) रामगंजमण्डी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम हेमलखेड़ी का विद्युतीकरण कब हुआ था ?

(2) क्या यह सही है कि लोकसभा चुनावों से पूर्व इस विद्युतीकृत गांव के बिजली के तारों को खम्भों से हटाकर गांव

(श्री रामकिशन वर्मा)

में अंधकार कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के ग्राम हेमलखेड़ी का विद्युतीकरण 25 फरवरी, 1966 को किया गया था ।

(2) जी नहीं । ग्राम हेमलखेड़ी में वर्तमान में 43 घरेलू कनेक्शनों में से 41 कनेक्शनों में बकाया राशि होने से गत तीन वर्षों से विद्युत सम्बन्ध विच्छेद किये हुए थे, परन्तु यह उपरोक्त तारों से सीधे ही तार डाल कर विद्युत चोरी कर रहे थे । बकाया राशि की वसूली एवं चोरी रोकने के लिये इन उपभोक्ताओं से सम्बन्धित गांव की एल.टी.लाइन के तार दिनांक 11-10-97 को खुलवा लिये गये । शेष दो उपभोक्ताओं के जिनके कनेक्शन वैधानिक रूप से चालू हैं उनको ट्रांसफार्मर में अलग से केबल डालकर विद्युत सप्लाई चालू कर दी गयी थी तथा उनको विद्युत आपूर्ति बिना व्यवधान चालू है । इस सम्बन्ध में मण्डल द्वारा जारी आदेश दिनांक 26-9-96 की प्रति परिशिष्ट 'अ' सदन के पटल पर रखा दी गयी है ।

Rajasthan State Electricity Board

DIRECTOR (COMML. OPERATIONS)

No. RSEB/DCO/C.1/F.4 (117)/Pt.IV/D. 2751 Dated 26-9-96

CIRCULAR

Sub :—Removal of Meters and Service Line from the premises of dis-connected connections.

Time and again instructions have been issued by the Board to remove the meters and service line of the consumer after expiry of a period of (Two) 2 months and (Six) 6 months respectively from the date of disconnection. It has been observed that the above instruction are not being followed by the Field Officers in general. Due to non removal of the Service Line of such disconnected consumer there is every possibility of committing theft of energy by the disconnected consumer. The above issue came up for discussions in the Conference of the Senior Officers held on 10—11th september'96 and it was decided that the instructions for removal of the Energy Meters after expiry of period of (Two) 2 months and Service Line after expiry of (Six) 6 months period, reckoned from the date fo disconnectien should be strictly followed by all the field officers and on any failure to comply with these instructions disciplinary action against the defaulting officer/officials may be taken. It is, therefore, enjoined upon all concerned to strictly follow the above instructions. Certificates be obtained from AEns. within three months about compliance. Executive Engineers should also issue certificates, on the basis of reports of AEns. They should test check 10% of the cases. The Supdtg. Engineers should monitor this programme.

By Order,

ह.

(N. K. GODHA)

DIRECTOR (COMMERCIAL)

निर्वाचन क्षेत्र कुम्हेर से पंचायत मुख्यालय बावैन को सम्पर्क सड़क का निर्माण

88. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरकार द्वारा कुम्हेर से पंचायत मुख्यालय बावैन को जोड़ने हेतु सड़क निर्माण की स्वीकृति कब दी गयी थी ?

(2) अब तक उक्त निर्माण हेतु क्या कदम उठाये गये हैं और उक्त सड़क का निर्माण कितना हुआ है ?

(3) क्या उक्त सड़क निर्माण में अधिकारियों की लापरवाही से विलम्ब हो रहा है ?

(4) अब सरकार उक्त सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सम्पर्क सड़क भरतपुर--कुम्हेर रोड से बावैन को जोड़ने के निर्माण की स्वीकृति दिनांक 12.9.94 को दी गयी थी।

(2) उक्त निर्माण हेतु निम्न कदम उठाये गये, परन्तु न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण कार्यालय आदेश जारी नहीं किये गये:—

(i) सड़क निर्माण हेतु दिनांक 2.2.95 को निविदा स्वीकृत की गयी परन्तु संवेदक मैसर्स विरेन्द्र सिंह द्वारा 5 प्रतिशत परफोरमेंस गारन्टी जमा नहीं कराने के कारण उसके विरुद्ध 2 प्रतिशत धरोहर राशि जब्ती की कार्यवाही की गयी।

(ii) पुन: निविदा दिनांक 3.4.96 द्वारा स्वीकृत की जाकर मैसर्स भारत कंस्ट्रक्शन कं0 को दिनांक 21.6.96 को कार्यादेश जारी किया गया। संवेदक द्वारा मिट्टी का कार्य करने के उपरान्त कार्य बन्द कर देने के कारण संवेदक के विरुद्ध दिनांक 14.1.97 को अनुबन्ध की धारा 2 एवं 3 सी के तहत कार्यवाही की गयी।

(iii) तत्पश्चात् पुन: दिनांक 4.6.97 को मैसर्स राजकुमार गर्ग के पक्ष में तृतीय बार निविदाएं स्वीकृत की गयी, परन्तु पूर्व संवेदक मै0 भारत कंस्ट्रक्शन, भरतपुर द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, भरतपुर से दिनांक 26.4.97 को प्राप्त स्थगन आदेश के कारण कार्यादेश जारी नहीं किये गये।

(3) जी, नहीं।

(4) माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश निरस्त होने के उपरान्त ही नियमानुसार कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कार्यवाही की जानी सम्भव होगी।

सरकारी अध्यापकों की ट्यूशन प्रवृत्ति पर रोक

89. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

(1) क्या यह सही है कि श्री गंगानगर जिले के स्कूलों में अध्यापकों द्वारा छात्रों को ट्यूशन पढ़ने के लिये उत्साहित किया जाता है और स्कूलों में शिक्षा का ज्ञान उपलब्ध नहीं करवाते है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल (छात्र) सादुलशहर जिला श्री गंगानगर में इन दिनों उक्त प्रवृत्ति चल रही है ?

(3) क्या सरकार सरकारी अध्यापकों की ट्यूशन प्रवृत्ति पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु कोई कदम उठाएगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। अध्यापकों द्वारा ट्यूशन करने हेतु छात्रों को उत्साहित किये जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। विद्यालयों में विद्यालय समय में ही अध्ययन अध्यापन का कार्य अध्यापकों द्वारा करवाया जाता है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां। विभाग द्वारा अध्यापकों की ट्यूशन प्रवृत्ति पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु समय-2 पर संस्था प्रधान और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। ट्यूशन करने वाले अध्यापकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है।

तारांकित प्रश्न संख्या—90

(स्थगित)

विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के ग्रामों में आम रास्तों पर अतिक्रमण

91. श्री किशनाराम नाई (श्री डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामों के बीच आम रास्ता छोड़ने के नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि डूंगरगढ़ के लिखमादेसर से एतासर, लिखमीसर से लिखमा दक्षिणीसर तक रामसरा बास से गावरिया सुगरबासी तक बावरिया बास से इनकारसर व बिदासर तथा बाना से नया जोखासर ग्राम के मध्य जाने वाले सार्वजनिक रास्तों को नियमानुसार पूरा छोड़ा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त रास्तों पर किन-किन लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने के नियमानुसार नोटिस

(234)

(श्री किशनाराम नाई)

जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन को, कब-कब तथा उनकी अब तक क्या पालना हुई ?

(5) उक्त अतिक्रमण को सरकार अब कब तक हटाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) ग्रामों के बीच ग्राम रास्ता छोड़ने के कोई अलग से नियम नहीं बने हुए हैं। ग्रामों के बीच जो ग्राम रास्ते पूर्व से ही छोड़े हुए हैं तथा जो कटानी रास्ते हैं उन्हें बन्द कर देने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही कर उन्हें खुलवाया जा सकता है। जो रास्ते राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हैं उन्हें बन्द कर दिये जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, की धारा 251 के अन्तर्गत कार्यवाही कर उन्हें खुलवाये जाने का प्रावधान है।

(2) तहसील क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में वर्णित ग्रामों के मध्य नियमानुसार कटानी रास्ते छोड़े हुए हैं।

(3) तहसीलदार, श्री डूंगरगढ़ से प्राप्त अतिक्रमियों की सूची संलग्न है।

(4) संलग्न सूची में अंकन अनुसार दिनांकों को अतिक्रमियों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस दिये गये परन्तु कब्जा नहीं हटाने पर तहसीलदार, डूंगरगढ़ द्वारा थाना डूंगरगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।

(5) अतिक्रमियों को संलग्न सूची में अंकित दिनांकों को बेदखल किये जाने के निर्णय पारित किये जा चुके हैं।

क्र.सं.	नाम रास्ता कहां से कहां को	नाम अतिक्रमी	नोटिस दिये जाने का दिनांक	फैसला दिनांक
1	2	3	4	5
1.	ग्राम लिखमादेसर से सतासर मार्ग	1. नेनूनाथ पुत्र श्योदाननाथ जाति सिद्ध निवासी लिखमादेसर	22-2-98	20-2-98

(राजस्व मंत्री)

1	2	3	4	5
		2. मालाराम पुत्र राधाकिशन जाति ब्राह्मण निवासी लिखमादेसर	21 ------ 2-2-98	20-2-98
		3. श्रीमती बाधूदेवी पत्नि सुगननाथ जाति सिद्ध निवासी लिखमादेसर	20 ------ 2-2-98	20-2-98
		4. रामेश्वरनाथ पुत्र गणपतनाथ जाति सिद्ध निवासी लिखमादेसर	23 ------ 2-2-98	20-2-98

जयपुर जिले में नये मिड-वे व होटल निर्माण कार्य

92. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार जयपुर जिले में नये मिड-वे एवं होटल खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितने व कहां-कहां एवं नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार कोटपूतली में पर्यटन राज्य निगम द्वारा संचालित मिड-वे एवं होटल बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। जयपुर जिले में राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि. एवं राजस्थान राज्य होटल निगम द्वारा संचालित इकाइयां पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। अतः नई इकाइयां बनाने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

(2) जी, नहीं। वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

तहसील बूंदी में बरड़ क्षेत्र के क्षतिग्रस्त एनीकट/तालाब

93. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(2-36)

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले की तहसील बूंदी के बरड़ क्षेत्र में काफी समय से एनीकट व तालाब टूटे हुये हैं ? यदि हां, तो जनवरी, 1994 से 28 फरवरी, 1998 तक किस-किस की मरम्मत की गयी एवं उन पर कितनी राशि खर्च हुई ? यदि नहीं, तो एनीकट/तालाबों की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि बोर का खाल (बड़फू) में एनीकट/तालाब बनाने की कोई योजना प्रस्तावित हैं ? यदि हां, तो कार्य कब से प्रारम्भ करवा दिया जाएगा एवं नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त अवधि में कौन-कौन से तालाब/एनीकट नये बनाये गये एवं उन पर कितनी राशि व्यय की गयी ?

उत्तर

(1) जी, हां। जनवरी, 1994 से 28 फरवरी, 98 तक जिन-जिन एनीकटों/तालाबों की मरम्मत की गयी एवं उन पर 28-2-98 तक किये गये व्यय की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। इस योजना का तखमीना प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु तकनीकी जांच की प्रक्रिया में है। तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त पाये जाने पर व प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पश्चात् कार्य शुरू किया जाना सम्भव होगा।

(3) जनवरी, 1994 से 28 फरवरी, 98 की अवधि में बनाये गये नये तालाबों एनीकटों एवं उन पर व्यय की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

बरड क्षेत्र बूंदी में वर्ष जनवरी, 94 से फरवरी, 98 तक क्षतिग्रस्त एनीकट व मरम्मत पर व्यय की गयी राशि का विवरण

क.सं.	कार्य का नाम	व्यय (राशि लाखों में) वर्ष					विवरण
		1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	
1.	बरडदा एनीकट	....	2.31	....	....	....	कार्य पूर्ण हो चुका है।
2.	पागलपुरिया एनीकट	....	0.53	....	....	....	"
3.	भैरू की पुल एनीकट	....	2.70	....	....	....	"
4.	केवडिया एनीकट	....	....	....	0.35	....	कार्य प्रगति पर है।
5.	सूतडा एनीकट	....	....	....	0.51	....	"
6.	नबालिया एनीकट	....	....	....	1.49	....	"
7.	गोलपुर एनीकट	....	....	....	0.04	....	"

विशेष :— केवडिया एनीकट, नबालिया एनीकट और गोलपुर एनीकट के कार्य फरवरी, 98 में प्रारम्भ कर दिये गये हैं एवं जून, 98 तक कार्यों को पूर्ण किया जाना सम्भव हो सकेगा।

237

परिशिष्ट "ब"

वर्ष जनवरी, 1994 से फरवरी, 1998 तक बरड क्षेत्र बूंदी में बनाये गये नये तालाबों/एनीकटों का विवरण

क्र.सं.	नाम	निर्माण वर्ष	व्यय की गयी राशि (लाखों में)
1.	लोइचा एनीकट	1994	3.00
2.	पाकलपुरिया एनीकट	1995	0.53

चन्देरिया लेड जिंक स्मेल्टर के मजदूरों का शोषण

94. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विगत दो वर्षों में चन्देरिया लैड जिंक स्मेल्टर में प्रबन्धकों द्वारा मजदूरों का शोषण किये जाने, को शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कब-कब और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार मजदूरों का शोषण रोकने के लिये कोई कठोर कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि प्लांट में गैस के रिसाव के कारण मजदूरों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने गैस रिसाव को रोकने के लिये अब तक क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार अब भी कोई कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) मजदूरों के शोषण के बारे में विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(राज्य मंत्री, श्रम)

(3) जी, नहीं। क्योंकि उच्छादन प्रक्रिया के दौरान हवा में विभिन्न गैसों की मात्रा स्वास्थ्य के लिये निर्धारित स्वीकृति सीमा के अन्दर ही रहती है।

(4) समय समय पर निरीक्षण एवं परिवीक्षण (मानीटरिंग) कारगर रूप से की जा रही है।

खण्डार (सवाईमाधोपुर) के ग्रामों में विद्युत व्यवस्था

95. श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि पंचायत समिति खण्डार (सवाईमाधोपुर) के लहसोडा ग्रावण्ड, सिवायगंज, डांगरवाडा, खिरखडी सैवती दौलाडा, रामपुरा, चितारा, घिरोली, खानपुर, बलवन, रामनगर आदि गांवों में बिजली की सप्लाई कई दिनों तक रुक जाती है और जब सप्लाई की जाती है तो लाइट डिम आती है? यदि हां, तो क्या सरकार इन गांवों को भरपूर बिजली देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

पंचायत समिति खाण्डार का ग्राम ग्रावण्ड अविद्युतीकृत है तथा लहसोडा, सिवायगंज, डांगरवाड़ा, खिरखडी, सेवती, देलाड़ा, रामपुरा, चितारा, छीरोली, खानपुर, बलवन, रामनगर आदि गांवों को प्रतिदिन कृषि कार्यों हेतु ब्लाक में 7 घण्टे बिजली दी जाती है लेकिन कभी कभी तकनीकी कारणों से व्यवधान तथा मांग व आपूर्ति में असंतुलन होने से विद्युत आपूर्ति में व्यवधान होने पर उसकी पूर्ति अन्य ब्लाक में कर पूरा किये जाने के प्रयास किये जाते हैं और इस दौरान सभी श्रेणी के कनेक्शनों को तीन फेज सप्लाई होती है। ब्लाक समय के अतिरिक्त ग्रामों को सिंगल-फेज सप्लाई दी जाती है, जिसमें एक फेज पर सही वोल्टेज एवं दूसरे फेज पर कम वोल्टेज मिलना तकनीकी दृष्टि से स्वाभाविक है।

कृषि विपणन बोर्ड, टोंक के तत्वावधान में विश्व बैंक द्वारा सड़कों का निर्माण

96. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला टोंक में कृषि विपणन बोर्ड के तत्वावधान में विश्व बैंक द्वारा सड़कें बनवाई जा रही हैं? यदि हां, तो वर्ष 1994 से दिसम्बर, 1997 तक कौन-कौनसी सड़क की स्वीकृति दी गयी? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़कों के निर्माण के कार्य 'अ' वर्ग के ठेकेदारों को दिये गये हैं? यदि हां, तो कौन कौन से पैकेज किन ठेकेदारों अथवा फर्मों को दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

(3) अब तक उक्त सड़कों के निर्माण की क्या प्रगति हुयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत टोंक जिले में ग्रामीण सम्पर्क सड़कों का निर्माण राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है । वर्ष 1994 से दिसम्बर, 1997 तक 24 सड़कें जिनकी लम्बाई 110.73 किलोमीटर है स्वीकृत की गयी हैं । सड़कों की सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है ।

(2) जी, नहीं । निर्माण कार्य पोस्ट क्वालिफिकेशन के विश्व बैंक द्वारा निर्धारण मापदण्ड के आधार पर स्वीकृत किये गये हैं । ठेकेदार किसी भी श्रेणी में भारत में कहीं भी पंजीकृत होना चाहिये । टोंक जिले के वर्ष 1994 से दिसम्बर, 1997 तक राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'क' के कालम संख्या 4 पर अंकित है ।

(3) सड़कों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है । इन पर माह फरवरी, 1998 तक किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-"क" के कालम संख्या 8 में अंकित है ।

241

परिशिष्ट "क"

विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत टोंक जिले में स्वीकृत सड़कों की सूची (वर्ष 1994-95 से दिसम्बर, 1997)

क्र.सं.	पैकेज संख्या	वि.स. क्षेत्र	ठेकेदार का नाम	सड़क का नाम	लम्बाई (किमी)	स्वी.राशि (लाखों में)	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	टीम्रो.11	उनियारा	मै. अशोक कन्स. कं., जयपुर।	चांदली से राज-कोट।	12.00	100.00	कार्य प्रगति पर है।
2.	"	"	"	मनवा से सीतापुरा	5.00	50.00	"
3.	टीम्रो.13	टोंक	मै.पुरी कन्स. कं0, नई दिल्ली।	गेलोड़ से कुरेड़ा।	6.50	49.50	"
4.	"	"	"	घास से खजूरिया।	2.00	15.00	"
5.	"	उनियारा	"	अलीगढ़ से बिलोटा।	3.50	29.00	"
6.	"	टोंक	"	बाड़ा से डर्डा हिन्द	1.70	16.00	"
7.	"	"	"	मेहंदवास से लाम्बा।	5.00	37.50	सड़क निरस्त कर दी गयी है क्यों

1	2	3	4	5	6	7	8
							कि इसका निर्माण सा.नि.वि. द्वारा कर दिया गया है।
8.	टीम्रो.9 ए	मालपुरा	मै.सूर्या कन्स. कं., बीकानेर।	दूदू मालपुरा रोड से मलिकपुर।	4.50	47.00	कार्य प्रगति पर है।
9.	टीम्रो.9ए	"	"	दूदू मालपुरा रोड से बरोल	2.70	30.00	"
10.	"	"	"	सांगानेर मालपुरा रोड से चंदवरिया।	4.85	51.00	"
11.	"	"	"	सांगानेर मालपुरा रोड से भरनिया बस्सी।	3.85	41.00	कार्य प्रगति पर
12	"	"	"	मालपुरा देश्मा रोड से देश्मा।	2.40	25.50	"

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	बीटीओ.9	मालपुरा	मै.सूर्या कंन्स.कं. बीकानेर	देवल से लांबिया जुर्नादर ।	3.45	35.50	कार्य प्रगति पर है ।
14.	"	"	"	मालपुरा केकड़ी रोड से तांतियां ।	2.20	24.00	"
15.	"	"	"	लांबा नगर से घंतोली ।	2.40	50.00	"
16.	"	"	"	काचोलिया से कुरार ।	7.70	79.00	"
17.	टीओ.10	"	"	झिराना मालपुरा से नया टीला ।	4.35	50.00	"
18.	"	"	"	सोहेला डिग्गी रोड से छबरना ।	6.80	78.00	"
19.	"	निवाई	"	लालबाड़ी से देहलोद ।	3.90	49.00	"
20.	"	"	"	करीरिया से बरथला ।	3.33	42.00	"

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	टीम्रो.10	निवाई	मै.सूर्या कंन्स.कं. बीकानेर	झिलाई से खिरणी ।	4.40	50.00	कार्य प्रगति पर है ।
22.	टीम्रो.12	टोडारायसिंह	"	गनेटी से मोडीयाला	3.60	46.00	"
23.	"	"	"	मालपुरा टोडा रोड से रेडल्या रामपुरा ।	7.25	92.00	"
24.	"	"	"	गेडीया से बरवास ।	5.35	68.00	"
				योग	110.73	1155.00	

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में महाराजा अग्रसेन के जीवन प्रसंग

97. श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में महाराजा अग्रसेन के जीवन प्रसंगों को समाहित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) इस संदर्भ में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) जी, हां । सत्र 1998-99 से माध्यमिक स्तर पर कक्षा-9 में हिन्दी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक में बोर्ड द्वारा संकलित कराई गयी पाठ्य पुस्तक " विविधा " में महाराजा अग्रसेन का पाठ सम्मिलित कर लिया गया है ।

(2) कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

जिला अलवर व भरतपुर की पंचायत समितियों के विकास हेतु स्वीकृत राशि

98. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला अलवर एवं भरतपुर के मेवात क्षेत्र की दस पंचायत समितियों के विकास के लिए सरकार द्वारा गठित मेवात विकास बोर्ड के माध्यम से विकास कार्य कराने हेतु वर्ष 1987 से लगातार राशि स्वीकृत की जाती रही है ? यदि हां, तो अब तक वर्षवार कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

उत्तर

जी, हां । वर्ष 1987-88 से 1996-97 तक मेवात क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत कुल राशि रुपये 1235.95 लाख स्वीकृत की गयी है तथा वर्ष 1997-98 हेतु 128.00 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है । वर्षवार स्वीकृत की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है ।

परिशिष्ट "ख"

मेवात क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत वर्षवार स्वीकृत राशि का विवरण

वर्ष	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1987-88	64.69
1988-89	94.24
1989-90	37.58
1990-91	39.69
1991-92	100.00
1992-93	100.00
1993-94	99.98
1994-95	300.00
1995-96	199.86
1996-97	199.94
योग	1235.96

वर्ष 1997-98 के लिए 128.00 लाख रुपये के वार्षिक प्रावधान के मुकाबले 114.00 लाख रुपये हस्तान्तरित किये जा चुके हैं।

247

फलासिया (उदयपुर) में एनीकट व तालाबों का सर्वे

99. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या मुख्य (सिंचाई) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विगत तीन वर्षों में निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में एनीकट एवं तालाब बनाने हेतु सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो किस-किस स्थान का व कब-कब ?

(2) क्या प्रत्येक का तखमीना बनाया गया ? यदि हां, तो कब—कब और नहीं तो क्यों ?

(3) क्या उक्त तखमीनों को विभिन्न योजनाओं में कार्य रूप में परिणित करने हेतु भेजे गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस योजना के अन्तर्गत किस-किस स्थान के तखमीने कब-कब, कितनी-कितनी राशि के भेजे गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(4) क्या विभाग द्वारा भेजे गये विभिन्न तखमीने विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत हो गये हैं ? यदि हां, तो कब-कब कितनी-कितनी राशि के और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या सरकार उक्त आदिवासी पिछड़े क्षेत्र का पानी जो बहकर अन्य राज्यों में जा रहा है उसको रोकने के लिये कोई सर्वे करा कर उस पानी का इसी क्षेत्र के उपयोग हेतु कोई कारगर कदम उठाने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । तालाबों की सूचना प्रपत्र "क" एवं एनीकटों की सूचना प्रपत्र "ख" पर संलग्न है ।

(2) जी, हां । वांच्छित सूचना प्रपत्र "क" एवं प्रपत्र "ख" पर संलग्न है ।

(3) जी, हां । विस्तृत सूचना प्रपत्र "ग" पर संलग्न है

(4) जी, हां । स्वीकृत किये गये कार्यों की चाही गयी सूचना प्रपत्र "क" पर संलग्न है ।

(5) जी, हां । इस पानी के उपयोग करने हेतु सर्वे के पश्चात् एनीकट बनाने के प्रस्ताव जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को भेज दिये गये हैं । एनीकट जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा बनाये जाते हैं न कि सिंचाई विभाग द्वारा । इसके अतिरिक्त तीन सिंचाई बांधों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है । इनको बनाना लाभदायक साबित होने पर ही आगे कार्यवाही की जा सकेगी । बांध व एनीकटों की सूची प्रपत्र "ग" पर संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

छबड़ा व छीपाबड़ौद बारां के ग्रामों का विद्युतीकरण

100. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) छबड़ा व छीपाबड़ौद (बारां) में कितने गांव विद्युतीकृत घोषित हो चुके हैं और उनमें से कितने गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है ?

(2) छबड़ा व छीपाबड़ौद में कितने 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन किस-किस तिथि को मंजूर हुए ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति छबड़ा में कुल 189 गांव विद्युतीकृत घोषित किये गये हैं जिसमें से 178 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है एवं 11 ग्राम नान-पोटेंशियल श्रेणी के अन्तर्गत विद्युतीकृत घोषित किये गये है जिनमें मांग आने पर विद्युतीकरण किया जा सकेगा।

पंचायत समिति छीपाबड़ौद में 141 ग्राम विद्युतीकृत घोषित हैं इनमें से 138 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। विद्युतीकरण किये गये 138 ग्रामों में से 3 ग्रामों की लाइन आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त हो गयी है।

(2) छबड़ा व छीपाबड़ौद पंचायत समितियों में निम्न 33 के.वी. जी.एस.एस. स्वीकृत किये गये हैं, जो अभी तक चालू नहीं है :—

सब-स्टेशन का नाम	स्वीकृति का दिनांक
1. मोखमपुरा	आर.ई.सी. स्कीम 1993-94
2. कड़ियाचोर	आर.एम.एन.पी. स्कीम छबड़ा नवम्बर, 1984
3. मूंडला	दिसम्बर, 1997
4. सारथल	नवम्बर, 1997

परिशिष्ट—3

अता. प्र. सं. 126 की सूची

प्रश्न के भाग 1 की सूची (पंचायत समिति सरदारशहर के क्रमोन्नत विद्यालयों में रिक्त पद)

क्र.सं.	क्रमोन्नत विद्यालय का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	कब से पद रिक्त है
1.	रासीमावि, जैतसीसर	व्याख्याता हिन्दी	02	9/97
		,, इतिहास	01	9/97
		,, राज. वि.	01	9/97
		,, अंग्रेजी	01	9/97
		व.अ. संस्कृत	01	9/97
		,, सामान्य	01	9/96
2-	रासीमावि, फोंगा	व्याख्याता हिन्दी	02	9/97
		,, संस्कृत	01	9/97
		,, इतिहास	01	9/97

परिशिष्ट—4

अता. प्र. सं. 132 का विवरण

परिशिष्ट-"क"

वर्ष	माध्यमिक शिक्षा		प्राथमिक शिक्षा	
	चोरी प्रकरणों की संख्या	गबन प्रकरणों की संख्या	चोरी प्रकरणों की संख्या	गबन प्रकरणों की संख्या
1970	....	1	....	....
1971	1	3	....	....
1972	....	3	....	....
1973	....	4	....	....
1975	....	2	....	....
1977	....	....	2	1
1978	....	2	6	....
1979	....	....	2	....
1980	2	3	....	....
1981	....	1	....	....
1982	1	2	....	....
1983	....	1	....	1
1984	....	2	....	....
1985	....	2	....	....
1986	2	1	....	....
1987	1	1	....	....
1988	2	1	....	....
1989	....	....	2	....
1990	....	1	....	....
1991	....	1	6	....

1	2	3	4	5
1992	1	....	....	....
1993	2	....	4	....
1994	....	....	4	....
1995	....	....	3	....
1996	1	....	4	....
1997	....	....	2	....
	13	31	35	2

परिशिष्ट–5

अता. प्र. सं. 134 का विवरण

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि.; जयपुर

उपभोक्त संघ में दुरुपयोग सम्बन्धी प्रकरणों में की जा रही कार्यवाही की सूची

क्रमांक	नाम कर्मचारी एवं पद	की गई कार्यवाही	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	श्री हरक चन्द जैन, सहायक प्रबंधक	सी.सी.ए. 17 के तहत नोटिस	सुनवाई में
2.	श्री दलजीत सिंह, विक्रेता	"	निर्णय में
3.	श्री कुंजू कोकुरा	"	सुनवाई में
4.	श्री सुरेन्द्र राघव, विक्रेता	"	सुनवाई में
5.	श्री सुनील सक्सैना, विक्रेता	"	सुनवाई में
6.	श्री भागचन्द शाह, विक्रेता	"	निर्णय में
7.	श्री बृजगोपाल, विक्रेता	"	सुनवाई में

1	2	3	4
8.	श्री अब्दुल रहीम, विक्रेता	सी.सी.ए. 17 के तहत नोटिस	निर्णय में
9.	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, विक्रेता	"	सुनवाई में
10.	श्री चरतसिंह, सहायक	"	सुनवाई में
11.	श्री सम्पत झाला, हैल्पर	सी.सी.ए. 16 के तहत नोटिस	संघ से बर्खास्त
12.	श्री राजीव भाटीया, हैल्पर	"	संघ से बर्खास्त
13.	श्री सुरेश राजपूत, विक्रेता	"	संघ से बर्खास्त
14.	श्री हरक चन्द जैन, सुपरवाइजर	"	चेतावनी
15.	श्री घनश्याम माहेश्वरी, स. व्यवस्थापक	"	चेतावनी
16.	श्री सत्यनारायण खण्डेलवाल, हैल्पर	"	दो इंक्रीमेंट संचयी प्रभाव से रोके गये
17.	श्री जे.के.शाह, विक्रेता	"	दो इंक्रीमेंट संचयी प्रभाव से रोके गये
18.	श्री कुंजू कोकुरा, विक्रेता	"	" " "

1	2	3	4
19.	श्री हरी सिंह, हैल्पर	सी.सी.ए. 16 के तहत नोटिस	निर्णय में
20.	श्री कमल कुमार काला, हैल्पर	"	जांच विचाराधीन है।
21.	श्री कुंजू कोकुरा, विक्रेता	"	
22.	श्री राधामोहन गुप्ता, विक्रेता	"	
23.	श्री दलजीत सिंह, विक्रेता	"	
24.	श्री सुनील सक्सेना, विक्रेता	"	जांच पूर्ण कर दी गयी है प्रस्तुत की जानी है।
25.	श्री निसार अहमद, विक्रेता	"	सुनवाई में
26.	श्री कैलाश पारीक, विक्रेता	"	सुनवाई में
27.	श्री प्रेमनारायण शर्मा, विक्रेता	"	जांच अधिकारी की नियुक्ति की जानी है।
28.	श्री देवानन्द सैनी, विक्रेता	"	निर्णय में
29.	श्री भोपाल सिंह नरूका, विक्रेता	"	अंतिम निर्णय होना है।
30.	श्री प्रमोद, कुमार शर्मा, विक्रेता	"	अंतिम विर्णय होवा है।

1	2	3	4
31.	श्री महेश चन्द गुप्ता, विक्रेता	सी.सी.ए. 16 के तहत नोटिस	जांच की जा रही है।
32.	श्री के.के. शर्मा, विक्रेता	,,	जांच विचाराधीन है।
33.	श्री लोकेश बापना. क. लेखा	,,	अंतिम निर्णय होना है।
34.	श्री देवेन्द्र सिंह डागुर, विक्रेता	,,	स्टे के कारण जांच कार्यवाही बन्द है।
35.	श्री मदनलाल विश्नोई, क.स.	,,	अंतिम बहस होनी है।
36.	श्री अशोक शर्मा, क. सहायक	,,	अंतिम निर्णय
37.	श्रीमती सुधा माथुर क. सहायक	,,	जांच विचाराधीन है।

परिशिष्ट—2

GOVERMENT OF RAJASTHAN

FINANCE DEPARATMENT

(RULES DIVISION)

ORDER

No. F. 1(25)FD(Gr.2) /92 Jaipur, dated 29 November, 1996.

Subject : Scheme for grant of Medical concession to State Government Pensioners.

The Governor has been pleased to make the following amendments in the Rajasthan State Pensioners Medical Concession Scheme, namely :—

In the said scheme—the existing it on (1) of the 'Clarification' appearing below sub--para (6) of para4(ii) shall be substituted by the following :—

"(1) Authorised medical shop-keepers be allowed to supply medicines costing up to Rs. 1,500/- only in a financial year to each pensioner provided that this cost ceiling shall not be applicable to those pensioners who have attained the age of 80 years or above if they furnish documentry proof of age."

By Order of the Government,

ह.

(S. C. Derashri)

Officer on Special Duty (Rules)

परिशिष्ट-6

प्रता. प्र. सं. 139 का विवरण

सूची "क"

उदयपुर संभाग के वन क्षेत्र, अमल दरामद क्षेत्र एवं अतिक्रमण की स्थिति

क.सं.	नाम जिला	कुल वन क्षेत्र (वर्ग कि.मी.में)	राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद क्षेत्र (वर्ग कि.मी. में)	अतिक्रमित वन क्षेत्र (वर्ग कि.मी. में)
1.	बांसवाड़ा	1190.42	1048.56	35.00
2.	चित्तौड़गढ़	2632.49	2545.80	28.72
3.	डूंगरपुर	644.60	553.78	20.64
4.	राजसमंद	384.44	309.07	0.94
5.	उदयपुर	4702.50	3473.27	41.11
	योग	9554.45	7930.48	126.41

258

सूची "ख"

उदयपुर संभाग में घोषित अभयारण्यों की स्थिति

क.सं.	नाम अभयारण्य	विज्ञप्ति प्रचलित किये जाने की दिनांक	जिले
1.	सीतामाता	2.1.79	उदयपुर, चित्तौड़गढ़
2.	बस्सी	29.8.88	चित्तौड़गढ़
3.	भैंसरोड़गढ़	5.2.83	चित्तौड़गढ़
4.	फुलवाड़ी की नाल	6.10.83	उदयपुर
5.	जयसमंद	7.11.55	उदयपुर
6.	सज्जनगढ़	17.2.87	उदयपुर
7.	कुम्भलगढ़	13.7.71	उदयपुर, राजसमंद एवं पाली
8.	रावली टाटगढ़	28.9.83	राजसमंद, पाली, अजमेर

परिशिष्ट—7

परिशिष्ट 'क'

अता. प्र. सं. 149 का विवरण

प्रतिलिपि आदेश क्रमांक प. 11 (77) आयुर्वेद/83/पार्ट-II दिनांक 16-11-89 द्वारा उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-4) आयुर्वेद विभाग, राज. जयपुर ।

आदेश

विषय :– वैद्य/हकीम द्वितीय श्रेणी, कल्पद/धात्री तथा विवेचकों की नई नियुक्ति/भर्ती हेतु निर्देश ।

इस विभाग के आदेश संख्या एफ.11 (28) आयुर्वेद/74 दिनांक 13-2-75 के अतिक्रमण में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश की क्रियान्विति केवल नर्स/कम्पाउण्डर की नियुक्ति तक ही सीमित रहेगी एवं सम्बन्धित सेवा नियमों की सार्वभोमिकता के अधीन निम्न रूप से संशोधित होंगे :—

(अ) परिभाषाएं :–

(1) नियुक्ति अधिकारी :—

नियुक्ति अधिकारी से तात्पर्य निदेशक, आयुर्वेद विभाग से है ।

(2) सीधी भर्ती :—

सीधी भर्ती से तात्पर्य पदोन्नति के अलावा अन्य किसी तरीके से किसी व्यक्ति की नियुक्ति से है ।

(3) समिति :—

चयन समिति से तात्पर्य आयुर्वेद विभाग के उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-4), निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, उदयपुर से होगा एवं निदेशक इसके सदस्य सचिव होंगे ।

(4) निर्धारित शैक्षिक योग्यता :-

निर्धारित शैक्षिक योग्यता से तात्पर्य उस योग्यता से है, जो इन पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के रूप में निर्धारित की गयी हो।

(5) निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता :-

निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता से तात्पर्य उस योग्यता से है, जो इन पदों के लिये नियुक्ति हेतु न्यूनतम प्रशिक्षण योग्यता के रूप में निर्धारित की गयी हो।

(6) विलोपित।

(7) विलोपित।

(8) रिक्त पदों का निर्धारण :-

नियुक्ति अधिकारी अगले वर्ष में रिक्त होने वाले पद निर्धारण प्रति वर्ष 31 मई तक परिशिष्ट 1 के प्रपत्र में करेंगे। यदि इस बीच में पद रिक्त हो जावे तो उन पदों को भरने की कार्यवाही बिना इस दिनांक की प्रतीक्षा भी की जा सकेगी।

(9) रिक्त पदों को भरने की प्रणाली :-

रिक्त पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की जावेगी। नियुक्ति अधिकारी संबंधित नियोजित कार्यालय को पदों की उपलब्धि के अनुसार अपना मांग पत्र भेजेंगे एवं उसकी प्रति सूचनार्थ उपनिदेशक कार्यालयों व महाविद्यालयों तथा नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्रों के सूचना पट्ट पर प्रदर्शनार्थ भेजेंगे एवं केवल उन्हीं प्रार्थना पत्रों पर चयन समिति विचार करेगी जो नियोजन कार्यालय के माध्यम से प्राप्त होंगे। केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आशार्थी अपने आवेदन पत्र सीधे रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से भी भेज सकेंगे। विज्ञापन परिशिष्ट 2 में भेजे जावेंगे एवं इस प्रकार बनायी गयी वरीयता सूची प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगी। इन पदों हेतु राजस्थान आयुर्वेद अधीनस्थ सेवा नियम 1966 में

अंकित आयु वाले विभाग में पहले से सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी अपने आवेदन पत्र अपने उच्चाधिकारी के माध्यम से भेज सकेंगे। उन्हें नियोजन कार्यालय के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट-3 पर ही प्रस्तुत किए जावेंगे।

(10) आवेदन पत्र प्राप्ति के उपरान्त कार्यवाही :--

प्रार्थना पत्रों के प्राप्त होते ही उनके मुख पृष्ठ पर उपनिदेशक (मुख्यालय) उनकी संख्या अंकित कर उसके नीचे अपने लघु हस्ताक्षर कर देंगे एवं उनकी प्रविष्टि संशोधित प्रपत्र 4 में करेंगे। प्रार्थना पत्र उसी तिथि में अंकित किये जावेंगे जिस तिथि को वे कार्यालय में प्राप्त हों। आवेदन पत्रों के विवरण एवं उनके साथ प्राप्त प्रमाण पत्रों के परीक्षण हेतु एक समिति होगी जिसके सदस्य उपनिदेशक (मुख्यालय) एवं प्राचार्य, नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर रहेंगे। प्रार्थना पत्रों प्रविष्टियों की जांच करते समय प्रार्थी के शैक्षिक योग्यता व प्रशिक्षण योग्यता के अंक-तालिकाओं के सही (जिनाइननेस) होने का परीक्षण कर प्रार्थना पत्रों के प्राप्त होने की अंतिम तिथि के एक पखवाड़े में चयन समिति की बैठक बुलवाने का प्रस्ताव रखेंगे।

(11) चयन प्रणाली :--

प्राप्त वैद्य प्रार्थना पत्रों की प्रशिक्षण परीक्षा के अंकों के आधार पर आशार्थियों की वर्षवार वरियता बनाकर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति व अन्य आरक्षित वर्गों के आशार्थियों के नामों के समक्ष उसका अंकन कर दिया जावे। दो आशार्थियों को बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में आयु को आधार मानकर वरियता निश्चित करनी होगी अर्थात् अधिक आयु वाला आशार्थी कम आयु वाले से ऊंचा स्थान पाएगा। तत्पश्चात् वर्षवार वरियता सूची आरक्षित पदों को ध्यान में रखते हुए चयन समिति के अनुमोदन से बना ली जावे। वरियता बनाते समय रिक्त पदों से 50 प्रतिशत अधिक आशार्थियों की एक पूरक सूची भी तैयार कर ली जावे।

इस प्रकार तैयार की गयी वरियता सूची का प्रकाशन निम्न स्थानों पर 15 दिवस के लिए सूचना पट्ट पर किया जावेगा :--

1. निदेशालय

2. कार्यालय नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर/जोधपुर।

3. कार्यालय उपनिदेशक

ऐसा प्रकाशन संशोधित परिशिष्ट-6 में किया जाकर सूची पर चयन समिति के समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे।

इस प्रकार बनायी गयी वरियता सूची के आधार पर ही रिक्त स्थानों की पूर्ति की जावेगी।

आज्ञा से,
ह0/-
(ए0के0भटनागर)
उप शासन सचिव

परिशिष्ट-8

(295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गयीं)

[श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)]

जोधपुर शहर में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार

मान्यवर, जोधपुर शहर की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने जन-प्रतिनिधियों की मांग पर जोधपुर शहर के महात्मा गांधी अस्पताल में हृदय के वॉल्व बदलने की सुविधा प्रदत करने हेतु सम्पूर्ण व्यवस्था करने की घोषणा की गई थी। उक्त घोषणा माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री स्वयं ने की थी। मुझे खेद के साथ यह ध्यान में लाना पड़ रहा है कि उक्त घोषणा के अनुरूप कोई कार्यवाही आज तक नहीं की गई है। जोधपुर एवं पश्चिमी राजस्थान के निवासी अभी भी इस सुविधा के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री से यह जानकारी चाहती हूं कि उनकी घोषणा के अनुरूप उक्त सुविधा जोधपुर में कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

माननीय चिकित्सा मंत्री ने जोधपुर के नवचौकियां डिस्पेंसरी में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र की स्थापना की घोषणा की थी। माननीय मुख्य मंत्री ने इस केन्द्र का विधिवत् उद्घाटन भी कर दिया। परन्तु इस केन्द्र में भी समुचित स्टाफ के अभाव में आम जन को सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। वित्त मंत्री महोदय ने भी यह आश्वासन दिया था कि उक्त केन्द्र में स्टाफ के लिए प्रस्ताव आने पर शीघ्र ही वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जायेगी परन्तु अभी तक स्टाफ की समुचित व्यवस्था नहीं हो पायी हैं, जिसके अभाव में क्षेत्र की जनता इस केन्द्र की सुविधाओं से लाभान्वित नहीं हो रही है।

मैं चिकित्सा मंत्री से फिर अनुरोध करना चाहती हूं कि कृपया इस केन्द्र के लिये तुरन्त ही सक्षम स्टाफ की नियुक्ति करवायें और वांछित पदों की स्वीकृति भी प्रदान करें।

264

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

जोधपुर के मेडिकल कालेज में विभिन्न विभाग में प्राध्यापकों एवं अन्य शिक्षकों के लगभग 44 पद रिक्त हैं। यह पद सर्जरी, दन्त चिकित्सा, शिशु रोग आदि महत्वपूर्ण विभागों से सम्बन्धित है। इन विशेषज्ञों के न होने से पश्चिमी राजस्थान के निवासियों को समुचित चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पा रही है, जबकि इनसे सम्बन्धित चिकित्सा उपकरण जोधपुर के अस्पतालों में उपलब्ध हैं।

मेरा आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री को अनुरोध है कि इन विशेषज्ञ पदों पर तुरन्त सक्षम व्यक्तियों को पदस्थापित किया जाय, जिससे आम जनता को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके।

[श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)]

जवाई बांध का पानी शिवगंज तहसील को देना

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहती हूं कि जवाई बांध के पानी में से सिरोही जिले की शिवगंज तहसील को भी हिस्सा दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, जवाई नदी पर जवाई बांध बनने से पहले शिवगंज नगर एवं आस पास के गांवों का जल स्तर बहुत ऊंचा था तथा सारा क्षेत्र हरा-भरा था। बांध बनने से पहले इस क्षेत्र में मात्र 15-20 फीट खोदने पर पानी आ जाता था तथा कुओं में प्रचुर मात्रा में पानी रहता था। परन्तु अध्यक्ष महोदय, जवाई बांध, बनने के बाद वहां के कुओं का जल स्तर बहुत नीचे चला गया और अब तो यह जल स्तर घटते-घटते इतना नीचा चला गया है कि कुओं को गहरा करें तो ज्यादा गहराई के कारण कुएं ढह जाते हैं। पानी की निरन्तर घटती मात्रा के कारण आये दिन कुएं ढहते रहते

(श्रीमती तारा भण्डारी)

है तथा कई लोग कुएं ढहने के कारण दब कर मर गये। साथ ही पानी की कमी के कारण शिवगंज तहसील के हालात मरुस्थल जैसे होते जा रहे हैं, वहां के काश्तकार बर्बाद हो रहे है। तथा वहां के काश्तकार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, जवाई बांध बना उस समय सिरोही जिले को भी पानी देना तय हुआ था मगर खेद का विषय है कि हमारे जिले के काश्तकार आज दिन तक जवाई बांध का पानी मिलने से वंचित रखे गये।

अतः आपसे निवेदन है कि जोधपुर में इन्दिरा गांधी नहर का पानी आ जाने से वहां की पेयजल समस्या का समाधान हो गया है। जवाई बांध से जोधपुर जाने वाले पानी को रोक कर यह पानी शिवगंज तहसील को दिया जावे जिससे शिवगंज एवं आसपास का क्षेत्र पुनः हरा-भरा हो सके।

[श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी)]

नारायणपुर (तहसील थानागाजी) ग्राम की गौण मण्डी

महोदय, ग्राम नारायणपुर तहसील थानागाजी में गौण मण्डी का निर्माण करीब 12 वर्षों पूर्व हुआ था। उसमे 15 लाख रुपये की धनराशि का व्यय हुआ था। यह गौण मण्डी एक बहुत बड़ी कृषि सम्भाग के बीच स्थित है। किसानों की गरीबी एवं पिछड़ेपन के कारण व्यापारी लोग इन किसानों की पैदावार को इसकी ओर से अलवर मण्डी में ले जाकर विक्रय करते है। स्वाभाविक है, ऐसी व्यवस्था में उचित बाजार भाव किसानों को न दिलाकर व्यापारियों की जेब में चला जाता है। अलवर कृषि उपज मण्डी के अधिकारियों की व्यापारियों से मिलीभगत के कारण नारायणपुर की गौण मण्डी चालू नहीं हो पा रही है। इस व्यवस्था से जहां एक

(श्री रमाकान्त शर्मा)

ओर किसानों का अहित हो रहा है दूसरी ओर कृषि उपज मण्डी में एक बहुत बड़ी राशि का जो नियोजन किया है उसका उपयोग नहीं हो रहा है और इस कार्य हेतु जो कर्जा लिया है उसकी धनराशि दिनों-दिन बढ़ती चली जा रही है। किसानों से करों के माध्यम से जो प्राप्त धनराशि है वह ब्याज चुकाने में व्यय हो रही है। यदि यह मण्डी चालू होती तो ऐसी धनराशि से जो विकास के कार्य होते वह भी नहीं हो पा रहे हैं। मैं राज्य सरकार का ध्यान दिलाकर आग्रह करता हूं जिन अधिकारियों से इस प्रकार की सांठ-गांठ कर रखी है उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जावे एवं इस गौण मण्डी को चालू कराने की व्यवस्था की जाये।

[श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा)]

जोधपुर शहर की सड़कों की दयनीय स्थिति

महोदय, जोधपुर नगर में पिछले 2-3 वर्षों से नगर की सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कें खराब व टूटी-फूटी हैं जिसके कारण आम नागरिकों को भारी परेशानी हो रही है। विभाग के अभियंताओं से वार्ता करने पर पता चला है कि जोधपुर शहर की सड़कों का बजट प्रति वर्ष कम किया जा रहा है जिसके कारण सभी सड़कों की देखभाल करना संभव नहीं है।

अतः सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यानाकर्षित करता हूं कि जोधपुर शहर की सड़कों की हालत इतनी खराब है कि इनकी मरम्मत एवं देखभाल के लिए बजट की कमी को दूर किया जाना आवश्यक है। पिछले 5 वर्षों में वर्षानुसार कितना बजट दिया गया तथा किन-किन सड़कों की मरम्मत की गई और बजट कम करने के क्या कारण रहे ? जोधपुर में आने वाले पर्यटकों पर इन सड़कों की खस्ता हालत से गलत प्रभाव पड़ता है इसलिए जोधपुर शहर की सड़कों को विशेष बजट देकर इनको ठीक किया जाये।

[श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर)]

अलवर स्थित 'मीटप्लांट'

महोदय, अलवर में स्थित मिट प्लांट (बूचड़खाना) खोलने के संबंध में सरकार के विचारों की जनता को जानकारी मिली तो जनता ने प्रदर्शन आन्दोलन किये। इसके विरोध में धरने दिये, सरकार को ज्ञापन दिये कि अलवर में 'मीटप्लांट' नहीं खोला जावे। सरकार जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए अलवर में 'मीट-प्लांट' नहीं खोले और मेरे विचार में 'मीटप्लांट' की जगह पर 'फूड प्लांट' खोलने की कृपा करें।

[श्री शिवनाथ सिंह (गुढा)]

काटली नदी (झुन्झुनूं) से बजरी उठाने में ठेकेदारों द्वारा जबरन वसूली

महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

झुंझुनूं जिले में काटली नदी क्षेत्र से बजरी उठाने हेतु रायल्टी का ठेका कुछ ठेकेदारों को दिया है। ये ठेकेदार रायल्टी की नियमित रकम को वसूलने के अलावा बजरी ढोने वाले ट्रकों से नाजायज रकम प्रति ट्रक 150/- रुपये तक की राशि वसूल कर रहे हैं। इससे स्थिति बहुत बिगड़ गई है। ठेकेदारों के लोग ट्रक मालिकों के साथ मारपीट करते है व नाजायज रकम वसूल कर रहे है। अराज-कता की स्थिति पैदा हो रही है। ट्रक आपरेटर हड़ताल कर रहे है और आम जनता को बजरी मिलने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। रायल्टी माफिया पनप रहा है। लोगों में आतंक छाया हुआ है। सम्बन्धित विभागीय अधिकारी तथा पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है तथा माफिया को संरक्षण दे रहे हैं। स्थिति भयंकर रूप धारण नहीं कर ले उससे पहले कारगर कदम पुलिस तथा खनिज विभाग द्वारा उठाये जाना आवश्यक है।

[श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल)]

जयपुर शहर की कतिपय कालोनियों की कठिनाइयों का निराकरण

मान्यवर, आपने मेरे आग्रह एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये गोपीनाथ मार्ग, को बड़ा कर सुधार कराया है साथ ही न्यू कालोनी, पुरोहितजी का बाग, हमीद नगर एवं न्यू कालोनी की भी सड़कों को फुटपाथ कम करते हुये बड़ा किया है। वहां जो समस्या थी कि एम.आई.रोड पर यातायात दिन में दो बार प्रातः एवं सायंकाल एक तरफा यातायात होता है उसमें राहत मिली है जो सर्वविदित है।

साथ ही जयन्ती बाजार जो इलैक्ट्रोनिक्स के सामान का सबसे बड़ा एवं एक श्रेष्ठ बाजार है, की घोर उपेक्षा हो रही है। जयन्ती बाजार से जहां गोपीनाथ मार्ग मिलता है। वहां अतिक्रमण हो रहा है। जिस कारण इस बाजार का सारा स्वरूप ही बिगड़ रहा है। वहां व्यवसाय कर रहे सर्वश्रेष्ठ व्यवसायी हैं जिनको इन समस्याओं का रोज सामना करना होता है। गत दिनों में भी स्टेण्ड को लेकर काफी विवाद हुआ है।

इस अतिक्रमण की ओट में वहां बसों एवं ट्रकों का पार्किंग होता है। साथ ही वहां सामने पशुचिकित्सालय भी स्थित है तथा कभी-कभी वहां पर मरे हुये पशु भी डाल दिये जाते हैं। जिसके कारण पर्यावरण भी खराब होता है। गंदगी के कारण आने-जाने वाले नागरिकगण भी प्रभावित होते हैं।

जयन्ती बाजार जहां इन्द्रा बाजार मिलता है वहां अनेक वर्षों से गंदा नाला खुला पड़ा है जिसे कई बार ढकने का निर्णय हुआ उसके अनुरूप कार्य भी अनेक बार शुरू किया और बन्द भी किया जिसका कारण समझ नहीं आ रहा कि इस कार्य को सरकार की मंशा पूरा करने की नहीं है या अधिकारीगण की नीयत नहीं। यह भी हो सकता है कि कार्य इंजीनियरों की समझ में नहीं आ रहा हो। आपने गंभीरता से इस पर निर्णय नहीं किया तो कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है।

न्यू कालोनी की भी सुधार की दृष्टि से कुछ गलियां छूट गई हैं इन्हें भी तथा

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

पुरोहित जी के बाग से एम.आई. रोड पर लक्ष्मी मोटर कम्पनी के सामने निकलने वाली सड़क को भी तत्काल ठीक कराना अत्यन्त आवश्यक है ।

मान्यवर, आप स्वयं एवं जिस एजेन्सी, नगर निगम को कार्य कराना है, के माननीय महापौर को भी इस समस्या को अनेक बार मौके पर जाकर मैं दिखा चुका हूं ।

मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस समस्या के समाधान हेतु सम्बन्धित विभाग एवं सक्षम अधिकारीगण को निर्देश दें कि यथाशीघ्र इसका निदान कर जयन्ती बाजार के व्यवसायी, न्यू कालोनी के निवासी, पुरोहित जी के बाग के निवासियों को आवागमन की सुविधा दिलावें तथा इन्द्रा बाजार के नाले को तुरन्त पाट कर किसी बड़ी दुर्घटना को होने से बचायें । यह कार्य कब तक करवा दिया जायेगा, जानकारी देने का श्रम करें ।

[श्रीमती उज्जला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)]

जयपुर शहर के अधूरे पड़े रेलवे पुलों को शीघ्र पूरा करना

जयपुर नगर में रेलवे मार्ग के ऊपर पुलों का कार्य झोटवाड़ा, गोपालपुरा, मालवीय नगर का कार्य तेजी से शुरू किया गया । काफी कार्य हो भी गया लेकिन पिछले चार-पांच माह से यह कार्य बन्द पड़ा है । जिससे नागरिकों को बेहद परेशानी है ।

झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र अलग है और आने-जाने वाले मार्गों में प्रमुख मार्ग हैं । यही हाल गोपालपुरा और मालवीय नगर को पुलों से जाने वाले मार्ग हैं जो आने जाने वाले मार्गों में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं । अधूरे कार्य से इन मार्गों में आवागमन और भी दुश्वर हो गया है । यह भी पता नहीं चल पा रहा है, कि यह कार्य कब शुरू होगा ।

१०

(श्रीमती उज्ज्वला अरोड़ा)

कुछ महीने ही बचे हैं, बरसात शुरू हो जायेगी, फिर कार्य सम्पन्न नहीं होगा तथा यह भी कि दिनों-दिन सामान की कीमतें बढ़ जाने से यह कार्य और भी मंहगा हो जायेगा।

औद्योगिक क्षेत्रों से माल लाने ले जाने में फाटक के बन्द होने से परेशानी होती है। इस ओर लोग चिन्तित हैं, उद्वेलित है। अतः यह लोक महत्व, महत्व का प्रश्न है। आप मुझे इस पर दिनांक 17-3-98 को बोलने की अनुमति प्रदान करें।

————